GA POWER CAPSULE for SSC CGL & Railway 2019

{Polity | History | Economics | Geography}

Powered by:

Contents

एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए अर्थशास्त्र कैप्सूल 2019 3

भारतीय राजव्यवस्था कैप्सूल 16

आधुनिक भारत 42

भूगोल कैप्सूल 61

मध्यकालीन भारत 86

प्राचीन भारत का इतिहास 102

एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए अर्थशास्त्र कैप्सूल 2019

परिचय

अर्थशास्त्र: अर्थशास्त्र वह विज्ञान जिसमें अन्त्य एवं दुर्लभ वस्तुओं के बीच सम्बंधो के रूप में मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जिनका वैकल्पिक उपयोग होता है"।

समष्टि अर्थशास्त्र: आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है, जिसमें समुच्चय का विश्लेषण सम्पूर्ण अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र: यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है, जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म, विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं, जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेचीं जाती हैं।

अर्थव्यवस्था: अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोगों अपनी जीविका प्राप्त करते हैं।

उत्पादन संभाव्यता वक्र (PPC): उत्पादन संभाव्यता वक्र दो वस्तुओं के सभी संभावित समुच्चयों को दर्शाता है, जिसे उपलब्ध संसाधनों व तकनीक की सहयाता से उत्पादित किया जा सकता है।

सीमान्त उपयोगिता लागत(MOC): पीपीसी के साथ विशेष रूप से एमओसी एक अन्य वस्तु की अतिरिक्त इकाई है, जिसकी किसी अन्य वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन हेतु हानि उठाई जाती है।

रूपांतरण की सीमान्त दर(MRT): MRT, उस वस्तु की इकाइयों का अनुपात है जिसकी किसी अन्य वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन हेतु हानि उठाई जाती है।

मांग की अवधारणा

- **मांग:** वस्तु की वह मात्रा, जिसे उपभोक्ता दिए गए समय व नियत मूल्य पर खरीदने में सक्षम और इच्छुक हो।
- **मांग अनुसूची:** यह एक तालिकाबद्ध प्रदर्शन है, जो वस्तु के मूल्य और खरीदी गयी मात्रा के मध्य के सम्बन्ध दर्शाता है ।
- **मांग वक्र:** यह मान अनुसूची का एक सचित्र प्रदर्शन है।
- **व्यक्तिगत मांग:** व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा की गयी मांग।

किसी वस्तु की व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक / मांग के निर्धारक

1. स्वयं वस्तु की कीमत 2. उपभोक्ता की आय
3. सम्बंधित वस्तुओं की कीमत 4. पसंद एवं वरियता 5. भविष्य में कीमत में परिवर्तन की प्रत्याशा

मांग सूत्र: Dx = f(Px, Y, Pr, T)

मांग के नियम: यदि सभी कुछ यथावत् रहे तो वस्तु की माँग उसके मूल्य के घटने के साथसाथ बढ़ती जाएगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ-उसकी माँग घटती जाएगी। यही माँग का नियम है।

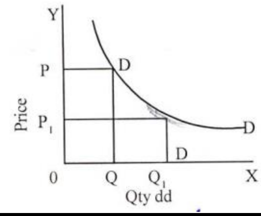

मांग में परिवर्तन

इसके दो प्रकार हैं:

1) मांग की गयी मात्रा में परिवर्तन (एक ही मांग वक्र के साथ उतार-चढ़ाव)

2) मांग में परिवर्तन (मांग में बदलाव)

1) मांग की गयी मात्रा में परिवर्तन: -

वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में बदलाव, अन्य कारक स्थिर हों; ये दो प्रकार के होते हैं;

A) मांग का विस्तार: कम कीमत पर अधिक मांग

B) मांग का संकुचन: उच्च कीमत पर कम मांग

मांग की गयी मात्रा में परिवर्तन

मूल्य में परिवर्तन के कारण → उतार-चढ़ाव होगा → विस्तार और संकुचन

मांग में परिवर्तन

मूल्य में परिवर्तन के अलावा अन्य कारण → परिवर्तन होगा → वृद्धि और कमी

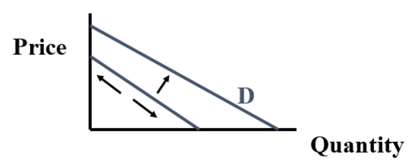

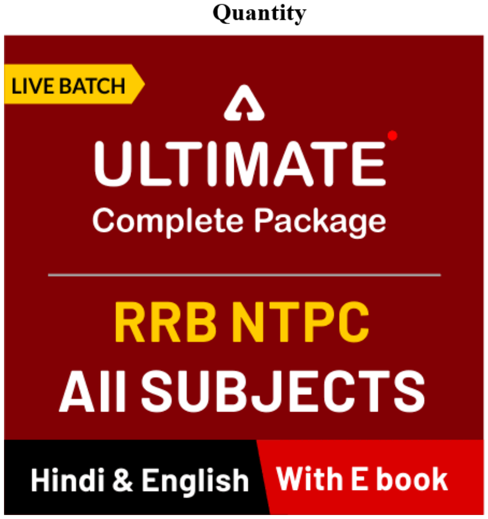

मांग में परिवर्तन

वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं:

A) **मांग में वृद्धि** :- अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग अधिक होना, मूल्य स्थिर रहते हैं।

B) **मांग में कमी**:- अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण मांग कम होना, मूल्य स्थिर रहते हैं।

मांग में वृद्धि के कारण

1. आय में वृद्धि
2. चयन और वरीयता में बढ़ोतरी / अनुकूल बदलाव।
3. वैकल्पिक वस्तु की कीमत में वृद्धि।
4. पूरक वस्तु की कीमत में गिरावट।

नोट : साधारण वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होती है।

मांग में कमी के कारण:

1. **आय में कमी**
2. चयन और वरीयता में प्रतिकूल / कमी
3. वस्तु के विकल्प की कीमत में कमी
4. पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि

नोट: आय के कारणों में कमी सामान्य अच्छे के लिए मांग में कमी

नोट: साधारण वस्तुओं के लिए मांग में कमी के कारण आय में कमी होती है।

वस्तुओं के प्रकार

- **वैकल्पिक वस्तुएं**: अन्य वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण किसी वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होना। उदाहरण, चाय और कॉफ़ी।
- **पूरक वस्तुएं**: अन्य वस्तु की मांग में कमी होने के कारण किसी वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होना। उदाहरण,पैट्रोल और कार।
- **साधारण वस्तुएं**: वे वस्तुएं, जिनका आय के साथ सकारात्मक सम्बन्ध होता है। इसका अर्थ है कि जब आय बढती है, तो साधारण वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होती है।
- **गौण वस्तुएं**: वे वस्तुएं, जिनका आय के साथ नकारात्मक सम्बन्ध होता है। इसका अर्थ है कि जब आय बढती है, तो मांग में कमी आ जाती है, और ठीक इसके विपरीत भी यही होता है।
- **निम्नस्तरीय वस्तुएं**: गिफन वस्तुएं, वे गौण वस्तुएं होती हैं जिन्हें लोग कीमत बढ़ने पर अधिक उपभोग करना शुरू कर देते हैं, मांग की सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। गिफन वस्तुओं की स्थिति में, सस्ते नजदीकी विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। विकल्पों की कमी के कारण, आय का प्रभाव हावी हो जाता है, लोगों को अधिक वस्तुएं खरीदनी होती है, यहां तक कि इसकी कीमत बढ़ जाने पर भी।
- **वेब्लेन वस्तुएं (उर्फ उपनिवेशवादी वस्तुएं):** अक्सर गिफेन वस्तुओं के साथ भ्रमित करने वाली वेब्लेन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, जिसकी बढ़ी हुई कीमतें, मांग की मात्रा में वृद्धि करती हैं। हालांकि, यह इसलिए नहीं है कि उपभोक्ता को बजटीय बाधाओं (गिफेन वस्तुओं के मामले में) के कारण अधिक वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। बल्कि, वेब्लेन वस्तुएं उच्च-दर्जे वाली वस्तुएं हैं, जैसे- कीमती वाइन, ऑटोमोबाइल, घड़ियां, या इत्र। ऐसी वस्तुओं की उपयोगिता स्थिति को निरूपित करने की उनकी क्षमता से जुड़ी हुई हैं। उनकी कीमत कम होने पर, मांग की मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि उनकी स्टेट्स-डीनोटिंग उपयोगिता मध्यमार्गी बन जाती है।

मांग के प्रकार

- **आड़ी या तिरछी मांग:** आड़ी मांग का अर्थ, किसी वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है, जो उस वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन न होकर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होती है। इस प्रकार की मांग प्रतिस्थापन वस्तुओं अथवा पूरक वस्तुओं के संबंध में पाई जाती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे हैं, जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती हैं। जबकि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं।
- **आय मांग:** प्राथमिक रूप से आय पर निर्भर करने वाली मांग को आय मांग कहा जाता है।
- **प्रत्यक्ष मांग:** अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अपनी इच्छाओं अथवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं के लिए मांग को प्रत्यक्ष मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए, होटल के अतिथियों द्वारा भोजन की मांग करना।
- **व्युत्पन्न मांग:** जब किसी वस्तु की मांग के कारण, अन्य किसी वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है, तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। क्योंकि श्रम की सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।
- संयुक्त मांग: जब कभी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है, तो उसे संयुक्त मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए ब्रेड और बटर की मांग, क्रिकेट बैट और बॉल की मांग।
- **संमिश्र मांग:** विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग के लिए किसी एकल वस्तु की मांग करना **संमिश्र मांग** कहा जाता है।

मांग की कीमत लोच (Ed)

किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की माँगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को माँग की कीमत लोच कहा जाता है।

Ed. = वस्तु की माँगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन/ कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन

Ed. = $P/q \times \Delta q/\Delta p$

P = वास्तविक कीमत Q = वास्तविक मात्रा Δ = परिवर्तन

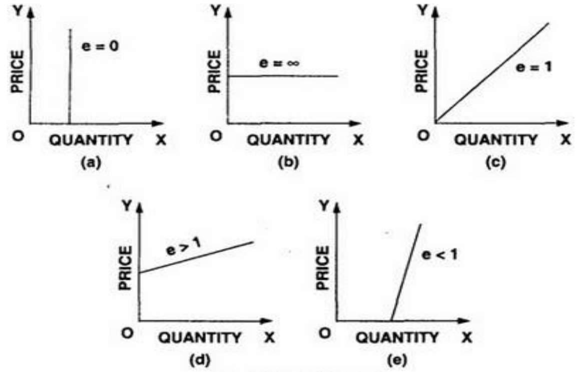

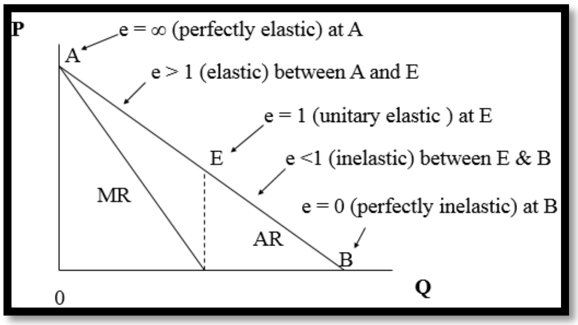

पूर्णतया बेलोचदार मांग (Ed = 0)

जब वस्तु की मांग में, कीमत में परिवर्तन की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इस प्रकार की मांग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है।

बेलोचदार (कम लोचदार) **मांग (e < 1)**

जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गयी मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा से कम होता है, तो मांग कम लोचदार या बेलोचदार होता है।

इकाई लोचदार मांग (e = 1)

जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, तो वस्तु की मांग इकाई लोचदार कहलाती है। जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है, आयताकार हाइपरबोला इस प्रकार का लोच दर्शाता है।

लोचदार मांग (अधिक लोचदार) (e > 1)

जब कीमत में हल्का परिवर्तन होने से मांग में कीमत की तुलना से अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो लोचदार मांग की स्थिति उत्पन्न होती है इसका अर्थ है, कीमत में एक छोटे परिवर्तन से ही मांग में अधिक परिवर्तन होता है।

पूर्णतया लोचदार मांग (e = ∞)

जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना मांग में कमी या वृद्धि होती है तो यह अवस्था पूर्णतया लोचदार होती है। इसमें स्थिर कीमत पर मांग बदलती रहती है। यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में पाई जाती है, जब मांग वक्र लोचदार होती है।

कीमत लोच के निर्धारक

- विकल्प की उपलब्धता
- खर्च की गयी आय का अनुपात
- समय सीमा

आय लोच

- आय में एक प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कैटरिस पेरिबस।
- E_I = (मांग में % Δ) / (आय में % Δ)
- $E_I = (\Delta Q/ \Delta I). (I / Q)$
- आवश्यकताएं ($0< E_I \leq 1$): उदाहरण, मूलभूत खाद्य पदार्थ

एंजल का नियम: जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है, वैसे भोजन पर व्यय होने वाली आय का % घटता है।

मांग की आड़ी-लोच

एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण सम्बंधित वस्तु की मांगी गयी मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की आड़ी-लोच कहा जाता है। (संबंधित वस्तुओं विकल्प या पूरक सामान हो सकते हैं) दूसरे शब्दों में, कमोडिटी y की कीमत में बदलाव के लिए वस्तु X की मांग का उत्तरदायित्व है।

ec = वस्तु एक्स की कीमत में प्रतिशत में परिवर्तन, वस्तु वस्तु के मूल्य में X / प्रतिशत परिवर्तन

मांग की आड़ी-लोच के मापक

इन्फिनिटी - वस्तु x लगभग और y के लिए एक आदर्श विकल्प है

शून्य - वस्तुएं x और y संबंधित नहीं हैं

नकारात्मक – वस्तुएं x और y पूरक हैं

आपूर्ति का नियम

आपूर्ति का अर्थ है नियत समय में दिये गये दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार वस्तुएँ। यह विशिष्ट कीमत पर बिक्री के लिए माल और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए निर्माता की क्षमता और उद्देश्य होता है। किसी वस्तु के किसी वस्तु की आपूर्ति को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तव में उस कीमत पर प्रति इकाई बिक्री के लिए पेश किया जाता है।

आपूर्ति का नियम मूल्य और आपूर्ति के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। फर्म कम कीमतों पर कम और अधिक कीमतों पर अधिक आपूर्ति करेगी। " जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अन्य चीजें समान रहती हैं, जब कीमत गिरती हैं, तो इसकी आपूर्ति विस्तृत हो जाती है, इसकी आपूर्ति कम हो जाती है"

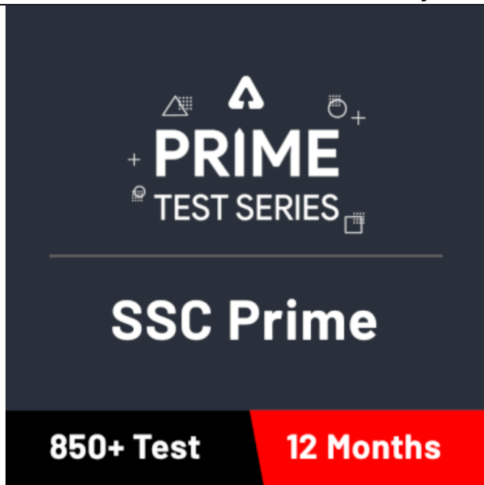

आपूर्ति की लोच

आपूर्ति का नियम हमें आपूर्ति की मात्रा कीमत में बदलाव का जवाब देगा। आपूर्ति की लोच की अवधारणा मूल्य में परिवर्तन की वजह से, आपूर्ति में परिवर्तन की दर की व्याख्या करती है। यह नीचे उल्लेखित सूत्र द्वारा मापी जाती है।

आपूर्ति की लोच = आपूर्ति की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन / कीमत ने आनुपातिक परिवर्तन

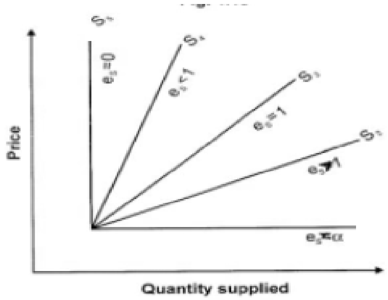

बाजार के प्रकार और मूल्य निर्धारण

बाजार : बाजार एक स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेता, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए एकत्र होते हैं।

बाजार संरचना : एक उद्योग में सक्रिय कंपनियों की संख्या, उनके बीच प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और उत्पाद की प्रकृति को संदर्भित करता है।

बाजार के प्रकार

a) पूर्ण प्रतियोगिता, b) एकाधिकार बाजार, c) एकाधिकारी बाजार, d) अल्पाधिकार बाजार,

a) **पूर्ण प्रतियोगिता:** एक बाजार स्थिति को संदर्भित करती है, जिसमे खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। फर्मे सजातीय उत्पादों को एक समान कीमत पर बेचती हैं।

b) **एकाधिकार बाजार:** एकाधिकार एक बाजार स्थिति है, जिसमे एक विक्रेता का बोलबाला होता है, जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है।

c) **एकाधिकारी बाजार:** एक बाजार स्थिति को संदर्भित करता है, जिसमे अनेक फर्मे सम्बंधित वस्तुएं बेचती हैं, लेकिन ये विभेदित उत्पाद होते हैं।

d) **अल्पाधिकार बाजार: यह एक बाजार संरचना है, जिसमे एक वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं और क्रेता बड़ी संख्या में होते हैं।**

पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ :

1. क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं।
2. सजातीय या समान उत्पाद होते हैं।
3. फार्मो का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है।.
4. उत्पाद की पूर्ण जानकारी होती है।
5. फर्म एक कीमत लेने वाली है और उद्योग कीमत निर्धारक है।
6. पूर्णतया लोचदार मांग वक्र (AR=MR)
7. उत्पादन के कारक की पूर्ण गतिशीलता होती है।
8. परिवहन लागत का अभाव होता है।
9. बिक्री लागत की अनुपस्थिति होती है।

एकाधिकार बाजार की विशेशताएँ :

1. किसी एक वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है।
2. उत्पाद के निकटतम स्थानापन्न का अभाव होता है।
3. एक नई फार्म के प्रवेश में कठिनाई होती है।
4. नकारात्मक ढलान मांग वक्र (AR>MR)
5. कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण होता है।
6. कीमत विभेदन या भेदभाव मौजूद होता है।
7. असामान्य लाभ का अस्तित्व होता है।

एकाधिकारी बाजार की विशेषताएँ :

1. क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है।
2. उत्पाद विभेदन होता है।
3. व्यवसाय में प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता होती है।
4. बिक्री लागत होती है।
5. पूर्ण जानकारी का आभाव होता है।.
6. परिवहन लागत की अधिकता होती है।
7. कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है।

अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएँ:

1. कुछ प्रमुख फर्मे होती हैं, जो आकार में बड़ी होती हैं।
2. परस्पर निर्भरता होती है।
3. प्रवेश पर प्रतिबंध या रूकावट होती है।
4. सजातीय या अलग-अलग उत्पाद होते हैं।
5. कीमत में स्थिरता होती है।

विकंपित मांग मॉडल (The Kinked Demand Model)

- एक अल्पाधिकार बाजार में कीमत की स्थिरता को व्यक्त करता है।

- यह इसकी व्याख्या नहीं करता है कि कैसे कीमत वास्तविक रूप से निर्धारित की गई थी।

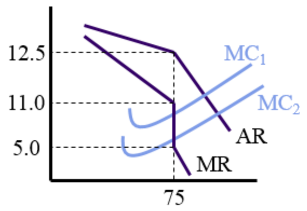

शुद्ध प्रतियोगिता की विशेषताएँ :

1. क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है।
2. सजातीय या समरूप उत्पाद होता है।
3. फर्म के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है।

विक्रय लागत क्या है?

उत्तर: एक फर्म द्वारा बिक्री के संवर्धन या प्रचार के लिए किए गए व्यय को विक्रय लागत कहते हैं। (विज्ञापन लागत)

उत्पाद विभेदन क्या है?

उत्तर : इसका अर्थ है कि विभिन्न उत्पादकों द्वारा निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं की पेशकश की जाती है ताकि उनका उत्पाद, बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से पृथक लगे। क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए विभेदन रंग, आकार, पैकिंग, ब्रांड-नाम आदि में हो सकता है।

पेटेंट अधिकार से क्या मतलब है?

उत्तर:- पेटेंट अधिकार, एक विशेष अधिकार है या एक कंपनी को एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी द्वारा एक विशेष उत्पाद का उत्पादन करने का लाइसेंस प्रदान करना है।

कीमत विभेदन क्या है?

उत्तर: - यह समान उत्पाद की विभिन्न इकाइयों के लिए अलग-अलग ग्राहकों से विभिन्न कीमतें वसूलने को संदर्भित करता है।

विज्ञापन क्या है?

विज्ञापन उत्पाद विभेदन को प्राप्त करने का एक तरीका है। विज्ञापन का उद्देश्य मांग वक्र को दायीं ओर खिसकाना और मांग को कम लोचदार बनाना है।

उत्पादन

उत्पादन : उत्पाद प्राप्त करने के क्रम में आदानों के संयोजन को उत्पादन कहते हैं।

उत्पादन फलन : यह प्रौद्योगिकी के दिए गए क्षेत्र के बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। **Q= f(L,K)** यहाँ: Q आउटपुट है, L: श्रम है, K: पूंजी है।

स्थाई कारक : वह कारक, जिसका उत्पाद के स्तर के साथ परिणाम स्थिर रहता है।

अस्थिर कारक : वे आगतें जो उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तित होती हैं।

उत्पादन फलन और समय की अवधि

1. उत्पादन फलन एक लंबी अवधि का उत्पादन फलन है, यदि सभी इनपुट भिन्न-भिन्न है।
2. उत्पादन फलन एक अल्प अवधि उत्पादन फलन है, यदि कुछ अस्थिर कारक, कुछ स्थाई कारकों के साथ संयोजित होते हैं।

उत्पाद की अवधारणा :

कुल उत्पाद: दिए गए इनपुट्स की संख्या के साथ, दिए गए समय के दौरान एक फर्म / उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा।

औसत उत्पाद = अस्थिर इनपुट का प्रति इकाई उत्पाद।

APP = TPP / अस्थिर कारक की इकाइयाँ

औसत उत्पाद को औसत वास्तविक उत्पाद के नाम से भी जानते हैं।

सीमांत उत्पाद (MP): जब अस्थिर कारक की एक अतिरिक्त इकाई कार्यरत होती है, तो यह कुल उत्पाद में वृद्धि को संदर्भित करता है।

$MP_n = TP_n - TP_{n-1}$

MP_n = अस्थिर कारक की nवीं इकाई का सीमांत उत्पाद,

TP_n = अस्थिर कारक की n वीं इकाई का कुल उत्पाद,

TP_{n-1}= अस्थिर कारक की (n-1) इकाई का कुल उत्पाद,

n= अस्थाई कारक की इकाइयों की संख्या

$MP = \Delta TP / \Delta n$

हम MP $TP = \Sigma MP$ के संक्षेप द्वारा TP निकालते हैं।

अस्थिर समानुपात का नियम लघु अवधि उत्पादन फलन या एक स्थिर कारक की वापसी

अस्थिर समानुपात के नियम का कथन: लघु अवधि में, अन्य कारक स्थिर रखते हुए जब केवल एक अस्थिर कारक में वृद्धि होती है, कुल उत्पाद(TP) आरम्भ में एक वृद्धि दर से बढ़ता है, फिर एक घटती दर से बढ़ता है और अंत में TP घटता है।

MPP आरंभ में बढ़ता है फिर गिरता है लेकिन सकारात्मक बनी रहती है तो तीसरे चरण में यह ऋणात्मक हो जाएगी।

अवस्था I / चरण I / एक कारक के लिए बढ़ता हुआ प्रतिफल

- TPP एक बढ़ती हुई दर से बढ़ जाती है।
- MPP भी बढ़ जाती है।

अवस्था II / चरण II / एक कारक के लिए ह्रासमान प्रतिफल

- TPP घटती दर से बढती है
- MPP कम हो जाती है / गिरता है
- जब MPP शून्य होता है और TPP अधिकतम होता है तो यह अवस्था समाप्त हो जाती है।

अवस्था III / चरण III / एक कारक के लिए ऋणात्मक प्रतिफल

- TPP कम / घट जाती है।
- MPP ऋणात्मक हो जाती है।

एक कारक के लिए बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण

- स्थिर कारक का बहतर प्रयोग,
- अस्थिर कारक की दक्षता में वृद्धि होती है,
- कारकों का इष्टतम संयोजन,

एक कारक के लिए ह्रासमान प्रतिफल के कारण-

- कारकों की अविभाज्यता,
- अपूर्ण स्थानापन्न,
- एक कारक के लिए ऋणात्मक प्रतिफल के कारण
- स्थाई कारकों का परिसीमन,
- अस्थाई और स्थाई कारकों के बीच खराब समन्वय,
- अस्थाई कारकों की दक्षता में कमी,

MPP और TPP के बीच संबंध

- जब तक MPP बढ़ता है, TPP एक बढ़ती हुई दर से बढ़ती है।
- जब MPP घटती है, TPP घटती हुई दर से बढती है।
- जब MPP शून्य होती है, तो TPP अधिकतम होती है।
- जब MPP ऋणात्मक होती है तो TPP घटना आरंभ हो जाती है।

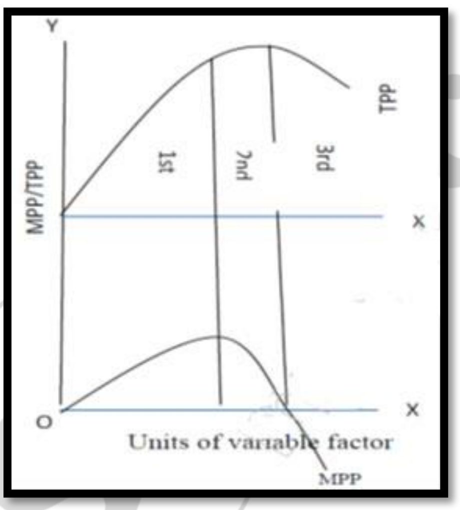

दीर्घकालिक उत्पादन फलन – पैमाने के प्रतिफल

दीर्घकाल में, सभी साधन या कारक बदल सकते हैं। पैमाने का प्रतिफल उत्पाद में परिवर्तन का अध्ययन करता है, जब सभी साधन या आगत परिवर्तित होते हैं। पैमाने में वृद्धि का अर्थ है कि सभी आगतें और साधन समानुपात में बढ़ते हैं।

पैमाने के प्रतिफल की तीन अवस्थाएं -

पैमाने में परिवर्तन का एक परिणाम के रूप में उत्पादन में परिवर्तन तीन चरणों में अध्ययन किया जा सकता है। वे हैं

उत्पादन में परिवर्तन, पैमाने में परिवर्तन के परिणाम में रूप में इसका तीन अवस्थाओं में अध्ययन किया जा सकता हैं। ये इस प्रकार हैं-

(i)बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल (ii) स्थिर पैमाने का प्रतिफल (iii) ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल

बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल

यदि सभी साधनों में वृद्धि से, उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि अधिक होती है, तो यह 'बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल' कहलाता है। उदाहरण के लिए-

यदि सभी आगतों में 5% की वृद्धि होती है, तो उत्पादन में 5% से अधिक वृद्धि होती है अर्थात 10%, इस स्थिति में सीमांत उत्पाद बढ़ता जायेगा।

स्थिर पैमाने का प्रतिफल

यदि हम दिए गए अनुपात में (अर्थात पैमाने में) सभी साधनों में वृद्धि करते हैं, तो उत्पादन समान अनुपात में बढ़ेगा, अर्थात सभी साधनों में 5% की वृद्धि, उत्पादन में 5% की वृद्धि के समानुपाती होगी। यहाँ सीमांत उत्पाद स्थिर होता है।

ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल

यदि सभी साधनों में वृद्धि से, उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि कम होती है, तो यह ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहलाता है अर्थात यदि सभी साधनों में 5% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में 5% से कम वृद्धि होगी अर्थात 3% की वृद्धि। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन में कमी आएगी ।

कॉब - डगलस उत्पादन फलन

- अर्थशास्त्र में सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से जिस उत्पादन फलन का प्रयोग होता है वह कॉब - डगलस उत्पादन फलन है। यह एक सांख्यिकीय उत्पादन फलन है जिसे प्रोफेसरों 'सी.वी कॉब' और पी.एच डगलस ने दिया था।
- कॉब - डगलस उत्पादन फलन निम्न प्रकार से अनुसरण करता है : $Q = bL^{a}C^{1-a}$ जिसमे **Q** = वास्तविक उत्पादन, **L** =श्रम, **C** = पूंजी, **b** = श्रम की इकाइयों की संख्या, **a** = श्रम प्रतिपादक, **1-a** = पूंजी का प्रतिपादक,
- ऊपर दिए गए उत्पादन फलन के अनुसार, यदि उत्पादन के दोनों साधनों (श्रम और पूंजी) में 1% की वृद्धि होती है, तो उत्पादन (कुल उत्पाद) श्रम और पूंजी के प्रतिपादक के योग द्वारा बढ़ जायेगा अर्थात (a+1-a) हो जायेगा। a+1-a =1 के बाद से, समीकरण के अनुसार, जब आगतों में 1% की वृद्धि होती है, तो उत्पादन में भी 1% की वृद्धि होती है। इसप्रकार, कॉब - डगलस उत्पादन फलन केवल स्थिर पैमाने के प्रतिफल को वर्णित करता है।
- ऊपर दिए गए उत्पादन फलन में, प्रतिपादकों का योग उत्पादन फलन में "पैमाने के प्रतिफल की डिग्री को दर्शाता है।

a + b >1 : बढ़ता हुआ पैमाने का प्रतिफल

a + b =1 : स्थिर पैमाने का प्रतिफल

a + b <1 : ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल

लागत

उत्पादन की लागत:: वस्तुओं और सेवाओं के लिए विभिन्न आदानों पर किया जाने वाला व्यय।

लागत फलन: लागत और उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध।

C=f(q) जहाँ f= कार्यात्मक संबंध, c= उत्पादन की लागत, q=उत्पाद की मात्रा

लागत के प्रकार

- **नगदी लागत:** एक फर्म द्वारा वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए किया गया नगदी खर्च।
- **स्पष्ट लागत:** उत्पादन के साधनों को रखने में किया गया वास्तविक भुगतान। उदाहरण के लिए-कार्य पर रखे गए मजदुर को मजदूरी का भुगतान, किराए पर लिए गए आवास के लिए किया गया भुगतान, कच्चे माल की लागत आदि।
- **अंतर्निहित लागत:** स्वयं के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों पर आने वाले खर्च की लागत। उदाहरण के लिए – स्वामी की पूंजी पर लगने वाला ब्याज, स्वयं की इमारत का किराया, उद्यमी की सेवाओं के लिए वेतन आदि।
- **अवसर लागत:** अगला सबसे अच्छा पूर्व निश्चित विकल्प
- **स्थायी लागत:** वह लागत जो उत्पादन के स्थायी साधनों पर खर्च की जाती है। जो कुछ भी उत्पादन के पैमाने तय किए जा सकता है, ये लागतें स्थायी रहती हैं। ये लागतें सम दर्शाती हैं जब उत्पादन शून्य होता है। ये लागतें अल्पकाल के लिए उपस्थित होती हैं लेकिन दीर्घकाल में लुप्त हो जाती हैं।
- **कुल परिवर्तनीय लागत:** TVC या परिवर्ती/ अस्थायी लागत– वे लागतें जो उत्पादन में परवर्तन के साथ प्रत्यक्ष रूप से अलग-अलग होती है। ये लागतें उत्पादन के परिवर्ती साधनों पर व्यय की जाती है। इन लागतों को "प्रधान लागतें", "प्रत्यक्ष लागत" या "परिहार्य लागत" भी कहते हैं। ये लागतें शून्य होती हैं जब उत्पादन शून्य होता है।
- **कुल लागत** : ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों और गैर-साधन आगतों पर किया जाने वाला कुल व्यय है। यह उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर TFC और TVC के योग द्वारा प्राप्त होता है।

TC, TFC और TVC के बीच संबंध

1. TFC, x-अक्ष के क्षैतिज होता है।
2. TC और TVC, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण, S आकृति(ये आरम्भ ने ह्रासमान दर से बढ़ता है, फिर अंतिम रूप से बढ़ती हुई दर से बढ़ता है) में होते हैं।
3. उत्पादन के शून्य स्तर पर, TC, TFC के बराबर होता है।
4. TC और TVC वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं।

औसत परिवर्ती लागत

- यह उत्पादन की परिवर्ती लागत की प्रति इकाई लागत है।
- AVC = TVC / उत्पादन
- AVC, आरंभिक उत्पादन में प्रत्येक वृद्धि के साथ गिरता है।
- जब उत्पादन का इष्टतम स्तर प्राप्त होता है, तो AVC बढ़ना आरंभ हो जाता है।

औसत कुल लागत (ATC) या औसत लागत (AC): यह उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को संदर्भित करता है।

सीमांत लागत : जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है, तो यह कुल लागत में योग को बनाता है।

MCn = TCn-TCn-1 or MC = ΔTC / ΔQ

नोट : **MC, TFC** द्वारा प्रभावित नहीं होती है।

AC और MC के बीच संबंध

- AC और MC दोनों, TC से उत्पन्न होते हैं।
- AC और MC दोनों, "U" आकृति में होते हैं (परिवर्ती अनुपात का नियम)
- जब AC गिरता है तो MC भी गिरता है और यह AC वक्र के नीचे होता है।
- जब AC बढ़ता है तो MC भी बढ़ता है और AC वक्र के ऊपर होता है।
- MC, AC को काटता है जब यह न्यूनतम होता है, जहाँ MC = AC,

राजस्व

राजस्व : एक फर्म द्वारा दिए गए उत्पाद की बाजार में बिक्री से प्राप्त धन को राजस्व कहते हैं

कुल राजस्व: दिए गए उत्पादन की बिक्री से प्राप्तियां या कुल प्राप्तियां।

TR = बेचीं गई मात्रा × **कीमत (या) बेचा गया उत्पाद × कीमत**

औसत राजस्व: बेचे गए उत्पाद की प्रति इकाई प्राप्त रसीद या राजस्व,

- AR = TR / बेचा गया उत्पादन
- AR और कीमत समान है।
- TR = बेचीं गई मात्रा × **कीमत या बेचा गया उत्पादन × कीमत**
- AR = (उत्पादन / मात्रा ×कीमत) / उत्पादन / मात्रा
- AR= कीमत
- AR और मांग वक्र समान हैं। यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाता है

सीमांत राजस्व: उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को विक्रेता द्वारा बेचने पर प्राप्त अतिरिक्त राजस्व।

MRn = TR n - TR n-1 · TR = Σ MR

AR और MR के बीच संबंध (जब कीमत स्थित बनी रहती है या पूर्ण प्रतियोगिता हो),

पूर्ण प्रतियोगिता के तहत, विक्रेता कीमत लेने वाला होता है, बाजार में एकल कीमत प्रचलन में होती है। इस कारण से सभी वस्तुएं समरूप होती हैं ओ समान कीमत पर बेचीं जाती हैं, AR = MR, परिणाम के अनुसार AR और MR वक्र ox-अक्ष के क्षैतिज समानांतर रेखा में हो जाएगा। (जब कीमत स्थिर या पूर्ण प्रतियोगिता हो)

TR और MR के बीच संबंध (जब कीमत निरंतर स्थिर हो या पूर्ण प्रतियोगिता हो)
जब केवल एक कीमत होती है, तब विक्रेता कोई भी मात्रा इस कीमत पर बेच सकता है, कुल राजस्व में स्थिर दर से वृद्धि होती है (MR x-अक्ष से क्षैतिज है)

एकाधिकार और एकाधिकारी बाजार के तहत**, AR और MR के बीच संबंध(कीमत में परिवर्तन या अपूर्ण प्रतियोगिता के** तहत**)**

- दोनों बाजारों में AR और MR वक्र का नीचे की और ढलान हो जाएगा।
- AR, MR के ऊपर है।
- AR ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता।
- AR वक्र, एकाधिकार बाजार में कम लोचदार होता है क्योकि इसका कोई स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होता है।
- AR वक्र, एकाधिकारी बाजार में अधिक लोचदार होता है क्योकि यहाँ स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं।

TR और MR के बीच संबंध(जब कीमत उत्पादन की बिक्री में वृद्धि के साथ गिरती है)

- अपूर्ण प्रतियोगिता के तहत AR नीचे की ओर झुकेगा, जो अधिक इकाइयों को केवल एक कम कीमत पर बेच सकता है।
- MR , AR/ कीमत के प्रत्येक बार गिरने के साथ गिरता है और AR वक्र के नीचे आता है।
- जब तक TR में वृद्धि होती है, MR सकारात्कम रहता है।
- TR गिरता है जब MR ऋणात्मक होता है।
- TR अधिकतम होता है जब MR शून्य है।

ब्रेक-ईवन बिंदु: यह उस बिंदु पर होता है जहाँ TR = TC या AR=AC होता है। फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करेगी।
नीचे जाता बिंदु : एक स्थिति जब एक फर्म केवल परिवर्ती लागतों को बचाने में सक्षम होती है या TR = TVC,
सूत्र एक नजर में :

- TR = कीमत या AR **× बेचा गया उत्पादन या** TR = Σ MR
- AR (कीमत) = TR ÷ बेची गई इकाइयाँ
- MR n = MR n – MR n-1

MACRO ECONOMICS

समष्टि अर्थशास्त्र
राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाएं:

1. बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद।
2. बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
3. बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद।
4. बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
5. साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद।
6. साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
7. साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद।
8. साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
9. निजी आय।
10. व्यैक्तिक आय।
11. व्यय योग्य व्यैक्तिक आय।

(1) बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (MP **पर** GDP**):-**
बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश के अपने क्षेत्र के भीतर निर्मित अंतिम सामान और सेवाओं का कुल धन मूल्य है। इसलिए एमपी पर जीडीपी की गणना के लिए घरेलू क्षेत्र में
उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को उनके संबंधित मूल्यों से गुणा किया जाता है। प्रतीकात्मक MP पर GDP = PXQ। जहां P, बाजार मूल्य है और Q अंतिम सामान और सेवाएं है।
(2) बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (MP **पर GNP):-**
बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक व्यापक और विस्तृत अवधारणा है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्रति काउंटर प्लस शुद्ध साधन आय में सालाना उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों के धन मूल्य को मापता है। लघु जीएनपी में जीडीपी और शुद्ध साधन आय विदेशों से अर्जित की गई है। जीएनपी में देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है।
(3) बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (MP पर NDP):-
बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा विदेश से सकल शुद्ध साधन आय के मध्य का अंतर है।
(4) बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (MP पर NNP):-
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की चालू कीमत पर शुद्ध धन मूल्य का मापक है। बाजार मूल्य कम मूल्यह्रास पर यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। इसे आउटपुट पूंजी परिसंपत्तियों के उत्पादन में लगातार उपयोग किया जाता है। इस निश्चित पूंजी की खपत को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास नियत पूंजी के मूल्य की हानि का गठन करता है। इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध धन मूल्य है। कुल उत्पादन से मूल्यह्रास भत्ते को छोड़कर शुद्ध धन मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।
(5) साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (FC पर NDP):-
साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या घरेलू आय वह आय होती है, जिसे उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्र के भीतर वेतन,ब्याज,लाभ और किराए के रूप में की गयी

कमाई है| इस प्रकार, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्रादेशिक अवधारणा है| दूसरे शब्दों में, अन्य साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, विदेश से शुद्ध साधन आय से कम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के समान है|

(6) साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (FC पर NNP)

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं| राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी,लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को संदर्भित करती है| संक्षेप में, समस्त साधन भुगतानों की योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं| **किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय (लगान+मजदूरी+ब्याज तथा लाभ) तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय का योग साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है|**

अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय का जोड़ होता है|

(7) साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद **(FC पर GDP):**

साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का सम्बन्ध किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से है| यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को नियत पूँजी के मूल्यह्रास या खपत से जोड़ दिया जाए, तो इसे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है|

(8) साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद **(FC पर GNP):-**

साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अप्रत्यक्ष कर घटाकर व सब्सिडी जोड़कर प्राप्त किया जाता है अथवा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

(9) निजी आय:-

निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है, जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त होती है| इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी आय भुगतान (जैसे- वेतन व मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय आदि) तथा गैर-आय भुगतान(जैसे सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन भुगतान) आते हैं| इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल है| निजी क्षेत्र की आय ज्ञात करने क लिए, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी जोड़नी होगी| इसके अतिरिक्त निजी आय में सरकार के चालु ट्रांजेक्शन, शेष विश्व से शुद्ध चालु ट्रांजेक्शन व राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को सम्मिलित किया जाता है|

(10) व्यैक्तिक आय:-

वह आय जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है, व्यैक्तिक आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए किये गए भुगतान घटाते हैं तथा सरकारी हस्तान्तरण भुगतानों, व्यापारिक भुगतानों तथा सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ देते हैं|

(11) व्यय योग्य व्यैक्तिक आय:-

व्यय योग्य व्यैक्तिक आय ज्ञात करने के लिए, व्यैक्तिक आय में से व्यैक्तिक प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है, अर्थात वह आय जिसे लोग अपनी इच्छा से व्यय करने के लिए स्वतंत्र हो, व्यय योग्य व्यैक्तिक आय या प्रयोज्य आय कहलाती है| अन्य शब्दों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकता करने के बाद किसी व्यक्ति के पास, जो आय शेष रह जाती है उसे व्यय योग्य व्यैक्तिक आय कहते हैं|

अवधारणा

- NNP Mp = GNP mp –मूल्यह्रास
- NDP Mp = GDPmp – मूल्यह्रास
- NDP Fc = NDP mp – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी)
- GDP Fc = NDP fc + मूल्यह्रास
- NNP Fc = GDP mp - मूल्यह्रास + विदेश से शुद्ध साधन आय - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

नाममात्र GNP को परिभाषित करें:

Ans. GNP को वर्तमान बाजार मूल्य के संदर्भ में जीएनपी को नाममात्र जीएनपी कहा जाता है।

वास्तविक GNP को परिभाषित करें:

Ans. GNP की स्थिर कीमतों पर गणना (आधार वर्ष मूल्य) की वास्तविक जीएनपी कहा जाता है।

साधन भुगतान: साधन भुगतान, सामान और सेवाओं को उपलब्ध कराने के एवज में किया गया भुगतान है। एक श्रमिक को श्रम का भुगतान साधन भुगतान होता है, क्योंकि उसने इसके लिए काम किया था।

भुगतान ट्रांजेक्शन: यदि भुगतान की वापसी में सेवा या वस्तुएं देने में कोई बंधन नहीं हो, तो इसे भुगतान ट्रांजेक्शन कहा जाता है। उदाहरण: दान, बुजुर्ग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति आदि।

राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां

I – उत्पाद विधि (मूल्य वर्धित विधि):

- बिक्री + स्टॉक में बदलाव = आउटपुट का मूल्य
- स्टॉक में बदलाव = स्टॉक बंद – स्टॉक आरम्भ
- आउटपुट का मूल्य - मध्यवर्ती उपभोग = सकल मूल्य जोड़ा (जीडीपीएमपी)
- NNP Fc (N.I) = GDPMp (-) निश्चित पूंजी की खपत(अवमूल्यन)
- (+) विदेश से शुद्ध साधन आय (-) शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।

आय विधि:

1. कर्मचारियों का मुआवज़ा

2. परिचालन अधिशेष

संपत्ति से आय – किराया व रोयल्टी ब्याज

उद्यमिता से आय - लाभ, कॉर्पोरेट लाभांश, टैक्स बचत (शुद्ध प्रतिधारित कमाई)

3. स्व-रोजगार की मिश्रित आय

- NDP fc = (1) + (2) + (3)
- NNP fc = NDP fc (+) विदेश से शुद्ध साधन आय
- GNP mp = NDP fc + निर्धारित पूंजी की खपत + शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)

व्यय विधि:

1. सरकार अंतिम उपभोग व्यय
2. निजी अंतिम उपभोग व्यय
3. शुद्ध निर्यात
4. सकल घरेलू पूंजी निर्माण = सकल घरेलू निर्धारित पूंजी निर्माण + स्टॉक में परिवर्तन

GDPmp = (1) + (2) + (3) + (4)

NNP fc = GDPmp - निर्धारित पूंजी की खपत + NFIA- शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

नोट : यदि पूंजी निर्माण को, शुद्ध घरेलू पूँजी निर्माण के रूप में दिया गया है, तो हम NDPmp. पूंजी निर्माण पर पहुँचते हैं = निवेश

समष्टि का परिचय

स्वायत्त खपत: वह खपत जो आय शून्य होने पर, आय या व्यय राशि पर निर्भर नहीं करती है।

स्वायत्त निवेश: वह निवेश, जो आय के स्तर के बावजूद किया जाता है। यह आमतौर पर सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाया जाता है, यह आय निरर्थक है। स्वायत्त निवेश का दायरा आय के सभी स्तर पर समान है।

निवेश गुणक और इसका कार्य

निवेश गुणक, निवेश में वृद्धि और आय में परिणामी वृद्धि के बीच संबंध दर्शाता है।

निवेश गुणक, निवेश में परिवर्तन के लिए आय में बदलाव का अनुपात है। गुणक (k) $=\Delta y/\Delta I$.

गुणक का मूल्य उपभोग के लिए सीमांत प्रवृत्ति के मूल्य पर निर्भर करता है। (MPC).

k और MPC के मध्य सीधा सम्बन्ध है।

मुद्रास्फीति के प्रकार

व्यापक मुद्रास्फीति: जब अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है।

छिटपुट मुद्रास्फीति: जब कुछ क्षेत्रों में केवल कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, यह प्रकृति में अनुभागीय है।

मुक्त मुद्रास्फीति: जब सरकार मुद्रास्फीति को खारिज करने की कोशिश नहीं करती है, इसे मुक्त मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में अपनी कीमतों को स्वयं तय करने की अनुमति है, तो मुक्त मुद्रास्फीति होती है।

अवरुद्ध मुद्रास्फीति: जब सरकार मूल्य नियंत्रण, राशनिंग इत्यादि के माध्यम से कीमतों में वृद्धि को रोकती है, तो इसे अवरुद्ध मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, इसे दमनकारी मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है।

अति मुद्रास्फीति: अति मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है, जहां कीमतें खतरनाक उच्च दर से बढ़ जाती हैं। दाम इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि इसके परिमाण को मापना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि, मात्रात्मक शब्दों में, जब कीमतें 1000% प्रति वर्ष (चौगुनी या चार अंक मुद्रास्फीति दर) से बढ़ती हैं, इसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है।

घाटा जनित मुद्रास्फीति: घाटा जनित मुद्रास्फीति, वित्तीय अवमूल्यन के कारण होती है।

क्रेडिट मुद्रास्फीति: क्रेडिट मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अत्यधिक बैंक क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति की कारण क्रेडिट मुद्रास्फीति होती है।

दुर्लभता मुद्रास्फीति: दुर्लभता मुद्रास्फीति, जमाखोरी के कारण होती है। जमाखोरी, बेकार व्यापारियों और काले बाजारियों द्वारा बुनियादी वस्तुओं का अतिरिक्त संग्रहण होता है।

लाभ मुद्रास्फीति: जब उद्यमी अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने में रुचि रखते हैं, तो कीमतें बढ़ जाती हैं।

माँग प्रेरित मुद्रास्फीति: *वह* मुद्रास्फीति जो आय बढ़ने, जनसंख्या विस्फोट आदि, जैसे विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होती है; और कुल मांग को बढ़ाती है और कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, और तब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ा देती है। यह मांग-प्रेरित या अतिरिक्त मांग मुद्रास्फीति के रूप में जानी जाती है।

कॉस्ट -पुश मुद्रास्फीति: जब माल और सेवाओं के उत्पादन के बढ़ते रहने के कारण कीमतें बढ़ती हैं, इसे कॉस्ट -पुश (सप्लाई-साइड) मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए,यदि मजदूरों का वेतन बढ़ता है, तो उत्पादन की इकाई लागत भी बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप, निर्मित व

आपूर्ति किये जा रहे अंतिम उत्पादों या अंतिम सेवाओं की कीमतों में स्वत: वृद्धि हुई है।

मुद्रा आपूर्ति-

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह हमारे देश की मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन करता है। इसने हमारे देश में मुद्रा आपूर्ति को चार घटकों में वर्गीकृत किया है।

जो इस प्रकार हैं:

M1 = जनता के साथ मुद्रा। इसमें सिक्के और मुद्रा नोट + जनता की मांग जमा। M1 को संकीर्ण मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है;

M2 = M1 + डाक घर बचत जमा;

M3 = M1 + बैंक के साथ जनता का समय जमा। M3 को व्यापक मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है ; और

M4 = M3 + कुल डाक घर ऑफिस जमा।

नोट: बचत जमाओं के अलावा, लोग पोस्ट ऑफिस के साथ विभिन्न परिपक्वता अवधि की सावधि जमा रखते हैं।

कागजी मुद्रा: संचलन में करेंसी नोट सामान्य रूप से कागजी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक रुपए का नोट कागजी मुद्रा है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों को आम तौर पर बैंक नोट्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे प्रकृति में प्रोमिसरी नोट्स होते हैं।

भारत में कर संरचना

कर, धन की वह राशि होती है जिसे सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या निगमों पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है ताकि राजस्व उत्पन्न हो जिससे कि भारत में किसी भी काले धन की गतिविधियों की जांच कर सकें।

केंद्रीय सरकार द्वारा आय, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर कर लगाया जाता है। राज्य सरकार, कृषि आयकर (केवल बागानों से आय), मूल्यवर्धित कर (वैट) / बिक्री कर, स्टैम्प ड्यूटी, राज्य एक्साइज, भूमि राजस्व, विलासिता कर और व्यवसायों पर कर लगाती है। स्थानीय निकायों को संपत्तियों, चुंगी कर / प्रवेश कर और जल आपूर्ति, जल निकासी आदि जैसी उपयोगिताओं के पर भी कर लगाने का अधिकार है।

प्रत्यक्ष कर –

ये कर प्रत्यक्ष रूप से लोगों पर लगाया जाता है| भारत में एकत्रित होने वाले कर में ये लोग बड़ा योगदान देते हैं|

आयकर -

यह एक प्रकार का कर है, जिसे उन लोगों पर लगाया जाता है जिनकी आय करयोग्य श्रेणी (2.5 लाख प्रतिवर्ष) के अंतर्गत आती है। भारतीय आयकर विभाग, CBDT द्वारा साषित होता है तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक भाग है।

कॉर्पोरेट आयकर

यह कर, एक वर्ष में किसी कॉर्पोरेट द्वारा अर्जित किये गए लाभ पर लगाया जाता है। भारत में कॉर्पोरेट कर की दर, कम्पनियों से एकत्र किया गया कर है।

प्रतिभूति लेनदेन कर

प्रतिभूति लेनदेन कर को 2004 में प्रस्तुत किया गया, जो इक्विटी (यानी शेयर, डिबेंचरों या अन्य कोई सुरक्षा) की बिक्री और खरीद पर लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति पर सिक्योरिटीज मार्केट के जरिए उत्पन्न होने वाली आय, शेयरों के माध्यम से या डिबेंचर के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कर लगाया जाता है और उसी कर को सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स या प्रतिभूति लेनदेन कर कहा जाता है।

बैंकिंग नकद लेनदेन कर

बैंकिंग लेनदेन कर, वह कर है जिसे बैंक खातों के डेबिट (और/या क्रेडिट) पर लगाया जाता है। यह स्वचालित रूप से समाशोधन या निपटान की प्रक्रिया में एक केंद्रीय प्रतिपक्ष द्वारा स्वत: एकत्रित किया जा सकता है।

पूंजी लाभ कर:

पूँजी लाभ कर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह पूंजी में लाभ पर कर है। यदि आप बिक्री संपत्ति, शेयर, बांड और कीमती वस्तुओं आदि पर लाभ कमाते हैं, तो आप को पूँजी लाभ कर का भुगतान करना चाहिए।

- **संपत्ति कर**
- **उपहार कर**
- **आवास कर**
- **व्यावसायिक कर**
- **डीटीसी**

अप्रत्यक्ष कर

आप सुपर बाजार में वस्तुएं खरीदने जाते हैं या एक रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं, तो आप अक्सर देखते हैं कि आपने जितनी धनराशि का आनंद लिया, उससे अधिक धनराशि रेस्तरां द्वारा आपसे ली जाती है, यह अतिरिक्त राशि ही अप्रत्यक्ष-कर कहलाती है, जो बिचौलियों द्वारा एकत्र की जाती है और जब बिचौलियों की आय पर सरकार 'कर' लगाती है तो यह अतिरिक्त धन सरकार के कोष में जाता है। अत: यह ज्ञात होता है कि यह कर आम नागरिकों से अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर :-

- बिक्री कर
- वैट (मूल्य योजित कर)
- सीमा शुल्क

- चुंगी
- उत्पाद शुल्क
- एंटी डंपिंग ड्यूटी
- मनोरंजन कर
- पथकर (TOLL TAX)
- सेवा कर
- जीएसटी- वस्तु एवं सेवा कर

मूल्य संवर्धन कर

जब हम ग्राहक या खरीददार वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करते हैं, तो इस अतिरिक्त राशि को वैट कहा जाता है। अब इस कर को 'वस्तु एवं सेवा कर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

सीमा शुल्क

सीमा शुल्क भारत में आयातित होने वाली वस्तुओं के साथ, भारत से निर्यातित होने वाली वस्तुओं पर लगने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारत में, सीमा शुल्क के करारोपण और संचयन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 है। यह आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क के करारोपण और संचयन को प्रदान करवाता है।

सेवा कर-

भारत में सेवाओं को प्रदान करवाने पर भारत सरकार द्वारा सेवा कर लगाया जाता है। सेवा प्रदाता इस कर को एकत्र करके, सरकार को भुगतान कर देता है। यह सेवाओं की नकारात्मक सूची में सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर शुल्क लिया जाता है।

बिक्री कर:-

बिक्री चलायमान वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है।

सीमा शुल्क और चुंगी (वस्तुओं पर):-

सीमा शुल्क भारत में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। भारत में विदेशी देशों से आयातित वस्तुओं पर यह कर लगाया जाता है।

चुंगी वह कर है जो एक राज्य से अन्य राज्य में प्रवेश करने के लिए वस्तुओं की खपत या बिक्री के लिए लागू होता है। सामान्य शब्दों में इसे प्रवेश कर करते हैं।

उत्पाद शुल्क :-

उत्पाद शुल्क देश के भीतर वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला एक प्रकार का कर है। इस कर का अन्य नाम सेनवैट (CENVAT) (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर) है।

सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था

1. बजट को परिभाषित कीजिए?

उत्तर: यह वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है इसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय के आंकलनों का वार्षिक विवरण होता है।

2. बजट के दो व्यापक भागों के नाम बताइए?

उत्तर: i) राजस्व बजट ii) पूंजी बजट

3. दो बजट प्राप्तियां क्या हैं?

उत्तर: i) राजस्व प्राप्तियां ii) पूंजी प्राप्तियां

4. राजस्व प्राप्तियों के दो प्रकारों के नाम बताइए?

उत्तर: i) कर राजस्व ii) गैर-कर राजस्व

5. कर के दो प्रकार कौन से हैं?

उत्तर: a)प्रत्यक्ष कर : i) आय कर, ii) ब्याज कर, iii) संपत्ति कर

b) अप्रत्यक्ष कर: i) सीमा-शुल्क, ii) उत्पाद शुल्क, iii) बिक्री कर

6. पूंजी प्राप्तियों की मुख्य मदें क्या हैं?

उत्तर: a) बाजार ऋण (जनता से सरकार द्वारा उठाए गए ऋण)

b) सरकार द्वारा उधारी

c) विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण.

7. विकास संबंधी व्यय के दो उदाहरण दीजिए?

उत्तर: रेलवे और डाक का योजना व्यय

8. गैर-विकास संबंधी व्यय के दो उदाहरण दीजिए?

उत्तर: i) रक्षा पर व्यय

ii) ब्याज भुगतान

9. बजट अधिशेष को परिभाषित कीजिए?

उत्तर : एक बजट अधिशेष वह है जहाँ अनुमानित राजस्व, अनुमानित व्यय से अधिक होता हैं।

10. बजट घाटे की चार अलग-अलग अवधारणाएं क्या हैं?

उत्तर: a) बजटीय घाटा b) राजस्व घाटा

c) प्राथमिक घाटा d) वित्तीय घाटा

बजट

दो प्रकार की राजस्व प्राप्तियों के नाम बताइए?

उत्तर: i) कर राजस्व ii) गैर कर राजस्व

करों के दो प्रकार क्या हैं।

a) प्रत्यक्ष कर: i) आय कर, ii) ब्याज कर, iii) संपत्ति कर

b) अप्रत्यक्ष कर: i) सीमा-शुल्क, ii) उत्पाद-शुल्क, iii) बिक्री कर

पूंजी प्राप्तियों की मुख्य मदें क्या हैं??

a) बाजार ऋण (जनता से सरकार द्वारा उठाए गए ऋण)

b) सरकार द्वारा उधार राशियाँ

c) विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण।

विकास संबंधी व्यय के दो उदाहरण दीजिए?

उत्तर: रेलवे और डाक का योजना व्यय

गैर- विकास संबंधी व्यय के दो उदाहरण दीजिए?

उत्तर: i) रक्षा पर व्यय ii) ब्याज भुगतान

बजट अधिशेष को परिभाषित कीजिए?

उत्तर: एक बजट अधिशेष वह है जहाँ अनुमानित राजस्व, अनुमानित व्यय से अधिक होता हैं।

बजट घाटे की चार विभिन्न अवधारणाओं को बताइए?

a) बजट घाटा b) राजस्व घाटा

c) प्राथमिक घाटा d) राजकोषीय घाटा

राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का क्या अर्थ है?

i) राजस्व व्यय:- यह सरकारी विभागों को सामान्य रूप से संचालित करने और विभिन्न सेवाओं के लिए प्रावधान जैसे ऋण पर ब्याज शुल्क, सब्सिडी आदि पर आने वाला व्यय है।

ii) पूंजी व्यय:- यह मुख्य रूप से भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि तरह की संपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च आदि और केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऋण और अग्रिम को मंजूरी देने से सम्बंधित है।

बजट घाटे की चार विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए?

बजट घाटे की चार विभिन्न अवधारणाएं इस प्रकार है-

a) बजट घाटा:- यह सरकार के कुल व्यय, मौजूदा राजस्व और शुद्ध आंतरिक और बाह्य पूंजी प्राप्तियों के बीच अंतर है।

सूत्र : B.D = B.E > B.R (B.D= बजटीय घाटा, B.E. =बजटीय व्यय ,B.R= बजटीय राजस्व

b) **वित्तीय घाटा**:- यह सरकार के कुल व्यय के बीच अंतर है, राजस्व प्राप्तियां + वह पूंजी प्राप्तियां जो सरकार से अंतिम रूप से उपार्जित होती हैं।

सूत्र : F.D = B.E - B.R (B.E > B.R. उधारी से अलग) F.D=वित्तीय घाटा, B.E= बजटीय व्यय, B.R. = बजट प्राप्तियां

c) **राजस्व घाटा** : - इसमें सरकार का राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है|.

सूत्र *:* R.D= R.E – R.R., जब R.E > R.R., R.D= राजस्व घाटा, R.E= राजस्व व्यय, R.R. = राजस्व प्राप्तियों,

d) **प्राथमिक घाटा** : - यह वित्तीय घाटा को ब्याज भुगतान से घटाने से प्राप्त होता है। सूत्र : P.D= F.D – I.P, P.D= प्राथमिक घाटा, F.D= वित्तीय घाटा, I.P= ऋण भुगतान।

भुगतान शेष : अर्थ और घटक

अर्थ: एक देश का भुगतान शेष, एक दी गई समय अवधि में एक देश के नागरिकों और विदेशी देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन-देनों का व्यवस्थित रिकोर्ड होता है।

व्यापर शेष और भुगतान शेष

व्यापर शेष: व्यापर शेष, निर्यात के मुद्रा मूल्य और भौतिक वस्तुओं के आयात के मूल्य (दृश्य आइटम) के बीच अंतर है।

भुगतान शेष: एक देश का भुगतान शेष, एक दी गई समय अवधि में एक देश के नागरिकों और विदेशी देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन-देनों का व्यवस्थित रिकोर्ड होता है। इसमें दृश्य और अदृश्य मदें शामिल हैं। अत: भुगतान शेष एक देश के आर्थिक लेन-देनों का विश्व के शेष देशों के साथ व्यापार शेष का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है।

भुगतान शेष की संरचना का लेखांकन

एक भुगतान शेष विवरण एक देश के कुल आर्थिक लेन-देनों के अन्तर्राष्ट्रीय लेखा का संक्षिप्त विवरण है। ये दो प्रकार के खाते होते हैं।

1. **चालू खाता:** निम्नलिखित तीन मदों को इसमें रिकोर्ड किया जाता है।

a) **व्यापार की दृश्यमान वस्तुएं:** निर्यात और आयात की वस्तुओं के शेष को, दृश्यमान व्यापार का शेष कहते हैं।

b) अदृश्य व्यापार: सेवाओं के निर्यात और आयात को अदृश्य व्यापार का शेष कहते हैं। उदाहरण- शिपिंग बीमा आदि।

c) **एकतरफा स्थानान्तरण***:* एकतरफा स्थानान्तरण वे प्राप्तियां है जो एक देश के नागरिक प्राप्त करते हैं या भुगतान करते हैं, जो एक देश के नागरिकों को बिना की किसी भुगतान के प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए उपहार आदि।

दृश्यमान व्यापार ,अदृश्यमान व्यापार और एकतरफा स्थानान्तरण के शेष का शुद्ध मान, चालू खाते पर शेष कहलाता है।

2. **पूंजी खाता:** यह उन सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों का रिकॉर्ड है जो एक देश के नागरिकों द्वारा उसकी परिसंपत्तियों को एक विदेशी नागरिक के साथ बदलने या एक विदेशी नागरिक के साथ उसकी देयताओं को बदलना शामिल है।

विनिमय

1. विदेशी विनिमय दर को परिभाषित कीजिए?

उत्तर: विदेशी विनिमय दर, वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा से बदला जा सकता है।

2. विदेशी विनिमय बाजार का क्या अर्थ है?

उत्तर: विदेशी विनिमय बाजार, वह बाजार है जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं का एक-दूसरे के लिए व्यापार किया जाता है।

3. स्थिर विनिमय दर का क्या अर्थ है?

उत्तर:स्थिर विनिमय दर, वह दर है जो एक देश की सरकार द्वारा स्थिर और निर्धारित होती है और केवल सरकार ही इसे परिवर्तित कर सकती है।

4. विनिमय की संतुलन दर क्या है?

उत्तर: विनिमय की संतुलन तब होती है जब आपूर्ति और विदेशी मुद्रा के लिए मांग एक-दूसरे के बराबर हो।

5. लोचदार विनिमय दर को परिभाषित कीजिए?

उत्तर: लोचदार विनिमय दर, वह दर है जो विदेशी विनिमय बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति को निर्धारित करता है।

6. मुद्राओं के अधिमूल्यन का क्या अर्थ है?

उत्तर: मुद्राओं का अधिमूल्यन तब होता है जब अन्य देशों की मुद्राओं के संबंध में विनिमय मान में वृद्धि होती है।

7. स्पॉट विनिमय दर को परिभाषित कीजिए?

उत्तर: स्पॉट विनिमय दर, उस दर को संदर्भित करता है जिस पर विदेशी मुद्राएँ स्पॉट पर उपलब्ध होती हैं।

8. अग्रसर बाजार को परिभाषित कीजिए?

उत्तर: भविष्य की सुपुर्दगी के लिए विदेशी विनिमय के बाजार को अग्रसर बाजार के रूप में जाना जाता है।

9. भुगतान शेष से क्या अभिप्राय है?

उत्तर : भुगतान शेष एक देश का, विश्व के शेष देशों के साथ किए गए सभी आर्थिक लेन-देनों के लेखा विवरण के रिकोर्ड को संदर्भित करता है।

भारतीय राजव्यवस्था कैप्सूल

संविधान का निर्माण :

a) भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जो कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अन्तर्गत स्थापित की गई थी.

b) संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का यह ऐतिहासिक कार्य लगभग 3 वर्षों (2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन) में पूरा किया.

c) इस दौरान कुल 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किये गए. इसमें से 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर विचार और चर्चा के निमित्त लगे.

d) कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई थी जिसके सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था. इसकी रचना निम्नलिखित प्रकार से थी :

(i) 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे

(ii) 93 सदस्य भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व थे

(iii) 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रान्तों के प्रतिनिधि थे

इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 389 थी.

e) हालाँकि 3 जून, 1947 की माउन्टबटन योजना के तहत विभाजन के कारण, पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा बनाई गई और कुछ प्रान्तों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाए. परिणामस्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई.

कैबिनेट मिशन

यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध 09 मई 1945 को एक अंत पर आ चुका था. नई ब्रिटिश सरकार ने भारत संबंधी अपनी नीति की घोषणा करते हुए संविधान निर्माण निकाय बनाने की बात की. तीन ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री भारत की स्वतंत्रता के सवाल के हल के लिए भारत भेजे गए. मंत्रियों (लार्ड पैथिक लारेंस, सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स, ए वी अलेक्जेंडर) के इस समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया. यह मिशन भारत में मार्च 1946 से मई 1946 तक रहा. कैबिनेट मिशन ने संविधान के

फ्रेमवर्क पर चर्चा की और संविधान निर्माण तंत्र द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कुछ विस्तृत विवरण निर्धारित किये. ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के 296 सीटों के चुनाव जुलाई-अगस्त तक संपन्न हो गए. सभा ने 09 दिसम्बर 1946 को कार्य आरम्भ कर दिया.

प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार

संविधान सभा

a) भारत के लोगों ने प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव किया जिन्होंने फिर संविधान सभा का चुनाव किया.

b) डॉ राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभा में कुछ प्रमुख नेता थे.

c) फ्रैंक एंथनी एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

d) पारसियों के प्रतिनिधि एच.पी. मोदी थे.

e) अल्पसंख्यक समिति के प्रमुख एक प्रतिष्ठित ईसाई हीरेन्द्र कुमार मुखर्जी थे जो एंग्लो-भारतियों के अतिरिक्त शेष सभी ईसाईयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

f) सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे. बाद में, डॉ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभाके अध्यक्ष चुने गए जबकि डॉ भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए

समितियां

1. प्रक्रिया नियम समिति **2. सञ्चालन समिति** **3. वित्त एवं स्टाफ समिति** **4. राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति**	**डॉ राजेंद्र प्रसाद**
5. राज्य समिति **. संघ शक्ति समिति** **. संघ संविधान समिति**	**पंडित जवाहरलाल नेहरु**
6. मूल अधिकारअल्पसंख्यक , जनजातिय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति	**वल्लभभाई पटेल**
7. प्रारूप समिति	**डॉ बी आर अम्बेडकर**
8. सदन समिति	**बी पट्टाभि सीतारामैय्या**
9. संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति	**जीमावलंकर .वी.**
10. अल्पसंख्यक उप समिति	**एचमुखर्जी .सी.**
11. मूल अधिकार उपसमिति-	**जेकृपलानी .बी.**
12. पूर्वोत्तर फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र एवं असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति	**गोपीनाथ बारदोलोई**

ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773:

- द्वैध शासन की समाप्ति
- बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया जिसके अधीन सभी ब्रिटिश क्षेत्र दिए गए.
- कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
- 4 वर्षों के लिए कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स का निर्वाचन
- डायरेक्टर्स की संख्या 24 सीमित कर दी गई, जिसमें से एक चौथाई प्रतिवर्ष सेवानिवृत हो जाते थे.
- बंगाल में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और एवं उनकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया. 4 सदस्य थे – फिलिप फ्रांसिस, क्लावेरिंग, मोंसोन और बारवेल.

संशोधित अधिनियम : 1781

- अपनी अधिकारिक क्षमता में कंपनी के सरकारी कर्मियों के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर रखा गया.
- सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र परिभाषित किया गयाउसे अपनी . प्रक्रिया एवं निर्णय देते समय भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परम्पराओं को ध्यान में रखना था है और उनका सम्मान करना था.
- गवर्नर जनरल की परिषद् में निर्मित नियम एवं रेगुलेशंस सुप्रीम कोर्ट के साथ पंजीकृत नहीं होते थे.

का पिट्टस इंडिया एक्ट 1784:

- कंपनी और संसदीय बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के रूप में सरकार द्वारा द्वैध शासन लागू हुआ.
- कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार को और अधिक नियंत्रण दिया गया.
- कंपनी, राज्य के अधीनस्थ एक सहायक विभाग बन गई.
- गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्यों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई.

1786 का एक्ट :

- गवर्नर जनरल को परिषद् से भी ऊपर प्रबल बनाने के लिए अधिक अधिकार दिए गए और कमांडर इन चीफ बना दिया गया. यह कार्नवालिस को भारत की गवर्नर जनरलशिप स्वीकारने के लिए किया गया.

1793 का चार्टर एक्ट :

- कंपनी को और 20 वर्षों तक व्यापर करने का एकाधिकार दिया गया.
- कोर्ट द्वारा व्याख्यायित लिखित कानून द्वारा सरकार की नींव राखी गई.

1813 का चार्टर एक्ट :

- चीन के साथ व्यापर एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापर के अतिरिक्त कंपनी का भारत में व्यापर करने का एकाधिकार छीन लिया गया.
- पहली बार, भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई.

1833 का चार्टर एक्ट :

- चाय और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया.
- कंपनी को अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ बंद करने को कहा गया.
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया. (भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक बने).

1853 का चार्टर एक्ट :

- इस एक्ट ने कंपनी के अधिकारों को नये सिरे से तय किया और ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में बनाये रखने की अनुमति दी.
- सिविल सेवकों के भरती हेतु खुली वार्षिक प्रतियोगिता की व्यवस्था की. (भारतीयों के लिए नहीं)

भारत सरकार अधिनियम ,1858:

- भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया.
- भारत के लिए राज्य सचिव पद (ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य) का सृजन
- वह ताज की शक्तियों का प्रयोग करता था.
- भारत सचिव भारत पर गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन करते थे.
- गवर्नर जनरल को वायसराय पदनाम दिया गया. वह भारत सचिव का प्रतिनिधित्व करता था, उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद् बनाई गई जिसमें सदस्य सरकार के उच्च अधिकारी थे.
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को अंततः समाप्त कर दिया गया.

भारत परिषद् अधिनियम, 1861:

- अब कार्यकारी परिषद् को केंद्रीय विधानपरिषद कहा जाने लगा.
- गवर्नर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया.

भारत परिषद् अधिनियम, 1892:

- प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों के लिए भी रास्ता खुला.
- चुनाव के कुछ तत्व प्रस्तावित किये गए.

- भारत परिषद् अधिनियम, 1909 या मार्ले-मिन्टो सुधार:
- इसमें मुस्लिम के लिए पृथक प्रतिधित्व की व्यवस्था की गई.

- भारत शासन अधिनियम, 1919 या मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार:
- प्रान्तों में द्विशासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया.
- प्रांतीय शासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया :

- **हस्तांतरित**
- इसमें विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर शासन करता था.

  आरक्षित
- आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं थी.
- पहली बार देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई, हालाँकि वास्तविक रूप में यह 1935 के अधिनियम के बाद ही संभव हो पाया.
- राज्य सचिव को ब्रिटिश कोष से भुगतान किया गया.
- भारत का आयुक्त पद

भारत शासन अधिनियम, 1935:

- इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें शामिल थे-
- ब्रिटिश प्रान्त
- देसी रियासतें
- देसी रियासतों को संघ से जुड़ने का निर्णय स्वेच्छा से करना था और इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं क्योंकि संघ के लिए न्यूनतम आवश्यक रियासतों ने भी अपनी सहमती नहीं दी.
- केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की (जैसे- विदेश मामलों का और रक्षा विभाग गवर्नर जनरल के पास आरक्षित कर दिए गए)
- प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता दी गई.
- बर्मा (अब म्यांमार) को भारत से अलग कर दिया गया.

भारतीय संविधान के भाग

1. **भाग I** अनुच्छेद 1-4 भारत का राज्यक्षेत्र, प्रवेश, स्थापना और नये राज्यों का निर्माण
2. **भाग II** अनुच्छेद 5-11 नागरिकता
3. **भाग III** अनुच्छेद 12-35मूल अधिकार
4. **भाग IV** अनुच्छेद 36-51 राज्य की नीति के निदेशक तत्व

   भाग IV A अनुच्छेद 51-क मूल कर्तव्य. यह 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया.
5. **भाग V** अनुच्छेद 52-151 संघ सरकार
6. **भाग VI** अनुच्छेद 152-237 राज्य सरकार
7. **भाग VII** अनुच्छेद 238 7वें संशोधन से निरसित में 1956
8. **भाग VIII** अनुच्छेद 239-241 संघ राज्य क्षेत्र
9. **भाग IX** Article 242-243 पंचायतें

10. **भाग X** अनुच्छेद 244-244क अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
11. **भाग XI** अनुच्छेद 245-263 संघ और राज्यों के बीच संबंध
12. **भाग XII** अनुच्छेद 264-300 वित्त,संपत्ति , संविदाएं और वाद
13. **भाग XIII** अनुच्छेद 301-307 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम ,
14. **भाग XIV** अनुच्छेद 308-323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ

    भाग XIV-क अनुच्छेद 323ए-323 ख 42वें संशोधन द्वारा में 1976 जोड़ा गया और इसमें विवादों एवं अन्य शिकायतों के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था
15. **भाग XV** अनुच्छेद 324-329 निर्वाचन और निर्वाचन आयोग
16. **भाग XVI** अनुच्छेद 330-342 एससी एसटी और एंग्लो/ भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान
17. **भाग XVII** अनुच्छेद 343-351 राजभाषा
18. **भाग XVIII** अनुच्छेद 352-360 आपात उपबंध
19. **भाग XIX** अनुच्छेद 361-367 प्रकीर्ण अर्थात विभिन्न विषयों से संबंध विभिन्न उपबंध
20. **भाग XX** अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन
21. **भाग XXI** अनुच्छेद 369-392 अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध
22. **भाग XXII** अनुच्छेद 393-395 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संविधान का निरसन

संविधान की सूचियाँ

1. **पहली अनुसूची** – राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
2. **दूसरी अनुसूची** – राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायलय के न्यायाधीश, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की आय एवं उनके बारे में उपबंध
3. **तीसरी अनुसूची**- शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
4. **चौथी अनुसूची**- राज्य सभा में स्थानों का आवंटन
5. **पांचवी अनुसूची**- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध
6. **छठी अनुसूची**- असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध
7. **सातवीं अनुसूची**- संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों के विभाजन संबंधी सूचियाँ. इसमें 3 सूचियाँ – संघ सूची (केंद्र सरकार के लिए), राज्य सूची (राज्य सरकार के लिए) और समवर्ती सूची (संघ और राज्य दोनों)
8. **आठवीं अनुसूची**- संविधान द्वारा मान्य 22 भारतीय भाषाओं की सूची
9. **नौवीं अनुसूची**- 1951 में पहले संशोधन से जोड़ी गई. इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग संबंधी अधिनियम और आदेश
10. **दसवीं अनुसूची**- 1985 में 52वें संशोधन से जोड़ी गई. दल परिवर्तन के बारे में निरअहर्ता के बारे में उपबंध
11. **ग्यारहवीं अनुसूची**- 1992 में 73वें संशोधन से जोड़ी गई. पंचायती राज संबंधी उपबंध
12. **बारहवीं अनुसूची**- 1992 में 74वें संशोधन से जोड़ी गई. नगर पालिका संबंधी उपबंध

हमारे संविधान के स्रोत

भारतीय संविधान, विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों से मिलकर बना है लेकिन फिर भी इसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं. प्रमुख स्रोत हैं :

1. **भारत शासन अधिनियम, 1935** – संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण
2. **ब्रिटिश संविधान** – संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद
3. **संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान** – मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग
4. **आयरलैंड का संविधान** – राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन
5. **कनाडा का संविधान**- सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायलय का परामर्शी न्याय निर्णयन
6. **ऑस्ट्रेलिया का संविधान**- समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
7. **जर्मनी का संविधान**- आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन
8. **फ्रांस का संविधान**- गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श
9. **दक्षिण अफ्रीका का संविधान**- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
10. **जापान का संविधान** – विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
11. **सोवियत संघ (पूर्व) का संविधान:** मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श

संविधान की प्रस्तावना

हमारा संविधान प्रस्तावना से प्रारंभ होता है. पंडित नेहरु द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा प्रस्तावना बना. यह संविधान ा सार अथवा

मूलतत्व है. यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा बदला गया और इसमें तीन नए शब्द जोड़े गए – समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता.

वर्तमान में प्रस्तावना इस प्रकार है:

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता तथा अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं."

प्रस्तावना में संशोधन ?

क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले (1973) में उठा. यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है. लेकिन उच्चतम न्यायलय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है. अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है. इसके जरिये इसमें तीन नए शब्द – समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया.इस संशोधन को वैध ठहराया गया.

मूल अधिकार

ये न्यायोचित हैं। इनके उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए ये व्यक्ति को न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं.

इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है. हालाँकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है. राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है. अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को केवल तब स्थगित किया जा सकता है, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो.

मूलतः संविधान में सात मूल अधिकार दिए गए थे:

1. समानता का अधिकार [अनुच्छेद 14-18]
2. स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 19-22]
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनुच्छेद 23-24].
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 25-28]
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार [अनुच्छेद 29-30]
6. संपत्ति का अधिकार [अनुच्छेद 31]
7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार [अनुच्छेद 32]

हालाँकि, 'संपत्ति का अधिकार' 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया. इसे संविधान में अनुच्छेद 300-क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया. इसलिए अब केवल छः मूल अधिकार हैं.

1. समानता का अधिकार [अनुच्छेद 14-18]

- अनुच्छेद 14:- विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण
- अनुच्छेद 15:- धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के भेदभाव का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 16:- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- अनुच्छेद 17 :- छुआछूत का अंत
- अनुच्छेद 18 :- सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक

2. स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 19-22]

- अनुच्छेद 19 :- यह भारतीय नागरिकों को निम्न छः अधिकार देता है :-

1. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. सम्मलेन की स्वतंत्रता
3. संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता
4. सर्वत्रसंचरण की स्वतंत्रता
5. निवास की स्वतंत्रता
6. व्यापार, व्यवसाय और रोजगार की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 20 :- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनुच्छेद 23-24].

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ़्तारी और विरोध से संरक्षण

4. शोषण के विरुद्ध अधिकार [अनुच्छेद 23-24].

- अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 24 :- कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध

5. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार [अनुच्छेद 25-28]

- अनुच्छेद 25 :- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26 :- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतत्रता
- अनुच्छेद 27 :- किसी विशिष्ट धर्म के विकास के लिए करों से छूट की स्वतत्रता
- अनुच्छेद 28 :-कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

6. संपत्ति का अधिकार [अनुच्छेद 31]

- अनुच्छेद 31 :- 44वें संशोधन द्वारा निरसित

7. सांविधानिक उपचारों का अधिकार [अनुच्छेद 32]

- अनुच्छेद 32 :- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अधिकार

भाग-IV: राज्य की नीति के निर्देशक तत्व [अनुच्छेद 36 to 51]

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व की उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यपालिका के सभी अंग, सभी स्थानीय निकाय और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरण शामिल हैं. निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है यानि कि उनके हनन पर न्यायालय द्वारा उन्हें लागू नहीं कराया जा सकता. अतः सरकार (केंद्र या राज्य) इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं. इनका उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना है.

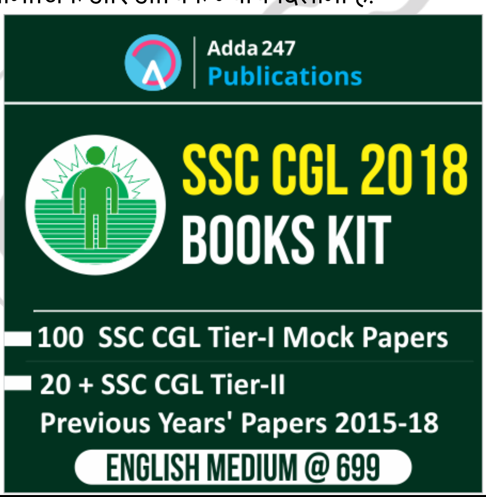

मूल कर्तव्य

भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क के रूप में 10 मूल कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई. इसके लिए संविधान में एक नया भाग IV क को जोड़ा गया. **यह जापानी मॉडल पर आधारित है**. कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय जोड़ने का सुझाव स्वर्ण सिंह समिति ने इस आलोक में सुझाया था कि अधिकार और कर्तव्य एक दुसरे के पूरक हैं. इसके अलावा, बाद में संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा 51 A (k) के रूप में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया. यह है:

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह "6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए."

मूल कर्तव्य 11

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा -

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें.
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करे.
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें.
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे.
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों.
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें.
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें.
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें.
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें.
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें.
11. 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए.

नागरिकता

नागरिक वह व्यक्ति होता है जो उस समुदाय या राज्य की पूर्ण सदस्य का लाभ प्राप्त करता है, जिसमें वह रहता है या सामान्यतः रहता है. राज्य अपने नागरिकों से कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों की मांग करता है जो गैर-नागरिकों से अपेक्षित नहीं होते.

नागरिकता अर्जित करने के तरीके

भारत का संविधान, नागरिकता अधिनियम (संशोधित), 1986 के तहत पांच तरीकों से भारत की नागरिकता प्रदान करता है. ये हैं:

a) **जन्म से नागरिकता**

26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति

भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और 1 जुलाई 1947, से पूर्व भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा. यद्यपि, वह भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म के समय :

- उसके माता पिता विदेशी राजनयिक हों या
- उसके माता पिता शत्रु देश के हों

b) वंश के आधार पर नागरिकता

- कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परन्तु 10 दिसम्बर 1992 से पूर्व हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत नागरिक बन सकता है यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो.

c) पंजीकरण द्वारा नागरिकता

कोई व्यक्ति जो भारत का नागिरक नहीं है और निम्न में से किसी श्रेणी से सम्बंधित है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है (वह भारत में कम से कम पांच वर्षों से रह रहा हो):

1) भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से ठीक पूर्व 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो.
2) महिलाएं जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह किया हो.
3) भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे.
4) अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित देशों का नागरिक जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो.

d) प्राकृतिक रूप से नागरिकता

केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है. यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो-

1) ऐसे देश से सम्बंधित नहीं हो, जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते.
2) भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने पर अन्य देश की नागरिकता त्याग दे.
3) आवेदन से ठीक 12 माह पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो. इन 12 माह से पूर्व, 7 वर्षों तक वह भारत में रह रहा हो और/या भारत सरकार की सेवा में हो. यह 4 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए.
4) उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए.
5) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो.
6) प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिलने के बाद भारत में रहने का इच्छुक हो.
7) हालाँकि भारत सारकार उपरोक्त शर्तों के मामलों पर एक या सभी दावों को हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञानं, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो. इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठां की शपथ लेनी होगी.

e) क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता

यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो सरकार उस क्षेत्र से सम्बंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है.

राष्ट्रपति

अनुच्छेद 52 – भारत का एक राष्ट्रपति होगा.

अनुच्छेद 53 –संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारीयों के माध्यम द्वारा करेगा .

इस प्रकार राष्ट्रपति है :

(1) गणतंत्र का कार्यकारी प्रमुख
(2) सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किये जाते हैं. कार्यकारी शक्ति के संचालन में सहयोग और सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है [अनुच्छेद 74(1)]. 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है.
(3) वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और वरीयता अनुक्रम में प्रथम स्थान पाता है. वरीयता पत्र (Warrant of Precedence) राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में गणमान्य व्यक्तियों का अनुक्रम दर्शाता है.
(4) वह सशस्त्र बालों का सर्वोच्च कमांडर होता है.

राष्ट्रपति का चुनाव

भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं. उनका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है.

अनुच्छेद 54 –

निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं:

(a) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (मनोनीत सदस्य शामिल नहीं)
(b) राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य)

राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी उपबंध अनुच्छेद 55 में और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति (चुनाव) अधिनियम, 1952 में दिए गए हैं जो बाद में 1974 में संशोधित हुआ. संविधान के अनुच्छेद 55 में सुझाई गई प्रक्रिया है :

एक विधायक के मत का मूल्य = राज्य की कुल जनसँख्या/ (कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या) x 1000

इसका अर्थ यह है कि एक राज्य के विधायक के मत का मूल्य किसी अन्य राज्य के विधायक के मत के मूल्य से अलग हो सकता है. यह जनसँख्या के संबंध में बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया.

इसी प्रकार एक सांसद के मत का मूल्य होता है :

एक सांसद के मत का मूल्य = सभी राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) के विधायकों के मतों का कुल मूल्य/ (निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या)

यह फार्मूला, सांसदों और विधायकों के बीच मतों में बराबरी लाने के उद्देश्य से अपनाया गया.

संविधान का अनुच्छेद 62 यह व्यवस्था देता है कि पद रिक्तता को भरने के लिए जितना जल्दी संभव हो चुनाव करा लिए जाएँ, और किसी भी हालात में पद रिक्त होने की तिथि से इसमें छः महीने से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए (यह पद रिक्तता राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हो सकती है). इसमें यह भी खा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा.

राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं

(a) वह भारत का नागरिक हो.

(b) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो.

(c) लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो.

(d) वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो. एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता. इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है.

पुनः चुने जाने के लिए योग्यता

वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर हो या रहा हो, पुनः चुने जाने के लिए योग्य होता है.

राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया [अनुच्छेद 61]

(1) राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है.

(2) उन पर महाभियोग केवल तभी चलाया जाएगा जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो.

(3) यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है.

(4) महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है. इस प्रस्ताव पर उस सदन के कुल सदस्यों के न्यूनतम ¼ सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए. ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को देना आवश्यक होगा. यह प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया गया हो.

(5) तब संसद का दूसरा सदन जिसे जाँच सदन कहा जाएगा, आरोपों की जाँच करेगा.

(6) राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने औ अपना प्रतिनधित्व करने का अधिकार होगा.

(7) यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा.

नोटः

(a) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की महाभियोग प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती जबकि वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं.

(b) संसद के मनोनीत सदस्यों को महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विमर्श करने और मत देने का अधिकार है जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में उनका मत नहीं होता.

कार्यकारी राष्ट्रपति द्वारा पदरिक्तता को भरना

(1) उप राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या महाभियोग के कारण पद खरिक्त हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायलय का वरिष्ठतम न्यायाधीश नए चुनाव संपन्न होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा.

(2) यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हों तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और वह संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के समान वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के पत्र होगा.

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां निम्न हैं:

1. वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उसे स्थगित कर सकता है. वह प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है.
2. वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है.
3. संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून का रूप ले सकते हैं. राष्ट्रपति किसी बिल को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यदि वह धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक न हो. पुनर्विचार के बाद विधेयक पास होकर जब राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा तो उसे अनुमति देना उनके लिए अनिवार्य होगा.
4. राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हुए विधेयक को अपनी अनुमति के लिए असीमित समय के लिए अपने पास रोक सकता है.
5. संसद के दोनों सदनों की सत्रावसान की अवधि में सरकार को तुरंत किसी कार्य की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि संसद से पास

कोई अन्य विधेयक.

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां निम्न हैं:

1. वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है और पीएम की सलाह पर मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा करता है.
2. राष्ट्रपति विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार होता है. ये हैं:
   राज्यों के राज्यपाल/मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश/महान्यायवादी/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त/संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य/ अन्य देशों में राजदूत एवं उच्चायुक्त
3. राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र बालों का सर्वोच्च कमांडर होता है.

वित्तीय शक्तियां

1. धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है.
2. वह वार्षिक बजट और पूरक बजट को संसद के समक्ष रखता है.
3. राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग नियुक्त करता है.

न्यायिक

1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है.
2. वह न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है यदि संसद के दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं.
3. उसे क्षमादान देने का अधिकार है. राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को निलंबित, माफ़ या परिवर्तित कर सकता है.

क्षमादान – अपराधी को पूर्णतः क्षमा

स्थगन आदेश – फांसी को अस्थायी रूप से स्थगन

सजा को हल्का करना – सजा का प्रकार बदलना जो हलके प्रकृति की सजा हो

घटावविलम्ब/ – विशेष मामले में सजा कम करना या देरी करना

घटाव – सजा की प्रकृति बदले बिना उसे कम करना

कूटनीतिक शक्तियां

सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते हैं. यद्यपि, वास्तव में, ये बातचीत सामान्यतः पीएम द्वारा अपने मंत्रिमंडल की सहायता (विशेषकर विदेश मंत्री) से की जाती हैं. इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है. वह औपचारिक कार्यक्रमों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है. वह राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं बुलाता है.

सैन्य शक्तियां

राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है. वह संसद की अनुमति से युद्ध और उसकी समाप्ति की घोषणा करता है. सभी प्रमुख संधियाँ और अनुबंध उसके नाम से ही होते हैं.

आपातकालीन शक्तियां

राष्ट्रपति तीन प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है ,राष्ट्रीय-राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल/राज्य

भारत का उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से चुना जाता है. इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं.

उप राष्ट्रपति न तो संसद का और न ही किसी राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए. यदि वह संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य है तो उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही अपनी सीट खली करनी होगी.

एक व्यक्ति को उप राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता जबतक कि वह-

- भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो.
- राज्यसभा सदस्य बन्ने की योग्यता रखता हो.
- वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो.

उपराष्ट्रपति को हटाना

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को, राज्य सभा में पूर्ण बहुमत (कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक) से संकल्प प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सामान्य बहुमत (मत करने वाले में से 50%) से अनुमति आवश्यक है.

उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां

उप राष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं:

1. वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है. इस सन्दर्भ में उसकी शक्तियां व् कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं.
2. जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है. वह राष्ट्रपति के रूप में केवल छः महीने ही कार्य कर सकता है, इस बीच नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए. इसके तिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है.
3. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति

राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है. इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है.

4. प्रथम बार, जून 1960 में डॉ राजेंद्र प्रसाद के 15 दिन के सोवियत संघ के दौरे के समय उपराष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था.
5. प्रथम बार, जून 1969 में, जब राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन का निधन हो गया था और उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था तब देश के मुख्य न्यायाधीश एम्. हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था

प्रधानमंत्री

संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी पमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं. राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है.

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

अनुच्छेद 75 क अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा. राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को पीएम नियुक्त करता है. लेकिन जब लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति पीएम के चयन और नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है.

कार्यकाल

पीएम का कार्यकाल तय नहीं होता और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है. अतः जब तक पीएम लोकसभा में अपना बहुमत रखता है राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया नहीं जा सकता. तथापि यदि वह लोकसभा का विश्वास खो देता है तो उसे अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना होगा या राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं.

प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां

पीएम के कार्य और शक्तियां निम्न हैं:

- वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किसे मंत्री बनाया जाएगा.
- वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है.
- वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतरराज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता है.

केंद्रीय मंत्रिपरिषद

भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है. हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद् होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है. अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के संबंध में और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यताएं, शपथ एवं वेतन और भत्तों के संबंध में उपबंध है.

नोट:

पीएम सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी. [91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003]

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी. कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है लेकिन उसे छः माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी (निर्वाचन या नामांकन द्वारा) [अनुच्छेद 75(5)]

मंत्रिपरिषद तीन श्रेणियों की होगी: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री.

कैबिनेट मंत्री: इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित और विदेश व् अन्य मंत्रालय होते हैं.

राज्य मंत्री: राज्य मंत्रियों को मंत्रालय/विभगों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ लगाया जा सकता है.

उप मंत्री : उप मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है. उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है. वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते.

एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है परन्तु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है. [अनुच्छेद 88]

भारतीय संसद

लोगों का सदन (लोक सभा)

लोक सभा संसद का प्रसिद्द, चर्चित सदन है क्योंकि इसके सदस्य भारत के आम मतदाताओं द्वारा सीधे चुन कर आते हैं. इस सदन के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, केवल एंग्लो-भारतीय समुदाय से दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं. संविधान में लोकसभा सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है. इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 (530 राज्यों से, 20 केन्द्रशासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो-भारतीय समुदाय से हो सकते हैं) निर्धारित की गई है. 2001 में सरकार ने 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001, द्वारा सीटों की इसी व्यवस्था को 2026 तक के लिए बाधा दिया है.

लोकसभा की विशेष शक्तियां

कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो संविधान द्वारा केवल लोकसभा को ही प्रदान की गई हैं, राज्यसभा को नहीं.ये शक्तियां हैं –

1. धन और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है.

2. धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है और लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है. एक धन विधेयक उच्च सदन द्वारा 14 दिन में पास करना पड़ता है. अन्यथा विधेयक सदन से स्वतः पास मान लिया जाएगा. इस प्रकार लोकसभा धन विधेयक पास करने के संबंध में विशेष विशेष विधायी अधिकार रखती है.
3. मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है. इसीलिए विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव केवल इसी सदन में रखा जा सकता है.
4. अनुच्छेद 352 के तहत लोकसभा विशेष बैठक में राष्ट्रपति द्वारा घोषित आअत्कलीन घोषणाओं को स्वीकार अथवा रद्द कर सकती है.

लोकसभा की अवधि

सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है. लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सामान्य अवधि के पूर्व भी सदन को भंग किया जा सकता है. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका कार्यकाल बढाया भी सकता है.

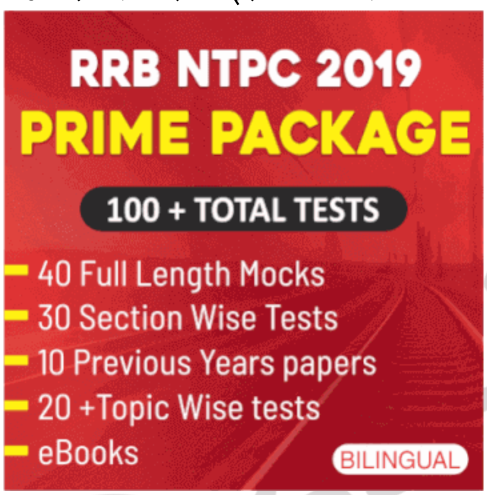

लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं

लोकसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति :
1. भारत का नागरिक होना चाहिए.
2. 25 वर्ष से कम आयु का न हो.
3. भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो.
4. भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो.
5. पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए.
6. संसद की किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य न हो.

लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

लोकसभा का अध्यक्ष -
1) लोकसभा का सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी होता है.
2) वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही पर उसके फैसले अंतिम होते हैं.
3) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर सदन द्वारा प्रभावी बहुमत से उनके पद से हटाया जा सकता है.
4) अपने पद की निष्पक्षता और गरिमा बनाये रखने के लिए अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है और यह निर्णायक मत कहलाएगा.

अध्यक्ष की विशेष शक्तियां

कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त हैं जबकि समान शक्तियां उसके समकक्ष, उच्च सदन के अध्यक्ष को भी नहीं प्राप्त हैं. ये हैं -
1. किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने के निर्णय का अधिकार अध्यक्ष को ही है.
2. अध्यक्ष, और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में पीठासीन होगा.
3. संसदीय समितियां अध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्य करती हैं और उन समितियों के अध्यक्ष भी यही नियुक्त या मनोनीत करता है. राज्यसभा के सदस्य भी कुछ समितियों के सदस्य होते हैं.
4. यदि लोकसभा अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा.

अध्यक्ष का विशेष स्थान

संविधान लोकसभा अध्यक्ष के लिए एक विशेष स्थान की व्यवस्था देता है -
1. यद्यपि यह लोक सभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है तब भी वह नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है. यह इसलिए क्योंकि वह न केवल सदन की संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है बल्कि लोकसभा सचिवालय के प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है जो सदन के भंग होने के बाद भी कार्य करता रहता है.
2. अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है.
3. किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्णय अध्यक्ष करता है और इस संबंध में यह निर्णय अंतिम होता है.
4. वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है जो भारत में अंतर-संसदीय संघ के रूप में कार्य करता है.

प्रोटेम स्पीकर

संविधान के अनुसार, पिछली लोकसभा का अध्यक्ष, नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है. फिर राष्ट्रपति, सामान्यतः लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं. प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाते हैं.

प्रोटेम स्पीकर के पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं. वह नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है. उसका प्रमुख

कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है.

राज्य सभा

राज्य सभा या राज्यों की सभा भारतीय संसद का उच्च सदन है. इसकी सदस्यता 250 सीमित है जिसमें से 12 सदस्य, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं.

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है. इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है जिसमें से एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर सेवामुक्त हो जाते हैं. राज्य सभा के सत्रों का तो अंत होता है किन्तु निचले सदन की तरह यह कभी भंग नहीं होती. भारत के उप-राष्ट्रपति (वर्तमान में वैंकेया नायडू) इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं. उपाध्यक्ष, जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में से होता है, वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य संभालता है. राज्य सभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी.

सदन का नेता

अध्यक्ष (भारत के उप-राष्ट्रपति) और उपाध्यक्ष के साथ ही एक सदन का नेता भी होता है. यह एक कैबिनेट मंत्री-प्रधान मंत्री, यदि वह सदन का सदस्य है तो, अथवा कोई अन्य मनोनीत सदस्य होता है. नेता की कुर्सी अध्यक्ष के बाद प्रथम पंक्ति में होती है.

सदस्य

एक व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए

(a) भारत का नागरिक होना चाहिए,

(b) 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए,

(c) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो और

(d) संसद द्वारा समय समय पर पारित योग्यताओं को पूरा करता हो.

राज्य सभा की शक्तियां

धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों के संबंध में समान अधिकार प्राप्त हैं. धन विधेयक के विषय में राज्य सभा को कोई अधिकार नहीं मिला है. धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है. वहां पारित होकर जब यह राज्यसभा में आता है तो यहाँ इसे 14 दिन में पारित करना होता है अथवा यह स्वतः पारित मान लिया जाता है.

उच्च सदन के रूप में राज्यसभा के कार्य

राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, राज्यसूची के किसी विषय को उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है. इसके पश्चात संसद एक वर्ष तक उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है.

यह प्रस्ताव संसद का ध्यान अपनी और खींचता है. प्रस्ताव की वैधता केवल एक वर्ष होती है लेकिन इसे विस्तार देकर एक और वर्ष के लिए बढाया जा सकता है.

द्वितीय, राज्य सभा अनुच्छेद 312के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में विशेष बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है.

तृतीय, राज्य सभा को उप-राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का विशेष अधिकार है. ऐसा इसलिए क्योंकि उप-राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं और उसी रूप में अपना वेतन पाते हैं.

संसद संबंधी शब्दावली

a) आहूत करना

संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय-समय पर समान जरी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरे शब्दों में, संसद को कम से कम वर्ष में दो बार मिलना चाहिए. सामान्यतः वर्ष में तीन सत्र होते हैं:-

- बजट सत्र (फरवरी से मई);
- मानसून सत्र (जुलाई से सितम्बर) और
- शीतकालीन सत्र (नवम्बर से दिसम्बर).

एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को 'अवकाश' कहते हैं.

b) संयुक्त बैठक

अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है.

लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है [अनुच्छेद. 118(4)].

भारतीय संसद के इतिहास में अब तक संयुक्त बैठक के के.वल तीन अवसर हैं.ये निम्न हैं :

(i) मई 1961 में दहेज़ निषेध विधेयक, 1959.

(ii) मई 1978, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977

(iii) 2002, पोटा (POTA-आतंकवाद निवारण विधेयक)

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न दो विषयों के लिए बुलाई जा सकती है -

(i) किसी विधेयक को पारित करने में गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए

(ii) राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण – प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में; प्रति वर्ष प्रथम सत्र में (बजट सत्र)

नोट: "धन विधेयक" और "संविधान संशोधन विधेयक" संबंधी गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती

c) सत्रावसान

पीठासीन अधिकारी (स्पीकर या अध्यक्ष) सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है. इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है. हालाँकि,

राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है.

d) स्थगन

यह सदन के सभापति द्वारा संसद के सत्र में छोटे समय के लिए अवकाश होता है. इसकी अवधि कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है.

e) अनिश्चित काल के लिए स्थगत

जब सदन पुनः बैठने के दिन की घोषणा के बिना ही स्थगित कर दिया जाता है तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं.

संसद सदस्य की अयोग्यता के बिंदु

संसद सदस्य को निम्न आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है.

- अनुच्छेद 102(1) (a): यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है. संसद (सदस्य की अयोग्यता संबंधी) अधिनियम 1959 के अनुसार संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद लाभ के पद नहीं हैं.
- अनुच्छेद 102(1) (b): यदि संसद सदस्य विकृत चित है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है.

  अनुच्छेद 102(1) (c): यदि वह न्यायालय द्वारा घोषित दिवालिया है.

  अनुच्छेद 102(1) (d): यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभिस्वीकार किये हुए है.
- अनुच्छेद 102(2): यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य ठहरा दिया जाता है. (दसवीं अनुसूची)

संसद में विधायी प्रक्रिया

विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है. प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है. विधेयक कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव है और जब यह विधिवत अधिनियमित हो जाता है तो यह अधिनियम या कानून बन जाता है.

संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं: सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी विधेयक (इन्हें क्रमशः सरकारी विधेयक और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक भी कहा जाता है). यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं किन्तु उनमें विभिन्न प्रकार का अंतर होता है.

संसद में विधेयक

संविधान में निम्न चार श्रेणियों के विधेयकों का वर्णन है:

साधारण विधेयक

धन विधेयक

वित्त विधेयक

संविधान संशोधन विधेयक

साधारण विधेयक

धन, वित्तीय और संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त सभी विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं. यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है. इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरुरत नहीं पड़ती (सिवाय अनुच्छेद 3 के अंतर्गत लाये गए विधेयक के). यह दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है. दोनों सदन साधारण विधेयक पारित करने के लिए बराबर विधायी शक्ति रखते हैं. यदि कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से समाप्त किया जा सकता है.

धन विधेयक

संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है. इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न वर्णित एक या अधिक या समस्त उपबंध होंगे:

(1) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन

(2) केंद्रीय साकार द्वारा उधर लिए गए धन का विनियमन

(3) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना.

(4) भारत की संचित निधि से धन का विनियोग.

(5) भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यव की राशी में वृद्धि

(6) भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परिक्षण, या

(7) उपरोक्त विनिर्दिष्टकिसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय.

भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प

विनियोग – भारत की संचित निधि से धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है.

धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है. यह दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है. लोकसभा धन विधेयक के संबंध में अधिक विधायी शक्ति रखती है और राज्यसभा अपनी विधायी शक्ति के तहत धन विधेयक को ख़ारिज या स्वीकार नहीं कर सकती. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है. यह निर्णय अंतिम निर्णय होता है और उसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती.

लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा में भेज दिया जाता है. राज्यसभा के पास निम्न चार विकल्प होते हैं:

(i) वह विधेयक पारित कर दे.

(ii) वह सीधे ही विधेयक को अस्वीकृत कर दे- ऐसे में विधेयक को स्वतः ही दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा.

(iii) यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों में पारित नहीं करती है तब

विधेयक प्राप्ति के 14वें दिन की समाप्ति के बाद विधेयक को स्वतः ही दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा.

(iv) राज्यसभा विधेयक में संशोधन सुझा सकती है तब विधेयक निम्न सदन में वापस आ जाता है. यदि लोकसभा एक या अधिक संशोधनों को स्वीकार कर लेती है तब विधेयक अपने नए रूप में पारित माना जाएगा. दूसरी तरफ यदि लोकसभा संशोधन को अस्वीकार कर देती है तब विधेयक को स्वतः ही दोनों सदनों से अपने मूल रूप में पारित मान लिया जाएगा.

इसमें दोंनो सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता. राष्ट्रपति द्वारा इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है किन्तु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है.

वित्त विधेयक

एक या अधिक धन संबंधी विषय और यदि एक या अधिक गैर-धन संबंधी विषय से अलग जो विधेयक होता है वह धन विधेयक कहलाता है. यह धन विधेयक की तरह ही प्रस्तुत किया जाता है. प्रस्तुत करने के बाद जब तक इसमें गैर-धन संबंधी विषय है यह साधारण विधेयक की तरह ही पारित किया जाएगा.

संविधान संशोधन विधेयक

संविधान के एक या अधिक प्रावधानों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत लाये गए विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं. यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है. इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं होती. यह विधेयक, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए. संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में बनी असहमति या गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं देता.

राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति

संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमती देता है. हालाँकि राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो की शक्ति होती है जैसेकि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है.

अत्यांतिक वीटो

a) इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है, जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है. यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और विधेयक नहीं बन पाता है. सामान्यतः यह विधेयक निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है:
b) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में; और
c) सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे (जब विधेयक पारित हो गया हो और राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो) और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनि सहमती न देने की सलाह दे.

निलंबनकारी वीटो

राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटता है. हालाँकि यदि संसद विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है. राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकता है.

पॉकेट वीटो

इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमती देता है, न अस्वीकृत करता है, और न ही लौटाता है परन्तु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है. राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की (सकारात्मक या नकारात्मक) शक्ति, पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है. इस वीटो के अंतर्गत विधेयक पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय सीमा नहीं है.

भारत में आपातकालीन उपबंध

भारत में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं. भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन उपबंध हैं :

(1) अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल
(2) अनुच्छेद 356 – राष्ट्रपति शासन
(3) अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

a) यदि राष्ट्रपति समझे कि भारत की अथवा इसके किस भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति पूरे देश में अथवा इसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही कर सकता है.
b) राष्ट्रपति को आपात उद्घोषणा वापस लेने अथवा उसमें परिवर्तन का अधिकार है. आपातकाल की सभी उद्घोषणाएं संसद की स्वीकृति के लिए भेजनी होगी और यह संसद के दोनों सदनों में एक माह के अन्दर सदन के बहुमत और उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वालों के दो तिहाई विशेष बहुमत से पारित करना होगा अन्यथा उद्घोषणा एक माह के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रहेगी. आपातकाल स्वीकृति के बाद 6 महीने से अधिक समय तक नहीं लागू रहना चाहिए.
c) 6 माह पश्चात् इसे पुनः संसद से पारित कराना होगा अन्यथा यह समाप्त हो जाएगी. यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो यह अनिवार्य रूप से राज्यसभा द्वारा 1 माह में पारित होना चाहिए और नई लोकसभा भी 1 महीने में इसे पुनः पारित करे.
d) लोकसभा आपातकाल को किसी भी समय समाप्त कर सकती है. इस मामले में यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य

स्पीकर/अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को (यदि सदन नहीं चल रहा हो) लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के अन्दर उद्घोषणा के जरी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार-विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है. यदि लोकसभा आपातकाल को जरी रखने से मना कर देती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल समाप्त करना होगा.

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की 356 सूचना के आधार पर या दूसरे ढंग से यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल सकती तो वह ऐसा कर सकते हैं :

(a) राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है; और

(b) यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि संसद राज्य से सम्बंधित विषयों में राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी किन्तु राष्ट्रपति को सम्बंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं और वह उनसे सम्बंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता.

अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में दो माह के भीतर साधारण बहुमत के संकल्प से पारित करनी होगी, अन्यथा उद्घोषणा अप्रभावी हो जाएगी. संसद द्वारा पारित होने के पश्चात् उद्घोषणा की तिथि से आपातकाल अधिकतम 6 महीने के लिए प्रभावी रहेगा. संसद से यह स्वीकृति साधारण बहुमत द्वारा ली जा सकती है. यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो राज्यसभा को इसे 2 माह में स्वीकृति देनी होगी और लोकसभा के पुनर्गठन के 1 माह में इसे पारित करना होगा. हालाँकि संसद इसे अधिकतम 6 माह के लिए और बढ़ा सकती है.

यदि इस उद्घोषणा को 1 साल से अधिक के लिए बढ़ाना हो तो निम्न रूप में आश्वस्त होना चाहिए -

• सम्बंधित राज्य के पूरे क्षेत्र में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात घोषित हो.

• निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल के चुनाव कराना संभव नहीं है.

लेकिन किसी भी हालात में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक समय तक नहीं लगाया जा सकता. इसे और अधिक बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी.

वित्तीय आपातकाल

(a) अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति प्रदान करता है. यदि वह संतुष्ट हो की ऐसी स्थिति हो गई है, जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में है तो वह ऐसी घोषणा कर सकता है.

(b) ये घोषणाएं :

(c) राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती हैं.

(d) वित्तीय आपात उद्घोषणा के दो माह के भीतर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है. एक बार स्वीकृति मिलने के बाद यह राष्ट्रपति द्वारा वापस न लिए जाने तक बढ़ाई जा सकती है.

वित्तीय आपात के प्रभाव

(1) राष्ट्रपति वित्तीय संसाधनों के राज्यों के साथ बंटवारे पर रोक लगा सकते हैं.

(2) राष्ट्रपति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकता है.

(3) वह राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के लिए कह सकता है.

(4) राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित उसके विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित रख सकता है.

(5) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है.

राज्य विधानमंडल

राज्य विधानमंडल (विधान सभा)

विधान सभा, विभिन्न राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुदुचेरी) के राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है. विधानसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के अंतर्गत उस राज्य के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं. प्रत्येक विधानसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और फिर सभी सीटों के लिए पुनः चुनाव कराए जाते हैं. विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है. हालाँकि संसद के एक अधिनियम द्वारा विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम भी हो सकती है. गोवा, सिक्की और मिजोरम के विषय में ऐसा ही है. राज्यपाल, एंग्लो-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक सदस्य मनोनीत कर सकता है यदि उसे लगता है कि सदन में उस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है.

विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं

1. वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो.
2. 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो.
3. वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और दिवालिया नहीं घोषित होना चाहिए.
4. उसे यह शपथपत्र देना होगा कि उसके खिलाफ कोई अपराधिक कार्रवाई नहीं चल रही है.

विधानसभा बनाम लोकसभा

उच्च सदन से संबंध के विषय में विधानसभा की स्थिति लोकसभा की अपेक्षा अधिक मजबूत है. विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित अंतर है:

1. धन विधेयक के संबंध में विधानसभा की स्थिति लोकसभा के समान ही है. केंद्र में या राज्य में उच्च सदन को संशोधन या विधेयक को रोकने के लिए अधिकतम 14 दिन का समय ही मिलता है.
2. धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में विधानसभा

की स्थिति लोकसभा की अपेक्षा मजबूत है. जहाँ संघीय संसद में संयुक्त बैठक द्वारा गतिरोध दूर किया जाता है, राज्य में गतिरोध दूर करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. विधानसभा की इच्छा ही अंततः प्रबल होती है. राज्य स्तर पर उच्च सदन अधिकतम 4 माह तक विधेयक पारित करने में देरी कर सकता है जिसमें भी 3 माह प्रथम बार में और 1 माह दूसरी बार में.

3. राज्यसभा से एक विधेयक (धन विधेयक के अतिरिक्त) पारित करने की समय सीमा जहाँ 6 माह है वहीं विधानपरिषद में यह केवल 3 मास है.

विधान परिषद्

भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की तरह विधानपरिषद एक स्थायी निकाय है जो कभी विघटित नहीं होती. इसका प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) छह वर्ष के लिए अपनी सेवा देता है और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवामुक्त हो जाते हैं. वर्तमान में भारत के छह राज्यों में विधानपरिषद है :आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्णाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश.

विधानपरिषद् सदस्य बनने के लिए योग्यताएं

- वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो.
- 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो.
- वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए
- वह दिवालिया नहीं घोषित होना चाहिए
- वह उस राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो.

विधानपरिषद के सदस्यों का चुनाव

- एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगर निगम, नगरपालिका और जिला परिषद/बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं.
- एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है किन्तु ये उम्मीदवार विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए.
- 1/12 सदस्यों का निर्वाचन राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातक करते हैं.
- 1/12 सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य में 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों (कॉलेज, विश्वविद्यालय भी शामिल) से कम के नहीं होने चाहिए.
- शेष या 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखते हों.

राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र से होती है. इस प्रकार वह केंद्र की मंत्रिपरिषद द्वारा मनोनीत होता है. राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, उसके कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती. वह राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस बुलाया जा सकता है. राज्यपाल को हटाए जाने के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है जैसाकि राष्ट्रपति के संबंध में है.

राज्यपाल की शक्तियां कार्यकारी शक्तियां

- वह उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो.
- ज्यपाल मुख्य मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और उन्हें उनके विभाग बांटता है.
- वह राज्य के महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है.
- ज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है.

विधायी शक्तियां

- वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है और उन्हें संबोधित कर सकता है.
- वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को सम्नोधित कर सकता है.
- वह विधानसभा को विघटित कर सकता है. यह औपचारिक शक्तियां हैं और इनके प्रयोग के समय राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा.
- इन अवसरों पर राज्यपाल का संबोधन सामान्यतः राज्य सरकार की नई नीतियों की रूपरेखा होती है.
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकता है.
- राज्यपाल, किसी विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है.
- जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता लग रही हो तो राज्यपाल औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है.

वित्तीय शक्तियां

- धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमती के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है.
- वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य-बजट) राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए.
- बिना राज्यपाल की सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती.
- वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है.
- वह वित्त आयोग का गठन करता है.

विवेकाधीन/न्यायिक शक्तियां

कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार स्वयं निर्णय करना पड़ता है. ऐसी शक्तियां विवेकाधीन

शक्तियां कहलाती हैं :

- जब विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तब राज्यपाल सबसे बड़े दल को अथवा दो या अधिक दलों के नेताओं को आम सहमति से सरकार बनाने को कह सकता है. तब राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है.
- राज्यपाल, राष्ट्रपति को सूचित करते हुए रिपोर्ट भेज सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं.
- राज्यपाल को कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है. (अनुच्छेद 200)

गवर्नर की वीटो की शक्ति

जब राज्य विधानमंडल से पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष आता है तो वे निम्न कदम उठा सकते हैं:

1. वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है.
2. स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है.
3. विधेयक को (यदि वह धन-संबंधी विधेयक न हो) विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है.
4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है.

राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल द्वारा उनके लिए आरक्षित विधेयकों के संबंध में आत्यंतिक वीटो की शक्ति होती है. राष्ट्रपति निम्न कार्यवाही कर सकते हैं :

1. धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं अथवा आरक्षित रख सकते हैं.
2. वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक (यदि धन विधेयक नहीं है) को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे.यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है. इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती.

स्थानीय स्वशासन

पंचायती राज

- पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की प्रथम श्रेणी या स्तर है.
- भारत में 'पंचायती राज' शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है. 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया.
- स्वतंत्रता के बाद देश के समक्ष गांवों के विकास की तत्कालिक समस्या थी. अतः 1952 में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्य को ध्यान में रखकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया.
- राजस्थान 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना. उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया.

73वें संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- इसने भारतीय संविधान में भाग 9 का उपबंध किया.
- इस भाग को "पंचायत" नाम दिया गया जो अनुच्छेद 243(क) से 243 (ण) तक है. इसे सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों से सम्बंधित 29 विषयों का वर्णन किया गया है.
- सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का है. समय से पूर्व भंग होने पर 6 महीने में चुनाव कराने होंगे.
- सभी स्तरों पर पंचायतों में 1/3 भाग (सदस्य और सरपंच दोनों) स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे.
- यह अधिनियम राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करता है जो इस प्रकार है :

(i) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

(ii) ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति/क्षेत्र पंचायत

जिला स्तर पर जिला पंचायत/जिला परिषद् पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनिवार्य प्रावधान

1. एक गाँव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन
2. ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना
3. पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
4. सभी स्तरों पर (प्रमुख एवं सदस्य दोनों के लिए) अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण
5. सभी स्तरों पर (प्रमुख एवं सदस्य दोनों के लिए) एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित
6. सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित. समय से पूर्व पंचायत भंग होने पर 6 महीने में चुनाव कराने होंगे.
7. पंचायती राज संस्थानों में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना
8. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जनि चाहिए.

सांगठनिक ढांचा

(i) गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जायेंगे. ग्राम सभा का **प्रधान (अध्यक्ष)** ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होगा.

नोट: ग्राम सभा से तात्पर्य उस निकाय से है जिसमें गाँव स्टार पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं.

(ii) ब्लाक लेवल पर पंचायत समिति

पंचायत समिति के अंतर्गत अनेक ग्राम पंचायत होते हैंउस ब्लाक के .सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुख पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं

(iii) जिला स्तर पर जिला परिषद्

- जिला परिषद्, पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था है. यह विभिन्न पंचायत समितियों की गतिविधियों को निर्देशित करती है.

- जिला परिषद् वास्तव में जिला स्तर पर विकास की योजनायें बनाती है.
- पंचायत समिति की सहायता से ये ग्राम पंचायतों के बीच धनराशि का विनिमय करती है.

शहरी स्थानीय स्वशासन

भारत में 'शहरी स्थानीय स्वशासन' का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है.

1992 का 74वां संशोधन

इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9(क) जोड़ा गया जोकि अनुच्छेद 243(त) से 243(यक्ष) तक है. साथ ही संविधान में इसके कार्यों से सम्बंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई.

1. संशोधन द्वारा संविधान में शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए.
2. स्वशासन की संस्थाओं को एक सामान्य नाम "नगरपालिका" दिया गया.

नगरपालिका के तीन प्रकार: अधिनियम राज्यों में तीन प्रकार के नगरपालिका की व्यवस्था करता है:

- नगर पंचायत – यह ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों में होती है.
- नगरपालिका – यह 20000 से 3 लाख तक की जनसँख्या वाले छोटे शहरों के लिए होती है.
- नगर निगम – एक बड़े शहरी क्षेत्र जहाँ जनसँख्या 3 लाख से अधिक है, वहां नगर निगम होते हैं.

संरचना: नगरपालिका के सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव उस क्षेत्र की जनता द्वारा किया जाएगा. इसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित किया जाएगा. नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का विधान राज्य विधानमंडल बनाएगा.

स्थानों का आरक्षण: नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसँख्या में अनुचित जाति/जनजाति की जनसँख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे. ऐसे ही, सुरक्षित स्थानों की कुल संख्या में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगेऔर वयस्क मताधिकार के आधार पर भरे जाने वाले स्थानों में 1/3 स्थान जिसमें सुरक्षित स्थान भी शामिल हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.

नगरपालिका का कार्यकाल: प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा. हालाँकि इसे समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है.

भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक मंच है और अपील का अंतिम न्यायालय है. भारतीय संविधान के अनुसार, "उच्चतम न्यायालय की भूमिका एक संघीय न्यायालय और संविधान के संरक्षक की है."

उच्चतम न्यायालय की संरचना

अनुच्छेद 124(1) के अनुसार मूलतः भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी. संविधान, संसद को कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकृत करता है.

तदनुसार संसद ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2008 पारित किया और यह संख्या 31 (1 मुख्य न्यायाधीश+30 अन्य न्यायाधीश) हो गई.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अहर्ताएं:

1. उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए.
2. उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए.
3. या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना

अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की व्यवस्था देता है. वह राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो और उसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन प्राप्त होना चाहिए. उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या कदाचार होना चाहिए.

राष्ट्रपति को उसे हटाने का आदेश उसी सत्र में जारी करना पड़ेगा जिस सत्र में संसद ने यह संकल्प पारित किया हो. अनुच्छेद 124(5) के अधीन संसद किसी आवेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जाँच और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी. न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) के अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है.

- इसका समर्थन कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए.
- इसका समर्थन कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए.
- किसी भी सदन में निष्कासन प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के बाद उस सदन के सभापति को लगाये आरोपों की जाँच और दुर्व्यवहार या असमर्थता का सबूत उपलब्ध करने के लिए तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित करनी होगी.
- न्यायिक समिति के प्रमुख उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा. दो अन्य सदस्यों में एक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा.
- न्यायालय एक न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया को दो प्रमुख भागों, न्यायिक कार्यवाही और राजनीतिक कार्यवाही में विभाजित करता है.

न्यायिक भाग में शामिल हैं:

1. पीठासीन अधिकारी एक तीन सदस्यीय न्यायिक समिति नियुक्त

करता है.

2. न्यायिक समिति आरोपों का अन्वेषण करती है.
3. राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश देते हैं.

जबकि राजनीतिक भाग में शामिल है :

1. संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत करना.
2. संसद के सदन का प्रस्ताव पारित करना.

न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि न्यायिक समिति द्वारा दुर्व्यवहार और असमर्थता के सबूत भली ही प्राप्त कर लिए जाएँ लेकिन इसके बाद भी संसद प्रस्ताव पास करने को बाध्य नहीं है. हालाँकि यदि न्यायिक समिति दुर्व्यवहार और असमर्थता के सबूत प्राप्त नहीं कर पाती है तो, संसद प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ा सकती.

भारत में उच्चतम न्यायालय (क्षेत्राधिकार)

भारतीय संविधान के अध्याय 4, भाग 5 द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक मंच है और अपील का अंतिम न्यायालय है. अनुच्छेद 124 से 147 में इसकी संरचना और क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान हैं.

इसके क्षेत्राधिकार हैं- मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार

यह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो उच्च न्यायालय और रज्यों एवं अन्य क्षेत्रों के न्यायालयों के निर्णयों पर सुनवाई करता है.

उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे में और यहाँ तककि किसी एक राज्य के जिला न्यायालय के मामले को दूसरे राज्य के जिला न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है.

उच्चतम न्यायालय के पास संविधान की समीक्षा की शक्ति है. भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया.

वेतन- संविधान का अनुच्छेद 125, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश एवं पेंशन आदि निर्धारित करने का अधिकार संसद को देता है. हालाँकि संसद, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके विशेषाधिकार और अधिकारों में कमी नहीं कर सकती. वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 90,000 और मुख्य न्यायाधीश का 1,00,000रु प्रतिमाह है.

उच्चतम न्यायालय से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु

1. उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में फातिमा बीवी बनी. यद्यपि अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है.

2. तदर्थ न्यायाधीश :

a) कोरम पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है.
b) तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति और सम्बंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है.
c) उच्चतम न्यायालय (और उच्च न्यायालय) के कार्यरत और सेवानिवृत न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बैठ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं.
d) केवल व्ही व्यक्ति तदर्थ न्यायाधीश बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो.

3. मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेते हैं.
4. भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया थे (1950 – 1951).
5. अब तक सबसे कम कार्यकाल के मुख्य न्यायाधीश के एन सिंह रहे हैं. (नवम्बर 1991 – दिसम्बर 1991, यूपी)

6. सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ थे (1978 – 1985, बॉम्बे)

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार

a) मूल क्षेत्राधिकार :

a) मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि कुछ विशेष प्रकार के मामले केवल उच्चतम न्यायालय में ही निपटाए जा सकते हैं.
b) उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होता है -
c) केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो,
d) विवाद जिसमें केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना
e) दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद.
f) मूल अधिकारों के पालन कराने से संबंधित विवाद

b) अपीलीय क्षेत्राधिकार:

अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि निचली अदालतों के मामले उच्चतम न्यायालय में आते हैं क्योंकि यह अपील का सर्वोच्च और अंतिम मंच है.

c) सलाहकार क्षेत्राधिकार:

1. सलाहकार क्षेत्राधिकार उस प्रक्रिया को बताता है जब राष्ट्रपति को किसी विधिक मामले में न्यायालय की सलाह चाहिए होती है.
2. यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई सलाह मांगते हैं तो इसके लिए अपना मत देना अनिवार्य है. हालाँकि, इस सलाह को स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है.

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था में राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था है.

1) संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार संघ के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा. लेकिन भारतीय संसद एक या अधिक राज्यों के लिए साँझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किसी केंद्र शासित प्रदेश तक कर सकती है. इसी प्रकार, संसद किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कमी कर सकती है.
2) उच्च न्यायालय ममें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं. यह संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा

निर्धारित की जाती है.

3) एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, संघ के मुख्य न्यायाधीश और सम्बंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श स करेंगे. सम्बंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी प्रकार की जाएगी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया के समान ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं.

योग्यताएं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए एक व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए-

(a) वह भारत का नागरिक हो,

(b) उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, या

(c) वह उच्च न्यायालय (या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो.

उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपना पद सँभालने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष, संविधान में निश्चित रूप में शपथ लेता है.

न्यायाधीशों को हटाना

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है. वह लिखित रूप में राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है. वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर अपने पद से हटाया जा सकता है. इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है जिसे विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन (इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन) मिलना आवश्यक है.

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है जैसे रिट और संबंधित राज्य में अपीलीय क्षेत्राधिकार. संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के पालन कराने के लिए या अन्य उद्देश्य के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्यक्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई एक) जारी कर सकता है.

1) संसद सदस्यविधानसभा सदस्य या अन्य स्थानीय निकायों के , चुनावों को चुनौती देतीचुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती हैं.

2) अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध दीवानी और अपराधिक दोनों मामलों में यह अपीलीय न्यायालय है.

पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के तहत, उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय के रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है ताकि वह संतुष्ट हो सके कि कानूनी प्रक्रिया ठीक चल रही है. ऐसा वह किसी पक्ष की याचिका पर भी कर सकता है अथवा स्वयं संज्ञान भी ले सकता है.

सशस्त्र बालों के प्राधिकरणों को छोड़कर शेष सभी न्यायालय उच्च न्यायालय की देख रेख में अपना कार्य करते हैं.

यह शक्ति उसे संविधान का अनुच्छेद 227देता है. इस प्रकार राज्य न्यायपालिका का प्रशासन उच्च न्यायालय का आवश्यक कार्य है.

भारतीय संविधान में रिट

अनुच्छेद 32-35 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नागरिक न्यायालय में जा सकता है. अपने मूल अधिकारों का पालन कराने के लिए वह उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकता है. यह न्यायालय को इस उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है. मूल अदिहकारों का पालन कराने के लिए रिट केवल उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा ही जारी किये जा सकते हैं.

लेख : के प्रकार (रिट)

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख:

(a) इसका अर्थ होता है 'को प्रस्तुत किया जाए'

(b) यह सुनिश्चित करता है कि बंदी गैरकानूनी हिरासत से बाहर किया जाए- अर्थात पर्याप्त सबूतों और कारणों के अभाव में हिरासत समाप्त की जाए.

2. अधिकार पृच्छा **लेख**:

(a) अधिकार पृच्छा का अर्थ है 'किस अधिकार से'

(b) यह रिट केवल तभी जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध किसी सार्वजनिक पद या अधिकार को प्राप्त कर रखा है.

(c) यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कार्यालय में अनाधिकार हो, तो न्यायालय उसे कार्यालय में किसी गतिविधि से रोक सकता है या कार्यालय छोड़ने का आदेश दे सकता है.

3. परमादेश लेख:

(a) इसका अर्थ है 'हम आज्ञा देते हैं'. इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए जारी किया जा सकता है.

(b) यह वैधानिक प्रावधान के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने

के लिए जारी नहीं किया जा सकता.

(c) उदाहरण के लिए, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर किसी याचिका को ख़ारिज करने या अधिकृत करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यदि न्यायालय उस पर निर्णय देने से मना कर दे तब इसके प्रयोग से उसे निर्णय देने को कहा जा सकता है.

4. उत्प्रेषण लेख:

(a) यह एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले के सभी कागजात अपने पास भेजने का आदेश है तक वह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देख सके.

(b) यह एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा का लेख है.

(c) यह रिट जारी करने का यह मतलब नहीं कि उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असहमत है. इसका केवल इतना अर्थ है कि कम से कम चार न्यायाधीश यह निर्धारित कर लें कि याचिका में जो परिस्थितियां बताई गई हैं वे समीक्षा के लिए पर्याप्त हैं.

5. प्रतिषेध लेख :

(a) यह किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्यायक्षेत्र से बहार कार्य करने या न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है. जैसे- किसी न्यायाधीश को ऐसे मामले की सुनवाई से रोकना जिसमें वो व्यक्तिगत रूचि लेता हो.

(b) ये रिट 'वैकल्पिक' या 'अनुल्लंघनीय' रूप में होते हैं. वैकल्पिक रिट प्राप्तकर्ता को तुरंत उसका पालन करने का निर्देश देता है या पूछता है कि इन निर्देशों को स्थायी क्यों न कर दिया जाए. एक अनुल्लंघनीय रिट प्राप्तकर्ता को तुरंत कार्रवाई का निर्देश देता है, या निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय मांगकर रिट वापस कर देता है.

(c) यह रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब न्यायालय में सुनवाई चल रही है, यदि मामले में निर्णय दे दिया गया है तो रिट नहीं दी जा सकती.

केन्द्रशासित प्रदेश

- संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 241 में इस संबंध में प्रावधान है. वैसे तो सभी केन्द्रशासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं किन्तु उनके प्रशासन में एकरूपता नहीं है.
- प्रत्येक केन्द्रशासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति अपने नियुक्त प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं. वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल की तरह राज्य का मुखिया नहीं.
- राष्ट्रपति उस प्रशासक का पदनाम तय कर सकते हैं : दिल्ली, पुदुचेरी, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव एवं लक्षद्वीप के मामले में यह लेफ्टिनेंट गवर्नर है.
- संसद केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए, तीनो सूचियों (राज्य सूची सहित) के विषयों पर कानून बना सकती है. संसद की यह शक्ति दिल्ली और पुदुचेरी पर भी लागू होगी जिनकी अपनी राज्य विधानसभा है. साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएँ भी राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती हैं. इसका अर्थ है कि केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विधानसभा बना ने बाद भी उनके लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा

संविधान के भाग 10 का अनुच्छेद 370 इसे विशेष दर्जा देता है. अनुच्छेद 370 के अनुसार भारतीय संविधान के सभी प्रावधान इस राज्य पर लागू नहीं होंगे. यह भारतीय संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है.

राज्य के विशेष दर्जे की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. अन्य राज्यों के विपरीत, अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधानमंडल के पास हैं (संसद के पास नहीं)
2. राज्य का अपना संविधान है. यहाँ दोहरी नागरिकता का सिद्धांत भी लागू है.
3. भारतीय संविधान का भाग 4 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) और भाग 4(क) (मूल कर्तव्य) राज्य पर लागू नहीं होंगे.
4. युद्ध या बाहय आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही राज्य पर लागू होगा. लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल राज्य पर लगू नहीं होगा.
5. राज्य पर वित्तीय आपातकाल (अनु 360) लागू नहीं किया जा सकता.
6. अनु 19(1) और 31(2) इस राज्य में समाप्त नहीं किये जा सकते और संपत्ति का अधिकार अभी भी यहाँ के लोगों के लिए लागू है.
7. जम्मू और कश्मीर के लिए संसद किसी भी हालात में राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती.
8. राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जाएगा.

संवैधानिक संस्थाएं

1) निर्वाचन आयोग

- निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है.इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था. संविधान के अनु 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है.
- चुनाव संवैधानिक प्रावधानों और संसद द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार होना कराए जायेंगे..
- प्रमुख कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 है जिसमें मतदाता की भूमिका, चुनाव कराने के विभिन्न पक्ष और पुराने चुनाव विवाद हैं.
- भारत में मतदान प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है. वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव

आयुक्त होते हैं.

- आयोग पूरी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की देख रेख में कार्य करता है.
- मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित है.
- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ समान होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है.
- मुख्य चुनाव आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती.
- राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है.
- राज्यों की पंचायतों व निगम चुनावों के लिए 'राज्य चुनाव आयोग' की व्यवस्था की गई है.

मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता

संविधान का अनु 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं :

1. मुख्य चुनाव आयुक्त की अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है. उसे उन्हीं रीति व आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अथवा नहीं.
2. चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है अथवा नहीं.

कार्य और शक्ति

1. संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करना.
2. समय-समय पर निर्वाचक-नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना
3. निर्वाचन की तिथि और समय-सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परिक्षण करना
4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना
5. राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना
6. निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना
7. संसद सदस्यों की निर्हरता के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना.
8. विधानमंडल के सदस्यों की निर्रहता के मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना
9. रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना.
10. निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दल का दर्जा देना

संघ लोक सेवा आयोग

- स्वतंत्र भारत के लिए 26 जनवरी 1950 को नए संविधान लागू होने के साथ ही, संघीय लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग पड़ा.
- इसकी स्थापना अनु 315 के तहत की गई है. आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं.
- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक का होता है.
- इसका मुख्य कार्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से संघ के अंतर्गत पदों के लिए भर्ती करना है.

राज्य लोक सेवा आयोग

- राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं. लेकिन वे केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं.
- यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है.
- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक का होता है.
- इसका प्रमुख कार्य राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाना है.

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

- संविधान में दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लक सेवा आयोग की भी व्यवस्था है.
- इसकी स्थापना संबंधित राज्य के विधानसभाओं के आग्रह पर संसद द्वारा की जाएगी. हालाँकि यह एक वैधानिक निकाय है न की संवैधानिक.
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- भारतीय संविधान का अनु 148 एक स्वतंत्र, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पर्क्षक की व्यवस्था करता है.
- यह भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक होता है.
- यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है. यह राज्य एवं देश के लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ ही सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है.

नियुक्ति एवं कार्यकाल

इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं.

- इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) तक होता है.
- वह राष्ट्रपति के नाम कभ भ अपना त्यागपत्र दे सकता है. वह राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही अपने पद से हटाया भी जा सकता है.

सीएजी के कार्य

1. वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और

प्रत्येक संघशासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, से सभी व्यय संबंधी लेखों की लेखा परीक्षा करता है.
2. वह भारत की आकस्मिकता निधि से व्यय और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय का लेखा परीक्षा करता है.
3. वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखों की भी लेखा परीक्षा करता है.

नोट: वह केंद्र सरकार के लेखों से सम्बंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार के लेखों से सम्बंधित रोर्ट राज्यपाल को सौंपता है.

भारत का महान्यायवादी

- अनु 76 के अनुसार राष्ट्रपति, उस व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा.
- वह भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है.
- संविधान में इसका कार्यकाल तय नहीं है.
- वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है. उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं. वह संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद के दोनों सदनों में की कार्रवाई में भाग ले सकता है और अपने विचार रख सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता.
- वह किसी भी कानूनी विषय पर भारत सरकार को सलाह देता है.
- राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का पालन करे.
- वह संविधान या राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी कार्य से इनकार कर सकता है.
- अपने कार्य के लिए उसे भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है.
- एक संसद सदस्य की तरह उसे सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं.

नोट: संविधान का अनु. 165 राज्य का महाधिवक्ता पद की व्यवस्था करता है. वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है. इस प्रकार वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है. वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है.

संसदीय निधि

भारत की संचित निधि

1. अनु. 266 भारत की संचित निधि की व्यवस्था करता है.
2. यह एक संवैधानिक निधि है.
3. सरकार की सभी देयताएं, प्राप्तियां, लोन और भारत सरकार की आय इसमें जमा होती हैं.
4. यह भारत सरकार की सबसे बड़ी निधि है.
5. यह भारत सरकार का एक नियमित फंड है.
6. सरकार के सभी खर्चे इसी निधि से होते हैं.
7. यह संसद की देख रेख में रखी जाती है. कोई भी राशि बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाली जा सकती. अनु. 266 प्रत्येक राज्य के लिए भी एक अलग संचित निधि की व्यवस्था देता है.

भारत का लोक लेखा

अनु. 266 के तहत भारत सरकार की देयता, प्राप्ति और लोन के अतिरिक्त अन्य कोई भी धन 'भारत के लोक लेखा' में जमा किया जाएगा. यह राष्ट्रपति के अधीन रहेगी. अनु. 266 राज्यों में भी ऐसे ही राज्य लोक लेखा की व्यवस्था करता है.

भारत की आकस्मिकता निधि

अनु. 267 संसद को यह अधिकार देता है कि वह, कानून द्वारा, एक लोक निधि बनाये जिसे 'भारत की आकस्मिकता निधि' कहा जाएगा. इसके अनुसार, सरकार ने भारत की आकस्मिकता निधि (विविध उपबंध अधिनियम 1950, बनाया जिसने अधिकतम 50 करोड़ रु के साथ भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की. यह भारत सरकार की नियमित निधि नहीं है और यह सरकार के अदृष्ट खर्चों के लिए प्रयोग की जाती है. यह राष्ट्रपति की निगरानी में रखी जाती है जो आपात खर्चे के लिए राशि जारी कर सकते हैं.

इस निधि क अप्रयोग तब किया जाता है जब संसद भारत की संचित निधि से अदृष्ट खर्चे के लिए राशि जारी करने की स्थिति में नहीं होती. राष्ट्रपति द्वारा यह राशि जारी करने से पूर्व इसे संसद के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है. यदि संसद का समर्थन मिल जाता है तो उतनी राशि आकस्मिकता निधि से संचित निधि में हस्तांतरित कर दी जाती है. संसद, विधि द्वारा आकस्मिकता निधि की अह्दिकतम सीमा स्थायी या अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है.

राजनीतिक दल

एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 'राष्ट्रीय दल' और 'राज्य स्तरीय दल' में विभाजित किया जाता है. दल को मान्यता चुनाव आयोग देता है.

राष्ट्रीय दल बनने के लिए शर्तें

राष्ट्रीय दल के लिए एक दल को निम्न अहर्ताएं पूरी करनी चाहिए:

1. यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पाता है तथा ये सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, या
2. यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, या
3. यदि कोई दल कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो.

प्रमुख स्मरणीय बिंदु

1. एक वैधानिक प्रस्ताव का प्रारूप- विधेयक
2. संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति का अनुमति प्राप्त

विधेयक - अधिनियम
3. एक वित्त वर्ष का भारत सरकार के खर्चों और प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण - बजट
4. राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद के समक्ष अनुमति के लिए एक मंत्रालय/विभाग से सम्बंधित खर्चों का अनुमान जो संचित निधि से नहीं लिया जाएगा - अनुदान मांग
5. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों से सम्बंधित प्रतिवर्ष पेश किया जाने वाला विधेयक – वित्त विधेयक
6. संविधान के अनु. 110 के खंड 1 के उपखंड (क) से उपखंड (छ) में वर्णित किसी विषय से सम्बंधित विधेयक. (ऐसा विधेयक जिसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता और जिसे राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता) - धन विधेयक
7. भारत की संचित निधि में से धन निकालने के लिए लोकसभा में प्रतिवर्ष (या वर्ष में कई बार) लाया गया विधेयक - विनियोग विधेयक
8. मांग अनुदान या निश्चित राशि में कमी के लिए प्रस्ताव - कटौती प्रस्ताव
9. कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं : नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और टोकन कटौती
10. लोकसभा द्वारा वित्त वर्ष के एक हिस्से के लिए सरकार के खर्च के लिए अग्रिम अनुदान. लेखानुदान पर प्रस्ताव, मांग अनुदान की तरह होता है – लेखानुदान
11. सदन का पहला घंटा सामान्यतः प्रश्न पूछने और उनके उत्तर के लिए होता है – प्रश्नकाल
12. स्वयं-निर्मित स्वतंत्र प्रस्ताव जो सदन के समर्थन के लिए रखा गया है – प्रस्ताव
13. अध्यक्ष द्वारा मतदान में बराबर किस स्थिति में दिया गया मत - निर्णायक मत
14. यह प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का होने के कारण इसका उत्तर मंत्री को 10 दिन में देना पड़ता है – अल्पसूचना प्रश्न

संसद में प्रस्ताव

(1) Private Member's business

प्रत्येक सदस्य जो मंत्री नहीं है, एक निजी सदस्य कहलाता है. निजी सदस्य कार्य में निजी सदस्य विधेयक और प्रस्ताव होते हैं. इसके लिए न्यूनतम समय एक माह होता है.

(2) प्रश्न काल

सामान्यतः सदन के कार्य का पहला घंटा प्रश्न उत्तर का होता है.

(3) तारांकित और अतारांकित प्रश्न

ये मौखिक प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदन में सबके सामने दिया जाता है. इसमें अन्य सदस्यों द्वारा 5 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं. अतारांकित प्रश्न लिखित प्रकृति के होते हैं जिनका जवाब मंत्री लिखित में देते हैं. पूरक प्रश्न नहीं होता.

(4) अल्पसूचना प्रश्न

यह प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों से जुड़े हैं और इनका जवाब मंत्री को 10 दिन में देना पड़ता है.

(5) स्थगन प्रस्ताव

यह सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव होता है. यह किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों की और मंत्री का ध्यान दिलाता है.

(6) ध्यानाकर्षण

यह एक नोटिस होता है जिसमें कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में इन सूचनाओं के तहत मंत्री से टिपण्णी या वक्तव्य मांगता है. इसमें न मतदान होता है, ना पूरक प्रश्न. इसीलिए इसे कागजी प्रस्ताव कहा जाता है.

(7) विशेषाधिकार प्रस्ताव

यह कोई सदस्य तब रखता है जब उसे लगता है किकिसी मंत्री या किसी सदस्य की टिपण्णी से सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ हो.

बहुमत के प्रकार

1) साधारण बहुमत

इसका अर्थ है कि उपस्थित और मत देने वालों का 50% से अधिक बहुमत

उदाहरण:

• लोकसभा के कुल सदस्य= 545

• मतदान के समय उपस्थित सदस्य = 500 उपस्थित और मत देने वाले सदस्य = 400

इस मामले में साधारण बहुमत का अर्थ है 201 या अधिक सदस्यों की सहमति.

साधारण बहुमत से पारित प्रास्ताव:

1. अविश्वास प्रस्ताव
2. विश्वास प्रस्ताव
3. राष्ट्रपति/राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
4. निंदा प्रस्ताव
5. स्थगन प्रस्ताव
6. अनु.352 के अंतर्गत लोकसभा में प्रस्ताव
7. लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव
8. धन विधेयक
9. वित्त विधेयक और साधारण विधेयक
10. राज्य विधानसभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक

2) पूर्ण बहुमत

इसका अर्थ है कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक का समर्थन. संविधान में ऐसे बहुमत की अलग से बात नहीं की गई है.

3) प्रभावी बहुमत

प्रभावी बहुमत से तात्पर्य है कि सदन की 50% से अधिक प्रभावी संख्या का समर्थन.

उदाहरण : राज्यसभा में कुल सदस्य 245 हैं. अगर मानें की किसी दिन 8 सदस्य अनुपस्थित हैं और 2 स्थान विभिन्न कारण से खाली हैं. अब सदन की प्रभावी संख्या 235 है. अतः प्रभावी बहुमत 118 या उससे अधिक होगा.

विशेष बहुमत

साधारण, पूर्ण और प्रभावी बहुमत से अलग अन्य बहुमत विशेष बहुमत कहलाते हैं.

विभिन्न प्रकार के विशेष बहुमत हैं -:-

(a) अनु. 249 के तहत बहुमत

यह संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है. इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए.

(b) अनु. 312 के तहत बहुमत (एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का प्रारंभ)

यह प्रस्ताव आवश्यक रूप से राज्यसभा द्वारा पास किया जाना चाहिए. इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए. उसके बाद बिल लोकसभा में पेश किया जा सकता है.

(c) अनु. 368 के तहत बहुमत (संविधान संशोधन विधेयक)

विधेयक कहीं भी पेश कर सकते हैं. सदन के कुल सदस्यों का बहुमत (पूर्ण बहुमत), उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत चाहिए.

यह बहुमत निम्न मामलों में चाहिए:

- संविधान संशोधन विधेयक के लिए.
- राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने के लिए

निम्नलिखित पदाधिकारियों को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना होता है:

- उच्चतम/उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- मुख्य चुनाव आयुक्त
- राज्य चुनाव आयुक्त
- केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के सदस्य
- मुख्य सतर्कता आयुक्त

(d) अनु. 61 के तहत बहुमत (राष्ट्रपति पर महाभियोग)

उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत, दोनों सदनों से यह अलग अलग पारित होना चाहिए.

2/3 x 545 = 364 (लोकसभा)

2/3 x 245 = 164 (राज्यसभा)

विधेयकों से सम्बंधित अनुच्छेद

- अनुच्छेद 107 : विधेयक के पुरःस्थापन और पारित किये जाने के संबंध में उपबंध
- अनुच्छेद 108 : कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- अनुच्छेद 109 : धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 110 : की परिभाषा "धन विधेयक"
- अनुच्छेद 111 : विधेयक पर अनुमति
- अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 113 : संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
- अनुच्छेद 114 : विनियोग विधेयक
- अनुच्छेद 115 : अनुपूरक प्रत्यायानुदान ,
- अनुच्छेद116:लेखानुदानप्रत्ययानुदान और अपवादानुदान,
- अनुच्छेद 117 : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
- अनुच्छेद 118 : प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 119 : संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रकिया का विधि द्वारा विनियमन
- अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 121 : संसद में चर्चा पर निर्बन्धन
- अनुच्छेद 122 : न्यायालयों द्वारा संदिये कार्यवाही की जांच न किया जाना

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	प्रावधान
2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
3	नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन
5	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
17	छुआछूत का अंत
18	उपाधियों का अंत
32	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार
52	भारत के राष्ट्रपति
60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान
62	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव करने का समय और आकस्मिकता रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
63	भारत के उप-राष्ट्रपति
64	उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति
65	राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
76	भारत के महान्यायवादी
78	राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में पीएम के कर्तव्य

79	संसद का गठन.		में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
80	राज्यसभा की संरचना	185	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
81	लोकसभा की संरचना	197	धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बन्धन
83	संसद के सदनों की अवधि	214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
84	संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता	215	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
89	राज्यसभा के सभापति और उपसभापति	217	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
90	उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना	222	एक जज का एक हाईकोर्ट से दुसरे में ट्रांसफर
93	लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	231	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना
94	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रिक्त होना, पद त्याग और हटाया जाना	239	केंद्र शासित प्रदेशों का शासन
101	स्थानों का रिक्त होना	239 A	दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
102	सदस्यता के लिए निर्हर्तायें	240	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
124	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन	243 E	पंचायत की कार्यावधि
127	तदर्थ जजों की नियुक्ति	244	अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
131	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता	252	दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमती से विधि बनाने की संसद की शक्ति
132	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता	266	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे
133	उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता	267	आकस्मिकता निधि
134	दंसिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता	280	वित्त आयोग
148	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	292	भारत सरकार द्वारा उधर लेना
149	कैग के कार्य और शक्तियां	293	राज्यों द्वारा उधर लेना
153	राज्यों के राज्यपाल	300 क	संपत्ति का अधिकार
154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति	312	अखिल भारतीय सेवाएँ
155	राज्यपाल की नियुक्ति	315	संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
156	राज्यपाल की पदावधि	320	लोक सेवा आयोग के कार्य
157	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं	323A	प्रशासनिक अधिकरण
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद	324	चुनावों के अधीक्षण , निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
165	राज्य का महाधिवक्ता	325	धर्म, मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का मतदाता सूची से नाम नहीं हटाना
167	राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य	338	एससी, एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग
169	राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन	343	संघ की राजभाषा
170	विधान सभाओं की संरचना	345	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
171	विधान परिषदों की संरचना	348	सुप्रीम और हाईकोर्ट में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
178	विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उसके द्वारा किस विशेष मतदाता सूची में शामिल करने के लिए दावा न करना	352	आपात की उद्घोषणा (राष्ट्रीय आपातकाल)
179	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना	356	राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)
182	विधान परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	360	वित्तीय आपातकाल
183	सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना	361	राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
184	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप		

368	संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
370	जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध
371	महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
374	संघीय न्यायालय के जजों और संघीय कोर्ट में या सपरिषद
	हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित रहना
376	हाईकोर्ट के जजों के बारे में उपबंध
377	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
394A	हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ
395	निरस्त

आधुनिक भारत

यूरोपियों का आगमन

पुर्तगाली

1) नए समुद्री मार्गों की खोज के दौरान, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग, केप मार्ग, की खोज की. वह 17 मई, 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट के हिन्दू शासक (ज़मोरिन की उपाधि से लोकप्रिय) ने उसका स्वागत किया. इसके बाद कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए. भारत में, प्रारंभ में कोचीन पुर्तगालियों की राजधानी थी लेकिन बाद में यह गोवा स्थानांतरित कर दी गई.
2) **अल्फ़ान्सो-डी-अल्बुकर्क** 1503 ई. में भारत आया था और 1509 में इसे पुर्तगालियों का गवर्नर (प्रथम गवर्नर 1503-09 के बीच **फ्रांसिस्को-डी-अल्मेडा** था) नियुक्त कर दिया गया. इसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया.

अन्य गवर्नर

नीनो-डी-कुन्हा (1529-38) – इसने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा (1530) हस्तांतरित की और गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बसीन अपने अधिकार में ले लिए.

मार्टिन अल्फ़ान्सो-डी-सूजा (1542-45) – प्रसिद्ध जुसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर इसके साथ भारत आया था.

इसके बाद पुर्तगाल शासन का पतन प्रारंभ हो गया और अंत में केवल गोवा, दमन और दीव 1961 तक इनके पास रहा.

डच

1) मार्च, 1602 ई. में डच संसद के एक आदेश द्वारा **डच ईस्ट इंडिया कंपनी** की स्थापना हुई. इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, संधियाँ करने, आक्रमण करने और विजय करने का अधिकार प्राप्त हुआ.

फैक्ट्रियों की स्थापना

2) डचों ने मसुलीपट्टनम (1605), पुलीकट (1610), सूरत (1616), विमलीपत्नम (1641), करिकल (1645), चिनसुरा (1653), कासिमबाजार, बाड़ानागोर, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम (1658) और कोचीन (1653) में कारखाने/फैक्ट्रियां स्थापित की.
3) भारत सहित पूर्व के साथ यूरोपीय व्यापार की सबसे प्रमुख शक्ति पुर्तगालियों की जगह डचों ने ले ली.
4) 1690 तक इनका मुख्य केंद्र पुलीकट रहा जिसकी जगह बाद में नेगापट्टनम ने ली.
5) बेदार के युद्ध (1759) में अंग्रेजों से डचों की हार से डचों ने भारत में अंग्रेजों की प्रधानता मान ली.

अंग्रेज

भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार स्थापना से पूर्व,

1) भारतीय व्यापारियों से व्यापार के उद्देश्य से थल मार्ग से 1599 ई. में जॉन मिल्डेनहाल भारत आने वाला पहला अंग्रेज था.
2) 'इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी' के नाम से विख्यात इस कंपनी की स्थापना 'मर्चेंट एडवेंचर्स' नाम के व्यापारियों के समूह ने 1599 में की थी और 1600 ई. में रानी एलिज़ाबेथ प्रथम द्वारा इसे पूर्वी देशों में व्यापार के अधिकार दिए.

सूरत में फैक्ट्री खोलने का निर्णय

3) सूरत में फैक्ट्री खोलने के निर्णय (1608) की पूर्ति के लिए, कैप्टन हाकिंस जहाँगीर की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके दरबार में पहुंचा (1609 ई.). जहाँगीर ने सूरत में फैक्टरी बनाने का फरमान जारी कर दिया (1613 ई.)
4) सर टॉमस रो, मुग़ल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैक्ट्रियां खोलने और व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु, 1615 ई. में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहाँगीर के दरबार में पहुंचा.

डेनिश

एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर 1616 ई. में डेन भारत में आये, उन्होंने ट्रैंकोबर (तमिलनाडु) में 1620 में और सेरामपुर (बंगाल) में 1676 ई. मे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए.

1854 ई. में जोर जबरदस्ती के कारण उन्होंने सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी.

फ्रांसीसी

1) 1664 ई. में कॉलबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई. प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री फ्रांसिस कैरन द्वारा 1664 में सूरत में स्थापित हुई.मसुलीपत्तम में 1669 में फैक्ट्री लगाई गई.
2) भारत में फ्रेंच शक्ति को 1720 से 1742 के बीच, लेनोइर और डुमास (गवर्नर) के नेतृत्व में मजबूती मिली. उन्होंने मालाबार में माहे,

sscadda.com

कोरोमंडल के यनम और तमिलनाडु के करिकल (1739) पर अधिकार कर लिया.

3) 1742 में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्लेक्स के आगमन से आंग्ल-फ्रेंच संघर्ष (कर्नाटक युद्ध) देखने को मिला जिसका परिणाम भारत में फ्रांसीसियों की हार थी.

ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना

ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से, बंबई को लीज/पट्टे पर ले लिया. 1669 से 1677 तक गेराल्ड औंगिएर इसका पहला गवर्नर था. पहली फैक्ट्री सूरत में (1605) बनाई गई. बाद में 1697 में पश्चिमी तट पर सूरत की जगह बंबई, कंपनी का मुख्यालय बना. 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर वहां एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति ली जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया. बाद में कोरोमंडल तट पर मसुलीपट्टनम कंपनी का मुख्यालय बना.

1690 में जॉब चारनाक ने तीन गांवों सुतानुती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की और सुतानुती में फैक्ट्री स्थापित की. बाद में इन गाँवो का कलकत्ता शहर के रूप में विकास हुआ. सुतानुती की फैक्ट्री को 1696 में सुदृढ़ किया गया और 1700 में फोर्ट विलियम नाम दिया गया.

1694 में ब्रिटिश संसद ने पूर्व में सभी व्यापारियों को व्यापार करने का समान अधिकार देने का प्रस्ताव पास किया. एक नई कंपनी 'इंग्लिश कंपनी ऑफ़ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज' (1698) बनाई गई. 1708 में कंपनी का अंतिम एकीकरण हुआ और इसका नाम 'दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग तो दी ईस्ट इंडीज़' रखा गया जिसने 1858 तक भारत में कार्य किया.

प्रमुख युद्ध

प्रथम आंग्लसिख युद्ध- (1845-1846)

अंग्रेजों और सिखों के बीच प्रथम युद्ध मुडकी में 18दिसम्बर, 1845 को लड़ा गया. इसमें सिख हारे. 21 दिसम्बर को फिरोजपुर में पुनः अंग्रेज जीते. हालाँकि 1846 में रणजीत सिंह मजीठिया के नेतृत्व में बुदद्वाल में अंग्रेजों को सिखों ने पराजित किया. लेकिन अलीवाल में पुनः सिख हारे. निर्णायक युद्ध में सोबराअ में 1846 में हुआ जिसमें सिखों की बुरी तरह पराजय हुई. तब अंग्रेजों ने सतलज पार करके राजधानी लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया.

युद्ध का अंत 1846 में की गई लाहौर की संधि से हुआ. इस संधि ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सिखों को शक्तिशाली नहीं छोड़ा. 1846 में ही एक अन्य संधि हुई जिसे लाहौर की दूसरी संधि या भैरोंवाल की संधि के नाम से जाना जाता है.

द्वितीय आंग्लसिख युद्ध- (1848-1849)

सिखों के लिए पहले सिख युद्ध में उनकी हार के साथ उनका अत्यधिक अपमान हुआ था. रणजीत सिंह के समय में वे जीत के अभ्यस्त थे और इस हार ने उनके गौरव अत्यधिक छाति पहुंचाई थी. वे अपने समाप्त होते राज्य को पुनः स्थापित करना चाहते थे. ब्रिटिश कमांडर लार्ड ग़फ पंजाब की एक विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंचा. 1849 में मुल्तान ने समर्पण कर दिया और कुछ सप्ताह बाद चिलियांवाला के युद्ध में सिखों को पराजय का मुंह देखना पड़ा. अंतिम और निर्णायक युद्ध गुजरात में अंग्रेजों ने जीता और पूरे पंजाब ने समर्पण कर दिया. फलस्वरूप 1849 में लार्ड डलहौजी द्वारा पंजाब राज्य को हड़प लिया गया और राजकुमार दिलीप सिंह को पेंशनयाफ़्ता बनाकर उनकी माँ रानी जिंदान के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया. पंजाब का प्रशासन एक 'बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स' को सौंप दिया गया. पंजाब के मिलाए जाने से भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार उत्तर-पश्चिम में भारत की प्राकृतिक सीमा तक हो गई. सिख शक्ति के पतन के बाद ऐसी कोई शक्ति नहीं बची जो भारत में अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सके.

प्रथम आंग्लमैसूर युद्ध- (1767-69)

इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों को कर्नाटक से बाहर और फिर भारत से बाहर खदेड़ने की हैदर की इच्छा और अंग्रेजों को इस बात का आभास होना था कि हैदर उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है. हैदर के खिलाफ़ अंग्रेजों, निज़ाम और मराठों की एक त्रिपक्षीय संधि हुई. हैदर इस संधि को तोड़ने में कामयाब रहा और अंग्रेजों के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी.

युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों की हार से हुई. आतंकित मद्रास सरकार ने 1769 में तिरस्कारपूर्ण 'मद्रास की संधि' इस आधार पर की, कि दोनों ही एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटा देंगें. साथ ही दोनों के बीच एक रक्षा समझौता हुआ कि हैदर अली पर किसी अन्य शक्ति के आक्रमण के समय अंग्रेज सरकार हैदर अली की सहायता करेगी.

मद्रास की संधि

यह संधि हैदर अली और कंपनी एवं उसके सहायकों तंजोर के राजा तथा मालाबार के शासक के मध्य हुई. इसके अनुसार करुर और उसके जिलों को मैसूर शासक के अंतर्गत छोड़कर शेष सभी विजित क्षेत्र एक दुसरे को वापस कर दिए गए. भविष्य में किसी भी एक पर किसी अन्य शक्ति द्वारा आक्रमण के समय दूसरा उसकी सहायता करने को बाध्य होगा. हैदर अली द्वारा मद्रास सरकार के पकडे गए सभी कर्मचारी छोड़ दिए गए.

द्वितीय आंग्लमैसूर युद्ध- (1780-1784)

हैदर अली और अंग्रेज कंपनी के मध्य 1769 की संधि, अपनी प्रकृति से संघर्ष विराम अधिक साबित हुई और 1771 में जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता करने से इनकार कर संधि कर पालन नहीं किया. हैदर ने फ्रांस को अंग्रेजों से अधिक सहायता देने वाला पाया. बाद में 1778 में अंग्रेजों ने माहे समेत फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया, जो एक बंदरगाह था और आपूर्ति के प्रवेश के लिहाज से हैदर अली के लिए बहुत महत्वपूर्ण था. हैदर अली ने माहे बंदरगाह पर कब्ज़ा करने का निरर्थक प्रयास किया. उसने समान शत्रु अंग्रेजों के खिलाफ़ मराठों और निज़ाम का संयुक्त मोर्चा बनाया. युद्ध 1780 से 1784 तक चला. लेकिन 1782 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र टीपू सुलतान उत्तराधिकारी बना.

टीपू ने युद्ध जारी रखा किन्तु पूर्ण सकलता किसी को भी नहीं मिली. युद्ध से थक जाने से दोनों पक्षों ने मंगलोर की शांति संधि की. इस संधि के अनुसार यह तय हुआ कि अंग्रेज टीपू को श्रीरंगपट्टनम लौटा देंगे और टीपू अंग्रेजों को बदनूर का किला अंग्रेजों को सौंप देगा.

मंगलोर की संधि

संधि के अनुसार:

- दोनों पक्ष एक दूसरे के शत्रु की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं करेंगे और एक दूसरे के सहायकों पर आक्रमण नहीं करेंगे.
- 1770 में हैदर अली द्वारा कंपनी को दिए गए व्यापार विशेषाधिकार पुनर्स्थापित किये जायेंगे हालाँकि उससे कोई अन्य लाभ नहीं होने वाला था.
- दोनों पक्ष एक दूसरे के कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस देने पर राजी हो गए (अम्बूरगढ़ और सतगढ़ किलों को छोड़कर) और भविष्य में कर्नाटक पर कोई दावा नहीं करेगा.
- टीपू सभी युद्धबंदियों को छोड़ने पर राजी हो गया.
- टीपू को फैक्ट्री पुनर्स्थापित करनी पड़ी और 1779 तक कालीकट में कंपनी को व्यापार विशेषाधिकार देना पड़ा.

श्रीरंगपट्टनम की संधि

यह संधि टीपू और अंग्रेजों एवं उसके सहायकों (निज़ाम और मराठा पेशवा) के बीच हुई. संधि से तय हुआ कि :

- अंग्रेजों और मैसूर के बीच पूर्व की संधियाँ स्थायी रहेंगी.
- टीपू को लगभग अपना आधा राज्य देना पड़ा जो अलग-अलग जगह तीनों में बंटा.
- टीपू को कुल युद्ध हर्जाने (3.6 करोड़) में से 1.6 करोड़ तुरंत देना था जबकि शेष 2 करोड़ तीन किस्तों में देना था.
- टीपू को सभी युद्धबंदियों को छोड़ देने को कहा गया.
- इन शर्तों के पूरी होने तक उसके दो बेटे अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहेंगे.

क्षेत्रों के संबंध में, निज़ाम ने सबसे बड़ा हिस्सा लिया जबकि मराठों ने भी अपनी सीमा तुंगभद्रा और कृष्णा नदी तक कर ली. अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिहाज से बाहरी क्षेत्रों को अपने हिस्से में लिया और मालाबार तट पर उत्तर में कन्नूर से लेकर कुर्ग के साथ पोन्नानी नदी के दक्षिण तक का क्षेत्र सुरक्षित कर लिया. इसमें वृद्धि करते हुए उन्होंने डिंडीगुल और बड़ामहल जिले पर अधिकार कर लिया.

चतुर्थ आंग्लमैसूर युद्ध- (1799)

तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध में अपनी हार से टीपू बदले की आग में जल रहा था. वह अपने क्षेत्रों को वापस पाना चाहता था और काबुल के ज़मान शाह और फ्रांसीसियों के साथ की गई संधियों में कहे गए अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता था. टीपू अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए सहयोगी चाहता था. लार्ड वेलेजली ने निज़ाम के साथ सहायक गठबंधन बनाने के बाद टीपू को भी उसमें शामिल होने के लिए कहा था किन्तु उसने मना कर दिया. मैसूर पर दोतरफा हमला हुआ. जनरल हैरिस के नेतृत्व में मुख्य सेना ने, आर्थर वेलेजली के नेतृत्व वाली निजाम की सहायक सेना के साथ मैसूर पर पूर्व दिशा से आक्रमण किया जबकि अन्य सेना बंबई से आगे बढ़ी.

टीपू पहले तो बंबई की सेना से हारा और बाद में मल्लावल्ली में जनरल हैरिस ने उसे हराया. टीपू वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया. उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में नज़रबंद कर दिया गया. मैसूर के पूर्व शाही परिवार के एक लड़के को मैसूर के एक छोटे से हिस्से के शासक के रूप में गद्दी पर बिठा दिया गया और एक सहायक संधि लागू कर दी गई. इस प्रकार 33 वर्ष पूर्व हैदर अली ने जिस मैसूर राज्य पर शासन प्रारंभ किया था, चतुर्थ मैसूर युद्ध ने उस मैसूर राज्य को नष्ट कर दिया.

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82)

मराठों की आन्तरिक समस्याएं और अंग्रेजों की महत्वकांक्षा आंग्ल-मराठा संघर्ष का कारण बनी. प्रथम युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा बंबई में मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था. 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु हो चुकी थी और उनके छोटे भाई नारायण राव उत्तराधिकारी बने. उनके चाचा राघोबा पेशवा बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसकी हत्या करवा दी. इसके बाद नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया. राघोबा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और ब्रिटिश सैनिकों की सहायता से गद्दी मिलने की आशा में सूरत की संधि की. इस संधि में उसने यह भी वादा किया कि वह सालसेट और बसीन का क्षेत्र अंग्रेजों को दे देहगा और साथ ही अंग्रेजों के शत्रुओं के साथ कोई संधि नहीं करेगा.

इस युद्ध में किसी को भी कोई सफलता नहीं मिली, दोनों पक्षों ने युद्ध की निरर्थता समझकरसालबाई की संधि (1782) से उसे समाप्त किया. सालबाई की संधि के बाद, स्थिति जस की तस बनी रही जिससे अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्ष तक शांति बनी रही. इस संधि ने अंग्रेजों को, हैदर अली से उनके क्षेत्र वापस लेने के लिए मराठों की सहायता से दबाव बनाने में भी सक्षम बनाया.

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-1806)

द्वितीय मराठा युद्ध वेलेजली के समय में हुआ जो चाहता था की मराठे सहायक संधि स्वीकार कर लें. मराठों ने इसे स्वीकारने से मना कर दिया लेकिन आपसी मतभेदों के कारण वेलेजली उन्हें बरगलाने में कामयाब रहा. बेसीन की संधि ने मराठों के साथ संघर्ष को अपरिहार्य बना दिया. संधि की प्रमुख बातें थीं – पेशवा के पूना पर दावे को मान्यता देना, बाजीराव द्वितीय द्वारा सहायक संधि में शामिल होना और सूरत के सभी अधिकार कंपनी को सौंपना.

मराठों के लिए बेसीन की संधि अपमानजनक थी. होलकर और सिंधिया ने लड़ना रोक दिया. सिंधिया और भोंसले एक हो गए लेकिन होलकर और गायकवाड़ अलग बने रहे. अंग्रेजों ने सिंधिया और भोंसले से अपनी नर्मदा के उत्तर को पीछे लौटाने के संबंध में पुछा लेकिन इन्होने मना कर दिया जिससे युद्ध हुआ. सिंधिया और भोंसले दोनों ने अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्वीकार की. अब अंग्रेजों ने अपना ध्यान होल्कर की ओर किया लेकिन यशवंत राव होल्कर अंग्रेजों से एक मैच से ज्यादा साबित हुए. वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया गया और बाद में कंपनी ने 1806 में राजपुरघाट संधि द्वारा क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा वापस देकर होल्कर के साथ शांति स्थापित कर ली.

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-1818)

1817 में मराठों ने अपनी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को पाने का अंतिम किन्तु निराशाजनक प्रयास किया. मराठा सरदारों का एक संयुक्त मोर्चा बना जिसका नेतृत्व पेशवा कर रहे थे जो ब्रिटिश रेजिडेंट के कड़े नियंत्रण में अत्यंत व्याकुल थे. यद्यपि एक बार पुनः मराठे कोई कार्य योजना बनाने में असफल रहे. पेशवा ने 1817 में पूना में ब्रिटिश रेजीडेंसी पर आक्रमण किया, नागपुर के अप्पा साहेब ने नागपुर रेजीडेंसी पर आक्रमण किया और माधव राव होल्कर ने युद्ध की तैयारी की.

मराठा संघ पूरी तरह समाप्त हो चुका था, इसके अनेक सदस्यों के क्षेत्र ले लिए थे और वे अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी करने के लिए शक्तिशाली नहीं बचे थे. लार्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में शेष कार्य भी पूरा कर दिया. अब भारत में अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति बन गए थे.

मुर्शीद कुली खां

मुर्शीद कुली खां औरंगज़ेब द्वारा बंगाल का दीवान के रूप में नायब सूबेदार और फिर बाद में फर्रुख सियर ने 1717 में सूबेदार नियुक्त किया गया था. उसे बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1719 में उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई थी. उसने ढका की जगह मुर्शिदाबाद में राजधानी बनाई. वह धीरे धीरे स्वतंत्र होता जा रहा था हालाँकि उसने मुग़ल बादशाह के प्रति निष्ठां जताते हुए उन्हें वार्षिक कर और नजराना देना जारी रखा था.

उसने जागीर भूमि के बड़े हिस्से को खालीसा भूमि में परिवर्तित कर वित्त व्यवस्था को पुनर्गठित किया. उसने कर कृषि प्रथा की शुरुआत की.

उसने किसानों के निजी प्रयोग के लिए और अकाल के समय कर चुकाने के लिए तक्कवी ऋण दिया. उसने मुस्लिमों और हिन्दुओं को राजगार में बराबर अवसर देने के लिए प्रशासन की पुनर्रचना की. स्थानीय हिन्दू ज़मींदार और साहूकार नियुक्त करने की उसकी नीति से बंगाल में एक नए भूमि अभिजात्य वर्ग का जन्म और विकास हुआ.

उसने भारतीय और विदेशी व्यापारियों को सड़क और नदियों में सुरक्षा उपलब्ध कराकर, अधिकारीयों द्वारा निजी व्यापार की जांच से उन्हें प्रोत्साहन दिया जिससे वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा मिला.

उसने विदेशी व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों पर शख्त नियंत्रण लगाया; 1691 और 1717 में मुग़ल द्वारा कंपनी को दिए गए विशेषाधिकारों के कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दुरूपयोग को रोका. उसने विद्रोही ज़मींदारों को दबाकर सूबे में कानून एवं व्यवस्था स्थापित की.

अलीवर्दी खां

अलीवर्दी खां 1740 में सिंहासन के उत्तराधिकारी की हत्या कर गद्दी पर बैठा. उसने 2 करोड़ रुपये मुग़ल बादशाह मुहम्मद शाह को को भेंट कर स्वयं को कानूनी रूप से मान्य करवा लिया. उसके शासनकाल में बंगाल में लगातार मराठों का हमला होता रहा. उसने बंगाल में शांति के बदले चौथ के रूप में 12 लाख रुपये सालाना और उड़ीसा का राजस्व देने की बात मान ली.

उसने अंग्रेजों को अपने विशेषाधिकारों के दुरूपयोग से रोका और उन्हें एवं फ्रांस को कलकत्ता और चंदननगर में अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी से रोका.

उसने 1746 में मांग आने पर मुग़ल बादशाह को नजराना देने से इनकार कर दिया.

सिराजदौला-उद-

यह 1756 में सत्ता में आया. सिराज-उद-दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की. उसने कलकत्ता के गवर्नर को, अत्यधिक किलेबंदी को गिराने और उसके खिलाफ़ गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए पत्र लिखा.

अंग्रेजों ने उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया तब उसने कासिमबाजार और फिर कलकत्ता की अंग्रेजों की फैकरी पर कब्ज़ा कर लिया. 1757 में रोबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने उसके सैनिकों पर हमला किया. इसके कारण नवाब को अंग्रेजों से संधि कर शांति स्थापित करनी पड़ी.

अलीनगर की संधि (1757)

संधि में ये इन बातों पर सहमति बनी :

- कंपनी द्वारा मांगों की एक सूची रखी गई
- पूर्व की स्थिति स्थापित करने के लिए एक समझौता
- नवाब द्वारा अनेक फरमान और दस्तक जारी किये गए
- जब तक नवाब इन समझौतों का पालन करता रहेगा तब तक अंग्रेज उसका समर्थन करते रहेंगे.

कंपनी में पूर्व में प्राप्त सभी विशाशाधिकार यथावत बने रहे. साथ ही संभावित फ्रेंच आक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए कलकत्ता को दुर्गीकृत करने और अपने सिक्के ढालने के लिए अंग्रेज अधिकृत कर दिए गए.

प्लासी का युद्ध (23 जून 1757)

अंग्रेजों ने 1757 में चन्दननगर पर कब्ज़ा कर संधि का उल्लंघन किया. सिराज-उद-दौला ने फ्रांसीसियों को सुरक्षा देकर इसका विरोध किया. अंग्रेजों ने उसे षड़यंत्र से अपदस्थ करने का निर्णय लिया. प्लासी का युद्ध 23 जून, 1757 को हुआ. इस युद्ध में मीर जाफर एवं राय दुर्लभ की गद्दारी, छोटी शक्ति की वीरता और नवाब की सेना का खोखलापन देखने को मिला. मीर जाफर के पुत्र ने सिराज-उद-दौला को गिरफ़्तार कर उसकी हत्या कर दी.

मीर जाफर (1757-60)

मीर जाफर ने 17.7 मिलियन युद्ध हर्जाने के साथ अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार एवं उड़ीसा, बिहार और 24 परगना की ज़मींदारी दे दी. उसके काल को भारत से ब्रिटेन में धन के निष्कासन के रूप में देखा जाता है. उसने अंग्रेजों को हटाकर डचों को लाने का प्रयास किया लेकिन 1759 में बेदारा के युद्ध में डच, अंग्रेजों से पराजित हो गए.

मीर कासिम (1760-63)

मीर कासिम ने बर्दमान, मिदनापुर और चिट्टगाँव की ज़मींदारी अंग्रेज अधिकारियों को दे दी. उसने उन्हें 2.9 मिलियन रुपये भी अदा किये. उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कुछ कर संबंधी और सैन्य सुधार किये. इसके काल को नवाब और ब्रिटिश शासन के बीच प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष के रूप में देखा जाता है. इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी. इसने कंपनी को दिए गए दस्तकों (फ्री पास) के दुरूपयोग पर रोक लगा दी और आंतरिक व्यापार पर सभी कर समाप्त कर दिए.

बक्सर का युद्ध

मीर कासिम अपने सहयोगियों अवध के शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों से लड़ा. इस युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा इन्हें परास्त कर दिया गया.

1857 का विद्रोह

1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है. अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार यह एक "सिपाही विद्रोह" था, यह "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" था.

विद्रोह के कारण

राजनीतिक – लार्ड डलहौजी के दौरान यह समस्या उत्पन्न हुई. उसे अनेक राज्यों को हड़प लिया और भारतीय राज्यों को हड़पने में 'व्यपगत का सिद्धांत' उसका सबसे शक्तिशाली हथियार था. व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी राज्य के शासक के पास सगा उत्तराधिकारी नहीं है तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा.

आर्थिक – ब्रिटिश राज की आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था. किसानों से उच्च ऋण दर, भारत में जमीनी हकीकत को समझे बिना नई भूमि कर व्यवस्था लागू करना, बलपूर्वक निष्कासन और कर वसूलने के क्रूर तरीके से कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई.

सामाजिक-धार्मिक – अंग्रेजों द्वारा भारतियों से नस्लीय भेदभाव, बलपूर्वक ईसाई बनाना और सामाजिक सुधार जैसे 1829 में सती प्रथा की समाप्ति; 1856 में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता आदि से भारतीय समाज के रुढ़िवादी तत्वों ने अपमानित महसूस किया.

सैन्य – अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से भेदभाव करते थे और सेवा शर्तों एवं पदोन्नति में इनके बहिष्कार की नीति अपनाई जिससे उच्च और प्रमुख पद यूरोपियों के लिए आरक्षित हो गए थे.

तात्कालिक कारण : एनफील्ड रायफल का प्रयोग जिसके कारतूस के खोल में गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग हुई थी, विद्रोह को भड़काने वाला कारण बना. इसने हिन्दू और मुसलमान सिपाहियों दोनों को नाराज कर दिया जिससे तुरंत विद्रोह को जन्म दिया.

1.2 घटनाक्रम

• 29 मार्च, 1857 को 34 नेटिव इन्फेंटी के एक भारतीय सिपाही मंगल पाण्डेय ने दो ब्रिटिश अधिकारीयों – वाघ तथा मेजर सार्जेंट ह्युग्सन को परेड के दौरान बैरकपुर (कलकत्ता) में गोली मार दी.

• वास्तव में विद्रोह तीसरी नेटिव इन्फैन्टी द्वारा 10 मई, 1857 को मेरठ से शुरू हुआ. चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर कुछ सिपाहियों को सजा सुनाई गई थी जिससे नाराज इन सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया. सिपाही, नागरिकों के अन्य समूहों के साथ 'मारो फिरंगियों को' कहते हुए आगे बढ़े. उन्होंने जेलों को तोड़ दिया, यूरोपियों की हत्या कर दी और उनके घरों में आग लगा दी और सूर्योदय के बाद दिल्ली की ओर कूच कर दिया.

• अगली सुबह (11 मई) दिल्ली में मार्च करते आते हुए सिपाहियों का दिखना दिल्ली के स्थानीय सिपाहियों के लिए एक संकेत था, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, शहर अपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 82 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह 'ज़फ़र' को, शहंशाह-ए-हिन्दुस्तान (भारत का सम्राट) घोषित कर दिया.

• विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के सहायकों में सिंधिया, हैदराबाद का निज़ाम और भोपाल की बेगम शामिल थीं.

1857 के विद्रोह के प्रभाव

1. विद्रोह का सबसे बड़ा प्रभाव भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति थी. भारत सरकार अधिनियम, 1858 द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने

भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया. ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री, जिसे 'भारत राज्य सचिव' कहा जाता था, को भारत में शासन के लिए जिम्मेदार बनाया गया.

2. भारत में ब्रिटिश गवर्नर-जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा.

भारत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता

मंगल पाण्डेय - मंगल पाण्डेय 1849 में 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुआ था. वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में था और मुख्य रूप से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने ब्रिटिश अधिकारी पर आक्रमण करने के लिए जाना जाता है. इस घटना को 1857 के सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत है.

नाना साहेब – कानपूर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया.

रानी लक्ष्मीबाई - रानी लक्ष्मीबाई (मणिकर्णिका) का विवाह झाँसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से 1842 में हुआ था और वह झाँसी की रानी बनीं. अपने विवाह के बाद उन्होंने 1851 में एक पुत्र दामोदर राव को जन्म दिया.

तात्या टोपे – तात्या टोपे नाना साहेब के करीबी सहायक और सेनापति थे. 1857 में कानपुर की घेराबंदी के दौरान नाना साहेब की सेनाओं ने ब्रिटिश मोर्चे पर जून 1857 में आक्रमण कर दिया.

वीर कुंवर सिंह – ये जगदीशपुर (वर्तमान में भोजपुर जिला, बिहार का हिस्सा) के राजा थे और इस विद्रोह के एक प्रमुख भारतीय नेता थे.

शाह मल – शाह मल उत्तर प्रदेश के बडौत परगना के एक बड़े गाँव में रहता था . इसने चौरासी देस के प्रधानों और किसानों को इकठ्ठा कर, रात में गाँव से गाँव तक जा जाकर, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लोगों को समझाया.

मौलवी अहमदुल्लाह शाह – यह उन मौलवियों में से एक था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी. हैदराबाद में शिक्षित, वह युवावस्था में ही मुस्लिम धर्मोपदेशक बना. 1856 में, इसने गाँव-गाँव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ़ जिहाद (धार्मिक युद्ध) का उपदेश दिया और विद्रोह करने को कहा. 1856 में जब यह लखनऊ पहुंचा तो इसे पुलिस द्वारा शहर में उपदेश देने से रोक दिया गया. बाद में 1857 में, इसे फैजाबाद में जेल में डाल दिया गया.

दिल्ली – मुग़ल बादशाह, बहादुर शाह, लेकिन वास्तविक नेतृत्व बख्त खान (सेना की बरेली इकाई से था) के हाथ में था.

कानपुर – नाने साहेब (तांत्या टोपे और अज़िमुल्लाह खां के साथ)

लखनऊ – अवध की बेगम हज़रत महल (अपने पुत्र को अवध का नावाब घोषित किया)

बरेली – खान बहादुर

बिहार (आरा) – जगदीश के ज़मींदार, राजा कुंवर सिंह

झांसी – रानी लक्ष्मी बाई

इलाहबाद – लियाक़त अली

भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल

रोबर्ट क्लाइव (1757-60 और 1765-67):-

1. इस दौरान बंगाल का गवर्नर रहा.
2. भारत में 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत की.
3. यह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने वाला ब्रिटिश अफसर था.
4. ऐसा कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रोबर्ट क्लाइव था. उसके प्रशंसक उसे "भारत का विजेता" कहते हैं.
5. क्लाइव ने 1757 के प्रसिद्द प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को पराजित किया था.
6. क्लाइव 1743 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक के रूप में भारत आया था; बाद में वह कंपनी की सैन्य सेवा स्थानांतरित कर दिया गया और 1753 में इंग्लैंड वापस लौट गया.
7. 22 नवम्बर 1774 को 49 वर्ष की आयु में क्लाइव ने लन्दन के अपने बर्कले स्क्वायर स्थित घर में आत्महत्या कर ली.

वेंसिटार्ट (1760-65)

1. 23 अक्टूबर 1764 का, बक्सर का प्रसिद्द युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त मुस्लिम सेना के मध्य वेंसीटार्ट के समय में ही लड़ा गया.

वारेन हेस्टिंग्स (1772-74)

1. रोबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में प्रारंभ किए गए द्वैध शासन की घोषणा की.
2. 1772 में भूमि कर बंदोबस्त की उत्तम व्यवस्था लागू की.
3. कलेक्टर और राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की.
4. हिन्दू और मुस्लिम कानून संहिताबद्ध किये.
5. 1775 में नन्द कुमार पर ट्रायल चलाकर उसकी न्यायिक हत्या कर दी.
6. विलियम जोंस की सहायता से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल की अस्थापना की.
7. 1785 में उसके इंग्लैंड लौटने के बाद, हाउस ऑफ लार्ड में उसके खिलाफ महाभियोग चलाया गया.
8. बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था.
9. जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत की.
10. 1774 में रोहिल्ला युद्ध, प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1776-82) और द्वितीय आगल-मराठा युद्ध (1780-84) हुए.

लार्ड कार्नवालिस (1786-93)

1. 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाला पहला व्यक्ति. इस संहिता ने राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग किया. जिला जज का पद सृजित किया.
2. 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाया.
3. कार्नवालिस को "भारत में सिविल सेवा का जनक" माना जाता है.
4. इसने तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनाओं का नेतृत्व किया और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को पराजित किया.
5. 1793 में मार्कस की उपाधि धारण करने के लिए यह इंग्लैंड लौट गया और प्रिवी कौंसिल में पद मिला. 1805 में इसकी मृत्यु हो गई.

लार्ड वेलेजली (1793-1798)

1. स्वयं को **"बंगाल टाइगर"** कहता था.
2. सहायक संधि को प्रारंभ किया.
3. इसके काल में मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई.
4. सबसे पहले 1798 में हैदराबाद संधि में शामिल हुआ और बाद में मैसूर, तंजोर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जयपुर, बूंदी, भरतपुर इसमें शामिल हुए.
5. बेसीन की संधि पर हस्ताक्षर किये और दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध लड़ा.
6. 1842 में मृत्यु हो गई.

लार्ड मिन्टो-प्रथम (1807-1813)

1. 1809 में रणजीत सिंह और अंगेजों के मध्य अमृतसर की संधि की.

लार्ड हेस्टिंग्स (1813-1823)

गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में मद्रास प्रेसीडेंसी में रैयतवाड़ी बन्दोबस्त की शुरुआत की.

1. हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई.
2. जेम्स थॉमसण द्वारा उत्तर पश्चिम प्रान्त में भूमि कर की महालवाड़ी (ग्रामीण समुदाय) प्रणाली शुरू की गई.

लार्ड विलियम बंटिक (1828-1835)

1. भारत सरकार अधिनियम 1833 के अनुसार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था.
2. "उदार गवर्नर जनरल" के रूप में जाना जाता है.
3. भारत का सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल था और "भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक" के रूप में जाना जाता है.
4. 1829 में सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित किया.
5. 1834 में आगरा को प्रांत बनाया.
6. इसने उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाई लेकिन निचली अदालतों में पारसी ही जारी रही.
7. कार्नवालिस दारा स्थापित अपील कोर्ट और सर्किट व्यस्था को समाप्त कर दिया.
8. सर चार्ल्स मेटकाल्फ (1835-36) को प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है.

लार्ड डलहौजी (1849-1856)

1. लार्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया जिससे 1848 में सतारा को, 1849 में जयपुर और संभलपुर को 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर , 1853 में झाँसी और 1854 में नागपुर को हड़प लिया.
2. चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का 'मैग्नाकार्टा' माना जाता है, को पारित किया. इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की व्यापक योजना बनाई गई.
3. इसने 1853 में बंबई से ठाणे तक पहली रेल लाइन बिछाई और कलकत्ता से रानीगंज तक दूसरी लाइन बिछाई.
4. डाक एवं तार सेवा को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया. तार लाइनें पहली बार कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गईं.
5. 1856 में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित हुआ.
6. 1854 में डाक कार्यालय अधिनियम पारित हुआ. डाक टिकटों का प्रचलन पहली बार हुआ.
7. वह भारत का सबसे कम आयु का गवर्नर जनरल था. उसने 36 वर्ष की आयु में कार्यभार संभाल लिया था. रूड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापित किया गया. पहली बार एक पृथक लोक कार्य विभाग बनाया गया, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड़ पर कार्य प्रारंभ किया और कराची, बंबई और एवं कलकत्ता में बंदरगाह विकसित किया.

लार्ड केनिंग (1856-62)

यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था.

1. 1857 का विद्रोह,
2. रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत परिषद् अधिनियम, 1858 का पारित होना.
3. लार्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ 'व्यपगत के सिद्धांत' को 1859 में वापस लिया गया.
4. कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय की नींव रखी गई.
5. 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह
6. बहादुर शाह को रंगून भेजा गया.
7. आईपीसी और सीआर.पीसी को अधिनियमित किया गया.
8. 1858 में पहली बार आयकर की व्यवस्था की गई.
9. भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 अदिनियामित किया गया.

1885 के बाद आधुनिक इतिहास

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

- एक अंग्रेज और सेवानिवृत्त सिविल सेवक ए. ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में गठन.
- 1885 में बंबई में डब्ल्यू. सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन (72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया)
- प्रथम दो दशकों (1885 – 1905) में, यह काफी नरम नीतियों वाली थी.
- लेकिन अंग्रेजों के दमनकारी उपायों के कारण कांग्रेस में गरम विचारों वाले नेताओं जैसे बिपिन चन्द्र पल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय (लाल, बाल, पाल) का उदय

बंगाल का विभाजन :

- लार्ड कर्ज़न द्वारा 16 अक्टूबर, 1905 को एक शाही घोषणा द्वारा किया गया, पुराने बंगाल प्रांत को पूर्वी बंगाल और शेष बंगाल बनाकर उसका आकर घटा दिया गया.
- इसका उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों में एक सांप्रदायिक खाईं का निर्माण था.

स्वदेशी आंदोलन (1905):लाल, बाल, पाल और अरविन्द घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

- कांग्रेस ने जी. के. गोखले की अध्यक्षता में 1905 के बनारस के अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी का आह्वान किया. जगह-जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई.

मुस्लिम लीग की स्थापना (1906)

आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन-उल-मुल्क के नेतृत्व में दिसम्बर 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई. लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा एवं एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की.

कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन (1906)

दिसम्बर 1906 में दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय लोगों के लिए 'स्वराज' के लक्ष्य को अपनाया. अपने अध्यक्षीय भाषण में नौरोजी ने यह घोषित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य "यूनाइटेड किंगडम की तरह स्वराज का स्वशासन" है.

सूरत विभाजन (1907)

1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो दलों, गरम दल और नरम दल, में विभाजन हो गया. गरम दल का नेतृत्व तिलक, लाजपत राय और बिपिन चन्द्र पाल कर रहे थे जबकि नरम दल के नेता जी. के. गोखले थे.

अलीपुर बम केस (1908)

1908 में मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी जज डी. एच. किन्ग्फोर्ड की हत्या का एक क्रांतिकारी षड़यंत्र रचा गया. यह कार्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी को करना था. उन्होंने 30अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट के घर से निकले एक वाहन पर बम फेंका.

मार्ले-मिन्टो सुधार (1909)

मार्ले-मिन्टो सुधार 1909 में लाये गए जब लार्ड मिन्टो भारत का वायसराय था और मार्ले भारत राज्य सचिव था. इन सुधारों ने पृथक निर्वाचन मंडल को लाकर बांटो एवं राज करो नीति के तहत साम्प्रदायिकता को संस्थागत बनाने की नींव रखी. सुधारों के प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम केवल मुस्लिम उम्मीदवार के लिए वोट कर सकता था.

लार्ड हार्डिंग का आगमन (1910)

1910 से 1916 तक लार्ड हार्डिंग भारत का वायसराय रहा. इसके शासन की महत्वपूर्ण घटना 1911 का दिल्ली दरबार थी.

दिल्ली दरबार (1911)

1910 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम राज्याभिषेक हुआ. 1911 में वो भारत प्रवास पर आये. किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत के सम्राट और साम्राज्ञी के रूप में राज्याभिषेक के लिए दरबार का आयोजन किया गया था. इस दरबार में, राजा ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की. इसी दरबार में बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा भी की गई.

दिल्ली षड़यंत्र केस (1912)

ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली षड़यंत्र रासबिहारी बोस द्वारा रचा गया था लेकिन यह कभी सिद्ध नहीं हो पाया. 23 दिसम्बर, 1922 को वायसराय लार्ड हार्डिंग पर उस समय बम फेंका गया था जब चांदनी चौक से उनकी शोभायात्रा निकल रही थी.

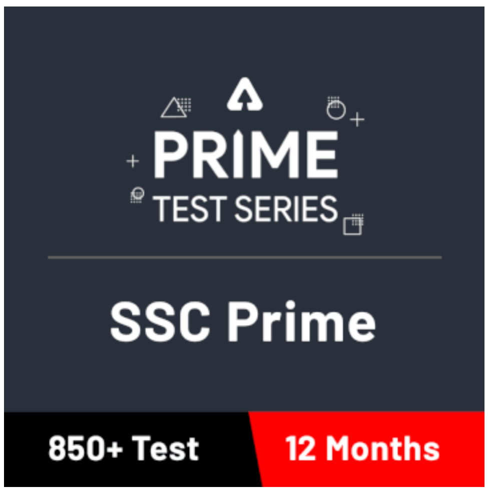

ग़दर पार्टी (1913):

लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाखना द्वारा इसका गठन किया. इसका मुख्यालय सान फ्रांसिस्को था.

होम रूल आंदोलन (1915-16)

बाल गंगाधर तिलक 1914 में मांडले जेल से मुक्त किये गए. 1915 में उन्होंने पुनः कांग्रेस में प्रवेश किया. तिलक ने 28 अप्रैल, 1916 को पुणे में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की. एनी बेसेंट ने आयरिश विद्रोहियों से प्रेरणा लेकर सितम्बर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी. उन्होंने दो समाचारपत्रों यंग इंडिया और कामनविल की शुरुआत की थी. लीग ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का समर्थन किया.

लार्ड चेम्सफोर्ड का आगमन 1916

4 अप्रैल, 1916 को लार्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के वायसराय का कार्यभार संभाला.

लखनऊ समझौता या कांग्रेस-लीग समझौता (1916)

हिन्दू-मुस्लिम एकता को प्राप्त करने में लखनऊ समझौता एक महत्वपूर्ण कदम था. ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के कारण मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं उभर रहीं थीं जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ. दोनों ने 1916 में लखनऊ में अपने अधिवेशन किये और प्रसिद्द लखनऊ समझौता हुआ. कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया और दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए "डोमिनियन स्टेटस"/उत्तरदायी शासन की मांग की.

मोंटेग्यू घोषणा (1917 की अगस्त घोषणा)

1917 में मोंटेग्यू ने एक बयान दिया जो भारत में स्वशासन के संबंध में मील का पत्थर साबित हुआ. उसने कहा कि भारत सरकार पर धीरे धीरे भारतीय लोगों को नियत्रण हस्तांतरित किया जाएगा. यह लखनऊ समझौते से हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता का परिणाम था.

चंपारण सत्याग्रह (1917)

यह महात्मा गाँधी का पहला सत्याग्रह था. चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह वो घटनाएँ थीं जिन्होंने बाद में गाँधी को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता बना दिया और सत्याग्रह को एक महत्वपूर्ण उपकरण बना दिया.

खेड़ा सत्याग्रह (1918)

1918 में, सम्पूर्ण गुजरात भीषण प्लेग का शिकार हुआ और अकेले खेड़ा में लगभग 17000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए. आगे, कालरा ने भी स्थानीय लोगों को तोड़कर रख दिया. यह विद्रोह का तात्कालिक कारण था. विद्रोह करों के विरुद्ध था. सरकार ने कहा कि यदि कर नहीं दिए गए तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. इस विद्रोह ने भारत को एक सुदृढ़ नेता सरदार वल्लभभाई पटेल दिया.सरदार पटेल और उनके साथियों ने एक वृहत कर विद्रोह किया जिसने क्षेत्र के सभी जातियों और पंथों के लोगों को इकठ्ठा किया.

रौलेट एक्ट (मार्च 18, 1919)

इसने सरकार को बिना ट्रायल के ही, संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर दो साल तक कैद में रखने की असीमित शक्ति दी.

जलियांवाला बाग़ जनसंहार (अप्रैल 13, 1919):

- 9अप्रैल, 1919 को डॉ किचलू और डॉ सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे. जनरल ओ डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग़ में इकठ्ठा हुए लोगों पर गोलियां चलवा दी.
- फलस्वरूप सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए और हजारों घायल हुए.
- इसके विरोध में रबिन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी. सर शंकरण नायर ने इसके बाद वायसराय की परिषद् से इस्तीफ़ा दे दिया.
- हंटर आयोग को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया.
- मार्च 13, 1940 को सरदार उधम सिंह ने लन्दन के कैक्सटन हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए ओ डायर की हत्या कर जलियांवाला जनसंहार का बदला लिया.

हंटर आयोग रिपोर्ट

जलियांवाला बाग़ जनसंहार की जांच के लिए "कॉलेज ऑफ़ जस्टिस ऑफ़ स्कॉटलैंड" के सीनेटर लार्ड हंटर की अध्यक्षता में सरकार ने एक गैर-सरकारी जाँच समिति बनाई.

खिलाफ़त आंदोलन (1919-20):

- प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधि में जिस प्रकार तुर्की से व्यवहार किया गया उससे मुसलमान अंग्रेजों से क्षुब्ध थे.
- दो भाइयों, मोहम्मद अली और शौकत अली ने यह आंदोलन शुरू किया.

असहयोग आंदोलन (1920-22)

गाँधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया यह पहला जन आंदोलन था.

असहयोग में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल थे :

1. उपाधियों को वापस लौटना
2. सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार
3. अदालतों का बहिष्कार
4. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार
5. करों की अदायगी न करना

चौरी-चौरा काण्ड (1922)

5 फरवरी, 1922 को उत्तरप्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक दुखद दुर्घटना के कारण गाँधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया. इस घटना में असहयोग आंदोलन और खिलाफ़त आंदोलन में भाग ले रही भीड़ का जुलूस पुलिस के साथ हिंसक हो गया. फलस्वरूप भीड़ ने एक पुलिस थाना में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए.

स्वराज पार्टी (1922)

इस दौरान औपनिवेशिक शासन के खिलाफ़ संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरु ने एक नई राजनीतिक रणनीति की

वकालत की. इन्होने कांग्रेस के गया अधिवेशन (1922) में रणनीति में बदलाव की बात रखी. वहां कांग्रेस के नेता वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी. राजगोपालाचारी ने परिषद् में प्रवेश के इस बदलाव का विरोध किया. सी आर दास और मोतीलाल नेहरु ने ऑंग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया और स्वराज पार्टी बनाई.

साइमन कमीशन (1927):

- भारत में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के और आगामी सुधारों एवं संसदीय लोकतंत्र के विस्तार के लिए जॉन साइमन के अगुवाई में बनाया गया.
- भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था.
- लाहौर में लाला लाजपत राय को एक लाठी चार्ज में अधिक पीता गया जिससे 1928 में उनकी मृत्यु हो गई.

नेहरु रिपोर्ट (1928)

कंजर्वेटिव लार्ड बर्किनहेड जो राज्य सचिव था, उसने यह चुनौती दी कि भारतीय इतने सक्षम नहीं हैं कि वे संवैधानिक सुधारों की एक ठोस योजना बना सकें जो राजनीतिक दलों के बड़े तबका का समर्थन रखता हो. उसका मत था कि एक राजनीतिक दल द्वारा बनाई गई संवैधानिक विकास की कोई योजना का अन्य दल विरोध करेंगे और भारतीय राजनीतिक दल ऍम सहमति बनाने की क्षमता नहीं रखते. इस चुनौती से निपटने के लिए 1928 में सर्वदलीय सम्मलेन हुआ. एक योजना बनाई गई जिसे "नेहरु रिपोर्ट" कहा जाता है क्योंकि मोतीलाल नेहरु इसके मुख्य वास्तुकार थे.

जिन्ना के 14 सूत्री मांगें (मार्च 9, 1929)

मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने नेहरु रिपोर्ट स्वीकार नहीं की. इसके बाद उसने मांगों की एक सूची रखी जिन्हें "जिन्ना की 14 सूत्री मांगे" के नाम से जाना जाता है.

लाहौर अधिवेशन (1929)

जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में दिसम्बर 1929 में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए "पूर्ण स्वराज" को अपना लक्ष्य घोषित किया. 31 दिसम्बर, 1929 को नया अपनाया गया तिरंगा ध्वज फहराया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में निर्धारित किया गया जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाएगा और लोगों ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं रहने की शपथ ली.

सविनय अवज्ञा आंदोलन

सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण

1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था. 31 जनवरी 1930 को गाँधी जी ने लार्ड इरविन को अपनी 11 सूत्री मांगे मानने के लिए समय देते हुए चेतावनी दी. गाँधी ने इरविन को कहा कि या उनकी मांगों को स्वीकार कीजिये अन्यथा कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी. ब्रिटिश सरकार ने गाँधी जी की उपेक्षा की. अतः गाँधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया. गाँधी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च से की. यह मार्च साबरमती से दांडी तक था. गाँधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोडा.

प्रथम गोलमेज सम्मलेन (1930):

- यह अंग्रेजों और भारतीयों के बीच बराबरी के स्तर पर प्रथम सम्मलेन था. यह नवम्बर 1930 में लन्दन में साइमन कमीशन से बातचीत के लिए किया गया था.
- कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया जबकि मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, उदारवादी और कुछ अन्य प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे.

गाँधी इरविन समझौता (1931):

- दोनों (सरकार के प्रतिनिधि इरविन और कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधीजी) ने 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया. इसके अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और दुसरे गोलमेज सम्मलेन में शामिल होने पर राजी हो गई. सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया और तट के साथ के गांवों को अपने उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया.

दूसरा गोलमेज सम्मलेन (1931):

- गाँधी जी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैक्डोनाल्ड से मिलने लन्दन गए. हालाँकि जल्द ही सम्मलेन अल्पसंख्यक मुद्दे पर अटक गया और इस बार मुस्लिमों के साथ-साथ दलित वर्गों, भारतीय ईसाईयों और आंग्ल-भारतीयों द्वारा भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई.

सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण

दूसरे गोलमेज सम्मलेन की असफलता के बाद, कांग्रेस की कार्यसमिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दुबारा शुरू करने का फैसला किया.

कम्युनल अवार्ड (अगस्त 16,1932):

- रैमजे मैक्डोनाल्ड द्वारा घोषित किये गए. यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति दर्शाता है.
- मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई आंग्ल-भारतीय महिलाएं और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया.
- गाँधी जी जो उस समय येरवदा जेल में थे, उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया.
- पूना समझौता (सितम्बर 25, 1932)
- कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद और फिर गाँधी जी की भूख हड़ताल से हर जगह जनसभाएं होने लगीं.
- राजनीतिक नेता जैसे मदन मोहन मालवीय, भीम राव अम्बेडकर और एम्.सी.राजा सक्रिय हुए.
- अंत में पूना समझौता हुआ और गाँधी जी ने छठे दिन अपना अनशन तोडा.

- इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया लेकिन प्रांतीय विधायिकाओं में उनके लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी की गई.

तीसरा गोलमेज सम्मलेन (1932):
- यह भी निरर्थक साबित हुआ क्योंकि अधिकतर राष्ट्रीय नेता कारागार में थे. यहाँ की चर्चे के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 पारित हुआ.

भारत सरकार अधिनियम, 1935

साइमन कमीशन द्वारा 1930 में सौंपी गई रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम, 1935 के निर्माण का आधार बनी. नए भारत सरकार अधिनियम को 4 अगस्त 19935 को शाही मंजूरी मिली. पुराने संवैधानिक सुधारों की वर्तमान विशेषताओं को जारी रखा और विस्तार दिया गया. लेकिन कुछ निश्चित नए सिद्धांत भी जोड़े गए. इसने एक संघात्मक प्रकार की सरकार प्रदान की. अंततः अधिनियम है :

1. प्रांतीय स्वायत्ता को लाया गया
2. प्रान्तों में द्विशासन को समाप्त कर दिया

पाकिस्तान प्रस्ताव /लाहौर प्रस्ताव (24 मार्च, 1940)

प्रस्ताव को पास कर दिया गया और संघीय योजना को अस्वीकार कर दिया.

अगस्त प्रस्ताव (1940)

भारत में जनता की नजरों में जीत हासिल करने के क्रम में लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रवादियों का समर्थन पाने के लिए एक प्रस्ताव रखा.

इसकी प्रमुख बातें थीं -
- एक अनिर्दिष्ट भविष्य में डोमिनियन स्टेटस का वादा
- युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती सभा बनाई जाएगी, हालाँकि यह ब्रिटिश संसद की अनुमति के बाद ही होगा.
- वायसराय की कार्यकारी परिषद् में तत्काल वृद्धि
- एक युद्ध परामर्शदात्री परिषद् का गठन.

व्यक्तिगत सत्याग्रह

अगस्त प्रस्ताव ने राष्ट्रवादियों को चौंका दिया और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया. विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जबकि नेहरु दूसरे.

क्रिप्स मिशन – 1942:
- दिसम्बर 1941 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और भारतीय सीमा तक बढ़ आया. 7 मार्च 1942 को रंगून हार गया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का कब्ज़ा हो गया.
- ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सहयोग प्राप्त के लिए, भारतीय नेताओं से शर्तें तय करने के लिए हाउस ऑफ़ कॉमन के नेता सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स को भेजा.
- उन्होंने एक प्रारूप का प्रस्ताव दिया जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का सुझाव था.
- इसे कांग्रेस ख़ारिज कर दिया क्योंकि भविष्य के वादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था.
- गाँधी जी ने इसे "पोस्ट डेटेड चेक" करार दिया.

भारत छोड़ो आंदोलन

भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के मुख्य कारण थे :
- क्रिप्स मिशन की असफलता राष्ट्रवादियों की आँख खोलने वाला था.
- विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का पीछे हटना और दक्षिण-पूर्व एशिया से ब्रिटेन का पीछे हटना एवं बर्मा के निवासियों को जापानियों की रहम पर छोड़ देना.

घटनाक्रम
- भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त, 1942 को बंबई में पास हुआ.
- कांग्रेस ने वृहत स्तर पर अहिंसात्मक जनसंघर्ष प्रारंभ किया.
- यह स्पष्ट हो गया था कि यदि कांग्रेस के नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो "प्रत्येक भारतीय जो स्वतंत्रता की इच्छा रखता है और इसके लिए प्रयासरत है वह स्वयं का नेतृत्व करेगा."
- गाँधी और कांग्रेस कार्यसमिति के अन्य सभी सदस्य 9अगस्त, 1942 की सुबह ही गिरफ़्तार कर लिए गए.
- भारत के स्टेलिनग्राद, अहमदाबाद में 3 महीने की हड़ताल रही.
- उषा मेहता एक गैरकानूनी रेडियो स्टेशन चला रहीं थीं.
- राजगोपालाचारी और वामपंथियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया.
- तीन समानांतर सरकारें बनाई गईं : 1. चितू पाण्डेय के नेतृत्व में बलिया में, 2. सतीश सामंत की तमकुल-जटिया सरकार, 3. नाना पाटिल के नेतृत्व में सतारा-प्रति सरकार

गाँधी जी का उपवास (10 फरवरी – 7 मार्च, 1943)

गाँधी जी ने जेल में 21 दिन का उपवास रखा. 13 दिन बाद उनकी हालत अत्यंत नाजुक हो चली थी और उनके जीवित बचने की सभी संभावनाएं ख़त्म हो चुकी थी. लेकिन उनकी नैतिक बल और अध्यात्मिक शक्ति के सहारे वे जीवित भी रहे और 21 दिन का उपवास भी पूरा किया. यह उस सरकार के लिए उनका जवाब था जो लगातार उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों की हिंसा की निंदा करने के लिए राजी करने का प्रयास कर रही थी.

सी. आर. फार्मूला (1944)

1944 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (सी. आर.) ने उत्तर-पश्चिम और पूर्व के जिलों को पृथक करने के लिए, जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी, एक आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा. कुछ क्षेत्रों में विभाजन के मुद्दे पर वयस्क मताधिकार द्वारा मतदान होना था. किसी संप्रभु राज्य

में शामिल होने के लिए वे स्वतंत्र थे. विभाजन को स्वीकारने पर, प्रतिरक्षा, वाणिज्य और संचार की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त समझौता होना था. मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और अस्थायी सरकार बनाने में सहयोग किया. जिन्ना ने आपत्ति की क्योंकि वो चाहता था की कांग्रेस द्विराष्ट्र का सिद्धांत स्वीकार कर ले और वह चाहता था कि उत्तर-पश्चिम एवं पूर्व के केवल मुसलमान मतदान करें. वी. डी. सावरकर के नेतृत्व में हिन्दू नेताओं ने इस योजना की निंदा की.

वेवेल योजना और शिमला सम्मलेन (14 जून – 14 जुलाई, 1945)

भारतीय समस्यापर ब्रिटिश सरकार के चर्चा के बाद भारत के वायसराय लार्ड वेवेल ने एक विवरण जारी किया जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है. इस योजना में, जो मुख्यतः वायसराय की कार्यकारी परिषद् से सम्बंधित था, परिषद् की संरचना में कुछ बदलाव प्रस्तावित थे. एक मुख्य प्रस्ताव यह था कि परिषद् का संतुलित रूप से इस प्रकार गठन किया जाए ताकि हिन्दू और मुस्लिमों सहित सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके. वेवेल योजना के बाद शीघ्र ही कांग्रेस कार्यसमिति के नेता जेल से रिहा कर दिए गए. वेवेल योजना पर चर्चा के लिए 22 प्रमुख भारतीय नेताओं का शिमला में एक सम्मलेन आयोजित किया गया, जो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा. सम्मलेन जिन्ना की इस जिद के कारण विफल हो गया कि कार्यकारी परिषद् में मुस्लिम लीग द्वारा अनुमोदित मुस्लिम ही शामिल होना चाहिए. इस प्रकार पुनः संप्रदायवाद एक बड़ी बाधा बना. तथापि, अंग्रेजों के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कलह ख़ुशी का एक स्रोत था.

इंडियन नेशनल आर्मी/आज़ाद हिंद फ़ौज:

- कैप्टेन मोहन सिंह के साथ रासबिहारी बोस द्वारा स्थापना
- 1941 में सुभाष चन्द्र बोस छिपकर भारत से निकल गए और बर्लिन पहुंचे. जुलाई 1943 में वे सिंगापूर में आईएनए में शामिल हो गए. वहां, रासबिहारी बोस ने नेतृत्व उनके हाथों में सौंप दिया.
- अधिकतर सैनिक ब्रिटिश सेना के उन भारतीय सैनिकों में से लिए गए थे जिन्हें जापान दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार करने के दौरान बंदी बना लिया था.
- आईएनए के दो मुख्यालय, रंगून और सिंगापुर था.
- आईएनए की तीन युद्धक टुकडियां थीं जिनके नाम गाँधी जी, आज़ाद और नेहरु थे. रानी झाँसी टुकड़ी एकमात्र महिला टुकड़ी थी.

आईएनए ट्रायल

- आईएनए बंदियों का पहला ट्रायल लाल किले में हुआ.
- पी.के. सहगल, शाह नवाज़ और गुरबक्श सिंह ढिल्लों को अभियुक्त बनाया गया.
- इनके बचाव के लिए वकीलों में भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू जवाहरलाल नेहरु और आसफ अली थे.
- यद्यपि सैन्य न्यायालय ने आईएनए बंदियों को दोषी करार दिया, लेकिन सरकार ने उन्हें मुक्त करने में ही अपना लाभ देखा.
- उनका दोषी होने का प्रश्न मुद्दा नहीं था बल्कि ब्रिटेन सरकार यह चाहती थी की यह स्पष्ट हो कि यह ब्रिटेन सरकार का अधिकार है कि भारतीयों से सम्बंधित विषय पर निर्णय ले.

रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह (आरआईएन)

- फरवरी 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी के गैर-कमीशंड अधिकारीयों एवं सैनिकों जिन्हें रेटिंग्ज कहा जाता था, उन्होंने एचएमआईएस तलवार पर अंग्रेजों के के खिलाफ विद्रोह करते हुए हड़ताल कर दी.
- नस्लीय भेदभाव और ख़राब भोजन विद्रोह का तात्कालिक कारण था.
- बी. सी. दत्ता ने जहाजों पर भारत छोड़ो लिख दिया था.
- कराची में भी एचएमआईएस हिन्दुस्तान ने विद्रोह कर दिया.
- फरवरी के अंत तक देश के सभी नौसैनिक अड्डों तक यह विद्रोह फ़ैल गया जिसमें लगभग 20000 रेटिंग्ज ने भाग लिया.

कैबिनेट मिशन योजना (1946):

- वर्ष 1945-46 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अपने निर्णायक चरण में आ गया था. नए प्रधानमंत्री लार्ड एटली, जो लेबर पार्टी के थे, ने 15मार्च 1946 को एक निर्णय लिया कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन (जिसमें लार्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के रूप में, सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स और ए. वी. एलेक्जेंडर शामिल थे) भारत का दौरा करेगा.
- मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग से उनके लाने वाले प्रस्तावों पर स्वीकृति के लिए चर्चा हेतु आया था.
- 16 मई, 1946 को मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा. इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी और एक भारतीय संघ बनाने का सुझाव दिया गया था जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें शामिल होंगी.
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया.

सीधी कार्यवाही (16 अगस्त, 1946):

कांग्रेस की सफलता से उत्तेजित होकर (संविधान सभा के लिए मतदान के लिए), मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त, 1946 को सीधी कार्यवाही मनाने का निश्चय किया जिसके फलस्वरूप देश भर में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए.

अंतरिम सरकार (2 सितम्बर, 1946):

2 सितम्बर, 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया. पंडित जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व में कांग्रेस इसमें शामिल हुई लेकिन मुस्लिम लीग इसमें नहीं शामिल हुई क्योंकि इसने कैबिनेट मिशन की अपनी पूर्व की स्वीकृति को वापस ले लिया था.

संविधान सभा का गठन (9 दिसम्बर, 1946):

इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई और डॉ राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए. मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया.

एटली की घोषणा (20 फरवरी, 1947): 20 फरवरी 1947 कब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटलीने घोषणा की कि अंग्रेज, 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे और लार्ड वेवेल की जगह लार्ड माउंटबेटन को भेजा गया.

माउंटबेटन योजना (3 जून, 1947):

- 3 जून, 1947 को लार्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना रखी जिसने भारतीय राजनीतिक समस्या के समाधान की रूपरेखा निर्धारित की.

योजना की मुख्य बातें थीं :

- भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में होगा.
- बंगाल और पंजाब विभाजित होंगे और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त एवं असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा.
- पाकिस्तान के संविधान के लिए एक पृथक संविधान सभा बनेगी.
- देसी रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए स्वतंत्र थीं.
- 15 अगस्त 1947 की तिथि भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए निर्धारित की गई.
- ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया जिसमें माउंटबेटन योजना द्वारा रखे गए मुख्य प्रावधान थे.

विभाजन और स्वतंत्रता (अगस्त 1947):

सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया.

- स्वतंत्रता के समय भारत में 562 छोटी बड़ी देसी रियासतें थीं.
- पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस संबंध में कठोर नीति अपनाई.

15 अगस्त, 1947 तक कुछ अपवादों जैसे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए. गोवा पुर्तगालियों और पांडिचेरीफ्रांसीसियों के कब्जे में था.

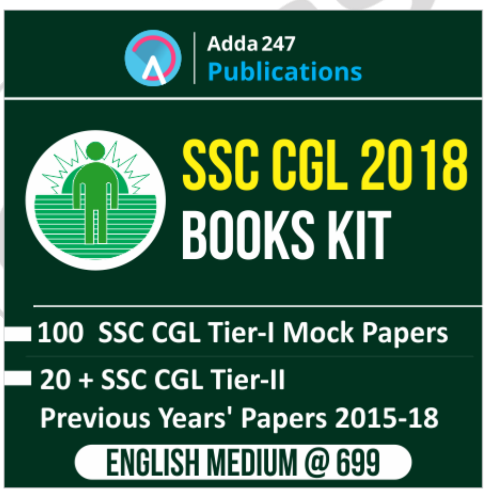

क्रांतिकारी गतिविधियाँ :

- 1908 में, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय जज किंगफोर्ड की बग्घी पर एक बम फेंका. खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त और सत्येन्द्रनाथ बोस को फांसी की सजा दी गई. (अलीपुर केस)
- 1912 में, रासबिहारी बोस और सचिन्द्र नाथ सान्याल ने दिल्ली में लार्ड हार्डिंग पर एक बम फेंका (दिल्ली षड़यंत्र केस)
- अक्टूबर 1924 में, कानपूर में भारत के सभी हिस्सों के क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई गई. उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया.
- उन्होंने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर-लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी में एक ट्रेन डकैती की योजना बनाई.
- भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ 17 दिसम्बर 1928 को सांडर्स (लाहौर का सहायक पुलिस अधीक्षक जिसने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज का आदेश दिया था) की गोली मारकर हत्या कर दी.
- फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, 1929 को केन्द्रीय सभा में बम फेंका. इस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई. (लाहौर षड़यंत्र केस)
- 1929 में जतिन दास ने लाहौर जेल में घृणित परिस्थितियों के खिलाफ़ 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए.
- बंगाल के क्रांतिकारी सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया. 1930 में उन्होंने चिट्टगाँव शस्त्रागार पर धावा बोलने की योजना बनाई. उन्हें 1933 में फांसी दी गई.
- 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली.

भारत के अंग्रेज वायसराय

1) लार्ड केनिंग (1856 – 1862) :

a. अंतिम गवर्नर-जनरल और पहले वायसराय
b. 1857 का विद्रोह इनके समय में हुआ.
c. नवम्बर 1858 में शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया.
d. व्यपगत का सिद्धांत (लार्ड डलहौजी द्वारा शुरू) वापस लिया
e. कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की 1857 में स्थापना.
f. 1861 में भारत परिषद् अधिनियम पारित हुआ.

2) लार्ड एल्गिन (1862 – 1863)

3. लार्ड लॉरेन्स (1864 – 1869) :

a) यूरोप के साथ तार संचार प्रारंभ हुआ.
b) कलकत्ता, मंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किये गए.
c) नहरों और रेलवे के कार्य को बढाया गया.
d) भारतीय वन विभाग का निर्माण

4.लार्ड मेयो (1869 – 1872) :

a) भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की.
b) भारतीय राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की.
c) भारतीय इतिहास में पहली बार 1871 में जनगणना की गई.

d) भारतीय सांख्यकी सर्वेक्षण का आयोजन

e) एकमात्र ऐसे वायसराय जिनकी हत्या उनके कायालय में हुई. 1872 में एक पठान अपराधी ने अंडमान में हत्या कर दी.

5.लार्ड नार्थब्रुक (1872 – 1876) :

6.लार्ड लिटन (1876 – 1880) :

a) अलग चरित्र का वायसराय के रूप में जाना जाता था

b) रानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए 1877 में विशाल 'दिल्ली दरबार' का आयोजन

c) शस्त्र अधिनियम (1878) – भारतीयों के लिए शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया.

d) अलोकप्रिय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878) पारित किया.

7.लार्ड रिपन (1880 – 1884) :

a) उदार व्यक्ति जिन्हें भारतियों के साथ सहानुभूति थी.

b) वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1882) को दोहराया

c) स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया (1882)

d) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाये (विलियम हंटर आयोग की सिफारिशों पर).

e) बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य प्रथम कारखाना अधिनियम (1881) पारित हुआ.

f) इल्बर्ट बिल पारित हुआ (1883) जिससे भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय आरोपियों पर ट्रायल का अधिकार मिला लेकिन बाद में यह वापस ले लिया गया.

8. लार्ड डफरिन (1884 – 1888) : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसके कार्यकाल में हुई.

9. लार्ड लैंसडाउन (1888 – 1894) :

a) द्वितीय कारखाना अधिनियम (1891) पारित हुआ जिसमें एक साप्ताहिक अवकाश स्वीकार दिया गया और बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य के घंटे निर्धारित किये गए. हालाँकि यह इस प्रकार की चिंताओं को दूर करने में विफल रहा जैसे पुरुषों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित करना.

b) सिविल सेवाओं को इम्पीरियल, प्रांतीय और सहयोगी में श्रेणीबद्ध किया गया.

c) भारत परिषद् अधिनियम 1892 पारित हुआ.

d) ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा के निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की नियुक्ति.

10. लार्ड एल्गिन द्वितीय (1894 – 1899) : 1896 – 1897 का भयंकर अकाल. अकालों के संबंध में जांच के लिए 'लायल आयोग' की नियुक्ति.

11. लार्ड कर्ज़न (1899 – 1905) :

a) भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) पारित जिसमें विश्वविद्यालयों में अधिकारिक नियंत्रण बढाया गया.

b) बंगाल का विभाजन (16 अक्टूबर, 1905) दो प्रान्तों, बंगाल (मुख्य) और पूर्व बंगाल एवं असम में किया गया.

c) प्रत्येक प्रान्त के पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए सर एंड्रयू फ्रेज़र की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग नियुक्त किया गया.

d) 1897 – 98 में सीमाई जनजातियों के उभार के कारण उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त बनाया.

e) भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्स्थापना के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम (1904) पारित हुआ. इस तरह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई.

f) भारतीय सिक्का और कागज मुद्रा अधिनियम (1899) पारित हुआ और भारत में भी स्वर्ण मानक बनाया गया.

g) रेलवे का अत्यधिक विकास किया.

12. लार्ड मिन्टो का इतिहास (1905 – 1910) :

इस समय भारत में राजनीतिक अशांति थी. क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अनेक अधिनियम पारित किये गए. लाला लाजपत राय और अजीत सिंह (मई, 1907 में) और बाल गंगाधर तिलक (जुलाई, 1908 में) जैसे अतिवादियों को बर्मा में मांडले जेल में भेज दिया गया. भारत परिषद् अधिनियम 1909 या मार्ले-मिन्टो सुधार पारित किया गया.

13. लार्ड हार्डिंग (1910 – 1916) :

a) किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक को मनाने के लिए दिसम्बर, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया.

b) बंगाल विभाजन रद्द किया गया. (1911)

c) राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया.(1912).

लार्ड हार्डिंग पर एक बम फेंका गया लेकिन वह घायल होकर बाख गया. (23 दिसम्बर, 1912).

d) गाँधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे. (1915).

e) एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की घोषणा की.

14. लार्ड चेम्सफोर्ड (1916 – 1921) :

a) 1917 की अगस्त घोषणा जिसमें भारतीय सरकार का नियंत्रण चरणबद्ध तरीके से भारतीय लोगों को सौंपे जाने की बात की गई थी.

b) 1919 में भारत सरकार अधिनियम (मौंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार) पारित हुआ.

c) 1919 का रॉलेट एक्ट; जलियांवाला बाग़ जनसंहार (13 अप्रैल, 1919).

d) असहयोग आंदोलन

e) एक भारतीय सर एस. पी सिन्हा को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया.

f) 1916 में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना

g) 1917 शिक्षा नीति पर सैडलर आयोग की नियुक्ति.

15. लार्ड रीडिंग (1921 – 1926) :

a) 1910 के प्रेस एक्ट के साथ रॉलेट एक्ट को जारी रखा गया.

b) असहयोग आंदोलन को दबाया गया.

c) प्रिन्स ऑफ वेल्स ने नवम्बर 1921 में भारत का दौरा किया.

d) केरल में मोपला विद्रोह (1921)

e) 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन

f) स्वराज पार्टी की स्थापना

g) 1922 में विश्वभारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया.

h) 1921 में एम. एन. रॉय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना.

i) 9 अगस्त, 1925 को काकोरी रेल लूटी गई.

j) 1923 का सांप्रदायिक दंगा, 1925 में मुल्तान, दिल्ली अमृतसर आदि में. प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और आर्य समाज के लोकप्रिय नेता स्वामी श्रद्धानंद की सांप्रदायिक अतिरेक में हत्या

16. लार्ड इरविन (1926 – 1931) :

a) साइमन आयोग भारत में 1928 में आया.

b) कांग्रेस ने 1929 में भारत प्रस्ताव पारित किया.

c) दांडी यात्रा (12 मार्च, 1930).

d) सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930).

e) प्रथम गोलमेज सम्मलेन 1930 में इंग्लैंड में हुई.

f) गाँधी-इरविन समझौते (5 मार्च, 1931) पर हस्ताक्षर

g) सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया

h) 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की शहादत (1929).

17. लार्ड विलिंग्डन (1931 – 1936) :

a) द्वितीय गोलमेज सम्मलेन 1931 में इंग्लैंड में हुई.

यहाँ से लौटकर गाँधी जी गिरफ़्तार कर लिए गए और जनवरी 1932 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया.

b) विभिन्न सम्प्रदायों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा (16 अगस्त, 1932) इस विभाजन के विरोध में गांधीजी अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए.

पूना समझौते पर हस्ताक्षर.

c) तीसरा गोलमेज सम्मलेन 1932 में हुआ.

d) भारत सरकार अधिनियम (1935) पारित

18. लार्ड लिनलिथगो (1936 – 1944) :

a) भारत सरकार अधिनियम प्रान्तों में लागू.

b) 11 में से 8 प्रान्तों में कांग्रेस के मंत्रालय गठित किये गए. वे अक्टूबर 1939 तक 2 वर्षों तक सत्ता में रहे लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को खींचने पर/शामिल करने पर त्यागपत्र दे दिया. मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया. (22 December)

c) चर्चिल मई, 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने. उसने निर्णय किया कि अटलांटिक चार्टर (यूके और यूएस द्वारा संयुक्त रूप से जारी, जिसमें यह कहा गया था कि उनमें से जिन्हें जबरदस्ती वंचित किया गया है वे संप्रभुता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे) भारत पर लागू नहीं होगा.

d) 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप

e) 1942 में क्रिप्स मिशन.

f) भारत छोड़ो आंदोलन (8 अगस्त, 1942).

19. लार्ड वेवेल (1944 – 1947) :

a) 25 जून, 1945 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ शिमला सम्मलेन का आयोजन असफल हो गया.

b) कैबिनेट मिशन योजना (16 मई, 1946).

c) संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और नेहरु के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की नियुक्ति.

20. लार्ड माउंटबेटन (मार्च 1947 – अगस्त 1947) :

a) ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल

b) 3 जून की योजना से भारत का विभाजन निश्चित हुआ,

c) ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 पारित जिसके द्वारा 15, अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ.

d) सी. राजगोपालाचारी (स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल) को पदभार सौंपकर जून, 1948 में सेवानिवृत्त हुआ.

अंग्रेजों द्वारा संवैधानिक विकास

महत्वपूर्ण अधिनियम

***रेग्युलेटिंग एक्ट,* 1773**

- ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी मामलों के नियंत्रण के लिए पहला प्रयास.
- द्विशासन की समाप्ति
- भारत में कंपनी के क्षेत्रों के लिए प्रशासन का केन्द्रीयकरण.
- बंगाल का गवर्नर भारत में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया.
- गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद् बंगाल के लिए नियुक्त की गई.
- बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को बंगाल प्रेसीडेंसी के अंतर्गत लाया गया.
- कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया.

***पिट्टस इंडिया एक्ट,* 1784**

- इस एक्ट ने कंपनी मामलों एवं भारत में उसके क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित कर दिया.
- शासन की द्वैध प्रणाली स्थापित की गई. वित्तीय कार्यों को देखने के लिए 24 सदस्यों वाली कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई.
- 6 संसदीय कमिश्नरों वाले एक बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल को नियुक्त किया गया जो भारत में सिविल, सैन्य और राजस्व मामलों को देखता था.
- गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाते हुए उसकी परिषद में संख्या घटाकर 3 कर दी गई.
- युद्ध, कूटनीति और राजस्व के सभी मामलों में बंबई एवं मद्रास प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीनस्थ कर दिया गया.
- ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण का पहला प्रतिस्थापन.

1793 का चार्टर एक्ट

- कंपनी को 20 और वर्षों का व्यापर एकाधिकार दिया गया.
- बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल के खर्चे और वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा.
- गवर्नर जनरल अपनी परिषद रद्द कर सकते थे.

1813 का चार्टर एक्ट

- चाय एवं चीन के साथ व्यापर के अतिरिक्त कंपनी का भारत में व्यापर एकाधिकार वापस ले लिया गया.
- सभी अंग्रेज कुछ शर्तों के साथ भारत के साथ व्यापर कर सकते थे.
- भारत के राजस्व के प्रयोग के लिए नियम एवं प्रक्रिया बनाई गई.
- शिक्षा के लिए 1 लाख की राशि निर्धारित की गई.

1833 का चार्टर एक्ट

- चाय एवं चीन के व्यापर में भी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया.
- कंपनी को, जितना जल्दी हो सके अपना व्यापर बंद करने के लिए कहा गया.
- बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल हो गया. (भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक थे.)
- बंबई एवं मद्रास की सरकारें वैधानिक शक्तियों से वंचित कर दी गईं.
- गवर्नर-परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया.
- सरकारी सेवाएं भारत के लोगों के लिए भी खोल दी गईं.
- सभी नियम गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए जाने लगे और अब इन्हें नियम या विनियमन नहीं बल्कि अधिनियम कहा जाने लगा.
-

1853 का चार्टर एक्ट

- अनिश्चित काल तक के लिए कंपनी को कार्य करने का मौका दिया गया.
- पहली बार 12 सदस्यों वाली विधान परिषद् बनाकर, पृथक वैधानिक तंत्र खड़ा किया गया.
- गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया.
- सिविल सेवाओं में भर्ती, एक खुली वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा से होने लगी. (भारतीयों सहित)

भारत सरकार अधिनियम, 1858

- भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति और क्राउन का शासन प्रारंभ.
- द्वि शासन प्रणाली की समाप्ति. कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया.
- भारत के लिए राज्य सचिव (ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य) का पद सृजित किया गया. उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद् बनाई गई (भारत परिषद्). वह क्राउन की शक्तियों का प्रयोग करता था.
- राज्य सचिव,. गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत पर शासन करता था. गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और वह भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था.
- एक एकात्मक और अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा बनाया गया.

भारत परिषद अधिनियम, 1861

- भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा.
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में जज के रूप में एक पांचवा सदस्य जोड़ा गया.
- आपात समय में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था.
- विधान बनाने के लिए कार्यकारी परिषद को 6 से बढाकर 12 सदस्यों वाली किया गया जिसमें आधे गैरसरकारी सदस्य होंगे. इस तरह भारतीय विधायिका की नींव पड़ी.
- 1833 में प्रेसीडेंसी सरकारों की समाप्त की गई वैधानिक शक्तियां वापस कर दी गईं.

भारत परिषद अधिनियम, 1892

- यद्यपि सरकारी सदस्यों के बहुमत को बरक़रार रखा गया लेकिन भारतीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य, बंगाल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स द्वारा नामित किये जाने लगे और प्रांतीय विधानपरिषदों के सदस्य कुछ निश्चित स्थानीय निकायों जैसे विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और नगरपालिकाओं द्वारा नामित किये जाने लगे. भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत.
- परिषद को बजट पर चर्चा की शक्ति दी गई और कार्यपालिका से प्रश्न करने की शक्ति दी गई.
-

भारत परिषद अधिनियम, 1909 (मार्ले-मिन्टो अधिनियम)

- मार्ले राज्य सचिव था जबकि मिन्टो भारत का वायसराय था.
- केन्द्रीय विधान सभा में सदस्यों की संख्या 60 तक बढ़ा दी गई.
- विधान परिषद के लिए पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव कराए गए.
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया.
- गैर-सरकारी स्थान चुनाव द्वारा भरे जाने लगे. वे इस प्रकार विभाजित थे :
- ▯ प्रांतीय विधान परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा

▯ 6 प्रान्तों के भूमि मालिकों द्वारा

▯ 5 प्रान्तों के मुसलमानों द्वारा

▯ बारी बारी से यूपी/बंगाल के मुस्लिम भूमि मालिकों द्वारा और बंबई एवं कलकत्ता के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा.

मुस्लिम पृथक निर्वाचन से चुने जाते थे.

- बजट से पूर्व प्रस्ताव लाए जा सकते थे और उन्हें अंतिम प्रारूप में शामिल किया जा सकता था.
- पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे.

भारत सरकार अधिनियम, 1919

- मोंटेग्यू(राज्य सचिव) – चेम्सफोर्ड (वायसराय) सुधारों के नाम से जाना जाता है.
- "उत्तरदायी सरकार" के विचार पर जोर दिया गया.
- हस्तांतरण नियम :
- प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में बांटा गया – "केन्द्रीय" और "प्रांतीय"
  - अखिल भारतीय महत्व के विषयों (जैसे रेलवे और वित्त) केन्द्रीय वर्ग में रखे गए,
  - जबकि प्रान्तों के प्रशासन से सम्बंधित विषय प्रांतीय वर्गों में रखे गए.
- प्रान्तों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई. प्रशासन के प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया – 'आरक्षित' एवं 'हस्तांतरणीय' विषय.
- हस्तांतरणीय विषयों पर विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर प्रशासन करता था. गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद आरक्षित विषयों (रेल, डाक, तार, वित्त, कानून एवं व्यवस्था आदि) पर प्रशासन करती थी जो विधायिका के प्रति किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं थी.
- लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त का एक कार्यालय खोला गया.
- पहली बार भारतीय विधायिका "द्विसदनीय" हुई.
- सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढाकर सिखों को भी दिया गया.
- अब 'भारत के लिए राज्य सचिव' को ब्रिटिश राजकोष से वेतन दिया जाने लगा.

भारत सरकार अधिनियम, 1935:

- एक संघ बनाने का प्रयास
- वैधानिक शक्तियों का त्रि स्तरीय विभाजन – जैसे तीन सूचियाँ – संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची.
- अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थीं
- केंद्र में द्वैध शासन लाया गया
- प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की जगह स्वायत्ता ने ले ली.
- एक संघीय न्यायालय की स्थापना
-

भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- इस एक्ट में भारत में प्रशासन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था.
- भारत का विभाजन और दो राज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना.
- दोनों राज्यों की संविधान सभा को अपने अनुसार अपना किसी भी प्रकार का संविधान बनाने और उसे अपनाने की असीमित शक्ति दी गई.
- भारतीय राज्यों पर क्राउन के शासन को समाप्त कर दिया गया.
- भारत के लिए राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया.

आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार

आत्मीय सभा

- 1815-1828
- कलकत्ता
- राजा राम मोहन रॉय
- हिन्दू समाज में सुधार के लिए

वहाबी आंदोलन

- 1820-1828
- रूहेलखंड
- रायबरेली के सैयद अहमद
- वलीउल्लाह के संदेशों का प्रचार, धर्म में व्यक्तिगत अंतरात्मा की भूमिका पर जोर दिया.

ब्रम्ह समाज

- रजा राममोहन रॉय, केशव चन्द्र सेन, देवेन्द्रनाथ टैगोर
- मानव की श्रेष्ठता पर जोर दिया और सती जैसी सामाजिक कुप्रथाओं की आलोचना की.
- **1828**
- कलकत्ता

यंग बंगाल (1826-1832)

- कलकत्ता
- हेनरी विवियन डेरोज़ियो
- Opposed vices in the society; believed in truth, freedom, & reason; social reform

धर्म सभा

- 1830-कलकत्ता-राधा कान्त देव
- ब्रम्ह समाज आंदोलन के विरोध के लिए स्थापित और
- सती सहित उदार और रुढ़िवादी सुधारों के खिलाफ़

कूका/नामधारी आंदोलन

- 1841-1871
- उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और लुधियाना
- भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह
- सिख मत की सच्ची भावना का प्रचार और सभी जातिगत भेदभाव का विरोध.

प्रार्थना समाज

- **1867**
- बंबई
- डॉ आत्माराम पांडुरंग
- हिन्दू धार्मिक विचारों में सुधार और आधुनिक ज्ञान के अनुसार प्रथाए

भारतीय सुधार संघ

- **1870**
- कलकत्ता
- केशब चन्द्र सेन
- बाल विवाह के खिलाफ जनमत खड़ा करना और विवाह के ब्रम्ह रूप को क़ानूनी मान्यता दिलाना
- विद्वानों और समाज सेवा का प्रोत्साहन

आर्य समाज

- 1875
- बंबई

- स्वामी दयानंद सरस्वती
- उत्तर भारत में हिन्दू धर्म में सुधार

थियोसोफिकल सोसाइटी

- 1875
- न्यूयॉर्क
- मैडम एचपी ब्लावात्सकी और कर्नल एच.एस. आलकट
- प्राचीन धर्मों का पुनरुद्धार और सशक्तिकरण
- हिंदुत्व, दक्कन का जरथ्रुष्ट और बौद्ध

डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी

- 1884
- पुणे
- महादेव गोविन्द रानाडे.
- पश्चिमी भारत में शिक्षा और संकृति के लिए योगदान

सेवा सदन

- 1885
- बंबई
- बेहरामजी और एम. मालाबारी
- बाल विवाह और जबरन विधवापन के खिलाफ प्रचार और सामाजिक शोषित महिलाओं की संभाल

रामकृष्ण मिशन

- 1887, कलकत्ता
- स्वामी विवेकानंद
- सामाजिक कार्य और मानवतवाद को बढ़ावा देना

भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मलेन (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाज सुधार प्रकोष्ठ)

- 1887
- बंबई
- एम. जी. रानाडे और रघुनाथ राव
- समाज सुधार से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना.

देव समाज

- 1887
- लाहौर
- शिव नारायण अग्निहोत्री
- ब्रम्ह समाज के नजदीकी विचार. इन्होने अपने अनुयायियों को नैतिकता और सामाजिक नियमों का पालन करने को कहा जैसेकि दहेज न लेना, जुआ नहीं खेलना आदि.

भारत धर्म महामंडल

- 1902
- वाराणसी
- पंडित मदन मोहन मालवीय
- रुढ़िवादी हिन्दुओं का संगठन, सनातनधर्मी के रूप में भी जाने जाते थे, आर्य समाज की शिक्षाओं के विरोध के लिए

दि सर्वेन्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी

- 1905
- बंबई
- गोपाल कृष्ण गोखले
- समाज सुधार के कार्य करना और "भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को तैयार करना"

पूना सेवा सदन

- 1909
- पुणे
- जी. के. देवधर और
- रमाबाई रानाडे
- आर्थिक उत्थान के लिए संस्थाओं की स्थापना और महिलाओं के लिए रोजगार

भारत स्त्री मंडल

- **1910**
- कलकत्ता
- सरलाबाला देवी चौधरानी
- महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पहली अखिल भारतीय संस्था

इंडिया विमेंस एसोसिएशन

- 1917
- मद्रास
- एनी बेसेंट
- भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य और "उनके लिए एक स्वतंत्र लंबा जीवन सुनिश्चितत करने के लिए"

मुस्लिम समाज सुधार/संगठन

खुदाई खिदमतगार आंदोलन

- 1929.
- उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त
- खान अब्दुल गफ्फार खां
- सीमा के लोगों का उन्नयन और उन्हें स्वतंत्रता के लिए तैयार करना.

देवबंद आंदोलन

(उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित इस्लामिक उपदेशों वाला एक विद्यालय)

- 1867
- देवबंद
- मोहम्मद. कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही
- भारतीय मुस्लिमों की नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति में सुधार

अलीगढ आंदोलन

- 1875
- अलीगढ
- सर सैयद अहमद खां
- भारतीय इस्लाम को उदार बनाना और धार्मिक पुनर्व्याख्या द्वारा भारतीय मुस्लिमों का आधुनिकीकरण, समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा

अहमदिया आंदोलन

- 1889-90
- फरीदकोट

- मिर्ज़ा गुलाम अहमद
- सम्पूर्ण मानवता का वैश्विक धर्म, इस्लामिक कट्टरता का विरोध और भारतीय मुसलमानों में पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रचार

वंचित वर्गों के आंदोलन

सत्य शोधक समाज

- 1873
- महाराष्ट्र
- ज्योतिबा फुले
- छुआछूत, ब्राम्हणवाद का विरोध, सामाजिक समानता में विश्वास और शिक्षा द्वारा निम्न/दलित जातियों का उन्नयन

अरविप्पुरम आंदोलन

- 1888
- अरविप्पुरम, केरल
- श्री नारायण गुरु
- निम्न जातियों के खिलाफ सामाजिक अक्षमताओं/भेदभाव का विरोध, सामाजिक समानता में विश्वास, ब्राम्हणवाद पर आक्रमण और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उन्नयन.निम्न जातियों के लोगों के मंदिरों में प्रवेश की मांग

दि डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन

- 1906
- बंबई
- वी. आर. शिंदे
- निम्न वर्गों के लिए शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना समाज द्वारा शुरू किया गया एक स्वतंत्र संगठन

बहुजन समाज

- 1910
- सतारा, महाराष्ट्र
- मुकुंदराव पाटिल
- उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों के शोषण का विरोध. ब्राम्हण, जमींदार, व्यापारी और साहूकारों का विरोध.

डिप्रेस्ड क्लासेज सोसाइटी

- 1924
- बंबई
- डॉ भीमराव अम्बेडकर
- हिन्दू जाति और अस्पृश्य के बीच सामाजिक समानता का सन्देश प्रचारित करना. दलित वर्गों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग.

आत्म-सम्मान आंदोलन

- 1925
- मद्रास (तमिलनाडु)
- ई. वी. रामास्वामी
- ब्राम्हण-विरोधी और हिन्दू रुढ़िवादिता सुधार आंदोलन, बिना पुजारी के शादी का समर्थन, मंदिरों में जबरन प्रवेश, हिन्दू सामाजिक नियमों की पूर्णतः अवज्ञा करना

हरिजन सेवक संघ

- 1932
- पुणे
- महात्मा गाँधी
- अस्पृश्य एवं अन्य निम्न जातियों के खिलाफ भेदभाव और छुआछूत हटाने के लिए संगठन. अस्पृश्य लोगों को चिकित्सा, शिक्षा और तकनीकी सुविधाएँ मुहैया कराना

स्वतंत्र सेनानी

लोकमान्य तिलक

1856-1920

गणेश चतुर्थी और शिवाजी राज्याभिषेक दिवस उत्सवों को प्रारंभ किया. 1916 में होल रूल आंदोलन में भाग लिया. अंग्रेजों द्वारा "सबसे बड़ा देशद्रोही" और "भारतीय असंतोष का जनक" कहा जाता था.

शेर-ए-पंजाब लाला लाजपत राय

राजद्रोहात्मक आरोपों के साथ मांडले जेल भेजे गए.

श्री अरविन्द घोष

राष्ट्रीय शिक्षा के विकास और बन्दे मातरम के संपादन (बिपिन चन्द्र पाल द्वारा शुरू किया गया) के उनके कार्य ने बंगाल विभाजन आंदोलन को अत्यधिक गति दी. कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में कार्य करने के लिए बड़ौदा की अपनी अच्छी नौकरी छोड़ी.

चापेकरबंधू – दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने दो अंग्रेज अफसरों रैंड और आर्टिस्ट की हत्या कर दी.

सावरकर बंधू

गणेश सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और नारायण सावरकर. वी. दी. सावरकर ने लन्दन में न्यू इंडिया एसोसिएशन का गठन किया. श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में भाषणों का आयोजन करते थे. औरंगाबाद में जैक्सन की हत्या से उनका जोड़ा गया. 1911-24 तक अंडमान में कैद की सजा दी गई. बाद में दो उम्रकैद की सजा और काला पानी.

श्यामजी कृष्ण वर्मा

इंडिया हाउस विनायक दामोदर सावरकर, सरदार सिंह रना, मैडम भीकाजी कामा और मदनलाल धींगरा का केंद्र हुआ करता था. मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटग्राद में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

मदन लाल धींगरा

इन्होने भारत राज्य सचिव कर्ज़न वायली के सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे भारत का नाम ख़राब करने वाला एक घृणित कार्य बताया था.

चंद्रशेखर आज़ाद

भगत सिंह, राजगुरु के साथ सांडर्स (जिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई उसकी आज्ञा देने वाला अफसर) हत्या में शामिल. इन्होने उस ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई थी जिसमें वायसराय लार्ड इरविन यात्रा कर रहे थे. इलाहबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस एनकाउंटर में ये शहीद हो गए.

हरकिशन तलवार

पंजाब के गवर्नर को गोली मारी लेकिन बाद में केवल घायल होने पर भाग गए. बाद में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया.

भगत सिंह

छाबिल दास और यशपाल के साथ पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की.

रानी गाइदिनल्यु

इन्होने नागा विद्रोह का नेतृत्व किया. यदुगंगा एक अन्य नेता थे.

सुभाष चन्द्र बोस

1920 में सिविल सेवा परीक्षा पास की लेकिन देश के कार्य को प्राथमिकता दी. 1923 में आप कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए लेकिन शीघ्र ही गिरफ़्तार कर मांडले जेल भेज दिए गए. 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त किये गए. वे अपने मित्र भगत राम के साथ काबुल चले गए और फिर वहां से हिटलर से मिलने जर्मनी चले गए. उन्हें पहली बार जर्मनी में नेताजी संबोधित किया गया था.

उधम सिंह

1940 में इंग्लैंड में रहते हुए, उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार दी.

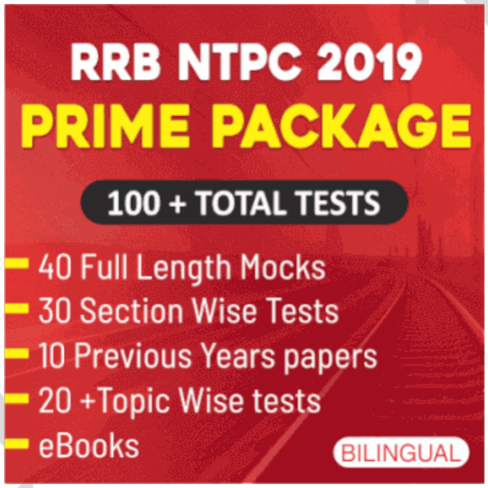

भूगोल कैप्सूल

सौर मंडल

सौर मंडल में शामिल हैं:

• सूर्य • ग्रह

• बौने ने ग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का, धूमकेतु और ग्रहों के उपग्रह के अनगिनत टुकड़े (जिन्हें सौर मंडल के लघु पिंड कहते हैं)

सौर मंडल के कुछ तथ्य

- **सबसे बड़ा ग्रह** : बृहस्पति
- **सबसे छोटा ग्रह** : बुध
- **सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह** : बुध
- **सबसे से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह** : बरुण
- **पृथ्वी से निकटतम ग्रह** : शुक्र
- **चमकीला ग्रह** : शुक्र
- **सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा** : सिरिअस
- **अधिकतम उपग्रहों वाला ग्रह** : बृहस्पति
- **सबसे शीतल ग्रह** : नेपच्यून
- **सबसे गर्म ग्रह** : शुक्र
- **सबसे भारी ग्रह** : बृहस्पति
- **लाल ग्रह** : मंगल
- **सबसे बड़ा उपग्रह** : गनीमेड
- **सबसे छोटा उपग्रह** : डीमॉस
- **नीला ग्रह** : पृथ्वी
- **मोर्निंग/ इवनिंग स्टार** : शुक्र
- **पृथ्वी का जुड़वां** : शुक्र
- **हरा ग्रह** : नेप्च्यून
- **बड़े लाल धब्बे वाला ग्रह** : बृहस्पति
- **स्वर्ग का भगवान** : बृहस्पति
- **अधिकतम दैनिक तापान्तर** : बुध

अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं

पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं

- भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हें एक कोण के रूप में मापा जाता है जिसका, शीर्ष पृथ्वी के केंद्र पर मौजूद होता है।
- भूमध्य रेखा 0° अक्षांश को दर्शाता है, जबकि उत्तरी ध्रुव 90° उत्तरी अक्षांश और दक्षिण ध्रुव 90° दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है।
- 23½° उत्तर कर्क रेखा को दर्शाता है जबकि 23½° द. मकर रेखा को दर्शाता है।

- 66½° उ. आर्कटिक वृत्त को दर्शाता है जबकि 66½° द. अंटार्कटिक वृत्त को दर्शाता है।
- भूमध्य रेखा सहित कुल 181 अक्षांश हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त है, लेकिन वे समान नहीं हैं।
- ध्रुव की ओर ये वृत्त छोटे होते जाते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के सतह पर खींचा जा सकने वाला 'सबसे बड़ा वृत्त' है, जिसे पृथ्वी की सतह पर खींचा जा सकता है।
- किसी भी दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है।
- 1 डिग्री अक्षांश = 111 किमी.

पृथ्वी की देशांतर रेखाएं

- यह पृथ्वी के बिलकुल केंद्र से कोणीय दूरी है। ग्लोब पर, देशांतर रेखाओं को अर्धवृत्तों की श्रृंखला के रूप में खींचा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा के माध्यम से दक्षिण ध्रुव तक विस्तृत होते हैं। उन्हें मध्याह्न रेखाएं भी कहा जाता है।
- किसी भी दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है।
- भूमध्य रेखा पर, 1 डिग्री = 111 किमी। 30 डिग्री N या S में, यह 96.5 किमी है। यह इस प्रकार यह कम होता जाता है, जब तक कि यह पोल पर शून्य हो जाता है।
- कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। प्रधान मध्याह्न 0° देशांतर रेखा है, जो लंदन के पास ग्रीनविच के पर रॉयल वेधशाला (Royal Observatory) से होकर गुजरती है।
- भूगोलविदों द्वारा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करने के लिए इसे माना गया है।
- प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्द्धवृत्त है। 180 डिग्री देशांतर रेखा (अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा) 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत स्थित है। ऐसे बिंदुओं को प्रतिमुखी बिंदु (एंटिपोडल पॉइंट) कहा जाता है।
- पृथ्वी को 24 देशंतारीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक एक दूसरे से 15° की दूरी पर है। प्रत्येक 15° स्थानीय समय में एक घंटे का अंतर हो जाता है। (4 मिनट / डिग्री)।

देशांतर रेखाएं और समय

- एक ही देशांतर रेखा में स्थित स्थानों का स्थानीय समय (सूर्य) समान होता है। चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है, यह एक घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है।
- पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच के पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्य पहले दिखता है और समय आगे होता है, जबकि ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्य बाद में दिखता है और समय पीछे होता है।
- भारत, जिसका देशान्तारीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ने मानक समय के लिए 82 $\frac{1}{2}$ ° पूर्व देशांतर को चुनकर केवल एक समय क्षेत्र को अपनाया है, जो जीएमटी (ग्रीनविच मीन टाइम) से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है।

अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा

- यह प्रशांत महासागर पर मौजूद 180° देशांतर रेखा है, यह अल्यूशियन द्वीप समूह, फिजी, सामोआ और गिल्बर्ट आइलैंड्स में अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाता है। यह एक ज़िग-ज़ैग रेखा है।
- पश्चिम से पूरव की ओर तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री (अर्थात; जापान से यूएसए) एक दिन दोहराते हैं और इसे पूरव से पश्चिम की ओर (अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान तक) पार करने वाले वाले यात्री एक दिन खो देता है।

महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं

1. **कर्क रेखा:** यह उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23 $\frac{1}{2}$° (23 ° 30' N) की कोणीय दूरी पर स्थित है।
2. **मकर रेखा:** यह दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23 $\frac{1}{2}$° (23°30'S) की कोणीय दूरी पर स्थित है।
3. **आर्कटिक वृत्त:** यह भूमध्य रेखा से उत्तर में 66 $\frac{1}{2}$° (66°30'N) की कोणीय दूरी पर स्थित है।
4. **अंटार्कटिक वृत्त:** यह भूमध्य रेखा से दक्षिण में 66 $\frac{1}{2}$° (66°30'S) की दूरी पर स्थित है।

हर वर्ष दो अयनांत होते हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन अयनांत और शीतकालीन अयनांत कहा जाता है।

ग्रीष्मकालीन अयनांत: 21 जून के दिन जब सूर्य कर्क रेखा पर (23 ° 30' N) ऊर्ध्वाधर होता है।

शीतकालीन अयनांत: 22 दिसंबर के दिन जब सूर्य मकर रेखा पर (23°30'S) पर ऊर्ध्वाधर होता है।

देशांतर रेखाएं

उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाले अर्ध-वृत्तों को मध्याह्न रेखा या देशांतर कहा जाता है एवं इनके बीच की दूरी को डिग्री में मापा जाता है। 0° देशांतर मान के साथ ग्रीनविच मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा अपने दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में समान संख्या में देशांतर रेखाएं खीचने के लिए आधार प्रदान करता है। प्रधान देशांतर रेखा सहित सहित कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। प्रत्येक डिग्री को साठ बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे मिनट कहा जाता है। प्रत्येक मिनट को फिर से बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, सेकेण्ड कहा जाता है।

स्थानीय समय: किसी भी स्थान का स्थानीय समय दोपहर 12 बजे का होता है जब सूर्य ठीक उर्ध्वाधर होता है। यह ग्रीनविच समय से देशांतर की प्रत्येक डिग्री पर चार मिनट की दर से भिन्न होता है।

ग्रीनविच मीन टाइम: 0° देशांतर पर के समय को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह इंग्लैण्ड के निकट शून्य देशान्तर पर स्थित 'ग्रीनविच' नामक स्थान पर स्थानीय समय पर आधारित है।

भारतीय मानक समय: यह 82 $\frac{1}{2}$° पूरव देशांतर पर इलाहाबाद के निकट एक पर के स्थानीय समय के आधार पर तय किया गया है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5$\frac{1}{2}$ घंटे आगे है। इसी को भारतीय मानक समय (IST- India Standard Time) कहा जाता है।

पृथ्वी के बारे में तथ्य

- पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह सभी ग्रहों में सघनतम है।
- **पृथ्वी परिधि:** 40,232 किलोमीटर
- **पृथ्वी का क्षेत्रफल:** 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर
- **सूर्य से औसत दूरी:** 149 मिलियन किलोमीटर
- **उपसौर:** सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति है। पृथ्वी हर वर्ष 3 जनवरी को 147 मिलियन-किलोमीटर की दूरी पर अपनी उपसौर की स्थिति पर पहुंचती है।
- **अपसौर:** सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी है। पृथ्वी अपने अपसौर की स्थिति पर 4 जुलाई को पहुँचती है, जब पृथ्वी 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है।
- पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार या चपटा दीर्घवृत्ताभ है (यानी लगभग गोलाकार, केंद्र में मामूली उभार के साथ ध्रुवों पर थोड़ी चपटी)।

पृथ्वी की गतियों के प्रकार

1. घूर्णन या दैनिक गति
2. परिभ्रमण या वार्षिक गति

पृथ्वी की घूर्णन गति

- अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरव 23 घंटे, 56 मिनट और 40.91 सेकंड में एक चक्कर लगाती है।
- भूमध्य रेखा पर घूर्णन वेग 1667 किलोमीटर/घंटा है और यह ध्रुव की ओर घटता जाता है, जहां यह शून्य है।

पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम -

i. दिन व रात का होना

ii. दो देशान्तरों के मध्य 1 घंटे का अंतर होता है, जो 15° दूर होते हैं;

iii. पवन एवं महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन; तथा प्रतिदिन ज्वार-भाटा का उठना व गिरना।

iv. उत्तरी गोलार्द्ध में सबसे लम्बा दिन 21 जून है, जबकि सबसे छोटा दिन 22 दिसम्बर को होता है (इसी प्रकार दाक्षिणी गोलार्द्ध में भी होता है।)

- भूमध्य रेखा पर दिन व रात लगभग समान हैं।

पृथ्वी की परिभ्रमण गति

- यह सूरय के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की गति है। पृथ्वी का औसत कक्षीय वेग 29.79 किमी/से. है।
- पृथ्वी को सूरय की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेण्ड (लगभग 365 दिन व 6 घंटे) का समय लगता है। पृथ्वी को सूरय की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है, जिससे सौर वर्ष, कैलंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप, हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है।

पृथ्वी की परिभ्रमण गति के परिणाम

i. ऋतु परिवर्तन

ii. वर्ष के अलग-अलग समय पर दिन व रातों की लम्बाई में विविधता

iii. पवन पेटीयों के स्थानांतरण

iv. अक्षांशों के निर्धारण

पृथ्वी के ग्रहण

चन्द्र ग्रहण

- जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है।
- यह केवल पूर्णिमा के दिन घटित होता है। हालांकि, यह प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता क्योंकि चंद्रमा बहुत छोटा है तथा इसकी कक्षा का तल, पृथ्वी की कक्षा के तल के सन्दर्भ में लगभग 5° झुका हुआ है। इसी कारण से ग्रहण प्रत्येक महीने में नहीं घटित होता है।

पृथ्वी सूरय ग्रहण

सूरय ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण है, जब चन्द्रमा, पृथ्वी और सूरय के बीच आ जाता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूरय पूरण अथवा आंशिक रूप से चन्द्रमा द्वारा आच्छादित हो जाता है।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना

पृथ्वी के लेयरिंग को स्थलमंडल, दुरबलमंडल, उपरी मेन्टल, निम्न मेटल, बाह्य क्रोड़ आतंरिक क्रोड़ में विभाजित किया गया है।

पृथ्वी के आतंरिक भाग में तीन अलग-अलग परतें हैं; वो हैं

(I) भू-पर्पटी (II) मेन्टल और (III) क्रोड़

भू-पर्पटी (क्रस्ट)

पृथ्वी के ऊपरी भाग को भू-पर्पटी कहते हैं। यह अन्दर की तरफ़ 34 किमी. तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं-सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकन एवं एलुमिना एवं सीमा क्षेत्र में सिलिकन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कर्स्ट भाग का औसत घनत्व 2.7ग्राम/सेमी.3 है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी की सभी भू-आकृतियाँ इस पर स्थित है जैसे; पर्वत, पठार और मैदान। भू-पर्पटी (क्रस्ट) और मेंटल के बीच की सीमा रेखा को मोहो असम्बद्धता कहा जाता है।

मेंटल

2900 किमी. मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बैसाल्ट चट्टानों के समूह से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम/सेमी.3 से 5.5 ग्राम/सेमी.3 है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। मैंटल की मोटाई लगभग 2895 किमी. है। यह अर्द्ध-ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का यह परत गुटेनवर्ग-विचार्ट असंबद्धता द्वारा क्रोड़ से अलग होता है।

क्रोड़

पृथ्वी के केन्द्र को लोहा और निकेल से निर्मित माना जाता है। यह पृथ्वी का 'केन्द्रीय भाग' हैं। यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम/सेमी3 है। पृथ्वी का केन्द्रीय भाग सम्भवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम/सेमी.3 एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किमी0 है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1ºC बढ़ता जाता है।

भूकम्प

a) भूकम्प पृथ्वी के स्थलमण्डल (लिथोस्फ़ीयर) में संपीडित ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकम्पीय तरंगों के कारण आता है, जो भूकंप के केंद्र से चारों दिशाओं में विकिरित होती है।

b) भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिन्दु केन्द्र या हाईपो सेंटर कहलाता है। शब्द उपरिकेंद्र का अर्थ है, पृथ्वी के सतह पर ठीक इसके ऊपर का बिन्दु जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगो का अनुभव किया जाता है।

c) जब भूकंप का मूल समुद्र का सतह होता है तो इस कम्पन से समुद्र की जलस्तर में ऊँची ऊँची तरंगे उठने लगती है जिसे सुनामी कहा जाता है।

d) भूकंप का मापन भूकम्पमापी यंत्र (सीस्मोमीटर) से किया जाता है, जिसे सीस्मोग्राफ भी कहा जाता है।

e) भूकंप का परिमाण, और कम्पन की तीव्रता एक संख्यात्मक मापक द्वारा मापा जाता है। मापक पर, 3 या उससे कम की तीव्रता को शायद ही ध्यान अनुभव किया जाता है, लेकिन 7 या उससे अधिक के परिमाण के भूकंप एक विस्तृत क्षेत्र पर तबाही लाता है। भूकंप के उत्पति केंद्र को भूकंप का मूल कहा जाता है और पृथ्वी के सतह पर ठीक इसके ऊपर स्थित बिंदु को एपीसेंटर कहा जाता है।

f) भूकंपीय तरंगो के गुजरने को सिस्मोग्राफ द्वारा अंकित किया जाता है। तरंगो के परिमाण को रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता की माप के लिए विकसित मरकैली स्केल का उपयोग किया जाता है।

भूकम्प का वितरण-

a) प्रशांत महासागर के आसपास ज्वालामुखी की पट्टी जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इस क्षेत्र में विश्व का 68 प्रतिशत भूकंप आते हैं।

b) मध्य एशिया से (हिमालय, कैस्पियन सागर) होते हुए भूमध्य सागर से होकर वेस्ट इंडीज तक के क्षेत्र में संसार के 21 प्रतिशत भूकंप देखे जाते हैं।

c) मध्य अटलांटिक कटक जहाँ विश्व के 11 प्रतिशत भूकंप आते हैं।

भूकम्पीय तरंगों के प्रकार

भूकम्पीय तरंगें (seismic waves) दो प्रकार की होती हैं- काय तरंगें व सतही तरंगें:

• काय तरंगें - काय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं। वे विभिन्न घनत्व और पृथ्वी के आंतरिक भाग की कठोरता के कारण रे पाथ का अनुसरण करती हैं, जो अपवर्तित तापमान, संरचना और चरण के अनुसार भिन्न होती हैं।

काय तरंगों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है:

प्राथमिक तरंगें (P-तरंगे):

ये सबसे तीव्र गति वाली तंरगें है तथा इनका औसत वेग 8 किमी/सेकण्ड होता है इनमे अणुओ का कम्पन तरंगो की दिशा में आगे पीछे होता है, ये अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहलाती है, ये ठोस,द्रव एंव गैस तीनो प्रकार माध्यम से होकर गुजर सकती है किन्तु इनका वेग ठोस में अधिकतम व गैस में न्युनतम होता है

दितीयक तरंगें (S-तरंगे):

ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है अतः ये बाह्य कोर से आगे नहीं बढ़ पाती है इनका औसत वेग 4 किमी/सेकण्ड होता है ये अनुप्रस्थ तंरगें भी कहलाती है ये प्राथमिक तरंगो की तुलना में अधिक क्षतिकारक होती है

सतही तरंगे (L-तरंगें):

सतही तरंगों का वेग सबसे कम (1.5 से 3 किमी/सेकण्ड) होता है ये धरातल पर सबसे अन्त में पहुँचती है जिसका भ्रमण पथ उत्तल होता है यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है।

• सतही तरंगें जल तरंगों के समरूप होती हैं और पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। वे काय तरंगों की तुलना में धीमी गति वाली होती हैं।

सतही तरंगें दो प्रकार की होती हैं:

रेली तरंगें (Rayleigh waves), जिन्हें ग्राउंड -रोल भी कहा जाता है वे सतह तरंगें हैं जो पानी की सतह पर तरंगों के समान लहरों के साथ गति करती हैं।

लव तरंगें – लव तरंगें चट्टानों के कणों को अपने फैलाव की दिशा से लम्बवत विस्थापित करती हैं और इन तरंगों में कोई लम्बवत और अनुप्रस्थ घटक नहीं होता है।

एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के अंतरतम में स्थलमण्डल के नीचे स्थित एक परत है, भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा लिथोस्फीयर कहलाता है और इसके नीचे का ठोस भाग एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर धरती की बाहरी परत बनाता है जो थोड़ी भंगुर है। सात महाद्वीप विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों यानी विवर्तनिक पट्टियों में बंटे हैं। धरातल का 94 प्रतिशत इन्हीं प्लेटों से बना है। भूपर्पटी विभिन्न विशाल चट्टानों से मिलकर बनी है। धरती की इन विशाल चट्टानों को प्लेटें कहते हैं।

ज्वालामुखी

ज्वालामुखी आम तौर पर एक शंक्वाकार आकार का पहाड़ी या पर्वत होता है, जो लावा प्रवाह, और ज्वालामुखी राख के संचय द्वारा निर्मित होता है। लगभग 95% सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट सब्डक्शन क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक के नजदीक पाए जाते हैं। सब्डक्शन वह प्रक्रिया है, जो अभिसारी सीमाओं पर घटित होती है, जिसके द्वारा एक टेक्टोनिक प्लेट एक अन्य टेक्टोनिक प्लेट के नीचे गति करती है और जैसे-जैसे प्लेटे अभिसरण करती हैं, मेटल में डूबती जाती हैं। जिन क्षेत्रों में यह प्रक्रिया होती है उन्हें सब्डक्शन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अन्य 5% लिथोस्फियरिक हॉट स्पॉट के साथ जुड़े क्षेत्रों में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हॉट स्पॉट बढ़ते हुए मेग्मा के उठने से हुए प्लम के कारण होता है, जिनका उद्गम एस्थेनोस्फीयर में स्थित होता है।

ज्वालामुखी के प्रकार

भूगर्भशास्त्रियों ने जवालामुखी को पांच प्रकार में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण भुआकृतिक रूप, मैग्मा की संरचना और प्रस्फूटन की विस्फोटकता पर आधारित है। ज्वालामुखी के सबसे कम विस्फोटक रूप को बेसाल्ट पठार कहा जाता है। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल बेसल्टिक मैग्मा का क्षैतिज फैलाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का जमाव 1800 मीटर तक हो सकता है। कोलम्बिया का पठार, दक्कन का पठार बड़े बेसाल्ट पठार के उदाहरण हैं।

सिंडर शंकु एक छोटा ज्वालामुखी है, जो 100 से 400 मीटर तक ऊँचे होते हैं, जो विस्फोट के बाद विदर से निकले चट्टानी सामग्री से निर्मित होते हैं। कैलिफ़ोर्निया का लिटिल लेक ज्वालामुखी और मेक्सिको का परकट्टी ज्वालामुखी सिंडर शंकु के उदाहरण हैं।

मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण क्रमिक रूप से लावा के प्रवाह एवं ज्वालामुखी राख एवं धुल के जमा होने से होता है इनकी ऊँचाई 100 से 3500 मीटर अक होती है। इनसे निस्सृत मैग्मा की संरचना में पर्याप्त भिन्नता होती है जो बेसाल्ट से लेकर ग्रेनाइट तक होते है।

अधिक ग्रेनाइट युक्त मैग्मा सापेक्षिक रूप से अधिक जलवाष्प युक्त होने के कारण अधिक विस्फोटक होता है। उच्च ताप पर जल और दबाव अत्यधिक विस्फोटक हो जाता है। इटली का विसूवियस, जापान का फुजियामा, वाशिंगटन राज्य का माउंट रेनियर और सेंट हेलेना मिश्रित ज्वालामुखी के उदाहरण हैं।

सर्वाधिक विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी काल्डेरा है

विस्फोट की आवधिकता के आधार पर वर्गीकरण:

सक्रिय ज्वालामुखी:

ज्वालामुखी, जो समय-समय पर फूट पड़ते हैं, जैसे हवाई में मोना लोआ, सिसिली में एटना, इटली में विसुवियस, भूमध्य सागर में स्ट्रोंबोली आदि।

निष्क्रिय ज्वालामुखी:

वह ज्वालामुखी, जो लंबे समय से शांत है, लेकिन जिसमें विस्फोट की संभावना है। जैसे जापान में फुजियामा, इंडोनेशिया में क्राकाटोआ, अंडमान में बेरेंन द्वीप ज्वालामुखी, आदि।

विश्व में ज्वालामुखी का वितरण

दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखी के लगभग 15% 'रचनात्मक या अपसारी' प्लेट सीमाओं के साथ पाए जाते हैं, जबकि 80% ज्वालामुखी 'विनाशकारी या अभिसारी' प्लेट सीमाओं से जुड़े होते हैं।

पृथ्वी पर पर्वत

पर्वतों के प्रकार- विश्व के वलित पर्वत: वलित पर्वतों का निर्माण, वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के बाद इनके निर्माण के बारे में यह माना जाता है कि भूसन्नतियों में जमा अवसादों के दो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण दब कर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ है; जैसे, सभी वृहद् पर्वतमालाएं: आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी, एटलस इत्यादि।

प्राचीन पर्वत: ये विस्थापन सिद्धांत के पूरव से संबंधित हैं, इसके उपरांत अनाच्छादन और उत्थान के अधीन; अनेक टूट-फूट हुईं; जो आज अवशिष्ट पर्वतों के रूप में हैं; जैसे, पेनाइन (यूरोप), अप्पलेशियन (यूएस), अरावली (भारत) ।

अवशिष्ट पर्वत: अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण पठारों और उच्च मैदानों के कृषरण के परिणामस्वरूप होता है। उदाहरण के लिए, स्कॉटलैंड के हाइलैंड्स, स्पेन के सिएरा, न्यूयॉर्क के कैट्सकिल पर्वत और नीलगिरि, पारसनाथ, गिरनार, भारत का राजमहल आदि।

चट्टानें व खनिज

पृथ्वी के भूपटल का 98 प्रतिशत ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जैसे आठ तत्वों से मिलकर बना है और शेष टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य खनिजों द्वारा गठित है।

1) तीन प्रकार की चट्टानें हैं

a) आग्नेय चट्टान (प्रत्यक्ष रूप से तरल चट्टानों से निर्मित),

b) रूपांतरित चट्टान (मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से निर्मित), और

c) अवसादी चट्टा (अन्य चट्टानों के अपक्षरण से निर्मित मलवे से निर्मित होता)

a) आग्नेय चट्टानें

1) आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने से होता है, जब वह ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात् सर्वप्रथम इन चट्टानों का ही निर्माण हुआ था। ग्रेनाइट व बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानें को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है -

a) बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें -

बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें, वे चट्टानें हैं जो मैग्मा के पृथ्वी कि सतह के ऊपर निकल कर लावा के रूप में आकर ठंढे होकर जमने से बनती हैं।

सामान्य बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें हैं-

i) बेसाल्ट,

ii) एंडेसाईट, व

iii) रियोलाईट

b) अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टाने:

अभ्यांतरिक चट्टान तरल मैग्मा के भूपर्पटी के भीतर जमकर ठोस होने से होता है। अभ्यांतारिक श्रेणी के अंतर्गत ग्रेनाइट एवं डायोराइट मुख्य रूप से आते हैं।

ii. अवसादी चट्टानें

प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी-छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं, और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही 'अवसादी चट्टान' कहते हैं। अवसादी शैलों का निर्माण जल, वायु या हिमानी, किसी भी कारक द्वारा हो सकता है।

उदाहरण - प्रमुख अवसादी शैलें हैं- बालुका पत्थर, चीका शेल, चूना पत्थर, खड़िया, नमक आदि।

iii. रूपांतरित चट्टानें

रूपांतरित चट्टानें एक प्रकार की चट्टान होती हैं, जो ऊष्मा, दबाव, और / या तरल पदार्थ और गैसों के रासायनिक क्रिया से रूपांतरित हो जाती हैं। अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या 'रूपांतरण' हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण हाता है। इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं, जो पृथ्वी के अंदर भारी दबाव और गर्मी से परिवर्तन होता है।

रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- चूने पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन
- शेल का स्लेट में परिवर्तन
- ग्रेनाइट का नीस में परिवर्तन
- बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में परिवर्तन।

वायुमंडल

वायुमण्डल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ो किमी मोटी गैसीय आवरण को कहते हैं एवं इसका विस्तार पृथ्वी के सतह से हजारों किमी की ऊंचाई तक होती है। पृथ्वी पर अधिकांश जीवन का अस्तित्व वायुमण्डल के कारण ही है अन्यथा, पृथ्वी वीरान ही होती। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारो ओर से घेरे हुए है। निचले स्तरों में वायुमण्डल का संघटन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। वायुमण्डल की कुल मात्रा के 99% भाग में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। वायुमण्डल में जलवाष्प एवं गैसों के अतिरिक्त सूक्ष्म ठोस कणों की उपस्थिति भी पाई जाती है।

वायुमंडल की संरचना

वायुमंडल में तापमान एवं घनत्व में भिन्नता के साथ लगभग संकेन्द्रीय परते पाई जाती है। वायुमण्डल का घनत्व ऊंचाई के साथ-साथ घटता जाता है। वायुमण्डल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है।

क्षोभमण्डल

- वायुमंडल की सबसे निचली परत है
- क्षोभमण्डल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किमी और ध्रुवों पर 10 किमी होती है।
- सभी मौसमी घटनाएं (जैसे कोहरे, बादल, ठंढ, वर्षा, तूफान आदि) क्षोभमण्डल तक ही सीमित होता है।
- इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तापमान में गिरावट की दर प्रति 1000 मीटर की उंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेट है, जिसे **सामान्य ताप पतन** दर कहा जाता है।
- क्षोभमण्डल की ऊपरी सीमा को ट्रॉपोपॉज़ कहा जाता है जो कि लगभग 1.5 किमी मोटी है।

समतापमण्डल

- इसकी मोटाई 50 किमी से 55 किमी तक है। इस मण्डल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। समताप मण्डल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है।
- ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किमी की ऊंचाई पर समताप मंडल में ही स्थित है।
- ओजोन परत एक सुरक्षात्मक कवर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह सौर विकिरण के अल्ट्रा-वॉयलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है।
- ओजोन के क्षय से पृथ्वी के सतह और निम्न वातावरण का तापमान बढ़ सकता है।
- तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से ऊपरी सीमा तक स्ट्रैटोस्फियर के आधार पर उगता है क्योंकि यह अल्ट्रा-वॉयलेट किरणों को अवशोषित करता है।
- इस मण्डल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। इसकी ऊपरी सीमा को 'स्ट्रैटोपाज' कहते हैं।
- इस मण्डल के निचले भाग में ओज़ोन गैस बहुतायात में पायी जाती है। इस ओज़ोन बहुल मण्डल को ओज़ोन मण्डल कहते हैं। ओज़ोन गैस सौर्यिक विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती हैं।

मध्यमण्डल

इसका विस्तार 50-55 किमी से 80 किमी तक है। इस मण्डल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा मध्यमण्डल की ऊपरी सीमा मेसोपाज पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है।

d) तापमंडल

- यह पृथ्वी के सतह के ऊपर 80 किमी से 640 किमी की ऊंचाई पर स्थित है।
- इसे आयनमंडल भी कहा जाता है।
- इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र वृद्धि होती है
- यह विद्युत आवेशित परत है। सौर विकिरण और उपस्थित रसायनों की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप इस परत का निर्माण होता है। अतः सूर्यास्त के साथ विलुप्त हो जाता है।
- तापमंडल में कई परते पाई जाते हैं, D-परत, E-परत, F-परत और G-परत.
- पृथ्वी के सतह से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होती है।

e) बाह्यमण्डल

- यह वायुमंडल का सबसे उपरी परत है जिसका विस्तार आयनमंडल से आगे तक है।
- इसका घनत्व बहुत कम है और तापमान 5568°C तक पहुँच जाता है.
- यह परत बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है

आयनमंडल-

पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील), के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयनमंडल कहलाता है। आयतन में आयनमंडल अपनी निचली हवा से कई गुना अधिक है लेकिन इस विशाल क्षेत्र की हवा की कुल मात्रा वायुमंडल की हवा की मात्रा के 200 वें भाग से भी कम है। आयनमंडल की हवा आयनित होती है और उसमें आयनीकरण के साथ-साथ आयनीकरण की विपरीत क्रिया भी निरंतर होती रहती हैं। आयनमंडल को D, E व F क्षेत्रों में बांटा गया है। सौर विकिरण की पराबैंगनी (यूवी), एक्स-रे और छोटी तरंग दैर्ध्य वातावरण को आयनित करती हैं।

वायुदाब व पवन पेटीयां

वायुदाब को समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्र के ऊपर वायु स्तंभ के कुल भार के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी विशेष बिंदु पर वायु द्वारा लगाए जाने वाले दाब की मात्रा तापमान और घनत्व से निर्धारित होती है जिसे प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के रूप में मापा जाता है।

• एनेरोइड बैरोमीटर - यह घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार बैरोमीटर है।

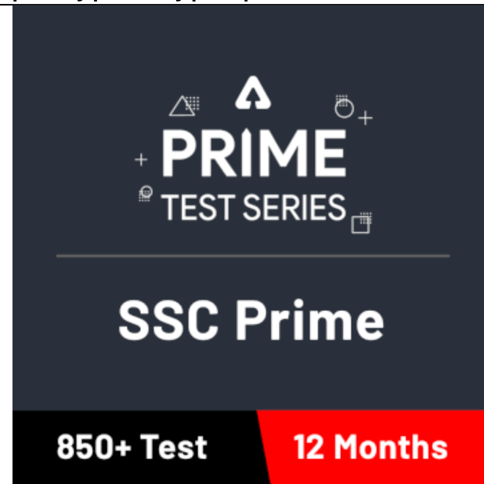

विश्व की वायुदाब पेटीयां

1. विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब कटिबन्ध

इसे विषुवत रेखा के समीप पाँच अंश अक्षांश तक माना जा सकता है । इस पेटी पर वर्षभर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं । इसके कारण ठण्डी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर की ठण्डी हवा भारी होने के कारण नीचे आ जाती है। नीचे आने पर वह फिर से गरम होकर ऊपर जाती है । यह क्रम वर्षभर चलता रहता है । इसलिए यहाँ वायु दाब कम रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर भी हवा लगभग गतिमान और शान्त होती है। इसलिए इस क्षेत्र को 'शान्त कटिबन्ध' या 'डोलड्रम्स' भी कहते हैं ।

2. उपोष्ण-उच्च दाब कटिबन्ध

इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्द्धों में 25° से लेकर 35° अक्षांशों के बीच है। विषुवतरेखीय निम्न वायु दाब कटिबन्ध की गर्म हवा हल्की होकर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर बढ़ने लगती है। यही हवा ठण्डी होकर 25°-35° उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश पर उतरने लगती है। फलतः यहाँ वायु दाब उच्च हो जाता है। यहाँ उच्च दाब पाये जाने का कारण पृथ्वी की दैनिक गति भी है। पृथ्वी के घूमने के कारण ध्रुवों के निकट की वायु इन अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जिससे दबाव बढ़ जाता है।

3. उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबन्ध

दोनों गोलाद्र्धों में 60° से 70° अक्षांश रेखाओं के निकट निम्न वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है। यद्यपि तापमान के अनुसार यह उच्च दाब का क्षेत्र होना चाहिए था। परन्तु यहाँ निम्न दाब पाया जाता है। ऐसा पृथ्वी के घुर्णन बल के कारण होता है। पृथ्वी की गति के कारण इन अक्षांशों पर हवाएँ फैलकर बाहर की ओर चली जाती है, जिससे यहाँ निम्न दाब बन जाता है ।

4. ध्रुवीय उच्च दाब कटिबन्ध

पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को औसतन 40 प्रतिशत ही सूर्यातव प्राप्त होता है। यहाँ सूरय की करणें काफी तिरछी पड़ती हैं। फलस्वरूप यहाँ का तापमान

बहुत कम रहता है और धरातल हमेशा बर्फ से ढँका रहता है। इस प्रकार ठण्डी और भारी हवा उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करती है।

कोरिऑलिस बल

इसका नाम भूगोलवेत्ता जी.जी. कोरिऑलिस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्द्ध की हवाएँ प्रवर्तन की दिशा से दाँयी ओर तथा दक्षिण गोलार्द्ध में बायीं ओर मुड़ जाती हैं। ये गतिशील पवन एवं धाराएँ उत्तरी गोलार्द्ध में अपनी दाहिने ओर तथा दक्षिण गोलार्द्ध में अपनी बायीं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। यही कारण है कि हवाएँ टेढ़े मार्ग पर चलती हैं। यह नियम बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली स्थायी पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों पर लागू होता है। इस नियम का प्रभाव महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गतियों, राकेटों, आदि पर भी देखा जाता है।

पवन

पृथ्वी के सतह पर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवनों की गति प्रत्यक्ष रूप से वायुदाब द्वारा नियंत्रित होती है। वायुदाब की विषमताओं को संतुलित करने की दिशा में यह प्रकृति का एक स्वाभाविक प्रयास है। पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज रूप से पवन, उच्च दाब वायु क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, जिसे वायुदाब केन्द्रों के परिवर्तन के मध्य निर्धारित किया जाता है।

I. ग्रहीय पवनें:

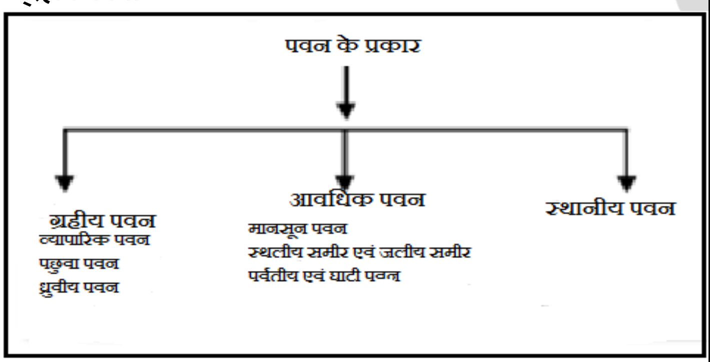

ग्रहीय पवनें, हवा के सामान्य वैश्विक परिसंचरण का प्रमुख घटक हैं। इन्हें पूरे विश्व में विश्व स्तर पर अपने प्रसार के कारण ग्रहीय पवन के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में तापमान और दबाव भिन्नता का कारण यही ग्रहीय पवनें होती हैं।

ग्रहीय पवनों के बारे में चर्चा इस प्रकार है:

(a) **व्यापारिक पवनें** - वे हवाएँ, जो उपोषण उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर, उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर-पूर्व और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण-पूर्व दिशाओं से चलती हैं। इसलिए इनको **उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवन** और **दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवन** कहा जाता है।

इस प्रकार की पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में निरन्तर बहती हैं। सामान्यतः इस प्रकार की पवन को उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर से दक्षिण दिशा में तथा दक्षिण गोलार्द्ध में दक्षिण से उत्तरी दिशा में प्रवाहित होना चाहिए, किन्तु फ़ेरेल के नियम एवं कोरोऑलिस बल के कारण ये उत्तरी गोलार्द्ध में अपनी दायीं ओर तथा दक्षिण गोलार्द्ध में अपनी बायीं ओर विक्षेपित हो जाती हैं।

व्यापरिक पवनों को अंग्रेज़ी में **'ट्रेड विंड्स'** कहते हैं। यहाँ 'ट्रेड' शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य 'निर्दिष्ट पथ' या 'मार्ग' से है। इससे स्पष्ट है कि ये हवाएँ एक निर्दिष्ट पथ पर वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएँ उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर होती है।

(b) पछुआ पवन-

पछुआ पवन पृथ्वी के दोनों गोलार्द्धों में प्रवाहित होने वाली स्थायी पवनें हैं। इन पवनों की पश्चिमी दिशा के कारण ही इन्हें 'पछुआ पवन' कहा जाता है। पछुआ हवाएँ दोनों गोलार्द्धों, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबन्धों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबन्धों की ओर प्रवाहित होती हैं। पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इन हवाओं का सर्वश्रेष्ठ विकास 35º से 65º 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जलराशि के विशाल विस्तार के कारण पवनों की गति अपेक्षाकृत तेज़ होती तथा दिशा निश्चित रहती है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में आसमान उच्च दाब वाले विशाल स्थल खंड तथा वायु दाब के परिवर्तनशील मौसमी प्रारूप के कारण इस पवन का सामान्य पश्चिमी दिशा से प्रवाह अस्पष्ट हो जाता है।

(c) ध्रुवीय पवनें -

वे ठण्डे ध्रुव प्रदेशों से ध्रुव-वृतीय कम दाब की मेखलाओं की ओर बहती हैं। इनका क्षेत्र 60° से 70° अक्षांशों तक विस्तृत है। उत्तरी गोलार्द्ध में ये उत्तर-पूर्व की दिशा से चलती हैं और दक्षिणी गोलार्द्ध में इनकी दिशा दक्षिण-पूर्व होती है। ये पवनें अत्यन्त ठण्डी होती हैं, इसलिए इनके सम्पर्क में आने वाले क्षेत्रों का तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। पछुआ से मिलकर ये चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों को जन्म देती हैं।

सामयिक पवनें

स्थायी रूप से तापमान एवं वायुदाब की विशेष दशाओं के कारण जब पवनें किसी निश्चित अवधि में बहती हैं तो उन्हें अस्थायी (Temporary) या सामयिक (Seasonal) पवनें कहा जाता है। ये पवनें तीन प्रकार की होती हैं-

II. सामयिक पवनें:

समुदी व सागरीय समीर एवं मानसून पवनें सामयिक पवनें कहलाती हैं। स्थलीय व सागरीय समीर प्रतिदिन बहती हैं, जबकि मानसून की पवनें सामयिक होती हैं। सामयिक पवनें निम्न प्रकार की होती है:

(a) मानसून पवनें
(b) स्थलीय व सागरीय समीर
(c) पर्वतीय तथा घाटी समीर

सामयिक पवनें

1. समुदी या सागरीय समीर - दिन के समय सूरय की गर्मी से स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा अधिक गरम हो जाता है। अत: स्थल भाग पर अधिक ताप से उत्पन्न निम्न वायुदाब तथा जल भाग पर कम तापमान होने से अधिक वायुदाब स्थापित हो जाता है। परिणामस्वरूप दिन को सागर से स्थल की ओर पवनें बहने लगती हैं। ये पवने दिन के दस बजे से सूर्यास्त तक बहती हैं और कभी-कभी 30-40 किमी तक स्थल भाग में भीतर प्रवेश कर जाती हैं। इस पवनों से स्थल भाग का तापमान गिर जाता है और कुछ वर्षा भी होती है। इस प्रकार मौसम की दैनिक अवस्थाओं पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सागर से बहने के कारण इनको सागरीय समुदी) पवन कहा जाता है।

2. स्थलीय समीर - रात्रि के समय स्थल भाग में तापमान की कमी और समुद्री भाग पर तापक्रम की अधिकता (जल स्थल की अपेक्षा धीरे-धीरे ठण्डा होता है) के कारण स्थलीय भाग में अधिक वायुदाब तथा समुद्री भाग पर न्यून वायु भार रहता है, इस कारण प्रायः समुद्री तटों पर सूर्यास्त से प्रातः 8 बजे तक स्थल की ओर से हवाएँ समुद्र की ओर बहती हैं। इनको स्थलीय पवन कहते हैं।

3. परवतीय तथा घाटी समीर - ये भी तापमान के दैनिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। रात्रि के समय परवत शिखर से जो पवने घाटी के तल की ओर चलती हैं, उन्हें परवतीय पवनें कहा जाता है। दिन के समय जो पवने घाटी के तल से परवत शिखर की ओर बहती हैं, उन्हें घाटी पवनें कहा जाता है। सूर्योदय के साथ सूरय की किरणे सरवप्रथम परवत शिखरों का सपरश करती हैं। इसी कारण घाटी की अपेक्षा वे शीघर गरम हो जाते हैं तथा संवाहन के कारण उनकी वायु ऊपर उठ जाती है। परिणामस्वरूप घाटी के तल से अपेक्षाकृत ठण्डी पवनें शिखर की ओर आने लगती हैं। इन्हें घाटी समीर कहते हैं जबकि रात्रि के समय तीव्र विकिरण के कारण परवतशिखर शीघर ठण्डा हो जाता है तथा घाटी अपेक्षाकृत गरम रहती है। फलतः परवतशिखर की वायु सघन तथा भारी होने के कारण नीचे उतरती है, जबकि घाटी की वायु अपेक्षाकृत हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। इन्हें परवतीय समीर कहते हैं।

III. स्थानीय पवनें

ये स्थानीय पवनें विश्व के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चलती हैं।

गरम हवाएं

सिरोको - सहारा मरुस्थल

लेवेचे - स्पेन

खामसिन - मिस्र

हरमटान - सहारा डेजर्ट

सेंटा एना - यूएसए

जोंडा - अर्जेंटीना

ब्रिक फील्डर - ऑस्ट्रेलिया

ठंडी हवाएं

मिस्ट्रल - स्पेन और फ्रांस

बोरा - एड्रियाटिक तट

पाम्पेरो - अर्जेंटीना

बुरान - साइबेरिया

जेट धाराएं

जेट धाराएं ऊपरी क्षोभमंडल (9 -14 किमी) में चलती हैं, जो उच्च गति हवाओं (95-190 किमी/ घंटा) के बैंड हैं। यह शब्द 1947 में कार्ल गुस्टाफ रॉस्बी द्वारा प्रयोग किया गया था। इसकी औसत गति सीमा शीत ऋतु में उच्चतम लगभग 120 किमी/ घंटा तथा ग्रीष्म ऋतु में निम्नतम लगभग 50 किमी/ घंटा होती है। जेट धाराओं के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पोलर जेट धाराएं और सबट्रॉपिकल जेट धाराएं हैं।

चक्रवात

चक्रवात कम वायुमण्डलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज़ आँधी को कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्द्ध में इन गर्म हवाओं को 'चक्रवात' के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती हैं। जबकि उत्तरी गोलार्द्ध में इन गर्म हवाओं को 'हरिकेन' या 'टाइफून' कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती हैं।

A. ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात

उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र चक्रवात संबंधी तूफान होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय के गरम महासागरों के ऊपर विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में सतह पर वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

- 34 समुद्री मील (39 मील/घंटा) से अधिक गति की हवाएं
- दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलता है, और
- उत्तरी गोलार्ध में उनके केंद्रों के बारे में वामावर्त दिशा की ओर

यह सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक में तूफान, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विलीज के रूप में जाना जाता है।

B. शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात

शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को गर्त चक्र अथवा निम्न दाब क्षेत्र भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30° – 65° अक्षांशों के बीच होती है। इन अक्षांशों के बीच उष्ण वायु राशियाँ एवं शीतल ध्रुवीय वायुराशियाँ जब मिलती है तो ध्रुवीय तरंगों के कारण गर्त चक्रों की उत्पत्ति होती। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में वर्कनीम द्वारा ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।

एशिया के उत्तर-पूर्वी तटीय भागों में उत्पन्न होकर उत्तर-पूरव दिशा में भ्रमण करते हुए अल्युशियन व उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भागों पर प्रभाव डालते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर-पूर्वी तटीय भाग से उत्पन्न होकर ये चक्रवात पछुवा हवाओं के साथ पूरव दिशा में यात्रा करते हैं, तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों पर प्रभाव डालते हैं। शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सक्रीय हो जाते हैं. इसका प्रभाव दक्षिणी स्पेन, द. फ्रांस, इटली, बाल्कन प्रायद्वीप, टर्की, इराक, अफ़ग़ानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी भारत पर होता है।

समुद्र विज्ञान

भूविज्ञान की एक शाखा है जो समुद्रों का अध्ययन करती है। इसके अन्तर्गत पहाड़ों, पठारों, मैदानों और खाइयों आदि शामिल हैं। सागर तली में स्थित कुछ प्रमुख विशेषताओं को नीचे वर्णित किया गया है।

a) महाद्वीपीय मग्न तट -

1) भूमि का वह भाग जो समुद्र के जल के नीचे डूबा रहता है उसे महाद्वीपीय मग्नतट कहा जाता है।

2) महाद्वीपीय मग्न तट उथला होता है और इसकी गहराई 200 मीटर से अधिक नहीं होती।

3) महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5 प्रतिशत महाद्वीपीय मग्न तट द्वारा कवर किया गया है।

ये शेल्फ मानव के लिए बहुत उपयोगी होता हैं, क्योंकि:

1. समुद्री भोजन लगभग पूर्णतया यहीं से प्राप्त होता है।
2. दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस यहीं से प्राप्त होता है।
3. ये मछली पकड़ने के भी समृद्धतम स्थल हैं।

b) महाद्वीपीय ढाल-

महाद्वीपीय शेल्फ की समाप्ति के बाद ही महाद्वीपीय ढाल शुरु हो जाती है। इस ढाल की प्रवणता 2-5 अंश तक होती है। मग्नढाल का विस्तार 200-2000 मीटर की गहराई तक होता है लेकिन कभी-कभी यह औसत समुद्र तल से 3660 मीटर तक हो सकता है। कुल महासागरीय क्षेत्रफल के 8.5 प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्नढाल का विस्तार है।

c) महाद्वीपीय उत्थान- जैसे-जैसे ढाल नीचे उतरती जाती है, वैसे-वैसे वे अपनी ढाल खोते जाते हैं । जब इस ढाल की प्रवणता 0.5 से एक अंश के मध्य हो जाती है, तो उसे महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं । इस उत्थान की समाप्ति वितल मैदान पर हो जाती है ।

d) गहरा समुद्री बेसिन-

यह समुद्र तल का हिस्सा है, जो महाद्वीपीय मार्जिन और महासागरीय कटक के बीच स्थित होता है। इसमें गहरी समुद्र के खाईयाँ, वितल मैदान, और बड़े ज्वालामुखीय चोटियाँ शामिल हैं।

I. गहरी- समुद्री खाईयां:

a) ये लंबी, संकीर्ण होती हैं, जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से होते हैं।

b) अधिकांश खाई प्रशांत महासागर में स्थित हैं।

c) वे 10,000 मीटर गहरी तक हो सकते हैं

d) (मारियाना खाई प्रशांत महासागर में समुद्र स्तर से 11,000 मीटर नीचे है)

II. वितल मैदान - यह एक प्रकार से समुद्र का तल ही है। 3 हजार से 6 हजार मीटर की गहराई तक महाद्वीपीय उत्थान के बाद वितल मैदान शुरु हो जाता है, जो 1300 किमी से अधिक हो सकती है।

III. सी-माउंट:

यह एक पृथक ज्वालामुखी शिखर है, जो गहरे समुद्र के तल से कम से कम 1000 मीटर (3300 फीट) ऊपर है। ये प्रशांत महासागर में अधिक व्यापक हैं, जहां सबडक्शन क्षेत्र सामान्य हैं। ये अंतर्समुद्री ज्वालामुखी, सामुद्रिक टीलों के आस-पास स्थित होते हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी द्वीप के रूप में उभर सकते हैं।

e) महासागरीय घाटियां:

ये खड़ी ढलान की दीवारों के वाले अवसाद हैं, जिनका V आकार होता है। वे महाद्वीपीय ढलानों और मग्नतट पर बने होते हैं। ये लंबाई में अधिकतम 16 किमी पाए जाते हैं।

समुद्री धाराएं

जब महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लम्बी दूरी तक सामान्य गति से चलने लगती है, तो उसे महासागरीय धाराएँ कहते हैं। यह महासागरों जैसी चौड़ाई वाली होकर स्थानीय धाराओं जैसी छोटी भी हो सकती है। सामान्यतया दो प्रकार की महासागरीय धाराएँ हैं - गरम जल धाराएँ और ठण्डी जल धाराएँ। गरम जल धाराएँ वे धाराएँ हैं, जो निम्न ऊष्ण कटिबंधीय अक्षांशों से उच्च शीतोष्ण एवं उप ध्रुवीय अक्षांशों की ओर बहती हैं। ठण्डी जल धाराएँ वे हैं, जो उच्च अक्षांशों से नीचे की ओर बहती हैं।

महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक

1. **ग्रहीय पवनें**
2. **तापमान**
3. **लवणता**
4. **पृथ्वी का घूर्णन**
5. **भूमि।**

अटलांटिक महासागर का परिसंचरण

अटलांटिक महासागर में उत्तर और दक्षिण गोलार्द्ध में पूरव से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखीय धाराएँ तथा पश्चिम से पूरव की ओर विरूद्ध भूमध्य रेखीय धाराएँ बहती हैं।

a) विरूद्ध भूमध्य रेखीय धारा को पश्चिम अफ्रीका के तट पर गिनी धारा कहते हैं।

b) फ्लोरिडा धारा - संयुक्त राज्य अमेरीका के दक्षिण-पूर्वी तट पर फ्लोरिडा अंतरीप से हटेरस अंतरीप की ओर बहने वाली धारा फ्लोरिडा धारा कहलाती है।

c) गल्फ स्ट्रीम - फ्लोरिडा धारा ही जब हटेरास द्वीप से आगे बहती है, तो न्यू फाउलैण्ड के पास स्थित ग्रैन्ट बैंक तक इसे ही गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। यह गर्म जल धारा है।

d) उत्तरी अटलांटिक धारा - यही गल्फ स्ट्रीम ग्रेन्ट बैंक से आगे पछुआ हवाओं के प्रभाव में आकर पूरव की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से यह अटलांटिक के आरपार उत्तरी
अटलांटिक धारा के नाम से जानी जाती है।

अटलांटिक महासागर में बहने वाली अन्य प्रमुख धाराओं के नाम हैं - लेब्रोडोर धारा, ग्रीनलैंड धारा, ब्राज़ील धारा, बेंगुएला की धारा तथा फॉकलैंड धारा है। इनमें से ग्रीनलैंड तथा लेब्रोडोर धारा चूँकि आर्कटिका महासागर से चलती है, इसलिए ठण्डी होती हैं। ये दोनों धाराएँ न्यू फाउंलैंड के पास गल्फ स्टीम नाम की गर्म जल धारा से मिल जाती हैं। इसके कारण यहाँ बारहों महीने कुहरा छाया रहता है। इसी कारण यह क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए संसार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। बेंगुएला तथा फाकलैंड, ये दोनों ही धाराएँ ठंढी जल धाराएँ हैं।

प्रशांत महासागर का परिसंचरण

प्रशान्त महासागर विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ धाराओं की संख्या भी सबसे अधिक होगी। इस महासागर में बहने वाली प्रमुख धाराएँ हैं -

a) **क्यूरोसिओ धारा** - यह धारा ताइवान तथा जापान के तट के साथ बहती है। बाद में उत्तरी अमेरीका के पश्चिमी तट पर पहुँचने के बाद यह आलाक्सा धारा तथा कैलिफोर्निया धारा के रूप में बँट जाती है। किरोसिओ धारा गर्म पानी की धारा है।

b) ओयासिओ नाम की ठण्डी धारा प्रशान्त महासागर के उत्तर में बहती है।

c) इसी महासागर में पेरु नामक ठंडी जलधारा भी प्रवाहित होती है।

हिन्द महासागर का परिसंचरण

हिन्द महासागर की धाराओं की प्रवृत्ति प्रशान्त एवं अटलांकि महासागरों से अलग है। इसके दो कारण हैं - (1) पहला, हिन्द महासागर के उत्तर में स्थल भूमि का अधिक होना, जिसके कारण धाराओं की प्रवृत्ति बदल जाती है तथा (2) दूसरा, मानसूनी हवा का प्रभाव, जिससे धाराओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण हिन्द महासागर के उत्तरी क्षेत्र में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में धाराओं की दिशा भिन्न-भिन्न होती है।

हिन्द महासागर में बहने वाली मुख्य धाराएँ हैं - मोजाम्बिक धारा (गर्म धारा, अगुलहास धारा (ठण्डी धारा), पूवी आस्ट्रलियाई धारा (गर्म धारा) तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धारा (गर्म धारा)।

महासागर

आर्कटिक महासागर - आर्कटिक महासागर दुनिया के पांच महासागरों में से सबसे छोटा है। नॉर्थवेस्ट मार्ग (यूएस और कनाडा) और उत्तरी सागर रूट (नॉर्वे और रूस) दो महत्वपूर्ण मौसमी जलमार्ग हैं।

यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच पानी का एक निकाय है, जो ज्यादातर आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित है।

निम्नतम बिंदु: फ्रैम बेसिन

अटलांटिक महासागर - अटलांटिक महासागर दुनिया के पांच महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा है। कील नहर (जर्मनी), ओरेसंड (डेनमार्क-स्वीडन), बोस्पोरस (टर्की), स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर (मोरक्को-स्पेन), और सेंट लॉरेंस सेवे (कनाडा-यूएस) महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के जलमार्ग हैं।

यह अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी महासागर और पश्चिमी गोलार्ध के बीच पानी का एक शरीर है। इसमें बाल्टिक सागर, काली सागर, कैरेबियन सागर, ड्रेक मार्ग का हिस्सा, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और अन्य सहायक जल निकायों शामिल हैं।

निम्नतम बिंदु: पर्टो रीको ट्रेंच में मिल्वौकी दीप

हिंद महासागर

हिंद महासागर विश्व के पांच महासागरों में से तीसरा सबसे बड़ा है। मुख्य रूप से चार महत्वपूर्ण जलमार्ग- स्वेज नहर (मिस्र), बाब-अल मंडेब (जिबूती-यमन), होर्मुज जलडमरूमध्य(ईरान-ओमान) और मलक्का जलडमरूमध्य (इंडोनेशिया-मलेशिया) हैं।

यह अफ्रीका के दक्षिणी महासागर वे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक जलनिकाय है, इसमें अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फ्लोरेस सागर, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, जावा सागर, लाल सागर, मलक्का के जलसंयोगी, तिमोर सागर और अन्य उपनदी जल निकाय शामिल हैं।

निम्नतम बिंदु: जावा ट्रेंच

प्रशांत महासागर

प्रशांत महासागर विश्व के पांच महासागरों में सबसे बड़ा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहुंच वाले जलमार्गों में ला पेराउस, त्सुगुरु, सुशिमा, ताइवान, सिंगापुर और टॉरेस स्ट्रेट्स शामिल हैं।

यह दक्षिणी महासागर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी गोलार्ध के बीच जल निकाय है। इसमें बाली सागर, बेरिंग सागर, कोरल सागर, पूर्वी चीन सागर, अलास्का की खाड़ी, फिलीपिन सागर, जापान का सागर, ओहोट्सक का सागर, तस्मान सागर और अन्य सहायक जल निकाय शामिल हैं।

निम्नतम बिंदु: मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर दीप।

ज्वार-भाटा

ज्वारभाटा समुद्र जल की एक महत्वपूर्ण गति है, इस गति के माध्यम से सागर में जल-स्तर की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। अतः सागर की इस गति के परिणामस्वरूप जल के स्तर में सदैव परिवर्तन होता रहता है। महासागरीय जल सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर उठता है और आगे की ओर बढ़ता है। इस अवस्था को ज्वार कहते हैं। जल के नीचे उतरने अथवा पीछे हटने को भाटा कहा जाता है।

ज्वारभाटा के अन्तर्गत सागरीय जल-स्तर के उस परिवर्तन को ही सम्मिलित किया जाता है जो सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति द्वारा होते हैं। सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी की स्थिति ज्वार के समय निम्नवत होती है-

महासागरीय जल में सूर्य तथा चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप ही ज्वार की उत्पत्ति होती है। चन्द्रमा के ठीक सामने का पृथ्वी का धरातल चन्द्रमा से सबसे नजदीक होता है, जबकि चन्द्रमा के धरातल से पृथ्वी का केन्द्र एवं उसका पृष्ट भाग कहीं अधिक दूर होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की गणना में यह दूरी विशेष महत्वपूर्ण है। अत: पृथ्वी का वह भाग जो चन्द्रमा के सामने पड़ता है, चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा इसके ठीक पीछे वाले भाग सबसे कम प्रभावित होता है। सामने पड़ने वाले भाग का जल आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठता है, जिससे सागर में ज्वार आता है। यही स्थिति पृथ्वी के इस भाग के बिल्कुल पीछे वाले भाग में भी होती है। पीछे के भाग में जल के पीछे रहने एवं केन्द्र प्रसारी दल के सम्मिलित प्रभाव से उबर आता है। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो चन्द्रमा के सामने व दूसरा उससे ठीक पीछे के भाग में। चन्द्रमा के सामने व उसके विपरीत भागों के बीच पर दो स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ से जल खिंचकर ज्वार वाले स्थान पर आ जाता है। अतः इन स्थानों पर जल सतह से नीचा रहता है। इसे भाटा कहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के परिभ्रमण के कारण प्रत्येक स्थान पर ज्वारीय चक्र 24 घंटे व 52 मिनट लंबा होता है।

ज्वार के कारण

• चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय आकर्षण
• सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय आकर्षण
. पृथ्वी के केंद्र की ओर पृथ्वी का आकर्षण बल।
• ज्वार के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा जिम्मेदार है।

ज्वार के प्रकार

• अर्द्धदैनिक ज्वारभाटा - 12½ घंटे के अंतराल पर पुनरावृत्ति
• दैनिक ज्वार भाटा- 24 घंटों के अंतराल पर पुनरावृत्ति।
• बृहत् अथवा दीर्घ ज्वारभाटा - पखवाड़े में एक बार, चंद्रमा की परिक्रमा के कारण और इसका घटना।
• लघु ज्वारभाटा -पखवाड़े में एक बार, चंद्रमा की परिक्रमा और घटने के कारण।
• मासिक ज्वारभाटा- चंद्रमा की परिक्रमा के कारण और इसकी भू-समीपक व चरमोत्कर्ष की स्थिति में।

बृहत् अथवा दीर्घ ज्वार - ज्वार उत्पन्न करने में चन्द्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण है, परन्तु सूर्य का प्रभाव भी ज्वार उत्पन्न करने में सहायता है। जव सूर्य, पृथ्वी चन्द्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चन्द्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से वृहत अथवा दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। यहाँ सूर्य का प्रभाव कम दिखायी देती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से औसतन 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर है जबकि चन्द्रमा केवल 4,04,800 किलोमीटर है।

लघु ज्वार - **पूर्णमासी तथा अमावस्या के मध्य कृष्ण पक्ष और शुक्लु पृक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी की तिथियों में सूर्य और चन्द्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। समकोणीय स्थिति के द्वारा सूर्य और चन्द्रमा, महासागरीय जल को अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण महासागरों में इस दिन पानी का उतार व चढ़ाव** सबसे **कम रहता है।**

भारत के पर्वत

हिमालय

इसका मतलब है 'बर्फ का निवास'। यह विश्व में सबसे नए वलित पर्वतों की श्रृंखला है और मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं।

ये पश्चिम में सिंधु नदी से, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हुए हैं। पूर्वी हिमालय पटकाई पर्वत, नागा पर्वत, मिजो पर्वत और गारो, खासी एवं जयंतिया पर्वतों से निर्मित हैं, साथ ही इस क्षेत्र को पूर्वांचल के रूप में भी जाना जाता है।

'पामीर' को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, जो हिमालय और मध्य एशिया की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की कड़ी है। जिन्हें 3 समानांतर या देशांतर क्षेत्रों के रूप में प्रत्येक को अलग विशेषता के रूप में विभाजित किया जा सकता है।

हिमालय या हिमाद्री

इसमें कुछ दर्रे हैं और इनमें से लगभग सभी की ऊंचाई 4500 मी से अधिक है। जिसमे से हिमाचल प्रदेश में 'शिपकी ला' दर्रा और 'बारा लाचा ला' है, कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला दर्रा हैं, उतराखंड में नीति दर्रा, लिपुलेख और 'थांग ला' दर्रा है तथा सिक्किम में 'जेलेप ला' और 'नाथू ला' दर्रा शामिल है।

औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक फैली हुई है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ यहां हैं:

माउंट एवरेस्ट (या सागरमाथा या चोमो लांग्मा)	8848 मी. (नेपाल में)
कंचनजंघा पर्वत	8598 मी. (भारत में)

मकालू पर्वत	8481 मी. (नेपाल में)
धौलागिरी पर्वत	81 72 मी. (नेपाल में)
चो ओयु पर्वत	8153 मी. (नेपाल में)
नंगा पर्वत	8126 मी. (भारत में)
अन्नपूर्णा पर्वत	8078 मी. (नेपाल में)
नंदा देवी पर्वत	7817 मी. (भारत में)

लघु हिमालय या हिमाचल

पर्वतों की औसत ऊंचाई 3700 – 4500 मी है।

पर्वत और घाटियाँ सभी दिशाओं में फैली हुई हैं (पर्वत 5000 मी. तक हैं और घाटियाँ 1000 मी तक हैं)

इसकी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं: धौलागिरी, पीर पंजाल, नाग तिब्बा, मसूरी।

बाहरी हिमालय या शिवालिक

न्यूनतम पर्वत श्रृंखला (औसत ऊंचाई 900-1200 मी. है)

ये तलहटी बनाते हैं और यह लघु हिमालय और मैदानों के बीच स्थित है।

यह नवीनतम श्रृंखला है।

ट्रांस - हिमालय क्षेत्र

यह श्रृंखला हिमालय के उत्तर में है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं जैसे-काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर आदि। इस क्षेत्र में सबसे ऊँची चोटी के2 या गॉडविन ऑस्टिन(8611मी.) जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। अन्य चोटियों में हिडन चोटी(8068मी.), ब्रॉड चोटी (8047 मीटर) गशरब्रुम द्वितीय (8035 मीटर) है।

नुबरा घाटी में सियाचिन सबसे लम्बा ग्लेशियर है, जो 72 कि.मी से अधिक लम्बा है (यह विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर है)। इस क्षेत्र में बिफो, बल्तारो, हिस्पुर अन्य महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं।

यह क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा हिम-आच्छादित क्षेत्र हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

उत्तर प्रदेश की सीमा को अधिकतम 8 राज्य स्पर्श करते हैं (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार)। उत्तर प्रदेश के बाद असम आता है जिसके साथ 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है।

कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है : गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।

भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश।

भारत में 10 राज्य तटीय रेखा बनाते हैं अर्थात- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।

2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात 'दमन और द्वीप' तथा 'पुदुचेरी' भी तटीय क्षेत्र पर हैं।

केंद्र शासित प्रदेश अंदमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप केवल द्वीपों से निर्मित हैं।

भारत के मैदानी क्षेत्र

हिमालय के दक्षिण से और प्रायद्वीप के उत्तर के बीच उत्तर भारत के विस्तृत मैदान हैं। ये तीन प्रमुख नदी प्रणालियों-सिंधु, गंगा और ब्रहमपुत्र द्वारा द्वारा निर्मित होता है।

उत्तर भारत के विस्तृत मैदान, प्रकृति में जलोढ़ हैं और पश्चिम का अधिकांश भाग 'थार मरुस्थल' से आच्छादित है।

गंगा के मैदानों में जलोड़क की मोटाई सर्वाधिक है और पश्चिम मैदानों में सबसे कम है।

मैदान चार भागों में विभाजित हैं:

भाबर : शिवालिक की तलहटी साथ। अत्यधिक झरझरा

तराई : धाराओं को पुनः भरना और अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र है।

बांगर: पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान। कैल्शियम युक्त संरचनाओं को कंकर कहते हैं।

खादर: नई जलोढ़ मिट्टी के मैदान और नदी क्षेत्र के किनारे बाढ़ के मैदान बनते हैं।

भारत के प्रायद्वीप पठार

यह तीन तरफ से समुद्र से घिरे सिंधु-गंगा के मैदानों के दक्षिण में फैला है। उत्तर में उसके आधार के साथ एक त्रिभुज के आकार में यह पठार है।

पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, क्रमशः इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं।

नर्मदा, जो एक भ्रंश घाटी से बहती है, वह इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है: उत्तर में मालवा के पठार और दक्षिण में दक्कन के पठार।

विंध्य पठार मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है।

छोटा नागपुर पठार, बंगाल बेसिन के पश्चिम में है, जो रांची पठार का सबसे बड़ा और विशिष्ट भाग है।

दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है। यह विदर विस्फोट के माध्यम से क्रीटेशस-इयोसीन युग में लावा के प्रवाह से बना है।

भारत के द्वीप समूह

भारत का कुल तटीय क्षेत्र : 7516 कि.मी. है, सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की है (दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा आन्ध्रप्रदेश की है)।

भारतीय प्रादेशिक सीमा में 248 द्वीप शामिल हैं:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अंडमान में 204 द्वीपों का समूह है जिसमे सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंदमान को देश के उत्तर-पूर्व में पर्वत श्रृंखला के विस्तार का भाग मानते हैं।

उत्तर अंडमान में सैडल पीक (737 मी.) सबसे ऊँची चोटी है।

निकोबार 19 द्वीपों का एक समूह है, जिसमे सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है। इनमें से अधिकतर प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखीय हैं।

ग्रेट निकोबार दक्षिणतम द्वीप है और यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से 147 कि.मी. दूर है।

ज्वालामुखीय द्वीप: बैरन और नार्कोडम द्वीप। 200 वर्षों तक शिथिल रहने के बाद अब यह विस्फोट की प्रक्रिया में है।

अरब सागर समूह

अरब सागर में सभी द्वीप (कुल 25) प्रवाल द्वीप हैं और सजावटी चट्टानों से घिरे हैं (उत्तर में- लक्ष्यद्वीप, दक्षिण में मिनिकॉय)

क्या आप जानते हैं?

10 डिग्री. चैनल. अंडमान से निकोबार को पृथक करता है(छोटा अंडमान, कार निकोबार से)
डंकन पैसेज, दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के बीच स्थित है।
9 डिग्री. चैनल, मिनिकॉय से कवारती को पृथक करता है।
8 डिग्री. चैनल, मिनिकॉय द्वीप(भारत) को मालद्विप से पृथक करता है।

भारत की नदियाँ

भारत में, नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है।
हिमालय की नदियाँ --1) सिंधु 2) गंगा 3) ब्रहमपुत्र
प्रायद्वीपीय नदियाँ --1) पूर्व की ओर बहने वाली, 2) पश्चिम की ओर बहने वाली

भारत की हिमालय नदियाँ

सिंधु तंत्र

इसकी कुल लम्बाई 2880 कि.मी है (भारत में 709 कि.मी)। तिब्बत (चीन) में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। जम्मू और कश्मीर में इसकी हिमालय सहायक नदियाँ हैं- जांस्कर, द्रास, गर्टग, श्योक, शिगार, नुबरा, गिलगित आदि। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो सिंधु नदी से विभिन्न स्थानों पर मिलती है अर्थात- झेलम, चेनाब (1800कि.मी), रावी, व्यास और सतलुज।

स्रोत : झेलम का उद्गम स्थल वेरीनाग है (दक्षिण पूर्व कश्मीर), रावी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ियाँ है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास है और सतलुज नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल में राकस ताल-मानसरोवर से है।

.

गंगा तंत्र

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसकी लम्बाई 2525 कि.मी. है, बिहार में 445 कि.मी. है और पश्चिम बंगाल में 520 कि.मी है। गंगा दो मुख्य नदियों भागीरथी और अलकनंदा के संगम से एक प्रमुख धारा बनती है जो देवप्रयाग से गंगा का रूप में संयुक्त हो जाती है।

स्रोत: : गौमुख से भागीरथी, बद्रीनाथ से अलकनंदा, केदारनाथ से मंदाकनी (सभी उत्तराखंड से हैं)। यमुना(1375 कि.मी) गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर हैं। यह 800 कि.मी तक गंगा के समानांतर चलती है और इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चम्बल, बेतवा (480 कि.मी) और केन(सभी गंगा के दक्षिण से हैं)। यमुना के अलावा, गंगा की अन्य सहायक नदियों में घागरा(1080 कि.मी), सोन (780 कि.मी), गंडक (425 कि.मी), कोसी (730 किमी), गोमती (805 कि.मी) दामोदर (541 कि.मी)। कोसी नदी, बिहार के शोक के रूप प्रसिद्ध है, जबकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इन नदियों में बाढ़ आती रहती है। हुगली, गंगा की एक सहायक नदी है जो कोलकाता से बहती है।

ब्रहमपुत्र नदी तंत्र

इस नदी की कुल लम्बाई 2900 कि.मी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत(चेमयुन्दुंग ग्लेशियर) है, जहाँ इसे सान्ग्पो कहते हैं और भारतीय क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सुबानसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता हैं। बांग्लादेश में ब्रहमपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, जबकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं।
इसकी संयुक्त धारा को केवल पद्मा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले प्रमुख सहायक नदी मेघना है।
गंगा और ब्रहमपुत्र नदियों की संयुक्त धारा, 'सुंदरवन' के रूप में विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो 58,752 वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका अधिकतर भाग बांग्लादेश में है।
ब्रहमपुत्र नदी द्वारा असम में माजुली नदी द्वीप है जो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
ब्रहमपुत्र या लाल नदी डिब्रूगढ़ तक 1384 कि.मी में जहाज चलाने योग्य है और एक उत्कृष्ट अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग के रूप में कार्य करता है।

भारत में प्रायद्वीपीय नदियाँ

A. पूर्व-दिशा में बहने वाली भारत की नदियाँ (या जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं)

महानदी (858 कि.मी) : यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। **गोदावरी नदी(1465 कि.मी**): गोदावरी नदी को 'वृद्ध गंगा' या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, इसका उद्गम स्थल नासिक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ-मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, इन्द्रावती, वेनगंगा आदि हैं।

कृष्णा नदी नदी (1327 कि.मी) : इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ-कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि हैं।

कावेरी नदी (805 कि.मी) : यह सबसे बड़ी नदी है (सबसे अधिक पानी के संदर्भ में)। यह एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जो वर्ष भर बहती है। इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के ब्रहमगिर श्रंखला से है। इसमी प्रमुख सहायक नदियाँ- हेमवती, लोकपावनी, शिमसा हैं।

स्वर्ण रेखा नदी(395 कि.मी) और **ब्राहमणी नदी** (705 कि.मी) इनका उद्गम स्थल रांची के पठार से है।

B. भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ

नर्मदा नदी (1057 कि.मी) : इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह जबलपुर के पास प्रसिद्ध 'धुआं धार' जलप्रपात बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ- हिरन, बुर्नेर, बंजर, शार, शक्कर, तवा आदि।

ताप्ती नदी (724 कि.मी) : इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में बेतुल जिले में है। साथ ही इसे नर्मदा नदी की जुड़वाँ या कटपुतली नदी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ- पूर्णा, बेतुल, अरुनावती, गंजल आदि हैं।

साबरमती नदी (416 कि.मी) : इसका उद्गम स्थल राजस्थान में अरावली से है।

माही नदी (560 कि.मी) : इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में विंध्य से है।

लूनी नदी (450 कि.मी) : इसका उद्गम स्थल अरावली से है। इसे नमक नदी भी कहते हैं। यह अंत में कच्छ के रण में दलदली मैदान में खो जाती है।

शरावती नदी, सह्याद्री की पश्चिम में बहने वाली नदी है। यह प्रसिद्ध 'जोग या गेर्सोप्पा' या 'महात्मा गाँधी' जलप्रपात निर्मित करती है, जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है।

नोट: भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील इंदिरा सागर झील है, जो गुजरात-मध्यप्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना का जलाशय है।

उड़ीसा में चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे भी, यह भारत की सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर में
वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 'डल' झील भी जम्मू कश्मीर में है। सांभर और डीडवाना झील राजस्थान में हैं, जहाँ नमक उत्पादित होता है। अन्य प्रमुख नदी केरल में वेम्बंद और आंध्रप्रदेश में कोल्लेरू और पुलिकट हैं।

भारतीय क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण खाड़ियाँ :

कच्छ की खाड़ी (गुजरात के पश्चिम में) : ज्वारीय उर्जा उत्पादन की उचतम क्षमता का क्षेत्र।

खम्बात की खाड़ी (गुजरात) : इसमें नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियाँ आ कर मिलती हैं।

मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में): एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व।

भारत में प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं

- **भाखड़ा नांगल परियोजना:** : पंजाब में सतलुज नदी पर बना है, यह भारत में सबसे ऊँचा (226 मी) है। इसके जलाशय को गोबिंद सागर झील कहते हैं।
- **मंडी परियोजना:** हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर,
- **चम्बल घाटी परियोजना:** मध्य प्रदेश और राजस्थान में चम्बल नदी पर स्थित है इस पर 3 बाँध है अर्थात-गाँधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध।
- **दामोदर घाटी परियोजना:** बिहार में दामोदर नदी पर स्थित है।
- **हीराकुंड:** उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह बांध 4801 मी लंबा है।
- **रिहंद** :मिर्जापुर में सोन नदी पर है । इस पर बने जलाशय का नाम गोविन्द वल्लभ पन्त है।
- **मयूर काशी परियोजना**: पश्चिम बंगाल में मयुरकाशी पर बना है।
- **काकरापारा परियोजना** : गुजरात में तापी नदी पर स्थित है।
- **निजाम सागर परियोजना**: आंध्रप्रदेश में मंजरा नदी पर स्थित है।
- **नागार्जुन सागर परियोजना:** आंध्रप्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है ।
- **शिवसमुद्रम परियोजना:** कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है।
- **टाटा हाइडल परियोजना** : महाराष्ट्र में भीमा नदी स्थित है।
- **शरावती हाइडल परियोजना**: कर्नाटक में जोग जलप्रपात पर स्थित है।
- **कुंडा और पेरियार परियोजना** : तमिलनाडु में,
- **फरक्का परियोजना:** पश्चिम बंगाल मे गंगा नदी पर स्थित है। पावर और सिंचाई के आलावा यह आसन जहाज परिचालन के लिए गाद को हटाता है।
- **उकाइ परियोजना:** गुजरत मे ताप्ती नदी पर स्थित है।
- सलाल परियोजना: जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है।
- माता तिला बहुउद्देशीय परियोजना –उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेतवा पर स्थित है।
- थेन परियोजना : पंजाब ने रावी नदी पर स्थित है।
- पोंग बांध : पंजाब में ब्यास नदी पर स्थित है।

भारत की जलवायु

भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है।

भारत में जलवायु मौसम

भारत में**,** एक वर्ष को चार मौसमों में विभाजित किया जा सकता है, जो मुख्यतः भूमि की उष्णता की विभिन्नता एवं सूर्य की उर्ध्वाधर किरणों की गति के कारण होता है**।**

दक्षिण में अधिकतम तापमान अप्रैल में होता है जबकि उत्तर में अधिकतम तापमान मई और जून में होता है। कर्णाटक में चैरी फुल होते

हैं जो कॉफ़ी की बागवानी के लिए लाभकारी होते हैं तथा दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि होती है जो आम की फसलों के लिए लाभदायक है।

दक्षिण में- पश्चिमी मानसून दो धाराओं में देश में प्रवेश करता है, एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहता है और एक अरब सागर के ऊपर से होते हुए आता है। यह मानसून देश के अधिकांश भाग में वर्षा होने का कारण बनता है (तमिलनाडु और रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़ कर)। डेल्टा क्षेत्र पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय में खासी घाटी में प्रवेश करती है, यह इस क्षेत्र में कीप आकार के कारण आकर फस जाता है। यह एक विशेष सीधी दिशा में चेरापूंजी में प्रहार करता है, जिसके कारण मानिसराम में तेज वर्षा होती है (लगभग 1400 से.मी)। सितम्बर के मध्य से दिसम्बर के मध्य में मानसून पीछे हट जाता है। सूरज की खड़ी किरणों का मकर रेखा की ओर स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है, कम दबाव क्षेत्र दक्षिण में बढ़ने लगता है और हवाएं भूमि क्षेत्रों से समुद्र की और बहना शुरू कर देती हैं। इसे पूर्वोत्तर मानसून कहा जाता है। मानसून की वापसी इसके शुरू होने की तुलना में काफी अधिक क्रमिक प्रक्रिया है। यह तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण बनता है और हवाएं बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी लेकर आती है। जब सम्पूर्ण देश में वर्षा होती है तब तमिलनाडु में सुखा रहने की घटना को स्पष्ट करता है और जब तमिलनाडु में वर्षा होती है तो सम्पूर्ण देश सुखा रहता है।

भारत में जलवायु क्षेत्र

भारत में जलवायु क्षेत्र को एक संख्या में विभाजित किया जा सकता है।

भारत में ऊष्ण कटिबंधीय वर्षा वन: ये वन पश्चिम तटीय मैदानों में पाये जाते हैं, पश्चिमी घाट एवं असम के क्षेत्रों में। यह पूरे वर्ष उच्च तापमान को चित्रित जरता है। यहाँ मई से नवम्बर के दौरान लगभग 200 मौसमी वर्षा होती है।

उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु: अधिकांश प्रायद्वीप क्षेत्रों में अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों को छोड़ कर पश्चिमी घाट के अनुवात पक्ष में पाये जाते हैं। यहाँ । यह सर्दियों के दौरान और गर्मियों के आरंभ तथा उच्च तापमान के दौरान (18.2 डिग्री सेल्सियस से उपर) लंबे समय तक शुष्क मौसम को चित्रित करता है। इस क्षेत्र के पश्चिम में 76 से.मी और पूर्व में 150 से.मी वर्षा होती है।

उष्णकटिबंधीय अर्द्ध शुष्क जलवायु मैदान: यह वर्षा छाया बेल्ट को प्रबल करता है, जो केंद्रीय महाराष्ट्र से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट और इलायची की पहाडियों के अनुवात पक्ष की ओर चलती हैं। यह 20 और 30 के बीच उच्च तापमान में 38 से.मी से 80 से.मी वर्षा के रूप में चित्रित होता है।

उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मैदान : पंजाब का बड़ा क्षेत्र , हरियाणा और कच्छ का क्षेत्र। तापमान 12 से 35 डिग्री के बीच रहता है। अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। वार्षिक वर्षा, 30.5-63.5 सेमी होती है, साथ ही यह अत्यधिक अनिश्चित है।

उष्णकटिबंधीय मरुस्थल: यह जलवायु राजस्थान के जिलों बैनर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के पश्चिमी भाग और कच्छ के भाग में फैली है। यह अल्प वर्षा (30.5 सेमी) को चित्रित करती है, जो अत्यधिक अनिश्चित है। बारिश बादल फटने के रूप में ज्यादातर होती है। मीन मासिक औसत तापमान समान रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है।

आर्द्र शीत काल के साथ नम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु: इस क्षेत्र में हिमालय का दक्षिण भाग, पूर्व उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मैदान और उष्णकटिबंधीय सवाना का उत्तरी भाग शामिल है। शीत काल अत्यंत गंभीर जबकि गर्मियों बेहद गर्म हैं होती हैं। वार्षिक वर्षा 63.5 सेमी से 254 सेमी से अधिक तक होती है, यह अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्राप्त होती है। 63.5 सेमी से भिन्न होता है इसमें से अधिकांश दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान प्राप्त।

पर्वतीय जलवायु: इस प्रकार का मानसून पर्वतीय क्षेत्रों मे देखा जाता है जो 6,000 मी. से ऊपर या हिमायल और काराकोरम श्रंखला में होता है।

भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले तथ्य

अक्षांश:: भारतीय भूभाग समान रूप से 'कर्क रेखा' द्वारा समान रुप से विभाजित है। इस प्रकार, भारत के आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु है और अन्य आधे भाग उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है।

ऊंचाई: तटीय क्षेत्रों में औसत ऊंचाई करीब 30 मीटर है, उत्तर में औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोकता है। इस के कारण, उपमहाद्वीप तुलनात्मक रूप से मध्य एशिया की तुलना में कम ठंडा होता है।

दबाव और हवायें : भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर-पूर्वी हवाओं के क्षेत्र में निहित है। ये हवाएं उत्तरी गोलार्द्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से ही शुरू होती हैं। इसके बाद, ये हवाएं दक्षिण की ओर चलती हैं। ये 'कोरिओलिस बल' की वजह से दायीं ओर मुड जाती हैं और फिर भूमध्य रेखा के पास कम दबाव क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं।

मिट्टियाँ

1. **जलोढ़ मिट्टी** (**Alluvial Soil**):

भारत में यह कुल भूमि क्षेत्र का 40% भूभाग है। यह अत्यधिक उपजाऊ है और कृषि उपज के बहुत बड़े भाग का योगदान करती है। यह मुख्यतः उत्तरी मैदानों में पायी जाती है, पश्चिम में पंजाब से आरंभ करते हुए, पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम तक विस्तृत है।

गुजरात का उत्तरी भाग और तटीय क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।

रेत, गाद और मिट्टी के महीन कणों जलोढ़क कहा जाता है।
जलोढ़ मिट्टी को दो भागो में बांटा जा सकता है
1. पुरानी जलोढ़, जिसे बांगड़ कहा जाता है।
2. नई जलोढ़क, जिसे खादर कहा जाता है।
जलोढ़ मिट्टी सिंचाई के अनुकूल है और इसमें चावल, गेहूं, मक्का,गन्ना, धान की बम्पर फसलों का उत्पादन कर सकते हैं।

2. **काली मिट्टी (Black Soil)**:
काली मिट्टी को स्थानीय स्तर पर 'रेगुर मिट्टी' भी कहा जाता है, यह तेलगु के एक शब्द रेगुडा ' से व्युत्पन्न माना जाता है।
इसे काली कपास भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की फसल के लिए काली मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
काली मिट्टी ज्यादातर डेक्कन ट्रैप में पायी जाती है, जो महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्रों में फैली है।
काली मिट्टी को नमी धारण करने की अपनी अच्छी क्षमता के लिए जाना जाता है।
काली मिट्टी को व्यापक रूप से कपास, गेहूं, अलसी, बाजरा, तंबाकू और तिलहन के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

3. **लाल मिट्टी (Red Soil):**
लाल मिट्टी भारत के क्षेत्रफल के 10% क्षेत्र पर है, ज्यादातर भाग प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है।
लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण-पूर्व के हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखण्ड में पायी जाती है।
इस मिट्टी का लाल रंग लौह आक्साइड के उच्च प्रतिशत की वजह से है।
यह मिट्टी पोटाश में समृद्ध है, लेकिन इस मिट्टी में चूना, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और हुमस अल्प मात्रा में है।
लाल मिट्टी कपास, गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, तंबाकू, तिलहन, आदि की उत्कृष्ट पैदावार दे सकती हैं।

4. **लेटराइट मिट्टी**: (**Laterite Soil):**
लेटराइट शब्द एक लेटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ 'ईंट' है।
यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों, विंध्य, सतपुड़ा एवं मालवा पठार के शिखर पर पायी जाती है। यह अच्छी तरह से दक्षिणी महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, असम और मेघालय में विकसित है।
इस प्रकार की जलवायु परिस्थितियां मिट्टी की लीचिंग बढ़ावा देती है। लीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें भारी बारिश मिट्टी के उपजाऊ हिस्से को धो देती है। लेटराइट मिट्टी रंग में लाल होती है और यह मिट्टी बलुआ पत्थर और ज्यादा बजरी से बनती है।
गहन लीचिंग के कारण, लेटराइट मिट्टी की उर्वरता आम तौर पर कम उपजाऊ होती है और फसल उत्पादन के लिए कम मूल्य की होती है। लेकिन जब निरंतर इसकी सिचाई आदि की जाती है तो यह चाय, कॉफी, रबर, नारियल, सुपारी, आदि जैसे रोपण फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त हो जाती है।

5. **पर्वतीय मिट्टी** (**Mountain Soil):**
पर्वतीय मिट्टी वनों के साथ पहाड़ी ढलानों पर आम तौर पर पायी जाती है।
यह मिट्टी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में पायी जाती है। यह मिट्टी ह्यूमस में समृद्ध है, लेकिन पोटाश, फास्फोरस और चुने की कमी होती है। हिमालय क्षेत्र में गेहूं, मक्का, जौ और शीतोष्ण फल इस मिट्टी पर उगाए जाते हैं।
यह मिट्टी मुख्यतः रोपण फसलों जैसे चाय, कॉफी, मसाले और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में उष्णकटिबंधीय फल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

6. रेगिस्तानी मिट्टी (**Desert Soil):**
रेगिस्तान मिट्टी ज्यादातर अर्द्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पायी जाती है, इस मृदा क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 50 सेमी से कम होती है।
इस तरह के क्षेत्र ज्यादातर राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
गुजरात में कच्छ के रन इसका एक विस्तृत क्षेत्र है।
रेगिस्तान मिट्टी में रेत (90 से 95 प्रतिशत) और मिट्टी (प्रतिशत 5 प्रति 10) है। रेगिस्तान मिट्टी में गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, दालें, कपास, आदि फसलों की किस्मों का उत्पादन कर सकते हैं।

भारत में प्राकृतिक वनस्पति

उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन –इस प्रकार के वन क्षेत्रों में 250से.मी. वर्षा होती है। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। इन वनों में शीशम, आबनूस, आयरनवुड आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन- इस प्रकार के वन क्षेत्रों में 100 – 200 से.मी. वर्षा होती है। ये वन क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्रों और हिमालय की छोटी पहाड़ियों शिवालिक, भाभर और तराई में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में बसंत और गर्मियों की शुरुआत के दौरान जब पर्याप्त नमी उपलब्ध नहीं है तो पेड़ 6-8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते छोड़ देते हैं।
इस प्रकार के वनों में सागौन, साल, बांस, चंदन, शीशम, आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

कंटक वन
इस प्रकार के वन क्षेत्रों में 25- 80 से.मी. वर्षा होती है। ये वन क्षेत्र राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों, पंजाब, हरयाणा और गुजरात में पाये जाते हैं। पेड़- खजूर, बबूल, आदि हैं।

पहाड़ी वन –इस प्रकार के वन क्षेत्र दक्षिण भारत और हिमालय में पाये जाते हैं।

पेड़ के प्रकार पहाड़ी की ऊंचाई पर निर्भर हैं : साल और बांस के वृक्ष 1000 मी. की ऊंचाई से नीचे होते हैं, ओक, अखरोट और अन्य फलों के पेड़ और चीड के वन 1000 – 2000 मी. की ऊंचाई पर होते हैं, पाइन, देवदार, चांदी फर्न और स्प्रूस के वृक्ष 1600 – 3300मी. की ऊंचाई पर होते हैं और 3600 से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन के वन हैं जिसमे सिल्वर फिर्स , पाइन और बर्च के वृक्ष होते हैं। अल्पाइन के वनों में घास के मैदान मिलते हैं।

ज्वार या सदाबहार वन

इसके अलावा इन वनों को नदी के किनारे या दलदल वन के रूप में जाना जाता है। ये वन समुद्र तट के किनारे और नदियों के ज्वारनदमुख में पाए जाते हैं, सुंदरवन और अंडमान में विशेष रूप पाये जाते हैं। इसमें सुंदरी पेड़ सबसे महत्वपूर्ण है। यह कठोर और टिकाऊ लकड़ी प्रदान करता है जो निर्माण प्रयोजनों और इमारतों के साथ ही नाव बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

मध्य प्रदेश वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। कुल क्षेत्रफल में से वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे पहले अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह है बाद में मिजोरम है। सदाबहार वन में, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उसके बाद गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह हैं।

वनों का सबसे कम प्रतिशत व्यापक कृषि की वजह से, हरियाणा और पंजाब में है।

भारत बायोस्फीयर भंडार

भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व - नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व – देश में 1986 में आरंभ हुआ, अब तक देश में 14 रक्षित जीवमंडल अस्तित्व में आ चुके हैं।

राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीवन अभयारण्य

भारत में 96 राष्ट्रीय उद्यान और 510 वन्यजीव अभयारण्य हैं।

मध्य प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या(प्रत्येक में 9) है जबकि अंडमान एवं निकोबार में 96 और महाराष्ट्र में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 36 है (भारत में अधिकतम)।

भारत में फसल चक्र

भारत की खरीफ फसलें

इन फसलों को गर्मियों में मई और जुलाई के बीच बोया जाता है और मानसून के बाद सितम्बर और अक्तूबर में काटा जाता है।

उदाहरण के लिए: चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, दाल, आदि

भारत में रबी फसलें

इन फसलों को सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है और गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले फरवरी और अप्रैल के बीच काटा जाता है।

उदाहरण के लिए: गेहूं, जौ, तिलहन, चना, आलू, आदि

जायद फसलें

ये फसलें अप्रैल और जून के बीच उगती हैं।

जैसे : खरबूज, तरबूज, ककड़ी, Toris, और अन्य पत्तेदार सब्जियों

भारत की नगदी फसलें (वाणिज्यिक फसलें)

इन फसलों को मुख्यतः बाजार के लिए उगाया जाता है, इन फसलों के कुल उत्पादन का केवल कुछ भाग ही किसानों द्वारा उपभोग किया जाता है और शेष फसल को बाजार में बेचने के उद्देश्य से बोया जाता है।(गन्ना, कपास आदि)।

नगदी फसलें

गन्ना	**यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में**
कपास	महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में
जुट और Mesta	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में
चाय	असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में
कॉफी	Kamalaka, केरल, तमिलनाडु में
रबड़	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में
रेशम	कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश में। भारत में रेशम की सभी चार किस्में उपलब्ध हैं: शहतूत, टसर, इरी और मुगा। शहतूत मुख्य किस्म है जबकि टसर मुख्य रूप से बिहार में पाया जाता है। .
तम्बाकू	गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में

झूम

खेती का स्थानांतरण प्रकार जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी ढलानों में खेती के रूप में की जाती है। इस में पेड़ों या पौधों को गिरा कर या काट कर उनमें आग लगा दी जाती है। जले हुए पेड़ों और अन्य वनस्पतियों की राख मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करती है। यह भूमि 2-3 साल के लिए प्रयोग में लायी जाती है और जब मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाता है तो झूम छोड़ दिया जाता है।

भारत में रेलवे

भारतीय रेलवे प्रणाली, एशिया में सबसे बड़ी प्रणाली है और यह विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। यह देश में सबसे बड़ा विभागीय सार्वजनिक उपक्रम है। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी दूरी 34 कि.मी थी।

1854 में दूसरी ट्रेन हावड़ा और हुगली के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 'डेक्कन क्वीन' थी। यह बंबई और पूना के बीच 1929 में शुरू की गई।
भारतीय रेलवे रूस के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी विद्युतीकृत प्रणाली है। भारत में सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन 'शताब्दी एक्सप्रेस' है जिसकी अधिकतम गति 140 किमी/घंटा है। भारतीय रेलवे का सम्पूर्ण मार्ग क्षेत्र लगभग 63,000कि.मी. है। भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 7,100 है।
भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी लम्बाई 1,366.33मी (4,483 फुट) है, यह विश्व में सबसे लंबा है।
मुंबई वह गंतव्य स्थान है जहाँ के लिए भारत की सबसे ज्यादा ट्रेने चलती हैं।
पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में चलाई गई थी, जिससे दो स्टेशन दमदम और बेल्गाचिया जुड़े थे।
भारत का कोंकण रेलवे: यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच की दूरी कम करने के लिए एक परियोजना है। अप्टा (महाराष्ट्र) और मैंगलोर (कर्नाटक) के बीच समग्र मार्ग की लंबाई 786 किमी है ।

भारत में जल परिवहन

भारत में शामिल नदियां, नहरें, अप्रवाही जल आदि, में नौगम्य जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किमी है, जिसमे से 3700 किमी यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा नौगम्य योग्य मार्ग है।
भारत सरकार ने निम्नलिखित जल मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में मान्यता प्रदान की है:
NW 1: इलाहाबाद से हल्दिया - 1,629 किलोमीटर
NW 2: सादिया से धुबारी (ब्रहमपुत्र नदी पर) - 819 किलोमीटर
NW 3: कोल्लम से कोट्टापुरम - 186 किलोमीटर
NW 4: काकीनाडा से मरक्कनम (गोदावरी और कृष्णा नदी के साथ) - 1,100 किलोमीटर

भारत में बंदरगाह

भारत में जलमार्ग प्राधिकरण तीन श्रेणियों में भारतीय बंदरगाहों को विभाजित करता है अर्थात- मुख्य(बड़े), छोटे और मध्यम आकर के बंदरगाह। भारत में बंदरगाहों की कुल संख्या 190 है, जिसमे से 12 मुख्य या बड़े बंदरगाह है और शेष छोटे या मध्यम आकार के बंदरगाह हैं।

12 मुख्य या बड़े बंदरगाह :

बंदरगाह	राज्य
कोलकाता (हल्दिया सहित)	पश्चिम बंगाल
पारादवीप	उड़ीसा
विशाखापत्तनम	आंध्रप्रदेश
चेन्नई	तमिल नाडु
एन्नोर	तमिल नाडु
तूतीकोरिन	तमिलनाडु
कोचीन	केरल
न्यू मंगलौर	कर्नाटक
मर्मागोआ	गोवा
जवाहरलाल नहरु	महाराष्ट्र
मुंबई	महाराष्ट्र
कांडला	गुजरात

अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं

डूरंड रेखा	पाकिस्तान और अफगानिस्तान
मैकमोहन रेखा	भारत और चीन
रैडक्लिफ़ रेखा	भारत और पाकिस्तान
मैगिनोट रेखा	फ्रांस और जर्मनी
आर्डर नीस रेखा	जर्मनी और पोलैंड
हिंडन बर्ग रेखा	पोलैंड और जर्मनी (प्रथम विश्व युद्ध के दौरान)
38 वीं समानांतर	उत्तर और दक्षिण कोरिया
49 वीं समानांतर	अमेरिका और कनाडा

भारत में खनिज

1. **लौह:**
भारत के बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। लौह अयस्क बिहार में सिंहभूम और उड़ीसा के मयूरभंज के खानों में पाया जाता है। जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और भद्रावती में बृहत् इस्पात संयंत्र हैं।

2.कोयला :
यह 'काले हीरे' के रूप में जाना जाता है। नायलॉन, रसायन, रंजक, सुगंधित पदार्थ आदि जैसे उत्पाद कोयले के आसवन से प्राप्त होते हैं। कोयला बिहार, पश्चिम बंगाल, दामोदर घाटी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बिहार में झरिया और पश्चिम बंगाल में रानीगंज में भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं। अन्य कोयला खदानें- सुहागपुर (मध्य प्रदेश), धनबाद (बिहार), नेवेली (तमिलनाडु) और सिंगरानी (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं।

3. **पेट्रोलियम:**
पेट्रोलियम 'काले सोने' के रूप में जाना जाता है। पेट्रोलियम असम में डिगबोई, गुजरात में अंकेश्वर और कलोल तथा मुंबई के 'मुंबई हाई' में पाया जाता है।

4. **मैंगनीज:**
मैंगनीज स्टील के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। भारत दुनिया में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है।

5. **अभ्रक:**

भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके विशाल भंडार बिहार के 'गया', मुंगेर और हजारीबाग जिलों में पाए जाते हैं। मीका आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक की एक बड़ी मात्रा अन्य देशों को निर्यात की जाती है।

6. **एल्यूमीनियम:**

यह एक हल्की लेकिन कठोर धातु है। अयस्क के रूप में जो एल्यूमीनियम उत्पादित होता है उसे बॉक्साइट के नाम से भी जाना जाता है। बॉक्साइट के विशाल भंडार बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं।

7. तांबा:

यह विद्युत का अच्छा संचालक है। यह जिंक के साथ मिश्रित होकर पीतल के रूप में मिश्र धातु बनाता है और टिन के साथ मिश्रित होकर कांस्य बनाता है। यह भारत में कम मात्रा में पाया जाता है।
यह राजस्थान में खेतड़ी में पाया जाता है। कुछ तांबा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाया जाता है।

8. स्वर्ण:

स्वर्ण कर्नाटक में कोलर और हुट्टी तथा आंध्रप्रदेश में अनंतपुरम की खानों में पाया जाता है।

9. डायमंड:

हीरा मध्य प्रदेश में 'पन्ना' की खानों में पाया जाता हैं

भारत का भूगोल और क्षेत्र सीमाएं

1. भारत का भौगोलिक भाग 32,87,263 वर्ग कि.मी क्षेत्र में फैला है। जो विश्व के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 2.4% है और विश्व की जनसंख्या में 16% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
2. भारत की मुख्य तटीय भूमि 6100 कि.मी है। 'लक्ष्यद्वीप' तथा 'अंडमान और निकोबार' की तटीय सीमा को सम्मिलित करने से भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7516.6 कि.मी है।
3. भारत में कुल भूमि का आकार :
   a. मैदानी भूगोलीय भाग: 43.3%
   b. पठार : 27.7% • पहाड़ियाँ : 18.6%
   c. पर्वतीय भौगोलिक भाग: 10.7%
4. दक्षिण में पूर्वी भाग की दिशा में मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य भारत और श्रीलंका को पृथक करते हैं।
5. सीमा से लगे पड़ोसी देशों की कुल संख्या: 7 (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार)।
6. भारत में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप तथा अरब सागर में लक्ष्यद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप शामिल हैं।

भारत के महत्वपूर्ण तथ्य

- सर्वोच्च पुरस्कार – भारत रत्न
- सर्वोच्च वीरता पुरस्कार - परम वीर चक्र
- भारत की सबसे लंबी सहायक नदी – यमुना
- सबसे बड़ी झील – वुलर झील, कश्मीर
- सबसे बड़ी झील (खारे पानी की) – चिल्का झील, उड़ीसा
- मानव निर्मित सबसे बड़ी झील – गोविन्द वल्लभ पन्त सागर (रिहंद बांध)
- सबसे ऊँची झील- देवताल, गड़वाल (उत्तराखंड)
- सबसे ऊँची चोटी – काराकोरम-2 या k-2 (8,611 मीटर)
- सबसे अधिक जनसँख्या वाला शहर- मुंबई
- सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल) –राजस्थान
- सबसे बड़ा राज्य (जनसंख्या) – उत्तर प्रदेश
- सबसे अधिक वर्षा - चेरापूंजी (426 इंच प्रति वर्ष)
- राज्यों के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य – मध्य प्रदेश
- सबसे बड़ा डेल्टा – सुंदरबन डेल्टा
- सबसे लंबा नदी पुल – महात्मा गाँधी सेतु, पटना
- सबसे बड़ा गुफा मंदिर-एलोरा
- सबसे लंबी सड़क –ग्रांड ट्रंक सड़क
- सबसे लंबी नहर – इंदिरा गाँधी नहर या राजस्थान नहर (राजस्थान)
- सबसे बड़ा संग्रहालय – भारत संग्रहालय (कोलकाता)
- सबसे लंबा बांध – हीराकुंड बांध (उड़ीसा)
- सबसे ऊँचा बांध –टेहरी बांध (260 मीटर, 850 फुट)
- सबसे बड़ा जिला – कच्छ जिला
- सबसे लंबा - एन.एच -44 (एन.एच -7) जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। एन.एच
- सबसे छोटा राज्य (जनसँख्या) –सिक्किम
- सबसे छोटा राज्य (क्षेत्रफल) – गोवा
- सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल)- राजस्थान
- सबसे बड़ा राज्य (जनसँख्या) – उत्तर प्रदेश
- सबसे बड़ा गुफा मंदिर – कैलाश मंदिर, एलोरा (महाराष्ट्र)
- सबसे बड़ा बंदरगाह – मुंबई
- सबसे बड़ा चर्च - सेंट कैथेड्रल (गोवा)
- सबसे लम्बा समुद्र तट – मरीना तट, चेन्नई
- सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट – लेह (लद्दाख)
- सबसे लम्बा नदी द्वीप – माजुली (ब्रह्मपुत्र नदी, असम)

विवर्तनिक प्लेट (टेक्टोनिक प्लेट) सिद्धांत: -

यह सिद्धांत पृथ्वी के स्थलमंडल का बड़े पैमाने पर गति का वर्णन करता है। यह सिद्धांत लाखों वर्षों के दौरान महाद्वीपीय बहाव या खिसकाव के गठन की व्याख्या पर आधारित है।

प्लेट सीमाएं : दो विवर्तनिक प्लेटों (टेक्टोनिक प्लेट) के बीच संबंधित गतिविधि पर आधारित है, यहाँ प्लेट सीमाओं के तीन प्रकार हैं। वे इस प्रकार हैं:

संसृत सीमा: इस स्थिति में, दो आसन्न विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर चलती हैं।

भिन्न सीमा: इस मामले में, दो आसन्न प्लेटों एक दूसरे से दूर जाती हैं।

रूपांतरण सीमा: इस मामले में, दो आसन्न प्लेटें अपनी सीमाओं के साथ चलती हैं।

भारत का गठन

भारतीय प्रायद्वीप उत्तर की ओर खिसका और अंत में यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गया है। इस टकराव के परिणामस्वरूप

तलछटी चट्टानों के रूप में, पश्चिम एशिया और हिमालय की पर्वत श्रृंखला संचित हुई, जो पहले जीओसक्लाइन (टीथिस में रूप में जानते हैं) था। टेथिस सागर में हिमालय के उत्थान के कारण, भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी दिशा में थम गया और गठित होकर एक बड़ा बेसिन बना। यही कारण है कि दक्षिण में प्रायद्वीप से और उत्तर में, पर्वतों से आने वाली नदियाँ अवसादों से भरी होती थीं। इस प्रकार, जलोढ़ मिट्टी की एक व्यापक सपाट भूमि का गठन किया गया जो भारत के उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है।

विश्व में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं

- ✓ **एंडीज** - दक्षिण अमेरिका
- ✓ **हिमालय –** काराकोरम –हिन्दुकुश – दक्षिण मध्य एशिया
- ✓ **रॉकीस** - उत्तर अमेरिका
- ✓ **ग्रेट डिवाइडिंग रेंज –** पूर्वी ऑस्ट्रेलिया
- ✓ **पश्चिमी घाट –** पश्चिमी भारत
- ✓ **काकेशस यूरोप –** एशिया
- ✓ **अलास्का –** अमेरिका
- ✓ **आल्पस –** यूरोप
- ✓ **अपेनाइन** –यूरोप
- ✓ **यूराल** –एशिया
- ✓ **पेनाइन** -यूरोप
- ✓ **पेरेनिज** - यूरोप
- ✓ **अप्लेशिया** –उत्तर अमेरिका

हिमालय

- **पंजाब हिमालय** –सिंधु और सतलुज के बीच
- **कुमाऊ हिमालय** – सतलुज और काली के बीच
- **नेपाल हिमालय** – काली और तीस्ता के बीच
- **असम हिमालय** – तीस्ता और दिहांग के बीच

महत्वपूर्ण लैगून और झीलें

- **वेम्बनाद झील** – केरल- बड़े आकार का लैगून
- **कयाल्स** – केरल – केरल में ठहरे हुए पानी के लिए प्रसिद्ध है। केरल में ठहरे हुए पानी की मिट्टी को 'कारी' कहते हैं।
- **चिल्का झील –** उड़ीसा – महानदी डेल्टा का दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र
- **वुलर झील:** जम्मु और कश्मीर – भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील
- कोल्लेरू **झील :** आंध्रप्रदेश
- **पुलिकत झील:** आंध्रप्रदेश
- **जैसमंद झील :** राजस्थान-राजस्थान की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील
- **नक्की झील : राजस्थान –** माउन्ट आबू के पास छोटी प्राकृतिक झील जो पहाड़ियों द्वारा घिरी है यह पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।
- **लोकटक झील :** मणिपुर

खारे पानी की झीलें

सांभर झील – राजस्थान- जयपुर और नागौर जिले की सीमा से लगती यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है।

डीडवाना झील- राजस्थान

हरित क्रांति

- ■ भारत सरकार ने प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसे हरित क्रांति कहा जाता है।
- ■ हरित क्रांति को 1967-68 में पहली बार आरंभ किया गया था।
- ■ हरित क्रांति के जनक –डॉ. नॉर्मन बोरलॉग ।
- ■ भारत में हरित क्रांति के जनक - डॉ. एम.एस स्वामीनाथन।
- ■ हरित क्रांति अनाज की उच्च उपज किस्मों के विकास, सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विस्तार, और संकरित बीज का वितरण, सिंथेटिक उर्वरक, किसानों के लिए कीटनाशक आदि पर ध्यान केन्द्रित था।

स्वेत क्रांति

- ■ देश में श्वेत क्रांति 'ऑपरेशन फ्लड' के साधन के रूप में प्राप्त किया गया था। यह तीन चरणों में किया गया था।
- ■ ऑपरेशन फ्लड I .... 1970 - 1981
- ■ ऑपरेशन फ्लड II ... 1981 - 1985
- ■ ऑपरेशन फ्लड III ... 1985 - 1996.
- ■ श्वेत क्रांति को दूध और डेरी उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आरंभ किया गया था।
- ■ भारत में श्वेत क्रांति के जनक 'डॉ. वर्गिज कुरिन' हैं। इन्हें भारत के मिल्कमैन के रूप में भी जाना जाता है।

स्मरणीय

- राष्ट्रीय पशु -रॉयल बंगाल टाइगर
- राष्ट्रीय जलीय जानवर -डॉल्फिन
- राष्ट्रीय पक्षी -भारतीय मयूर
- राष्ट्रीय पेड़ -बरगद का पेड़

भारत में नदियों के किनारे स्थित नगर

- आगरा -यमुना, उत्तर प्रदेश
- अहमदाबाद - साबरमती, गुजरात
- अयोध्या -सरयू, उत्तर प्रदेश
- बद्रीनाथ - गंगा,उत्तराखंड
- कटक - महानदी, उड़ीसा

- दिल्ली -यमुना, दिल्ली
- डिब्रूगढ़ -ब्रह्मपुत्र, असम
- हरिद्वार -गंगा, उत्तरांचल
- हैदराबाद - मूसी, एपी
- जबलपुर - नर्मदा, एमपी
- कानपुर - गंगा, उत्तर प्रदेश
- कोलकाता - हुगली, पश्चिम बंगाल
- कोटा - चंबल, राजस्थान
- लखनऊ - गोमती, उत्तर प्रदेश
- लुधियाना - सतलुज, पंजाब
- नासिक - गोदावरी, महाराष्ट्र
- पंढरपुर - भीम, महाराष्ट्र
- पटना - गंगा, बिहार
- राजामुंदरी -गोदावरी, आंध्र प्रदेश
- संबलपुर - महानदी, उड़ीसा
- श्रीनगर - झेलम, जम्मू और कश्मीर
- सूरत - ताप्ती, गुजरात
- तिरुचरापल्ली - कावेरी, तमिलनाडु
- वाराणसी -गंगा, उत्तर प्रदेश
- विजयवाड़ा - कृष्णा, आंध्र प्रदेश

खनिज सम्पदा की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त राज्य (भारत)

1. कोयला —-झारखण्ड
2. बॉक्साइट (एल्युमीनियम अयस्क)—-उड़ीसा
3. क्रोमाइट (क्रोमियम अयस्क)—-उड़ीसा
4. लौह अयस्क—-उड़ीसा
5. मैगनीज—-उड़ीसा
6. सीसा एवं जस्ता—-राजस्थान
7. केल्साइट (संगमरमर का स्रोत)—-राजस्थान
8. जिप्सम (उर्वरक, प्लास्टर ऑफ़ पेरिस आदि में उपयोगी)—-राजस्थान
9. क्वार्टज़—-राजस्थान
10. एस्बेस्टस—- आंध्र प्रदेश
11. चूनापत्थर—-आंध्र प्रदेश
12. अबरख —- आंध्र प्रदेश
13. बैराइट्स (तेल एवं गैस की खोज में ड्रिलिंग तरल पदार्थ के भारोत्तोलन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, सीआर स्कैन में बेरियम का उपयोग किया जाता है)—- आंध्र प्रदेश
14. हीरा —-मध्यप्रदेश
15. तांबा अयस्क—- मध्यप्रदेश
16. सोना—-कर्नाटक
17. कोरंडम (रूबी और नीलम का स्रोत)—-महाराष्ट्र
18. रॉक साल्ट —-हिमाचल प्रदेश
19. कच्चा तेल—-गुजरात
20. प्राकृतिक गैस—-असम /नागालैंड

विश्व के महाद्वीप

विश्व के महाद्वीप

- एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका विश्व के सात महाद्वीप हैं।
- इन सात महाद्वीपों को पेंजिआ का भाग माना जाता है जो कि 250 मिलियन वर्ष पहले एक ही भूखंड के रूप में था।
- विवर्तनिक घटनाओं के कारण, भूखंड टूट गया और इसके भाग अलग होकर भिन्न दिशाओं अपनी वर्तमान स्थिति में विस्थापित हो गये। यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने में 1 मिलियन वर्ष लगे।

विश्व के महाद्वीप ये हैं

- एशिया महाद्वीप
- अफ्रीका महाद्वीप
- उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप
- दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप
- यूरोप महाद्वीप
- ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
- अंटार्टिका महाद्वीप

एशिया

1) क्षेत्रफल: 44,485,900 वर्ग किमी

2) जलडमरूमध्य: मालक्का जलडमरूमध्य, बेरिंग जलडमरूमध्य

3) पर्वत

पामीर की गांठ, हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, तिएनशान, अल्टाई, हिन्दू कुश, एल्बुर्ज़, पोंटिक, सुलेमान, ज़ग्रोस, तौरस, उराल, योब्लोनोवोई, स्टेनवाय.

4) उच्चतम बिंदु: एवेरेस्ट (8,848 मी)

5) निम्नतम बिंदु मृत सागर (396.8 मी)

6) **द्वीपसमूह** --- कुरिल, सखालिन, होन्शु, होक्काइडो, ताइवान, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, सेलेब्स, न्यू गिनी, फिलीपींस, श्रीलंका, बहरीन, साइप्रस.

7) **नदियाँ** - यूफ्रेट्स, टाइग्रिस, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ह्वांग-हो, यांग-टीएसई, सी-कियांग, आमूर, लीना-यनेसी, ओब, इरावदी, सल्विन, मेकांग

8) **पठार** -अनातोलिया, एनाटोलिया का पठार, ईरान का पठार, अरब का पठार, तिब्बत का पठार, तारिम बेसिन, मंगोलिया का पठार, युन्नान का पठार, दक्कन पठार।

9) **प्रायद्वीप**— कामचटका प्रायद्वीप, कोरिया का प्रायद्वीप, इंडो-चीन का प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप

10) **मरुस्थल**-अरब, थार

अफ्रीका

1 क्षेत्रफल: 30,259,680 वर्ग किमी
2 जलडमरूमध्य –बाब-अल-मान्देब जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि
3 पर्वत— एटलस, ड्रैकेंसबर्ग, किलिमंजारो
4 उच्चतम बिंदु: किलिमंजारो (5,894 मी)
5 निम्नतम बिंदु -अस्साइ झील (-156.1 मी)
6 द्वीपसमूह -- मेडागास्कर, केप वर्डे द्वीप, द कॉमोरोस, मॉरीशस, सेशेल्स
7 पठार –सम्पूर्ण महाद्वीप एक पठार है
8 मरूस्थल – कालाहारी, सहारा, नामीब

उत्तरी अमेरिका

1 क्षेत्रफल -- 24,235,280 वर्ग किमी
2 जलडमरूमध्य – बेरिंग जलसंधि
3 पर्वत—रॉकी, अप्पलेशियन, ब्रुक्स, कुस्कोकविम, अलास्का रेंज, कास्केड रेंज, तटीय रेंज, सिएरा नेवादा, सिएरा माड्रे
4 उच्चतम बिंदु – मेकिन्ली (6,194 मी)
5 निम्नतम बिंदु –मृत घाटी (-85.9 मी)
6 द्वीप समूह –ग्रीनलैंड, बेफिन, विक्टोरिया, न्यूफाउंडलैंड, क्यूबा, जमैका, हैती
7 नदियाँ – मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, मकेन्ज़ी, कोलोराडो, हडसन, पोटोमैक, ओहियो
8 पठार -- कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिकन पठार, कनाडाई शील्ड
9 मरूस्थल-- चिहुआहुआन, कोलोराडो, मोजेव, सोनोरान

दक्षिण अमेरिका

1 क्षेत्रफल -- 17,820,770 वर्ग किमी
2 जलडमरूमध्य – मैगेलन जलसन्धि
3 पर्वत –एंडीज
4 उच्चतम बिंदु – अकांकागुआ (6,960 मी)
5 निम्नतम बिंदु- वाल्डेस पेनिन (-39.9 मी)
6 द्वीप समूह - गैलापागोस, फ़ॉकलैंड, टीएरा डेल फ़्यूगो
7 नदियाँ -- अमेज़ॅन, ओरिनिको, परागुए, पराना, उरुग्वे
8 पठार -- बोलिविया का पठार, एक्वाडोर का पठार
9 मरूस्थल -- अटाकामा, पेटोगोनिया

Europe

1 क्षेत्रफल -- 10,530,750 वर्ग किमी
2 जलडमरूमध्य – जिब्राल्टर जलसन्धि
3 पर्वत -- आल्प्स, पिरेनीज, ऐप्पेनाईन, दिनारिक आल्प्स, कार्पेथियन, ट्रांसिल्वेनियाई पर्वत, बाल्कन, काकेशस, यूराल
4 उच्चतम बिंदु – एल्ब्रुज (5,663 मी)
5 निम्नतम बिंदु –कैस्पियन सागर (-28.0 मी)
6 द्वीप समूह -- ब्रिटिश द्वीप, आइसलैंड, सर्दीनिआ, सिसिली, क्रेते.
7 नदियाँ -- वोल्गा, डेन्यूब, राइन, पो, नीपर, डोन, विस्चुला, एल्ब, ओडर, सेन, लॉयर, गैरोन, डोरो, टैगस, उराल
8 पठार –बोहेमियां का पठार, स्पेन का पठार, सेंट्रल मस्सिफ

ऑस्ट्रेलिया

1 क्षेत्रफल -- 7,830,682 वर्ग किमी
2 जलडमरूमध्य – बास जलसन्धि
3 पर्वत –ग्रेट डिविडिंग रेंज
4 उच्चतम बिंदु – कोशूइश्को (2,228 मी)
5 निम्नतम बिंदु – आयर झील (-15.8 मी)
6 द्वीप समूह – तस्मानिया
7 पठार—पश्चिमी पठार
8 मरूस्थल—गिब्सन मरूस्थल, ग्रेट सैंडी मरूस्थल, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन मरूस्थल.

यूरोप महाद्वीप

1) यूरोप का छठवां स्थान है। इसकी सीमा पश्चिम में आर्कटिक सागर और दक्षिण में भूमध्यसागर स्थित है। पूरब में, यह यूराल पर्वत, काकेशश पर्वत तथा कैस्पियन सागर द्वारा एशिया से अलग होता है।

- रिक्जाविक को **'द स्मोकिंग बे'** के रूप में भी जाना जाता है।
- डेनमार्क स्कैंडेनेविया का सबसे छोटा देश है।
- ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और फराओ आइलैंड्स भी डेनमार्क से संबंधित हैं।
- डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है।
- फ़िनलैंड वन और झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है।
- फ़िनलैंड की राजधानी और सबसे बड़े शहर, हेलसिंकी को उत्तर का 'व्हाइट सिटी' के रूप में जाना जाता है।
- स्वीडन की राजधानी, स्टॉकहोम को सागर में सौंदर्य के रूप में जाना जाता है।
- मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है।
- रोम को सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है
- • वैटिकन सिटी सबसे छोटा संप्रभु और स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है।

उच्चतम बिंदु – माउन्ट एल्ब्रुस, रूस
सर्वाधिक दक्षिणतम बिंदु – गवडोस,ग्रीस
सबसे बड़ा झील – लडोगा झील, रूस
सबसे बड़ी नदी – वोल्गा

- रूस की अन्य चौदह देशों के साथ सीमायें हैं एवं आठ समय क्षेत्रों से गुजरती है।
- मास्को पांच सागर - बाल्टिक सागर, लडोगा झील, आर्कटिक सागर, काला सागर, और कैस्पियन सागर का पत्तन है।
- माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊँची चोटी है। (फ्रांस में)

- यूरोप के पांच महत्वपूर्ण पर्वतों में आल्प्स, पिरेनिज, कार्पेथियन, और काकेशस शामिल हैं।
- यूरोप की सबसे ऊँची पर्वतीय शिखर माउंट एल्ब्रुज काकेशस पर्वत पर है
- यूरोप के दक्षिण-पूर्व भाग में एक विस्तृत घास का मैदान है जिसे स्टेपी कहा जाता है
- राईन यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतर्देशीय जलमार्ग है।
- ब्रिटिश आइल्स यूरोप की मुख्य भूमि से इंग्लिश चैनल द्वारा अलग होता है।
- पिरेनिज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है।
- रूर (जर्मनी) यूरोप का सबसे बड़ा और समृद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र है।

उत्तरी अमेरिका

- मध्य अमेरिकी देश बनाना रिपब्लिक के रूप में जाने जाते हैं।
- हैमिलटन को कनाडा का पीट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है।
- नोवा स्कोशिआ की राजधानी, हलिफेक्स, कनाडा का एक हिमरहित महत्वपूर्ण पोर्ट है।
- ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के सबसे बड़े शहर, वैंकोवर फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है।
- 'कनाडा का बिर्मिंघम "– हैमिलटन.
- विश्व का सबसे बड़ा तेलशोधन कारखाना सार्निया, कनाडा में स्थित है।
- यूएसए का सबसे छोटा राज्य : रहोड आइलैंड
- अमेरिका के सबसे बड़ा राज्य : अलास्का
- प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह, जिसे सिटी ऑफ़ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है: सन फ्रांसिस्को, यूएसए

उच्चतम बिंदु – उत्तरी अमेरिका

माउंट मेकिनले, अलास्का, यूएसए

निम्नतम बिंदु

मृत्युघाटी, कैलिफ़ोर्निया

सबसे बड़ी झील

सुपीरियर झील, कनाडा/यूएसए

- संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा बंदरगाह, हडसन नदी के किनारे स्थित - न्यूयॉर्क शहर है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर न्यूयॉर्क है जिसे गगन चुम्बी इमारतों का शहर के नाम से भी जाना जाता है।
- हवाई द्वीप में स्थित मोनाकीआ, सबसे ऊंची चोटी और एक सक्रीय ज्वालामुखी है।
- हवाई की राजधानी, होनोलूलु को प्रशांत का क्रॉस रोड के रूप में जाना जाता है।
- सेंट लॉरेंस उत्तर अमेरिका में सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग है।
- कोलोराडो नदी के ग्रांड कैनियन दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा है।
- उत्तर अमेरिका के आंतरिक मैदानों में पाए जाने वाले घास के मैदानों को प्रेरीज़ के रूप में जाना जाता है।
- झील सुपीरियर: कैस्पियन सागर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
- लेक मिशिगन: एकमात्र महान झील जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है।
- विश्व की प्रमुख कॉफी निर्माता: ब्राज़ील
- दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर: साओ पाउलो, ब्राजील
- दुनिया का सबसे शुष्क स्थान: एरिका, चिली
- विश्व का सबसे बड़ा तांबा शहर: चुकिकमाता, चिली
- प्रशांत का पर्ल: ग्वायाकिल, इक्वाडोर
- विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात: एंजेल फ़ॉल्स, वेनेजुएला
- दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच जलसंधि: ड्रेक मार्ग
- दुनिया का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी: माउंट, ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना
- हिमालय के बाद विश्व का ऊँचा पर्वत: एंडिज
- अमेज़ॅन बेसिन रबर के पौधे का घर है।

ऑस्ट्रेलिया

- ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है।
- यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
- ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है।
- इसे द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है।
- मकर रेखा महाद्वीप के लगभग लगभग बीच से गुजरता है।
- एक अंग्रेज समुद्रयात्री, कप्तान जेम्स कूक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी।
- यह उत्तर-पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर में कार्पेंटरिया की खाड़ी और अराफुरा सागर से, उत्तर-पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिण में महान ऑस्ट्रेलियाई बाईट से घिरा हुआ है।

उच्चतम बिंदु

माउंट कोशियिस्कू, ऑस्ट्रेलिया

निम्नतम बिंदु : आयर झील, ऑस्ट्रेलिया

सबसे बड़ी झील: Lake Eyre

- मरे एंड द डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं।
- उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना और मरे डार्लिंग बेसिन में पाए जाने वाले समशीतोष्ण घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है।
- सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर और महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है।

- तस्मान सागर न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है।

न्यूज़ीलैण्ड दो द्वीपों में विभाजित है: उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, कुक जलसन्धि दो द्वीपों को अलग करती है।

राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप में स्थित है।

अंटार्टिका

- अंटार्टिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव भी स्थित है।
- यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्टिका क्षेत्र में स्थित है, पूरी तरह से लगभग आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में और दक्षिणी महासागर द्वारा घिरा हुआ है।

उच्चतम बिंदु : विंसों मस्सिफ़, 4,897 मी

निम्नतम बिंदु: बेंटली सब-ग्लसिअल ट्रेंच -2,555 मी

सबसे लम्बी नदी: ओनिक्स नदी, 25 किमी

तथ्य

अधिकतम कुल क्षेत्रफल ... रूस, 17,098,242 किमी^{2}

सर्वाधिक भूमि क्षेत्र... रूस, 17,075,200 किमी^{2}

सर्वाधिक जलक्षेत्र... कनाडा, 891,163 किमी^{2}

सबसे लम्बी समुद्री सीमा ... कनाडा, 243,792 किमी

समुद्री सीमा से क्षेत्रफल का अधिकतम अनुपात ...माइक्रोनेशिया, 8,706.553 मी/किमी^{2}

सर्वाधिक देशों से घिरा हुआ: ...रूस एवं चीन

सर्वाधिक वन क्षेत्र ... रूस , 8,087,900 किमी^{2}

सबसे गर्म, सबसे ठंढा, सबसे शुष्क, सर्वाधिक आद्र

सबसे गर्म स्थान : दलोल, देनाकिल गर्त, इथियोपिया, वार्षिक औसत तापमान (93.2°F, 34°C)

सबसे ठंढा स्थान: पठार स्टेशन, अंटार्टिका, वार्षिक औसत तापमान (-56.7°C)

सबसे आर्द्र स्थान: मासिनराम, मेघालय, भारत **वार्षिक औसत वर्षा** (11,873 मिमी, 467.4")

सबसे शुष्क स्थान: अटाकामा मरूस्थल , चिली वार्षिक आधार पर न जानने योग्य वर्षा

महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां

एंडिज - दक्षिण अमेरिका
रॉकीज़ - उत्तरी अमेरिका
एटलस --- अफ्रीका
किलिमनाजारो --- अफ्रीका
अपेलेशियन --- अमेरिका
उराल --- यूरोप
आल्प्स --- यूरोप
कार्पथियन --- यूरोप
माउंट इरिबस --- अंटार्टिका
हिमालय --- एशिया

ज्वालामुखी

महत्वपुर्ण ज्वालामुखी

विसूवियस --- इटली
एटना --- इटली
स्ट्राम्बोली ---इटली
बेरेन --- भारत (अंडमान निकोबार)
किलिमंजारो --- तंज़ानिया
कराकातोआ --- इंडोनेशिया
पिना टुबो --- फिलीपींस

- अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के नजदीक पाये जाते हैं।
- रिंग ऑफ़ फायर – प्रशांत
- प्रशांत का प्रकाश स्तम्भ – एज़लको
- भूमध्यसागर का प्रकाश स्तम्भ – स्ट्रोम्बोली

मरूस्थल

फ़ोजिल रेगिस्तान - कालाहारी
लिटिल सहारा - ऑस्ट्रेलिया
मौत की रेगिस्तान - ठकला मक्कान
पेंटेड रेगिस्तान - उत्तर अमेरिका
सबसे ठंढा रेगिस्तान - गोबी
सबसे गर्म रेगिस्तान - सहारा
सबसे शुष्क रेगिस्तान - अटाकामा
ग्रेट इंडियन डेजर्ट - थार

महत्वपूर्ण मरूस्थल

रोब असवळी - एशिया
अटाक्कमा - दक्षिण अमेरिका
सहारा - अफ्रीका
कालाहारी - अफ्रीका
नामीब - नामीबिया
ग्रेट सैंडी - ऑस्ट्रेलिया
ग्रेट विक्टोरिया - ऑस्ट्रेलिया
टकला मकान - चीन
साहेल - चीन
थार - भारत

द्वीप

ज्वालामुखियों का द्वीप - आइसलैंड
कछुए का द्वीप - गालापागोस
नाविकों का द्वीप - समोवा
प्रेरणा का द्वीप - तासमानिया
एंटिल्स के मोती - क्यूबा
फ्रेंडली द्वीप - टोंगा

स्प्रिंग द्वीप	- जमैका
नेपोलियन का जन्मस्थान	- कोज़िस्कीका द्वीप
सबसे बड़ा द्वीप	- ग्रीनलैंड
सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र	- नॉरू

फ़ॉल्कलैंड द्वीप, कैनरी द्वीप, कोज़्ज़िकका, सेंट हेलेना, बहामास और बरमुडा द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित हैं।

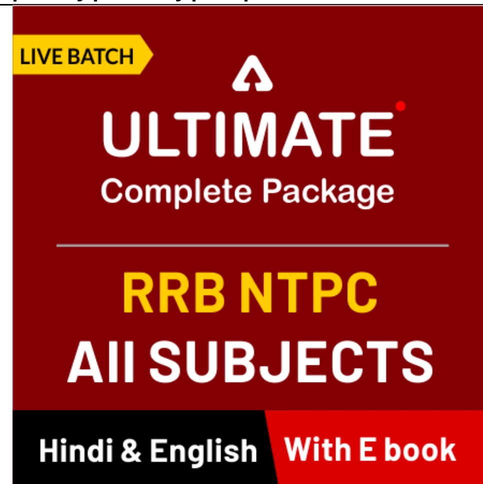

मध्यकालीन भारत

750-1200 ईस्वी के मध्य भारत

इस काल को भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है.

परिचय

इस काल को निम्न दो हिस्सों में बांटते हैं :-

(a) 750-1000 ईस्वी; (b) 1000-1200 ईस्वी

प्रथम चरण को भारत में तीन महत्वपूर्ण शक्तियों के उदय के रूप में जान जाता है. ये थीं – उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पुर्व भारत में पाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट. ये शक्तियां उत्तर भारत के 'गंगा के क्षेत्र' पर अपने आधिपत्य के लिए आपस में लगातार संघर्ष करती रहती थीं. इन तीन महाशक्तियों का संघर्ष **"त्रिपक्षीय संघर्ष"** के नाम से जान गया.

द्वितीय चरण (1000-1200 ई.) में हम तीन शक्तियों के बिखराव और पतन को देखते हैं. फलस्वरूप, पूरे देश में विभिन्न छोटे साम्राज्यों का जन्म हुआ. ये वे राज्य थे जिन्होंने 11वीं और 12वीं शताब्दी में उत्तर-पश्चिम में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाले तुर्की आक्रमण को रोका और संघर्ष किया, लेकिन आक्रमणकारियों के खिलाफ कोई संयुक्त मोर्चा न बना पाने के कारण अंततः वे असफल हुए.

पल्लव वंश

1) दक्षिण भारत में पल्लव वंश का उदय उस समय हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था.

2) शिवस्कंदवर्मन को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है.

3) पल्लव शासकों ने अपने शासनकाल में कांची को अपनी राजधानी बनाया.

4) इस काल के प्रमुख शासक थे : सिंघवर्मा प्रथम, शिवस्कंदवर्मन प्रथम, वीरकुर्च, शान्दवर्मा द्वितीय, कुमार्विष्णु प्रथम, सिंघवर्मा द्वितीय, और विष्णुगोप.

विष्णुगोप के बारे में खा जाता है कि वह समुद्रगुप्त से युद्ध में पराजित हो गया था जिसके बाद पल्लव कमजोर पड़ गए.

5) सिंह वर्मा द्वितीय के पुत्र, सिंह विष्णु ने 575 ई. में चोलों/कालभ्र की सत्ता को कुचलकर अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना की.

6) 670 में, परमेश्वर वर्मा प्रथम गद्दी पर बैठा. उसने चालुक्य रजा विक्रमादित्य प्रथम को आगे बढ़ने से रोका. हालाँकि चालुक्यों ने पल्लवों के एक अन्य प्रसिद्द शत्रु पांड्य राजा अरिकेसरी मारवर्मा से हाथ मिला लिया और परमेश्वर वर्मा प्रथम को पराजित कर दिया.

7) 695 ई. में परमेश्वर वर्मा प्रथम की मृत्यु हो गई और एक शांतिप्रिय शासक नरसिंह वर्मा द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना. उसे **कांची में प्रसिद्द कैलाशनाथ मंदिर** बनवाने के लिए जाना जाता है. 722 ई. में अपने बड़े बेटे की अचानक मृत्यु के दु:ख में उसकी मृत्यु हो गई.

8) 722 ई. में उसका छोटा पुत्र परमेश्वर वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा. वह 730 ई. में बिना की वारिस के ही मृत्यु को प्राप्त हो गया जिससे पल्लव राज्य में एक अव्यवस्था व्याप्त हो गई.

9) साम्राज्य के कुछ अधिकारीयों और रिश्तेदारों के साथ घरेलु युद्ध के बाद नंदी वर्मा द्वितीय गद्दी पर बैठा. उसने राष्ट्रकूट राजकुमारी रीतादेवी से विवाह किया और पल्लव राज्य को पुनः स्थापित किया.

10) उसका उत्तराधिकारी दंतीवर्मा (796-846) बना जिसने 54 वर्षों तक शासन किया. दंतीवर्मा पहले राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग द्वारा और फिर पांड्य शासकोण द्वारा पराजित हुआ. 846 में नंदीवर्मा तृतीय उसका उत्तराधिकारी बना.

11) नंदीवर्मा तृतीय का उत्तराधिकारी नृपतुंगवर्मा था जिसके दो भाई अपराजितवर्मा और कंपवर्मा थे.

चोल राजा ने अपराजितवर्मा को पल्लव राज्य में गृहयुद्ध छेड़ने के लिए भड़काया. बाद में अपराजित वर्मा सिंहासन पर बैठा.

चालुक्य

कर्नाटक शासक, चालुक्यों के इतिहास को तीन कालों में बांटा जा सकता है :

1) प्रारंभिक पश्चिम काल (छठी – 8वीं शताब्दी) बादामी (वातापी) के चालुक्य;

2) पश्चात् पश्चिम काल (7वीं – 12वीं शताब्दी) कल्याणी के चालुक्य;
3) पूर्वी चालुक्य काल (7वीं – 12वीं शताब्दी) वेंगी के चालुक्य

1. पुलकेशिन प्रथम (543-566) बादामी चालुक्य वंश का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी बीजापुर में वातापी थी.
2. कीर्तिवर्मा प्रथम (566-596) उसका उत्तराधिकारी था. जब इसकी मृत्यु हुई तब राजकुमार पुलकेशिन द्वितीय बच्चा था इसलिए सिंहासन खाली रहा और राजा के भाई मंगलेश (597-610), को संरक्षक शासक के रूप में नियुक्त किया गया. कई वर्षों तक उसने राजकुमार की हत्या के कई असफल प्रयास किए किन्तु अंततः राजकुमार और उसक मित्रों द्वारा स्वयं की हत्या करवा ली.
3. पुलकेशिन प्रथम का पुत्र, पुलकेशिन द्वितीय (610-642), हर्षवर्धन का समकालीन था और चालुक्य का सबसे प्रसिद्द रजा हुआ. उसका शासनकाल कर्नाटक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है. उसने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया.
4. कोसल और कलिंग पर आधिपत्य के पश्चात्, पुलकेशिन द्वितीय के भाई कुब्ज विष्णुवर्धन द्वारा पूर्वी चालुक्य वंश (वेंगी) की स्थापना हुई.
5. 631 तक चालुक्य साम्राज्य का विस्तार इस समुद्र से उस समुद्र तक हो चुका था. हालाँकि 642 में पल्लव शासक नरसिंहवर्मा प्रथम ने चालुक्य राजधानी बादामी पर आक्रमण कर दिया और पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर उसकी हत्या कर दी.
6. चालुक्यों का उभार एक बार पुनः हुआ जब विक्रमादित्य प्रथम (655-681), ने अपने समकालीन पांड्य,पल्लव, चोल और केरल के शासकों को परास्त कर उस क्षेत्र में चालुक्यों की सर्वोच्चता स्थापित की.
7. विक्रमादित्य द्वितीय (733-745) ने पल्लव साम्राज्य के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए पल्लव राजा नंदीवर्मा द्वितीय को परस्त किया.
8. विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र, कीर्तिवर्मा द्वितीय (745), राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग द्वारा हर दिया गया.

मदुरई के पाण्ड्य (छठी से 14वीं शताब्दी)

1) दक्षिण भारत में शासन करने वाले सबसे पुराने वंशों में से एक पाण्ड्य भी थे. इनका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के इंडिका में भी मिलता है.

2) इनका सबसे प्रसिद्द शासक नेंडूजेलियन था जिसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया.

3) पाण्ड्य शासकों ने मदुरई में एक तमिल साहित्यिक अकादमी की स्थापना की जिसे संगम कहा जाता है. उन्होंने त्याग के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्राम्हण पुजारियों का संरक्षण किया. उनकी शक्ति एक जनजाति 'कालभ्र' के आक्रमण से घटती चली गई.

4) छठी सदी के अंत में एक बार पुनः पांड्यों का उदय हुआ. उनका प्रथम महत्वपूर्ण शासक दुन्दुंगन (590-620) था जिसने कालभ्रों को परस्त कर पांड्यों के गौरव की स्थापना की.

5) अंतिम पांड्य राजा पराक्रमदेव था जो दक्षिण में विस्तार की प्रक्रिया में उसफ़ खान (मुहहमद-बिन-तुगलक़ का वायसराय) द्वारा पराजित किया गया.

चोल (9वीं – 13वीं शताब्दी)

1) चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्द वंशों में से एक है जिसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया.

2) आरंभिक चोल शासक करिकाल चोल थे जिन्होंने दूसरी शताव्दी में शासन किया.

3) 850 में पाण्ड्य-पल्लव युद्द के दौरान विजयालय ने तंजौर पर अपना आधिपत्य जमा लिया. अपने राज्याभिषेक को सफल बनाने के लिए इसने तंजौर में एक मंदिर बनवाया. इस दौरान श्रवणबेलगोला में गोमातेश्वर की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित कराई गई.

4) विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम (871-901)उसका उत्तराधिकारी बना.

5) राजराज प्रथम (985-1014) के शासन के दौरान चोल अपने शीर्ष पर थे. उसने राष्ट्रकूटों से अपना क्षेत्र वापस छीन लिया और चोल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया. उसने तंजावुर (तमिलनाडु) में भगवान शिव का एक सुन्दर बनवाया. यह उसके नाम से राजराजेश्वर कहलाया.

6) राजराज प्रथम का पुत्र, राजेंद्र चोल (1014-1044), इस वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था जिसने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया. इसके शासनकाल के दौरान भी चोल वंश की प्रसिद्धि चरम पर थी.
इसने श्री लंका पर भी अपना कब्ज़ा किया था.

7) कुलोतुंग प्रथम (1070-1122) एक अन्य महत्वपूर्ण चोल शासक था. कुलोतुंग प्रथम ने दो साम्राज्यों वेंगी के पूर्वी चालुक्य और तंजावुर के चोल साम्राज्य को जोड़ दिया. आदि सदी के लम्बे शासन के बाद 1122 ई.कुलोतुंग प्रथम की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र विक्रम चोल, जिसे त्यागसमुद्र भी कहते थे, उसका उत्तराधिकारी बना.

8) चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय (1246-79) था. वह एक कमजोर शासक था जिसने पांड्यों के समक्ष समर्पण कर दिया. बाद में मालिक काफूर ने 1310 में इस तमिल राज्य पर आक्रमण कर दिया और चोल साम्राज्य समाप्त हो गया.

राष्ट्रकूट

1) दंतीदुर्ग (735-756) ने इस साम्राज्य की स्थापना की. राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को उखड फेंका और 973 ई. तक शासन किया.

2) दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम (756-774) बना. कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली के एलोरा के प्रसिद्द कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया.

3) इस वंश के अन्य शासक थे गोविन्द द्वितीय (774- 780), ध्रुव (780-790), गोविन्द तृतीय (793-814) और अमोघवर्ष नृपतुंग प्रथम (814-887).

4) **अमोघवर्ष** इस वंश का महान शासक था. वह गोविन्द तृतीय का पुत्र था. अमोघवर्ष के साम्राज्य के विस्तार के विषय में **अरबी यात्री 'सुलेमान'** से जानकारी मिलती है जो 851 ई. में उसके दरबार में आया था और अपनी पुस्तक में लिखा है कि "**उसका साम्राज्य उस समय के दुनिया के चार बड़े साम्राज्यों में से एक था".**

5) इस दौरान भारत में आये अरबी यात्री, अल-माश्दी ने राष्ट्रकूट राजा को, 'भारत का महानतम राजा' कहा है.

कल्याणी का चालुक्य वंश की स्थापना तेल प्रथम द्वारा 974-75 में राष्ट्रकूटों के पराभव के बाद हुई थी.

6) उसके द्वारा स्थापित राजवंश, जिसकी राजधानी कल्याणी (कर्नाटक) थी, बाद के कल्याणी के चालुक्य कहलाये (प्रारंभिक चालुक्य बादामी के चालुक्य थे). तैलप ने 23 वर्ष (974-997) तक शासन किया.

प्रतिहार (8वीं से 10वीं शताब्दी)

a) प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था. ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि ये मूलतः गुजरात या दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से थे.

b) नागभट्ट प्रथम, ने सिंध से राजस्थान में घुसपैठ करने वाले अरबी आक्रमणकारियों से पश्चिम भारत की रक्षा की.

c) नागभट्ट प्रथम, के बाद प्रतिहारों को लगातार हार का सामना करना पड़ा जिसमें इन्हें सर्वाधिक राष्ट्रकूट शासकों ने पराजित किया.

d) प्रतिहार शक्ति, मिहिरभोज, जो भोज के नाम से प्रसिद्द था, की सफलता के बाद अपना खोया गौरव पुनः पा सकी.

e) उसके विख्यात शासन ने अरबी यात्री सुलेमान को आकर्षित किया था.

f) मिहिरभोज का उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल प्रथम था जिसकी प्रमुख उपलब्धि मगध और उत्तरी बंगाल पर अपना आधिपत्य था. उसके दरबार का प्रसिद्द लेखक राजशेखर था जिसने अनेक साहित्यिक रचनाएँ लिखी -

1) कर्पूरमंजरी, 2) बालरामायण, 3) बाला और भरता, 4) काव्यमीमांसा

g) महेन्द्रपाल की मृत्यु के साथ ही सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया. भोज द्वितीय ने गद्दी कब्ज़ा ली लेकिन जल्द ही, सौतेले भाई महिपाल प्रथम ने खुद को सिंहासन वारिस घोषित कर दिया.

राष्ट्रकूट शासक इन्द्र तृतीय के दक्कन वापसी से महिपाल को उसके आक्रमण से लगे घातक झटके से सँभलने का मौका मिला. महिपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी, महेन्द्रपाल प्रथम अपने साम्राज्य को बनाये रखने में कामयाब रहा.

पाल (8वीं से 11वीं शताब्दी)

1) नौंवी शताब्दी में भारत आये अरबी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को 'रूमी' कहा है.

2) पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ई. में गोपाल ने की थी. गोपाल एक उत्कट बौद्ध था.

3) उसने ओदंतपुरी (बिहारशरीफ़ जिला, बिहार) में बौद्ध बिहार की स्थापना की.

4) गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल बना जिसने पाल राज्य को महानता पर पहुँचाया. उसके नेतृत्व में राज्य का विस्तार हुआ और लगभग समपूर्ण बंगाल एवं बिहार उसका हिस्सा बन गए.

5) 32 वर्षों के शासन के बाद धर्मपाल की मृत्यु हो ओ गई और वो अपना विस्तृत साम्राज्य अपने पुत्र देवपाल के लिए छोड़ गया.

6) देवपाल 810 में गद्दी पर बैठा और 40 वर्षों तक शासन किया. उसने प्रागज्योतिषपुर (असम), उड़ीसा के क्षेत्रों और आधुनिक नेपाल के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया.

7) उसने प्रसिद्द बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया. बौद्ध कवि और लोकेश्वरशतक के लेखक वज्रदत्त, देवपाल के राजदरबार में विभूषित होते थे.

सेन (11वीं से 12वीं शताब्दी)

1) सेन वंश ने पालों के बाद बंगाल बंगाल पर शासन किया.

2) इसका संस्थापक सामंतसेन था जो 'ब्रम्हक्षत्रिय' कहलाया.

3) सामंतसेन के बाद उसका पुत्र हेमंतसेन गद्दी पर बैठा. इसने बंगाल की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में खुद को प्रमुखता से स्थापित किया.

4) हेमंतसेन का पुत्र विजयसेन (प्रसिद्द राजा) लगभग सम्पूर्ण बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर अपने परिवार को प्रकाश में लाया. विजयसेन ने अनेक उपाधियाँ ली जैसे – परमेश्वर, परमभट्टारक और महाराजाधिराज.

5) प्रसिद्द कवि श्रीहर्ष ने उसकी प्रशंसा में विजयप्रशस्ति की रचना की.

6) विजयसेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बल्लालसेन बना. वह एक प्रसिद्द विद्वान था.

7) लक्ष्मणसेन के शासन के दौरान ये साम्रज्य पतन की ओर आ गया था.

देवगिरी के यादव (12वीं से 13वीं शताब्दी)

a) इस वंश का प्रथम सदस्य द्रीधप्रहर था. हालाँकि द्रीधप्रहर का पुत्र स्योंनचन्द्र प्रथम वह पहला व्यक्ति था जिसने अपने परिवार के लिए राष्ट्रकूटों से जागीरदार का पद प्राप्त किया.

b) भिल्लम ने यादव साम्राज्य की नींव रखी जो एक शताब्दी तक कायम रहा.

c) सिंहन इस परिवार का सबसे शक्तिशाली शासक था.

d) दक्षिण में अपनी सफलता से उत्तेजित होकर सिंहन ने अपने वंशगत शत्रु, उत्तर में परमार और गुजरात में चालुक्यों से युद्ध छेड़ा.

e) उसने परमार राजा अर्जुनवर्मन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी. इस तरह सिंहन के शासन में यादव राज्य अपने गौरव के चरम पर पहुंचा.

f) संगीत पर एक प्रमुख रचना 'संगीतरत्नाकर' इसके दरबार में लिखी गई. अनंतदेव और चांगदेव, दो प्रसिद्द खगोलशास्त्री इसके दरबार में विभूषित होते थे.

g) संभवतः रामचंद्रअंतिम यादव शासक था.

मालिक काफूर ने आसानी से कंकरदेव को परास्त कर हत्या कर दी और यादव राज्य को अपने कब्जे में ले लिया.

गजनवी के आक्रमणकारी

महमूद गजनवी (997-1030)

a) वह बुत-शिकन (मूर्तियों को तोड़ने वाला) के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसने 1000 ई. से 1027 ई. के बीच भारत में सत्रह लूट अभियान चलाए.

b) अपने पूर्वी प्रान्त के रूप में पंजाब पर कब्ज़ा कर उसने दावा किया कि वह दो उद्देश्यों से भारत में आया है, एक भारत में इस्लाम का प्रसार और दूसरा भारत से धन संपत्ति लूटकर स्वयं को अमीर बनाना.

c) 1025 ई. में उसने हिन्दुओं के विख्यात मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया.

d) अलबरूनी जिसने किताब-उल-हिंद (तहकीक-ए-हिंद) लिखी, फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा, ये महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे. 1010 से 1026, तक आक्रमणकारी मंदिरों के शहरों थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज की और बढ़ते रहे और अंततः सोमनाथ पर आक्रमण किया.

मुहम्मद गोरी (शहाबुद्दीन मुहम्मद)

1173 ई. में शहाबुद्दीन मुहम्मद (1173–1206 ई.), जिसे मुहम्मद गोरी भी कहते थे, गजनी की गद्दी पर बैठा. गोरी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह ख्वारिज़मी साम्राज्य की बढ़ती शक्ति का सामना कर पाता इसलिए उसे एहसास हुआ कि मध्य ऐसा में उसके प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है.

पंजाब और सिंध पर कब्ज़ा

a) मुहम्मद गोरी ने अपना पहला अभियान 1175 ई. में शुरू किया. वह मुल्तान की ओर बढ़ा और मुल्तान पर अधिकार कर लिया. इसी समय उसने भाति राजपूतों से उच्छ छीन लिया.

b) 3 वर्ष बाद 1178 ई. में वह पुनः गुजरात कब्जाने के लिए बढ़ा लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने उसे अहिलवाड़ा के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया. लेकिन 1190 ई. में इसने मुल्तान, पंजाब और सिंह को सुरक्षित कर गंगा के दोआब में एक जोरदार हमले के लिए मार्ग प्रशस्त किया.

दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार

तराइन का प्रथम युद्ध (1191ई.)

1191ई. में तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में गोरी की सेना बुरी तरह परास्त हुई और वह मरते मरते बचा.

पृथ्वीराज ने भटिंडा पर अधिकार तो जमा लिया किन्तु उसने किले में सेना की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की. इसने गोरी को, अपनी सेना को पुनः इकठ्ठा कर भारत पर एक और आक्रमण का मौका दे दिया.

तराइन का द्वितीय युद्ध (1192ई.)

यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ. मुहम्मद गोरी इस युद्ध के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था. तुर्की और राजपूत शक्तियां एक बार फिर तराइन के मैदान में आमने सामने थीं. राजपूत सैनिक, तुर्की सैनिकों से अधिक संख्या में थे किन्तु तुर्की सैनिकों के पास पूर्णतः व्यवस्थित तत्पर घुड़सवार सेना थी. भारतीय शक्तियों का तुर्की घुड़सवार सेना से कोई मेल नहीं था. तुर्की घुड़सवार दो तकनीकों का प्रयोग कर रहे थे. पहली थी घोड़ों के जूते जो उनके खुरों की रक्षा कर रही थी और दूसरी तकनीक, लोके के रकाबों का प्रयोग थी जो घुड़सवारों को अच्छी पकड़ शक्ति दे रही थी और युद्ध में बेहतर प्रहार शक्ति दे रही थी. बड़ी संख्या में भारतीय योद्धा मारे गए.पृथ्वीराज ने भागने का प्रयास किया किन्तु सरसुती के निकट पकड़ा गया. तुर्की सेना ने हांसी, सरसुती और समाना के किले अपने कब्जे में ले लिए. फिर वे दिल्ली और अजमेर की और बढ़े. तराइन के बाद गोरी गजनी लौट गया और भारत का शासन अपने विश्वसनीय दस् कुतुबुद्दीन एबक को सौंप गया.

1194 ई. में मुहम्मद गोरी पुनः भारत लौटा. उसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार की और कन्नौज की और बढ़ा. उसने कन्नौज के शासक जयचंद को चन्दावर को पराजित किया.

इस प्रकार, तराइन और चन्दावर के युद्धों ने उत्तरी भारत में तुर्की शासन की नींव रखी. 1206 ई. में गोरी की मृत्यु हो गई लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं था कि भारत में तुर्की शासन समाप्त हो गया था, वह अपने पीछे अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुलतान बना.

दिल्ली सल्तनत

मुहम्मद गोरी की हत्या के बाद, दिल्ली का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गया.

इस काल को पांच अलग-अलग कालों में बांटा जा सकता है. ये हैं:-

1. गुलाम वंश (1206-90)
2. खिलजी वंश (1290-1320)
3. तुगलक़ वंश (1320-1414)
4. सैयद वंश (1414-51)
5. लोदी वंश (1451-1526).

गुलाम वंश

कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-10)

- यह मूलतः एक तुर्की गुलाम था, जिसे मुहम्मद गोरी ने ख़रीदा था और बाद में अपना गवर्नर बना दिया था.
- गोरी की मृत्यु के बाद, ऐबक दिल्ली सल्तनत का स्वामी बना और 1206 ई. में गुलाम वंश की नींव रखी.
- इसके शासन काल में राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि **लाहौर** थी.
- इसकी दानशीलता के कारण, इसे लाख बख्स की उपाधि मिली.
- यह 1210 में चौगन या पोलो खेलते हुए मर गया.
- इसने दो मस्जिद, दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाई.

• उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाज़ा कुतिबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया.
• ऐबक सीखने में विश्वास करता था. उसने 'ताज-उल-मस्सिर' के लेखक हसन-उन-निजामी और 'तारिख-ए-मुबारक शाही' के लेखक फखरुद्दीन का संरक्षण किया.

आराम शाह (1210)

• यह ऐबक का पुत्र था जो जुद के युद्ध में इल्तुतमिश द्वारा पराजित कर दिया गया.

शमशुद्दीन इल्तुतमिश (1210-36)

• यह ऐबक का एक गुलाम था और ममलूक जनजाति का था. इसने 1211 ई. में दिल्ली में गद्दी पर कब्ज़ा कर लिया.
• इल्तुतमिश ने सर-ए-जहांदार के रूप में शुरुआत की थी जिसका अर्थ होता था शाही रक्षक.
• वह एक सक्षम शासक था और 'दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक' माना जाता है.
• उसने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया.
• उसने ख्वारिज्म शाह को शरण देने से इनकार कर, मंगोल शासक चंगेज़ खान से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की, जो ख्वारिज्म का पीछा कर रहा था.
• उसने चांदी का सिक्का **(टंका)** और तांबे का सिक्का **(जीतल)** चलाया.
• उसने इकता प्रणाली की शुरुआत की और नागरिक प्रशासन एवं सेना में सुधार किए जिनका वेतन भुगतान और भर्ती अब केन्द्रीय स्तर से की जाने लगी थी.
• उसने गुलामों के एक अधिकारिक गुट गठन किया जिसे चहलगानी/चालीसा (40 लोगों का समूह) कहा जाता था.
• उसने ऐबक द्वारा शुरू कराए गए कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया.
• उसने 'तबाक़त-ए-नासिरी' के लेखक 'मिनाज-उस-सिरज' को संरक्षण दिया.

रुकनुद्दीन : 1236

• वह इल्तुतमिश का बेटा था और अपनी माँ, शाह तुर्कान द्वारा, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठाया गया था.
• वह इल्तुतमिश की बेटी रजिया द्वारा अपदस्थ कर दिया गया.

रज़िया सुलताना: (1236 – 40)

• इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किन्तु कूच लोगों ने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी पर बैठा दिया.
• वह 'पहली और एकमात्र मुस्लिम स्त्री' थी जिसने अब तक भारत पर शासन किया.
• उसने बिना परदे के शासन किया.
• उसने अबीसीनियाई गुलाम मालिक याक़ूत को उच्च पद देकर अमीरों को नाराज कर दिया.
• इल्तुतमिश के वज़ीर जुनैदी ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया लेकिन वह परास्त हुआ.
• भटिंडा में एक गंभीर विद्रोह हुआ. भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रज़िया का आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया. रज़िया याक़ूत के साथ अल्तुनिया के खिलाफ लड़ने निकल पड़ी. हालाँकि ने याक़ूत की हत्या कर दी और रज़िया को बंदी बना लिया.
• बाद में, रज़िया ने अल्तुनिया से शादी कर ली और दोनों ने दिल्ली की और मार्च किया. इधर दिल्ली में अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया.
• 1240 ई. में रज़िया एक षड्यंत्र का शिकार बनी और कैथल (हरयाणा) के निकट उसकी हत्या कर दी गई.

बहराम शाह (1240-42)

• इल्तुतमिश का तीसरा बेटा बहराम शाह, शक्तिशाली तुर्की अमीरों के गुट चालीसा द्वारा गद्दी पर बिठाया गया.
• बाद में वह तुर्की अमीरों द्वारा मार दिया गया.

अलाउद्दीन मसूद शाह: 1242-46

• यह रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का बेटा था.
• यह बलबन और नासिरुद्दीन महमूद की माँ, मल्लिका-ए-जहाँ के षड्यंत्र के बाद अपदस्थ कर दिया गया और नासिरुद्दीन महमूद नया सुल्तान बना.

नासिरुद्दीन महमूद 1246-66

• यह इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था.
• मिनाज-उस-सिरज ने अपनी पुस्तक, तबाक़त-ए-नासिरी इसे समर्पित की है.

गयासुद्दीन बलबन : 1266-87

• नासिरुद्दीन के मौत के बाद; 1266 में बलबन गद्दी पर बैठा.
• इसने चालीसा की शक्ति समाप्त कर दी और ताज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया. इसने इसने शासन प्रबंध को बेहतर बनाया.
• बलबन की शासन व्यवस्था पारी दरबार मॉडल से प्रभावित थी. उसने जिल-ए-इलाही (ईश्वर की छाया) की उपाधि ली.
• उसने **सिजदा(सम्राट को साष्टांग प्रणाम)** और **पैबोस (सम्राट के पैर चूमना)** प्रथा शुरू करवाई.
• खुद को जिल-ए-इलाही (ईश्वर की छाया) कहके राजा के अधिकारों को दैवी अधिकार बताया.
• उसने न्याय और कानून व्यवस्था बनाने पर अत्यधिक बल दिया.
• उसने सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज़ बनाया.
• अपने अंतिम दिनों में, अपने बड़े और सबसे प्रिय पुत्र, मुहम्मद की मौत के कारण वह सल्तनत के कार्यों की अनदेखी करने लगा. उसके नजदीकी और प्रिय गुलाम तुगरिल के विद्रोह ने भी उसे परेशान कर दिया. मुहम्मद,

मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए 1285 में मारा गया और तुगरिल को पकड़ कर मौत की सजा दे दी गई.

कैकुबाद : 1287-90

• यह बलबन का पोता था और दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था.
• लेकिन कैकुबाद की हत्या अमीर कैमूर ने कर दी.
• कैकुबाद का छोटा बेटा गद्दी पर 3 वर्ष में बैठा.
• वह अंतिम इलबरी शासक था.
• खिलजी अमीरों ने इसके खिलाफ क्रांति कर दी इसे तीन महीने में मार दिया.

खिलजी वंश (1290-1320ई.)

जलालुद्दीन खिलजी

• इसने खिलजी वंश की स्थापना की.
• यह एक उदार शासक था और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई.
• उसका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था.

अलाउद्दीन खिलजी

• यह दिल्ली का पहला तुर्की सुलतान था जिसने राजनीति से धर्म को अलग किया. इसने घोषणा की कि, **'शासन कोई रिश्तेदारी नहीं जानता'**
• जलालुद्दीन खिलजी के शासन में यह कड़ा का गवर्नर या सूबेदार था.
• इसने सिकंदर-ए-सैनी या दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की.
• अलाउद्दीन ने गुजरात (1298), रणथंभोर (1301), मेवाड़ (1303), मालवा (1305) और जालोर (1311) को अपने अधिकार में कर लिया.
• दक्कन में, मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने, रामचन्द्र यादव (देवगिरी का यादव शासक), प्रताप रुद्रदेव (वारंगल का काकतीय शासक), वीर बल्लाल तृतीय (द्वार्समुद्र का होयसल शासक) और वीर पाण्ड्य (मदुरई का पाण्ड्य शासक) को पराजित किया.
• मलिक काफ़ूर को मलिक नैयब के ख़िताब के नवाजा गया.

प्रशासनिक और बाजार सुधार

• अमीरों द्वारा उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए अल्लाउदीन ने 4 अध्यादेश जारी किये. ये थे-

1. धनि व्यक्तियों की संपत्ति छीनने का आदेश (इसका उद्देश्य धार्मिक निधि और मुफ़्त भूमि का अनुदान की जब्ती था).
2. गुप्तचर विभाग का गठन किया गया.
3. शराब पर प्रतिबन्ध लगाया गया.
4. अमीरों के मेल-मिलाप व आपसी वैवाहिक संबंधों पर सुलतान की अनुमति अनिवार्य कर दी गई.

• इसने दाग (घोड़ों को दागने) और चेहरा (सैनिकों का हुलिया रखने) की प्रथा प्रारंभ की.
• अलाउद्दीन ने सम्पूर्ण भूमि की पैमाइश का आदेश दिया और फिर उसमें से राज्य का हिस्सा तय किया.
• राजस्व उगाही में सुधार के लिए दीवान-ए-मुस्तखराज पद बनाया.
• उसने सभी वस्तुओं की कीमत तय करने का प्रयास किया.
• सभी वस्तुएं बेचने के लिए खुले बाजार में लायी जाती थीं जिसे सराय-अल-अदल कहते थे.
• उसने अनेक किले बनवाए जिसमें अलाई का किला सबसे महत्वपूर्ण है. उसने कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, अलाई का दरवाजा भी बनवाया. इसने दिल्ली में हजार खम्बों वाला महल **हजार सुतून** बनवाया.
• वह कला और विद्वानों का संरक्षक था. कवि-संगीतकार अमीर खुसरो उसके प्रसिद्द दरबारी कवि थे.
• 1316 ई. में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफ़ूर ने गद्दी कब्ज़ा ली.
• अपनी मौत से पहले मलिक काफ़ूर ने शिहाबुद्दीन (अलाउद्दीन का छः साल का बेटा) को राजा नियुक्त किया और सबसे बड़े राजकुमार मुबारक खान को जेल में डाल दिया.
• काफूर अलाउद्दीन के शाही परिवार के वफादारों द्वारा मार दिया गया.

शिआबुद्दीन उमर (1316)

• यह जिताईपाली, जिसे अलाउद्दीन की मौत के बाद गद्दी पर चढ़ाया गया था, का छोटा बेटा था.
• यह दरबारी षड़यंत्र का शिकार बना और बाद में अँधा कर दिया गया.

मुबारक खिलजी (1316-20)

• इसने 18 हजार कैदियों को मुक्त कर दिया.
• इसने अलाउद्दीन खिलजी के सभी प्रशासनिक और बाजारी सुधारों को बदल दिया.
• इसके समय में देवगिरी पर अधिकार किया गया.

तुगलक़ वंश

गयासुद्दीन तुगलक़

• क़ुराना जनजाति के गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक़ ने तुगलक़ वंश की स्थापना की.
• सुल्तान बनने से पहले वह दीपालपुर का सूबेदार था.
• दिल्ली के पास विजय मंडप के गिरने से उसकी मृत्यु हो गई.

मोहम्मद-बिन-तुगलक़ (1325-51)

• 1325 ई. में गयासुद्दीन तुगलक़ का पुत्र, राजकुमार जौना खां गद्दी पर बैठा.
• इसने उलुघ खां की उपाधि धारण की. यह दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा सुलतान था.
• इसने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-अमीरकोही नमक विभाग की स्थापना की.

• इसने सोनधार अर्थात बंजर भूमि पर कृषि के विकास के लिए अग्रिम उधार, वितरित करवाया.
• इसने अनाज के स्थान पर नगदी फसलों को प्रोत्साहन दिया.

जलालुद्दीन एहसान शाह

1336: हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की स्थापना; और कन्हैया के नेतृत्व में वारंगल स्वतंत्र हो गया.

पांच प्रयोग

• **दोआब में भू-राजस्व/कर** : सुल्तान ने गंगा और यमुना के दोआब में एक गलत वित्तीय प्रयोग किया.उसने न केवल राजस्व में वृद्धि की बल्कि कई अन्य अबवाब या उपकार भी लगा दिए.
सुलतान ने नया कृषि विभाग दीवान-ए-कोही बनाया. इसका मुख्य उद्देश्य किसान को सीधे मदद देकर खेतीयोग्य भूमि में बढ़ोतरी करना था.

• **राजधानी परिवर्तन :** सुल्तान बनने के बाद मुहम्मद-बिन-तुगलक़ का सबसे विवादित कदम दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन था. इसने लोगों को दिल्ली से देवगिरी जाने का आदेश दे दिया. दक्षिण भारत में तुर्की शासन के विस्तार का आधार देवगिरी बन गया था. ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके. तब देवगिरी का नाम बदल कर दौलताबाद रखा गया.
• **सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन:** मुहम्मद-बिन-तुगलक़ ने पीतल के सिक्के चलाने का फैसला किया.जिसकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर थी. संभवतः वह सफल भी हो जाता अगर लोगों ने अपने घरों में सिक्के बनाने न शुरू किये होते. वह ऐसा करने में सफल नहीं हो सका और बाजार में इन सिक्कों का भारी अवमूल्यन हो गया. अंततः मुहम्मद-बिन-तुगलक़ को ये सिक्के वापस लेने पड़े. उसने पीतल के सिक्कों के बदले चांदी देने का वादा किया.

• **प्रस्तावित खुरासान अभियान:** सुल्तान ने विश्व विजय का लक्ष्य रखा. उसने खुरासान और इराक़ पर विजय का फैसला किया और इस हेतु एक विशाल सेना तैयार की. उसे उन खुरासानी अमीरों से उत्साह मिला जिन्होंने उसके दरबार में शरण ली थी. द्स्स्थ ही खुरासान में अलोकप्रिय शासक अबू सैयद के कारण अस्थिरता थी. खुरासान में राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के कारण यह योजना स्थगित करनी पड़ी.

• **कराचिल अभियान:** यह अभियान हिमालयी क्षेत्र कुमाऊँ की पहाड़ियों में चीनी आक्रमण के जवाब में किया गया था. ऐसा भी कहते हैं कि अभियान कुमाऊँ-गढ़वाल क्षेत्र की कुछ घुमंतू जनजातियों के खिलाफ था ताकि उन्हें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाया जा सके. पहला हमला तो सफल रहा किन्तु वर्षा का मौसम प्रारंभ होने के बाद आक्रमणकारी हमलावर हो गए.

• वह थट्टा (सिंध) में अपने तुर्की गुलाम तर्गी का पीछा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ.

फिरोज शाह तुगलक़ (1351-88)

• वह मोहम्मद-बिन-तुगलक़ का चचेरा भाई था.
• उसने अमीरों, सेना और उलेमाओं के तुष्टिकरण की नीति अपनाई.
• राजस्व की नई व्यवस्था कुरान के अनुसार थी. कुरान द्वारा 4 तरह के कर बताये गए हैं. ये हैं – खराज, ज़कात, जज़िया और खम्स. खराज भूमि कर था जो भूमि से उत्पादन का 1/10 हिस्सा था. ज़कात 2% संपत्ति कर था (जो केवल मुसलमानों पर व्यय किया जाता था), जज़िया गैर-मुसलमानों पर लगाया गया कर था और खम्स युद्धे के दौरान लूट के माल पर 1/5 हिस्सा लगने वाला कर था.
• फ़िरोज़ ने कट्टरपंथी उलेमाओं द्वारा गैर इस्लामिक बताये गए सभी प्रथाओं को बंद कराने का प्रयास किया. इसीलिए उसने संतों के कब्रों पर, महिलाओं को प्रार्थना करने पर प्रतिबंध लगा दिया और महल से सब चित्रकारी मिटा दी गई.
• फ़िरोज़ के समय में ही जज़िया एक अलग कर था.
• कृषि को बढ़ावा देने के लिए सुलतान सिंचाई पर बहुत ध्यान देता था. फ़िरोज़ ने नहरों की मरम्मत करवाई और हक-ए-शर्ब नमक सिंचाई कर लगाया.
• वह एक अच्छा भवन निर्माता भी था. उसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फ़िरोज़ाबाद शहर बसाये.
• अशोक के दो स्तंभ, एक टोपरा (हरयाणा) से और दूसरा मेरठ (उत्तर प्रदेश) से दिल्ली मंगवाए.
• सुलतान ने दिल्ली में एक अस्पताल, दार-उल-शिफ़ा की स्थापना की.
• गरीब लड़कियों के विवाह के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना हुई.
• तथापि उसका शासनकाल शांति का माना जाता है और इसका श्री उसके प्रधानमंत्री खान-ए-जहाँ मकबूल को जाता है.
• 1388 ई. में इसकी मृत्यु हो गई.

सैयद वंश

• खिज्र खां (1414-21)
• मुबारक शाह (1421-34)
• मुहम्मद शाह (1434-43)
• आलम शाह (1443-51)—यह अंतिम सैयद शासक था जिसने दिल्ली पर बहलोल लोदी का दावा स्वीकार कर सत्ता उसे सौंप दी और लोदी वंश की नींव पड़ी.

लोदी वंश

बहलोल लोदी : 1451-88

• बहलोल लोदी एक अफ़ग़ान सरदार था जिसने तैमूर के आक्रमण के बाद खुद को पंजाब में स्थापित कर लिया था.
• इसने लोदी वंश की स्थापना की.

• इसके शासन में जौनपुर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया.

सिकंदर लोदी : 1489-1517

• सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का बेटा था जिसने बिहार और पश्चिम बंगाल पर अधिकार स्थापित किया.
• आगरा शहर की स्थापना इसी ने की थी.
• सिकंदर एक कट्टर मुसलमान था. उसने नगर कोट में ज्वालामुखी मंदिर की पवित्र मूर्तियों को नष्ट कर डाला और मथुरा के मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया.
• इसने गैर मुस्लिमों पर पुनः जज़िया कर लगा दिया.
• यह गुलरुखी उपनाम से कवितायेँ लिखता था.
• इसने कृषि के विकास में काफी रूचि दिखाई. इसने उपज भूमि को मापने के लिए 32 अंकों वाले गज-ए-सिकंदरी (सिकंदर का गज) नाम से नए माप की शुरुआत की.

इब्राहिम लोदी : 1517-26

• यह लोदी वंश का अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुलतान था.
• यह सिकंदर लोदी का बेटा था.
• पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर को आमंत्रित किया.
• बाबर ने सौदा मंजूर कर लिया और 1526 ई. में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदियों को बुरी तरह परास्त कर दिया.
• यह युद्धस्थल में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुलतान था.

2.2 सल्तनतकालीन प्रशासन

• सल्तनत प्रशासन में चार विभाग प्रमुख थे :-
दीवान-ए-विजारत या वित विभाग
दीवान-ए-रिसालत या धार्मिक मामलों और अपीलों का विभाग
दीवान-ए-अर्ज़ या सैन्य विभाग
दीवान-ए-इंशा या शाही पत्र व्यवहार विभाग

2.3 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला एवं स्थापत्य

• तुर्की विजेताओं द्वारा लायी गई नई विशेषताएं थीं :
गुम्बद
बुलंद इमारतें
बिना बीम के सहारे की मेहराबें
मेहराब
• ऐबक ने जमी मस्जिद और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया. उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ करवाया.
• ऐबक ने अजमेर में सफ़ेद संगमरमर की एक नक्काशीदार मेहराब से युक्त एक खूबसूरत प्रार्थना सभा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी बनवाया.
• मेहराबों का सर्वप्रथम प्रयोग महरौली (दिल्ली) में गयासुद्दीन बलबन के मकबरे में देखने को मिलता है.
• अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार की बराबरी में अलाई मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया लेकिन उसकी मृत्यु के कारण यह काम पूरा न हो सका.
• तुगलक़ की कुछ प्रमुख इमारतें हैं; तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक़ की कब्र जो एक नई शैली इंडो-इस्लामिक शैली का नमूना है.

मुग़ल काल

बाबर

• भारत मुग़ल शासन की स्थापना बाबर ने 1526 ई. में रखी.
• वह पितृ पक्ष से तैमूर का वंशज और मातृ पक्ष से चंगेज़ खां का वंशज था.
• वह इब्राहिम लोदी के खिलाफ, दौलत खां लोदी और आलम लोदी द्वारा भारत बुलाया गया था.
• उसने 21 अप्रैल, 1526 ई. में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की.
• 1527 में उसने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया.
• 1528 में उसने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में परास्त किया.
• 1529 में उसने मुहम्मद लोदी (इब्राहिम लोदी का चाचा) को घाघरा के युद्ध में परास्त किया.
• 1530 ई. में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई. उसकी कब्र लाहौर में है. केवल दो मुग़ल बादशाहों, बाबर और बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र वर्तमान भारत के बाहर है.
• वह भारत में बारूद और तोपों का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था.
• दो प्रसिद्ध बंदूकची मुस्तफा और उस्ताद अली उसकी सेना में थे.
• उसने अपनी आत्मकथा 'तुज़ुक-ए-बाबरी' तुर्की में लिखी है.
• तुज़ुक-ए-बाबरी का, बाबरनामा नाम से पारसी भाषा में अब्दुर रहीम खान-ए-खाना और अंग्रेजी में मदान बेब्रिज ने अनुवाद किया गया है.
• उसने दो काव्यसंग्रह, तुर्की भाषा में 'दीवान' और पारसी में 'मुबइयान' को कलमबद्ध किया. उसने रिसल-ए-उसज़ या ख़त-ए-बाबरी की भीरचना की.

हुमायूँ (1530 ई. से 1555-56)

• यह बाबर का पुत्र था और 1530ई. में गद्दी पर बैठा. उसे अपने भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी द्वारा अफ़गानों से चुनौती मिली.
• 1532 में उसने आगरा में तबल-ए-अद्ल की स्थापना की.
• उसने शेरशाह से चौसा (1539) और कन्नौज/बिलग्राम (1540) में दो युद्ध लादे और दोनों में परास्त हुआ.
• वह ईरान भाग गया जहाँ उसने अपने जीवन के 12 वर्ष निर्वासन में बिताये.

• शेर शाह की मृत्यु के बाद उसने 1555 में भारत पर आक्रमण किया और उसके अफ़गान भाइयों को हरा कर एक बार फिर भारत में शासक बना.
• 1556 में पुस्तकालय (दिन पनाह) की सीढ़ियों से गिरकार उसकी मृत्यु हो गई और उसे दिल्ली में दफ़नाया गया.
• अबुल फज़ल ने उसे इंसान-ए-कामिल कहा है.
• उसकी बहन, गुलबदन बेगम ने उसकी जीवनी हुमायुनामा की रचना की.
• उसने दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था.

सूरवंश (द्वितीय अफगान साम्राज्य) (1540-55)

शेरशाह सूरी: 1540-45

• यह सासाराम के जागीरदार, हसन खान का बेटा था.
• 1539 में इसने चौसा के युद्ध में हुमायु को हराया और बादशाह के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की.
• एक बादशाह के रूप में, इसने मालवा (1542), रणथंभोर (1542), रायसीन (1543), राजपुताना के मारवाड़ (1542), चित्तोड़ (1544) और कलिंजर (1545) तक अपना साम्राज्य विस्तार किया.
• पुराना किला इसके शासनकाल में ही बनवाया गया.
• इसके 5 वर्ष के छोटे शासनकाल में आर्थिक हालात को सुदृढ़ करने के लिए इसने एक बेहतर प्रशासन, भू-राजस्व नीति और कुछ अन्य मानक स्थापित किये.
• इसने रुपया नाम से सिक्के चलाये जिनका पुरे साम्राज्य में समान मानक के मानदंड था.
• उसने सुचारू संचार व्यवस्था के लिए कई सड़कें बनवाएँ. उसने ग्रांड ट्रंक रोड (जी.टी.रोड) का निर्माण कराया जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती थी. उसके शासन में बनवाई गईं अन्य सड़कें थीं :
आगरा से मांडू
आगरा से जोधपुर और चित्तोड़
लाहौर से मुल्तान
• उसने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में सैनिक छावनियां बनवाईं और प्रत्येक छावनी में बड़ी संख्या में सैनिक रखे जाते थे.
• अबुल फज़ल के अनुसार शेर शाह का साम्राज्य 63 सरकार या जिलों में विभाजित था.
• भूमि मापने की इकाई 'बीघा' होती थी.
• अलाउद्दीन खिलजी की तरह इसने भी दाग और सेना में चेहरा प्रथा का सख्ती से पालन किया.
• ज़मींदारों को हटा दिया गया और करों की वसूली सीधे तौर पर की जाने लगी.
• इसे सासाराम में दफ़नाया गया.

अकबर

• हुमायूँ का बड़ा बेटा अकबर, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ 14 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा.
• उसका राजतिलक कलनौर में हुआ.
• पानीपत का दूसरा युद्ध (5 नवम्बर 1556 ई.) हेमू (मुहम्मद आदिल शाह का हिन्दू सेनापति) और बैरम खां (अकबर का संरक्षक) के बीच हुआ. इसमें हेमू की पराजय हुई और बैरम खां द्वारा उसकी हत्या कर दी गई.
• अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और फिर अपनी माँ माहम अंगा के प्रभाव में रहा.
• अकबर पर माहम अंगा के प्रभाव काल; 1560-62 को पेटीकोट सरकार का काल कहा जाता है.
• अकबर ने विभिन्न राजपूत राज्यों जैसे अम्बेर बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए.
• अकबर द्वारा किये गए कुछ प्रमुख सुधार थे :लड़कों और लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयुसीमा बढाकर क्रमशः 16 और 14 वर्ष कर दी गई.

सती प्रथा पर प्रतिबंध
• 24 वर्ष की आयु में अकबर ने राज्य द्वारा भूमि कर इकठ्ठा करने के लिए दशाला प्रणाली की शुरुआत की.
• अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था के तहत मनसबदारों को 66 वर्गों में बाँट दिया गया. इस व्यवस्था ने निम्नलिखित सेवा शर्तें निर्धारित की :

पद और स्थान
वेतन
घुड़सवारों की संख्या
• मुल्ला-मौलवियों की धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता के खिलाफ़ विद्रोह करते हुए 1851 में अकबर ने एक नए धर्म, दीं-ए-इलाही की घोषणा की. बीरबल इकलौता हिन्दू था जिसने इस धर्म को अपनाया.
• हालाँकि दिन-ए-इलाही लोकप्रिय नहीं हो सका.
• अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे का निर्माण करवाया. आगरा ए निकट स्थित फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा जाता है कि- लम्बे समय तक अकबर के कोई पुत्र नहीं था. एक सूफी संत शेख सलीम चिस्ती के आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा हुआ जिसका नाम सलीम/शेखो बाबा (जहाँगीर) रखा गया. सलीम चिस्ती के सम्मान में, अकबर ने अपना दरबार दिल्ली से स्थानांतरित कर फतेहपुर सीकरी में स्थापित कर लिया.
• तुलसीदास (रामचरितमानस के लेखक) अकबर के समकालीन थे.
• जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसे आगरा में सिकंदरा में दफ़नाया गया.
• युसुफजई जनजाति के साथ युद्ध (1586) में बीरबल की हत्या कर दी गई.
• अबुल फज़ल की हत्या (1610) वीर सिंह बुंदेला ने की थी.
• अकबर ने मुग़ल भारत को एक अधिकारिक भाषा दी (पारसी).

जहाँगीर (1605-27)

• 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम गद्दी पर बैठा.

• उसने शाही न्याय के लिए आगरा के किले में ज़ंजीर-ए-अदल (न्याय की ज़ंजीर) लगवाई.

• 1611 में उसने, बंगाल के अभियान पर भेजे गए एक पारसी अमीर, शेर अफ़गान की विधवा मेहर-उन-निसा से विवाह कर लिया. बाद में उसने उसे नूरजहाँ की उपाधि दी.

• नूरजहाँ का राज्य के मामलों में अत्यधिक प्रभाव था. उसे अधिकारिक पादशाह बेगम बनाया गया.

• जहाँगीर ने अपने और नूरजहाँ के नाम के संयुक्त सिक्के जारी किये.

• जहाँगीर ने मारवाड़ की जोधाबाई से भी विवाह किया था.

• 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि जॉन हाकिन्स जहाँगीर के दरबार में आया. 1615 में इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो भी उसके दरबार में आया. उसने सूरत में अंग्रेजों का एक व्यापारिक बंदरगाह खोलने की अनुमति प्राप्त की.

• इसका शासनकाल अनेक विद्रोहों के लिए जाना जाता है. इसके बेटे खुसरो ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे, पांचवें सिख गुरु 'गुरु अर्जुन देव' का आशीर्वाद प्राप्त था, ने 1605 में विद्रोह कर दिया. बाद में गुरु अर्जुन देव को विद्रोही राजकुमार को आशीर्वाद देने के लिए फांसी (1606) दे दी गई.

• उसके अंतिम वर्षों में उसके बेटे खुर्रम (शाहजहाँ) ने (1622-25) और उसके सेनापति महावत खां ने (1626-27) भी बगावत कर दी.

• उसने पारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगिरी लिखी.

• उसे लाहौर में दफ़नाया गया.

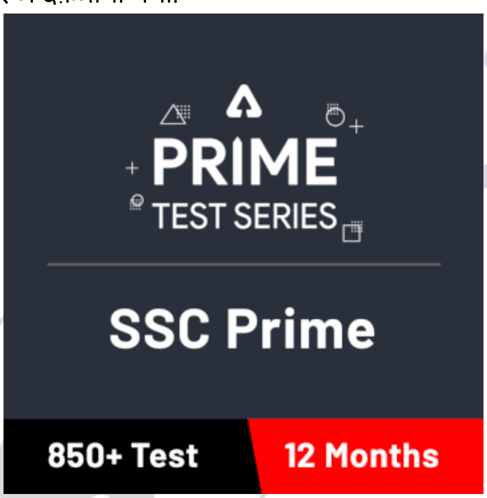

शाह जहाँ

• इसका वास्तविक नाम खुर्रम था. यह जोधाबाई (राजा जगत सिंह) की पुत्री के गर्भ से पैदा हुआ था.

• अपने पिता की मृत्यु के बाद 1628 में शाहजहाँ गद्दी पर बैठा.

• गद्दीनशीं होने के तीन वर्षों के बाद उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल (वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो) की 1631 में मृत्यु हो गई. उसकी यादों को स्थायी बनाने के लिए इसने 1632-53 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया.

• इसने दरबार में चार-तस्लीम की शुरुआत की.

• जहाँगीर के साम्राज्य का विस्तार करते हुए, शाहजहाँ ने अहमदनगर की निज़ाम शाही को मुग़ल नियंत्रण में लाने में (1633) सफलता हासिल की.

• शाहजहाँ के शासन का वर्णन फ्रांसिसी यात्री बर्नियर और ट्रैवनियर तथा इटली के यात्री निकोली मनूची द्वारा किया गया है. पीटर मुंडी ने शाहजहाँ के समय हुए उत्तराधिकार के युद्धों का वर्णन किया है.

• लाल किला, जामा मस्जिद और ताज महल इसके शासन काल में बनी प्रमुख इमारतें हैं.

• 1657 में शाहजहाँ के अचानक बहुत बीमार पड़ने से उसके चार बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया.

• इस संघर्ष में औरंगजेब विजेता बनकर उभरा और जुलाई, 1658 में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया. औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के किले में जेल में दाल दिया जहाँ 1666 में कारावास में ही उसकी मृत्यु हो गई.

औरंगजेब

• शाहजहाँ के शासन के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकार के लिए संहर्ष हुआ.

• उसके चार बेटे दाराशिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद थे जो गद्दी के लिए संघर्षरत थे.

• सत्ता के लिए इस खींचतान में उसकी बेटियां भी किसी न किसी भाई के साथ थी. जहाँआरा डरा के समर्थन में थी. रोशन औरंगजेब के समर्थन में थी और गुहारा मुराद का समर्थन कर रही थी.

• औरंगजेब ऐसा इकलौता मुग़ल सम्राट था जिसका दो बार राज्य अभिषेक किया गया.

• विदेशी यात्री बर्नियर ने देवराई के युद्ध में दारा की हार के बाद उसका सार्वजनिक अपमान देखा था.

• अपने शासन के प्रारंभिक 23 वर्षों (1658-81) तक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत पर केन्द्रित रहा. इस दौरान शिवाजी के नेतृत्व में मराठा एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे जिन्हें औरंगजेब को बराबर की मान्यता देनी पड़ी.

• इसके शासन में मुग़लों की सेवा में सर्वाधिक हिन्दू मनसबदार थे.

• औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेगबहादुर को 1675 में गिरफ़्तार कर लिया और उनके इस्लाम न स्वीकार करने पर उन्हें क़त्ल कर दिया.

• गुरु तेग बहादुर के पुत्र और दसवें एवं अंतिम सिख गुरु, श्री गुरु गोविन्द सिंह ने अपने अनुयायियों को सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया जिसे खालसा कहा गया.

• हालाँकि 1708 में दक्कन में एक अफ़गान द्वारा गुरु गोविन्द सिंह की हत्या कर दी गई. लेकिन गुरु गोविन्द सिंह के सैनिक शिष्य बंदा बहादुर ने मुघलों के खिलाफ़ युद्ध जारी रखा.

औरंगजेब की धार्मिक नीति

• वो खुद को ज़िन्दापीर या जिंदा संत कहता था.

• विभिन्न विषयों में नैतिक नियमों के पालन के लिए उसने मुहतसिब नियुक्त किये थे.

• उसने दरबार में गायन आर प्रतिबंध लगा दिया लेकिन संगीत की अनुमति दी. वह स्वयं वीणा बजाता था.

• उसने अकबर द्वारा शुरू किये गए झरोखा दर्शन को समाप्त करवा दिया.
• उसने आदेश पारित किया कि कोई भी नया हिन्दू मंदिर नहीं बनवाया जाएगा.पुराने मंदिरों के मरम्मत की अनुमति थी.
• उसने काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में वीर सिंह बुंदेला का केशव मंदिर नष्ट करवा दिया.
• 1679 में उसने जज़िया कर पुनः लागू कर दिया.

मराठों से संघर्ष

• शिवाजी सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा राजा थे और औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु थे.
• जब औरंगजेब उन्हें पराजित करने में असफल रहा तब उसने शिवाजी को पराजित करने के लिए 1665 में अम्बेर के राजपूत, राजा जयसिंह के साथ मिलकर षड़यंत्र रचा.
• जयसिंह के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आये. शिवाजी को धोखे से बंदी बना लिया गया लेकिन वे भाग निकलने में सफल रहे और 1674 में स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया.
• 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी सिंहासन पर बैठा जिसकी औरंगजेब ने 1689 में हत्या कर दी. संभाजी के बाद उनके भाई राजाराम ने शासन संभाला और उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने आन्दोलन किया.

मुग़ल प्रशासन

मनसबदारी व्यवस्था:
• प्रत्येक मुग़ल अधिकारी को एक मनसब (पद) दिया गया था. कुल 66 तरह के मनसबदार थे.
• जहाँगीर ने दु-अस्पाह और सिह-अस्पाह प्रणाली की शुरुआत की जिससे विशेष अमीरों के पास घुड़सवारों की संख्या दुगुनी कर दी गई.

केंद्रीय प्रशासन:

वकील: ये प्रारंभ में प्रधानमंत्री होता था लेकिन बाद में इसे केवल राजस्व सलाहकार बना दिया गया.
मीर बक्शी: यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था.

प्रांतीय प्रशासन :

• साम्राज्य को प्रान्तों या सूबों में बांटा गया था.
• 1580 में अकबर ने साम्राज्य को 12 प्रान्तों में बाँट दिया था. इसके शासन समाप्त होने तक इन सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी.
• जहाँगीर के शासनकाल में सूबे बढ़कर 17 हो गए और फिर आगे औरंगजेब के समय में इनकी संख्या 21 हो गई.
• नाज़िम या सूबेदार, प्रान्त का प्रमुख होता था.

स्थानीय प्रशासन :

• प्रान्तों को सरकारों/जिलों में बांटा गया था. जिलों को कई परगना और फिर परगना ग्राम में विभाजित था.

मुग़ल संस्कृति

• जहाँगीर के शासनकाल में मुग़ल चित्रकला अपने चरम पर थी जबकि शाहजहाँ के समय में वास्तुकला अपने सर्वोच्च स्थान पर थी.
• बाबर ने दो मस्जिद, एक पानीपत के काबुलीबाग में और दूसरी रोहिलखंड के संभल में बनवाई.
• हुमायूँ का मकबरा उसकी विधवा हाजी बानू बेगम ने बनवाया था.
• सीकरी में बने हुए मरियम पैलेस, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास भारतीय शैली में निर्मित हैं.
• बुलंद दरवाज़ा (गुजरात विय के बाद बनवाया गया), फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेशद्वार बना.
• सलीम चिस्ती का मक़बरा (जहाँगीर द्वारा संगमरमर से पुनः बनवाना) पूरी तरह संगमरमर में बनी पहली मुग़ल ईमारत है. बीरबल का महल और तानसेन का महल भी फतेहपुर सीकरी में ही है.
• अकबर ने सिकंदरा में अपने मकबरे का निर्माण खुद शुरू करवाया था जिसे बाद में जहाँगीर ने पूरा किया.
• फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला 'लाल बलुआ पत्थर में महाकाव्य' के रूप में जानी जाती है.
• नूरजहाँ ने एत्मातउद्ददौला या मिर्ज़ा गयास बेग का संगमरमर का मकबरा आगरा में बनवाया जिसे प्रथम बार पेट्रा ड्यूरा (अर्द्धकीमती पत्थरों का बना हुआ फूलों की नक्काशी) के प्रयोग के लिए जाना जाता है.
• जहाँगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद और शाहदरा (लाहौर) में अपनी समाधि बनवाई.
• शाहजहाँ द्वारा आगरा में बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं – मोती मस्जिद (संगमरमर की इकलौती मस्जिद), ख़ास महल, मुस्स्मम बुर्ज़ (चमेली का महल जहाँ उसने अपना कारावास के अंतिम वर्ष गुजारे) आदि.
• इसने 1637 में शाहजहानाबाद की नींव रखी जहाँ इसने लाल किला और तख़्त-ए-ताउस (मोर का सिंहासन) बनवाया.
• लाल किला में औरंगजेब द्वारा बनवाई गई एकमात्र ईमारत मोती मस्जिद है.
• औरंगजेब से सम्बंधित एकमात्र स्मारक बीबी का मकबरा है जो उसकी बीवी राबिया-उड़-दौरा का मकबरा है.
• औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद भी बनवाई.
• हुमायूँ ने अपनी सेवा में दो चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद को रखा था.
• दसवंत और बासवान अकबर के दरबार में दो प्रसिद्द चित्रकार थे.
• अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशनदास जहाँगीर के दरबार में तीन प्रसिद्द चित्रकार थे.

अकबर के शासन में घटी प्रमुख घटनाएं

1562 अजमेर का पहली बार दौरा किया
1562 युद्ध-बंदियों को ताक़त के दम पर गुलाम बनाना

1563 तीर्थयात्रा कर की समाप्ति
1564 जज़िया कर की समाप्ति
1571 फतेहपुर सीकरी की स्थापना
1574 मनसबदारी प्रथा की शुरुआत
1575 इबादतखाना बनाया गया
1578 इबादतखाना में विभिन्न धर्मों की परिषद्
1579 मज़हर की घोषणा (फैजी द्वारा लिखित)
1580 दहशाला बदोबस्त की शुरुआत
1582 दीं-ए-इलाही/तौहीद-ए-इलाही
1584 इलाही संवत यानि पंचांग/कैलेंडर
1587 इलाही गज

मुग़ल साहित्य

- अकबर नाम – अबुल फज़ल
- तोबकात–ए-अकबरी – ख्वाज़ा निजामुद्दीन अहमद बक्श
- इकबालनामा-ए-जहांगिरी – मुहम्मद खां
- आइन-ए-अकबरी – अबुल फज़ल
- पादशाह नामा –अब्दुल हामिद लाहोरी
- शाहजहाँ नामा – मुहम्मद सालेह
- सिर्र-ए-अकबर – दारा शिकोह
- सफीनत-उल-औलिया –दारा शिकोह
- मजमा-उल-बहरीन – दारा शिकोह
- रक्क़त-ए-आलमगिरी –औरंगजेब

1. किस मुग़ल बादशाह को भारतीय इतिहास में शाह-ए-बेखबर कहा जाता है?
उत्तर. बहादुर शाह
2. किस मुग़ल शासक के समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिख शक्ति का उदय हुआ ?
उत्तर. बहादुर शाह
3. औरंगज़ेब द्वारा पुनः लगाये गए जज़िया कर को किसने समाप्त कर दिया ?
उत्तर. जहांदार शाह
4. अहमद शाह अब्दाली कौन था ?
उत्तर. वाह नादिर शाह का रक्षा मंत्री था.
5. पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया ?
उत्तर. 1761 ई. में अहमदशाह अब्दाली और मराठों के बीच में.
6. किस मुग़ल शासक ने 1764 में, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिरज-उद-दौला के पक्ष में और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बक्सर के युद्ध में भाग लिया था ?
उत्तर. शाह आलम द्वितीय.
7. किस मुग़ल शासक ने बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी ?
उत्तर. शाह आलम द्वितीय
8. मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन था ?
उत्तर. बहादुर शाह ज़फ़र
9. बहादुर शाह ज़फ़र को दिल्ली से कहाँ निर्वासित किया गया ?
उत्तर. रंगून
10. बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु कहाँ हुई ?
उत्तर. रंगून में
11. ताजमहल का वास्तुकार कौन था ?
उत्तरr: **उज़्ताद इज़ा**
12. लालकिले का द्वार किस नाम से जाना जाता है ?
उत्तर: **लाहौर गेट**
13. भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है ?
उत्तर : **दिल्ली की जामा मस्जिद**

बहादुर शाह प्रथम (1707-12)

- 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, मुअज्ज़म उसका उत्तराधिकारी बना.
- इसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की.
- हालाँकि यह काफी वृद्ध (65 वर्ष) था और उसका शासन बहुत छोटा था फिर भी उसकी अनेक उपलब्धि थीं.
- इसने औरंगज़ेब की संकीर्ण और कट्टरपंथी नीतियों को बदल दिया.
- राजपूत राज्यों के साथ समझौते किये.
- मराठों को सरदेशमुखी वसूलने की छूट दी लेकिन चौथ की नहीं.
- संभाजी के पुत्र साहूजी, जिसने बाद में ताराबाई से युद्ध किया को, जेल से रिहा कर दिया
- गुरु गोबिंद सिंह को एक बड़ा मनसब देकर उनके साथ मेल-मिलाप बनाया.
- गुरूजी की मृत्यु के बाद, सिखों ने पुनः बंदा बहादुर के नेतृत्व में युद्ध आराम कर दिया जिससे सिखों के साथ दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हो गया.
- जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला नेता छत्रसाल के साथ भी शांति स्थापित की.
- राज्य की वित्त व्यवस्था बेहद ख़राब हो गई.

जहांदार शाह (1712-13)

- बहादुर शाह की मृत्यु ने साम्राज्य को गृह युद्ध की ओर धकेल दिया.
- इस काल के दौरान अमीर/सरदार बेहद प्रभावी हो गए.
- बहादुर शाह का पुत्र जहांदार शाह, ज़ुल्फ़िकार खां की सहायता से 1712 में गिद्दी पर बैठा.
- यह सुख सुविधाओं में डूबा रहेने वाला अयोग्य व कमजोर शासक था.
- इसका वजीर, ज़ुल्फ़िकार खां वास्तविक प्रशासक बन बैठा था.
- ज़ुल्फ़िकार खां ने जज़िया समाप्त कर दिया.
- राजपूतों के साथ शांति स्थापित की; अम्बेर के जयसिंह को मालवा का और मारवाड़ के अजित सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया.

- दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी मराठों को इस शर्त पर दे दी गई कि इसकी वसूली मुग़ल अधिकारी करेंगे और फिर मराठों को सौंप देंगे.
- सिखों और बंदा बहादुर के दमन की नीति जारी रखी.
- इजारा : भू-राजस्व की वसूली को ठेके पर दे दिया गया जिसके तहत बिचौलिए को एक निश्चित रकम सरकार को देनी होती थी जबकि वह किसानों ने अपने मनमाफ़िक वसूली करने के लिए स्वतंत्र था.
- जहांदार शाह जनवरी 1713 में अपने भतीजे फर्रुख सियार द्वारा आगरा में हराकर मार दिया गया.

फर्रुक्ख सियर (1713-19)

- सैयद बंधुओं हुसैन अली खां बराहा और अब्दुल्ला खां की मदद से विजयी हुआ.
- इसने अब्दुल्ला खां को वज़ीर और हुसैन अली को मीर बक्शी का पद दिया.
- फर्रुखसियर एक अयोग्य शासक था. सैयद बंधू वास्तविक शासक बन गए थे.

- **सैयद बंधू**

1. भारतीय इतिहास में किंगमेकर के नाम से जाने जाते हैं.
2. धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई. पुनः जज़िया को समाप्त कर दिया.
3. अनेक स्थानों से तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया गया.
4. मराठा : शाहू जी को स्वराज्य दिया और दक्कन के 6 प्रान्तों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिया.
5. ये विद्रोहियों को समाविष्ट करने और दबाने में असफल रहे क्योंकि इन्हें लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, लड़ाई झगड़े और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा.
6. निज़ाम-उल-मुल्क और मुहम्मद अमीन खां के नेतृत्व में अमीरों ने इनके खिलाफ षड़यंत्र रचने शुरू किये..
7. सैयद बंधुओं ने फरूखसियर को अपदस्थ कर हत्या कर दी थी. 1719 में सैयद बंधू मार दिए गए.
8. इससे पहले दो युवा राजकुमारों को एक के बाद एक सत्ता पर बैठाया गया जिनकी बीमारी से मृत्यु हो गई.
9. सम्राटों की हत्या ने सैयद बंधुओं के खिलाफ़ विद्रोह की लहर पैदा कर दी.
10. उन्हें 'नमक हराम' की तरह देखा जाने लगा.
11. अब उन्होंने 18 वर्ष के मुहम्मद शाह को हिंदोस्तान का बादशाह बनाया.
12. 1720 में अमीरों ने सैयद बंधुओं में छोटे, हुसैन अली खां की हत्या कर दी.
13. अब्दुल्ला खां भी आगरा में पराजित हुआ.

मुहम्मद शाह 'रंगीला' (1719-1748)

- यह कमजोर दिमाग वाला, तुच्छ, अत्यधिक शौक़ीन और सुविधाभोगी था.
- प्रशासन के प्रति लापरवाह था.
- अपने मंत्रियों के खिलाफ ही साजिश रचता था.
- इसका वज़ीर, निज़ाम-उल-मुल्क (चिनकिलिच खां) अपना पद छोड़ 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की.
- "उसका जाना साम्राज्य से वफादारी और सदाचारों के उड़ जाने का प्रतीक था"
- बंगाल, हैदराबाद, अवध और पंजाब में अनुवांशिक नवाबों की उत्पत्ति हुई.
- मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया.

1738 : नादिर शाह का आक्रमण

- लगातार किए गए अभियानों ने पर्शिया को दिवालिया बना दिया था. नादिरशाह भारत की अकूत धन दौलत से आकर्षित होकर यहाँ आया था.
- मुग़ल साम्राज्य भी कमजोर हो चला था.
- उत्तर-पश्चिमी सीमा लम्बे समय तक ध्यान ण दिए जाने के कारण असुरक्षित हो गई थी और किसी विरोध की सम्भावना नहीं थी.
- दोनों सेनाएं 13 फरवरी 1739 ई. को कर्नल में भिड़ीं. मुग़ल सेना पूरी तरह परास्त हो गई और मुहम्मदशाह को बंदी बना लिया गया.
- नादिर शाह ने दिल्ली में 57 दिनों तक लूट-पाट हत्या की
- लगभग 70 करोड़ रुपये की लूट हुई साथ ही मयूर सिंहासन (तख़्त-ए-ताउस) और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया.
- मुहम्मद शाह ने उसे सिन्धु नदी के पश्चिम के सभी प्रान्त दे दिए.
- महत्व : नादिर शाह के आक्रमण ने मराठा सरदारों और विदेशी व्यापारिक कंपनियों के लिए मुग़ल साम्राज्य की छुपी हुई कमजोरी से पर्दा हटा दिया.

अहमद शाह अब्दाली

- नादिर शाह का एक सेनापति
- भारत में दिल्ली और मथुरा के निकट 1748 और 1761 के मध्य बार-बार आक्रमण किया और लूटपाट मचाई. इसने भारत पर पांच बार आक्रमण किया.
- 1761 : पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठों की हार
- नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के फलस्वरूप मुग़ल साम्राज्य, अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं रह गया. 1761 तक यह केवल दिल्ली तक सिमट कर गया.

शाह आलम द्वितीय (1759)

- अहमद बहादुर (1748-54), मुहम्मद शाह का उत्तराधिकारी बना.
- अहमद बहादुर का उत्तराधिकारी आलमगीर द्वितीय (1754-59) था.
- 1756 : अब्दाली ने मथुरा को लूटा
- अलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी शाहजहाँ तृतीय बना.

- 1759 में शाहजहाँ तृतीय का उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय बना.
- अपने वज़ीरों से भय के कारण शाह आलम ने अपने प्रारंभिक कई वर्ष भटकते हुए बिताये.
- 1764 में इसने बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिरज-उड़-दौला के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध में भाग लिया.
- इलाहबाद में पेंशनयाफ्ता
- 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली वापस लौटा.

मुग़ल साम्राज्य का पतन

- 1759 के बाद मुग़ल साम्राज्य एक सैन्य शक्ति के रूप में समाप्त हो गया.
- 1759 से 1857 तक देश पर इसका नियंत्रण केवल इसलिए बना रहा क्योंकि भारतीय जनमानस पर, देश की राजनीतिक एकता के रूप में मुग़ल वंश की सशक्त छवि बनी हुई थी.
- 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिशों ने कब्ज़ा कर लिया.
- 1803 से 1857 तक, मुग़ल सम्राट अंग्रेजों का राजनीतिक चेहरा मात्र बनकर रह गया था.
- मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम रहा कि इन्होने ब्रिटिश शासकों के लिए भारत पर शासन करने का मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि कोई अन्य भारतीय शक्ति, भारत को एक कर उस पर नियंत्रण करने के लिए शक्तिशाली नहीं थी.

मराठा

2.1 शिवाजी (1627-80)

- शिवाजी, शाहजी और जिजाबाई के पुत्र थे जिनका जन्म शिवनेर के किले में हुआ था.
- शिवाजी को 1637 में अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई.
- इनके गुरु, गुरु रामदास समर्थ थे.
- 1647 ई. में अपने अभिभावक दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने अपनी जागीर का शासन पूरी तरह संभाला.
- इन्होने अनेक किलों पर अपना अधिकार स्थापित किया जैसे :-

1. सिंह गढ़/कोंडाना (1643)
2. रोहिंड और चाकन (1644-45)
3. तोरण (1646)
4. पुरंदर (1648)
5. राजगढ़/रायगढ़ (1656)
6. सूप (1656)
7. पन्हाला (1659).

- 1657 में शिवाजी अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण के समय इनका पहली बार मुगलों से सामना हुआ.
- 1659-60 में, बीजापुर की आदिलशाही द्वारा अफज़ल खान को शिवाजी को दण्डित करने हेतु नियुक्त किया गया किन्तु शिवाजी ने अफज़ल खान का वध कर दिया. प्रसिद्ध 'बघनखा' की घटना अफज़ल खान के वध से ही सम्बंधित है.
- 1660 में औरंगजेब द्वारा दक्कन का सूबेदार शाइस्ता खान मराठों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया. शिवाजी ने 1663 में शाइस्ता खा पर एक बड़े आक्रमण और सूरत की लूट से पहले पूना, कल्याण और चाकन खो दिया और कुछ जगह हार का भी सामना किया.
- तब अम्बेर के राजा जय सिंह और दिलेर खान, 1665 में औरंगजेब द्वारा शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए नियुक्त किये गए.
- जय सिंह ने पुरंदर के लिए में शिवाजी से घेरने में सफलता प्राप्त की. फलस्वरूप पुरंदर की संधि की गई जिसके अनुसार मुग़लोन को कुछ किले सौंपेंगे और एक बार दिल्ली में मुग़ल दरबार में हाजिर होंगे.
- 1666 में शिवाजी आगरा गए किन्तु वहां उनका अपमान किया गया.
- 1670 ई. में शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत दिए गए सारे किले पुनः जीत लिए.
- 1674 ई. में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हैन्दव धरमोद्धारक (हिंदुत्व के रक्षक) की उपाधि धारण की.
- उसके बाद शिवाजी ने मुग़लों और सिद्दियों (जंजीरा) के साथ सतत संघर्ष किया. उन्होंने 16७७-80 के दौरान कर्नाटक पर आधिपत्य स्थापित कर लिया.
- उनका अंतिम अभियान जिंजी और वेल्लोर के खिलाफ था.

शिवाजी का प्रशासन

- स्वराज्य प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में था.
- चौथा और सरदेशमुखी मराठों द्वारा लिए जाने वाले कर थे.
- मराठा आक्रमण से बचने के लिए चौथ दिया जाता था.
- सरदेशमुखी 10% का एक अन्य कर था जो महाराष्ट्र की उस भूमि पर लगता था जिस पर पारंपरिक और अनुवांशिक रूप से मराथे अपना दावा करते थे लेकिन जो मुग़लों के नियंत्रण में थी.
- मराठी अधिकारिक भाषा थी.
- शिवाजी ने अपने साम्राज्य (स्वराज्य) के क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया था और प्रत्येक में एक सरसूबेदार था. प्रांत, महालों में विभक्त था और महाल परगना या तर्फ में विभक्त था.
- शिवाजी की सहायता के लिए एक अष्टप्रधान थी जो एक मंत्रिपरिषद जैसी थी, किन्तु इसकी कोई सामूहिक जवाबदेही नहीं थी बल्कि प्रत्येक सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था.

शिवाजी के अष्टप्रधान

1. पेशवा (मुख्य प्रधान): वित्त और सामान्य प्रशासन, बाद में यह प्रधानमंत्री बन गए और अत्यंत महत्वपूर्ण पद हो गया.

2. सर-ए-नौबत (सेनापति) : सैन्य प्रमुख. यह एक मानद पद था किन्तु कोई वास्तविक सैन्य शक्तियां नहीं थीं.

- बाद में शिवाजी के एक उत्तराधिकारी राजाराम द्वारा, 'प्रतिनिधि' नाम से नौवें मंत्री का पद बनाया गया.

- शिवाजी के अधिकतर प्रशासनिक सुधार मलिक अम्बर (अहमदनगर) के सुधारों पर आधारित थे.

2.2 शिवाजी के उत्तराधिकारी

शम्भाजी: 1680-1689

- शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी ने शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम को उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित किया.
- इसने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को सुरक्षा और समर्थन प्रदान किया.
- इसने एक मुग़ल अमीर को पराजित कर संगमेश्वर पर अधिकार कर लिए और उसकी हत्या कर दी.

राजाराम : 1689-1700

- इसने राजगढ़ के मंत्रियों की सहायता से सिंहासन पर कब्ज़ा किया.
- संभाजी की पत्नी और पुत्र साहू जी के साथ मुग़लों द्वारा राजगढ़ पर आक्रमण और कब्जे से यह 1689 में राजगढ़ से जिंजी भाग गया.
- 1698 में जिंजी पर मुग़लों के कब्जे के बाद सतारा मराठों की राजधानी बनी. यहीं पर राजाराम की मृत्यु हो गई.
- राजाराम ने प्रतिनिधि नाम से एक नया पद सृजित किया. फलतः मंत्रियों की कुल संख्या 9 (अष्टप्रधान+प्रतिनिधि) हो गई.

ताराबाई: 1700-1707

- राजाराम का सबसे छोटा पुत्र शिवाजी द्वितीय अपनी माँ ताराबाई के संरक्षण में उत्तराधिकारी बना.
- ताराबाई ने मुग़लों से संघर्ष जारी रखा.

शाहू : 1707-1749

- मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ने साहू को मुक्त कर दिया.
- खेड़ के युद्ध (1700) में ताराबाई की सेना साहू द्वारा पराजित कर दी गई और साहू ने सतारा को हड़प लिया.
- साहू के शासनकाल में, पेशवाओं का उदय और मराठा राज्य का संघ के सिद्धांत पर आधारित एक साम्राज्य में परिवर्तन, देखने को मिलता है.

बालाजी विश्वनाथ (1714-20): **प्रथम पेशवा**

- इसने अपना जीवन एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में की थी और 1708 में साह ने सेनाकर्ते (सेना में गणना करने वाला) का पद दिया था.
- यह 1713 में पेशवा बना था और इस पद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली बना दिया इसके साथ ही यह पद पैतृक बना दिया.
- इसने सैयद बंधुओं-किंग मेकर (1719) से एक संधि की जिसके द्वारा मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर ने साहूजी को स्वराज्य का राजा की मान्यता प्रदान की.

बाजीराव प्रथम: 1720-40

- बालाजी विश्वनाथ का बड़ा पुत्र, बाजीराव 20 वर्ष की आयु में उसका उत्तराधिकारी, पेशवा बना.
- शिवाजी के बाद यह गुरिल्ला पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है. इसके अंतर्गत मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुँच गई थी.
- इसके अंतर्गत अनेक मराठा परिवार प्रतिष्ठित बनकर स्वयं को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया.
- इसने पुर्तगालियों से बसीन और सालसेट छीन लिया (1739)
- इसने निज़ाम-उल-मुल्क को भोपाल के निकट पराजित किया और दुरई-सराय की संधि की जिससे बाद में (1738) निज़ाम ने सम्पूर्ण मालवा और बुंदेलखंड मराठों को सौंप दी.
- इसने मुग़लों के बारे में कहा था, "हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएँगी."

बालाजी बाजीराव: 1740-61

- नाना साहेब के नाम से लोकप्रिय यह 20 वर्ष की आयु में अपने पिता बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी बना.
- साहू की मृत्यु (1749) के बाद सभी राजकीय कामकाज यही संभालता था.
- मुग़ल बादशाह अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई एक संधि (1752) के तहत, चौथ के बदले पेशवा मुग़ल साम्राज्य की आन्तरिक एवं बाह्य शत्रुओं (अहमद शाह अब्दाली जैसे) से रक्षा करेंगे..
- अहमद अब्दाली द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध (जन. 14, 1761) में मराठों की पराजय हुई और विश्वास राव एवं सदाशिव राव भू मारे गए. इससे पेशवा बालाजी बाजीराव को बहुत आघात पहुंचा और छह महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो गई. इस युद्ध ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया.

प्रश्न

1. मराठों को संगठित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था ?
उत्तर. शिवाजी
2. मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
उत्तर. शिवाजी
3. शिवाजी का क्या स्वप्न था ?
उत्तर. एक विशाल मराठा साम्राज्य स्थापित करना और विदेशियों को देश से बाहर खदेड़ना
4. शिवाजी किस्से सर्वाधिक प्रभावित थे ?
उत्तर. उनकी माता जीजा बाई
5. शिवाजी की पहली सैन्य उपलब्धि कौन सी थी ?
उत्तर. उनकी पली सैन्य उपलब्धि 1446 ई. में बीजापुर के तोरणा का किला पर विजय थी ?
6. शिवाजी कब और कहाँ अपनी राजधानी बनाई ?
उत्तर. 1665 ई. में राजगढ़
8. शिवाजी ने बीजापुर राज्य के साथ युद्ध कब लड़ा ?
उत्तर. 1659 ई. में, इस युद्ध में बीजापुर का अफ़ज़ल खान मारा गया और शिवाजी को बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ.
8. औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ युद्ध के लिए किसे भेजा ?

उत्तर. शाईश्ता खान को लेकिन वह युद्ध के मैदान से भाग निकला.

9. शिवाजी ने गुजरात के किस शहर को और कब लूटा ?

उत्तर. 1664 ई. में सूरत को.

10. औरंगजेब ने अम्बेर के राजा जय सिंह को किसे मारने के लिए भेजा था ? उत्तर. शिवाजी. रजा जयसिंह ने बहुत से मराठा किलों पर कब्ज़ा किया और उन्हें समझौते के लिए मजबूर कर दिया.

11. पुरंदर की संधि किस किसके बीच हुई थी ?

उत्तर. शिवाजी और औरंगजेब

12. शिवाजी कब औरंगजेब में दरबार में गए ?

उत्तर. 1666 ई. में

13. शिवाजी कब औरंगजेब के दरबार में कैद कर लिए गए ?

उत्तर. 1666 ई. में

14. शिवाजी ने पुनः सूरत की लूट कब की ?

उत्तर. 1670 ई. में

14. शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया ?

उत्तर. 1674 ई.. में

15. शिवाजी ने अपने किस बेटे को औरंगजेब की सेवा में भेजा ?

उत्तर. शम्भाजी

16. शिवाजी की सहायता के लिए उनके कितने मंत्री थे ?

उत्तर. आठ मंत्री

17. शिवाजी के आठ मंत्रियों के समूह को किस नाम से जाना जाता था ?

उत्तर. अष्ट प्रधान

18. शिवाजी के परिषद् में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था ?

उत्तर. पेशवा (प्रधानमंत्री)

19. शिवाजी के परिषद् में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था ?

उत्तर. आमात्य (वित्त मंत्री)

21. शिवाजी की कर प्रणाली क्या थी ?

उत्तर. भूमि कर कुल उत्पादन का 2/5 हिस्सा निर्धारित था. चौथ और सरदेशमुखी भी राज्य की आय का मुख्य श्रोत थे.

22. चौथ क्या था ?

उत्तर. शिवाजी पड़ोसी राज्यों और छोटे रियासतों पर चढ़ाई करते रहते थे . वे हमेशा शिवाजी के आक्रमण के भय में रहते थे. उन्होंने शिवाजी से एक समझौता किया और शिवाजी ने चौथ कर के बदले उन पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया. चौथ मानक राजस्व का ¼ भाग था.

23. सरदेशमुखी क्या था?

उत्तर. सरदेशमुखी भी राज्यों और क्षेत्रों द्वारा एक प्रकार का कर था जिसके बदले शिवाजी उन क्षेत्रों की अन्य आक्रमणकारियों से रक्षा में सहायता करते थे. सरदेशमुखी मानक राजस्व का ¼ होता था.

24. औरंगजेब किसे पहाड़ी चूहा कहता था ?

उत्तर. शिवाजी

25. किस युद्ध कला में मराठा अत्यंत निपुण थे ?

उत्तर. गुरिल्ला युद्ध

26. शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की और ब्राम्हणों की रक्षा का संकल्प लिया ?

उत्तर. हिन्दू पादशाही और धर्म का रक्षक

27. शिवाजी की मृत्यु कब हुई ?

उत्तर. 1680 ई. में

भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध

हयदास्पीस का युद्ध (326 ईस्वी पूर्व) – पौरव राजा पोरस, सिकंदर द्वारा पराजित हुआ. लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे लौटा दिया.

कलिंगा का युद्ध (261 ईस्वी पूर्व) – अशोक महान ने कलिंग के राजा को पराजित किया. इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध पंथ अपनाया और आजीवन उसी का प्रचार किया.

तराइन का प्रथम युद्ध (1191 ई.)- यह युद्ध थानेश्वर के निकट तराइन में लड़ा गया. चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया.

तराइन का द्वितीय युद्ध (1192)- यह मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लदा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ.

चंदवार का युद्ध (1194)- मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के जयचंद को पराजित किया.

पानीपत का प्रथम युद्ध (1526) – बाबर (मुग़ल वंश) ने इब्राहिम लोदी को हराया.

खानवा का युद्ध (17-March-1527) – मेवाड़ के राणा, राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया. युद्धभूमि में राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए थे.

चौसा का युद्ध (7-June-1539) – शेर शाह ने मुग़लों को पराजित किया लेकिन राजा हुमायूँ नदी पार कर भाग गया.

कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध (17-May-1540) –शेर शाह पुनः हुमायूँ के खिलाफ जीता. आगरा शहर पर कब्ज़ा

पानीपत का द्वितीय युद्ध (5-November-1556) – हेमचन्द्र विक्रमादित्य (हेमू), अकबर द्वारा पराजित.

तालीकोट का युद्ध (1564 - 65) – हुसैन निज़ाम शाह के नेतृत्व में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच गठबंधन और विजयनगर साम्राज्य के राम राजा की हार

हल्दीघाटी का युद्ध (1576) – यह युद्ध अकबर एवं मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच शुरू हुआ था. हालाँकि मुग़ल जीते थे लेकिन राणा ने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की.

प्रथम कर्नाटक युद्ध (1745–48) - यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं के बीच लड़ा गया. फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्ज़ा कर लिया, बाद में अंग्रेजों को लौटा दिया.

द्वितीय कर्नाटक युद्ध (1749–54) – डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसिसी अंग्रेजों से लड़े किन्तु अंग्रेज विजयी रहे. 1755 में उन्होंने एक अस्थायी संधि की.

तृतीय कर्नाटक युद्ध (1756–63) - 1758 में फ्रांसीसियों ने फोर्ट सैंट डेविड पर कब्ज़ा कर लिया लेकिन 1760 में वंडीवाश खो बैठे. अंग्रेज जीते.

प्लासी का युद्ध (June-1757) – रोबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने बंगाल के नवाब सिराज-उड़-दौला से युद्ध किया और विजयी हुए. मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया गया और सिरज-उड़-दौला को फांसी दे दी गई.

बक्सर का युद्ध (1764) – मेजर मानरी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना को पराजित किया.

प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767–1769) – मैसूर सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच. अंग्रेज हारे.

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775–1782) – भारत में मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया. अंग्रेजों की हार और सालबाई की संधि हुई. पुरंदर की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा कब्जाए गए सभी क्षेत्र मराठों को वापस दिए गए.

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-1805) – अंग्रेज और मराठा के बीच लड़ा गया. मराठों की हार हुई और अंग्रेजों का विस्तार तंजोर, सूरत और कर्नाटक तक हुआ.

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817–1818) – अंग्रेज (गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स) और मराठों के बीच लड़ा गया. अंग्रेजों ने मराठों को हराया, अंततः मराठा साम्राज्य का अंत.

द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780) –हैदर अली, निज़ाम और मराठा के बीच संयुक्त मोर्चे का गठन. अंग्रेजों को हराया. हैदर अली कर्नाटक का स्वामी बन गया.

तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92) – अंग्रेज और टीपू सुल्तान (हैदर अली का पुत्र) के बीच युद्ध. टीपू सुलतान को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया.

चौथा आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799) – ब्रिटिश सेनाओं की (आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में) विजय हुई और इप सुलतान की हत्या कर दी गई.

प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध (1824–1826) – ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच लड़ा गया. कंपनी की विजय.

प्रथम आंग्ल-अफ़गान युद्ध (1839-42) – अंग्रेजों ने अफ़गान शासक दोस्त मोहम्मद को हराया.

चेलियांवाला का युद्ध (1849) – लार्ड हग ग़ाफके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया. सिखों की पराजय.

प्राचीन भारत का इतिहास

प्राचीन भारतीय इतिहास

भारत में सिंधु घाटी सभ्यता

भारत में प्राचीन सभ्यताएँ

- सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है यह सिंधु नदी और घग्गर-हकरा नदी के किनारे फलीफूली थी, जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत है।
- रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 – 1750 ई.पू. तक माना जाता है।
- आर.बी. दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार हड़प्पा (रावी पर) की खोज थी। आर.डी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो या 'मृतको का टीला' (सिंधु पर) खोज की थी। सर जॉन मार्शल ने इन दोनों खोजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- हड़प्पा सभ्यता भारत के आद्य इतिहास के भागों के रूपों में है और यह कांस्य युग अंतर्गत आता है।
- इस सभ्यता के लोग तांबा, पीतल, चांदी, सोने के बारे में जानते थे, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था।
- सिंधु-घाटी लोग 'कपास' और 'ऊन' दोनों के उपयोग से अच्छी तरह से परिचित थे।

जानवरों को पालतू बनाया:

- पशु पालन सिंधु संस्कृति में महत्वपूर्ण था। इसके आलावा भेड़ और बकरी, कुत्ते, कुबड़े वाली भैंस और हाथी निश्चित रूप से पालतू थे। ऊंट दुर्लभ था और घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
- सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन:
- विस्तृत शहर की योजना थी। इसमें ग्रिड प्रणाली का पालन किया गया था। सड़कें अच्छी तरह से काटी गई थी। नगर एक बड़े आयत या वर्ग के खण्डों में विभाजित थे।
- निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। समकालीन विश्व में अन्यत्र मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था।
- मोहनजोदड़ो में, एक बढ़ा स्नानागार (विशाल) पाया गया, जिसकी माप 12मी× 7मी एवं गहराई 2.4 मी थी। सतह के दोनों छोरों पर सीढियां थीं

जिसके साथ वस्त्र बदलने के कमरे थे। साथ कमरे से बदल रहा है। यह संभवतः धार्मिक स्नान से संबंधित हो सकता है।

प्रमुख शहर और उनकी विशेषताएं:

- मोहनजोदड़ो(सिंध) सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित था।
- चन्हुदारो सिंधु नदी के बाएँ किनारे पर स्थित था, जो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किमी. की दुरी पर था।
- कालीबंगा (राजस्थान) में घग्गर नदी के किनारे स्थित था, जो सदियों पहले सूख चुकी है।
- लोथल, खंभात की खाड़ी पर है।
- बनावाली (हरियाणा) अब विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के तट पर स्थित था।
- सुरकोटड़ा (गुजरात) कच्छ के रण के मुहाने पर है।
- धोलावीरा (गुजरात) कच्छ जिले में खुदाई के दौरान खोजा गया।

प्राचीन भारत में व्यापर एवं वाणिज्य:

- किसी भी धातु की मुद्रा का प्रचलन नहीं था और व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था।
- वज़न और मापने में सटीकता के उपाय हड़प्पा संस्कृति (लोथल में पाया गया) में ही अस्तित्व थे। वजन आम तौर पर चूना पत्थर, साबुन के पत्थर आदि के थे और ये घनीय आकार में हुआ करते थे।
- 16 माप की इकाई (16, 64,160, 320) थी।
- लोथल में एक जहाज बनाने का स्थान(पोतगाह) की खोज की गई। रंगपुर, सोमनाथ और बालाकोट बंदरगाहों के रूप में कार्य करते थे। Sutkagendor & Sutkakoh functioned as outlets.

सिंधु घाटी सभ्यता लिपि:

- लिपि वर्णनात्मक नहीं थी, लेकिन चित्रलिपि थी (लगभग 600 अपठित चित्रलिपि)।
- लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन विश्लेषण करने से यह पता चला है कि यह पहली पंक्ति में दाएँ से बाएँ लिखी गई है और दूसरी पंक्ति में यह बाएँ से दाएँ लिखी गई है। इस शैली को सर्पलेखन शैली कहते हैं।

भारत में बौद्ध धर्म

- बुद्ध का जन्म नेपाल में (कपिलवस्तु के निकट) लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में हुआ था।
- उनके पिता सुद्धोदन 'शक' शासक थे।
- उनकी माँ (महामाया, कोशल वंश की) का, उनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। उनकी सौतेली माँ गौतमी ने उनका लालन-पालन किया।
- 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इन्होने 13 वर्ष तक विवाहित जीवन जिया और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था।
- 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज(महाभीनिष्क्रमण या महान त्याग भी कहा जाता है) के लिए इन्होंने ग्रह त्याग किया(चन्ना सारथि और अपने पसंदीदा घोड़े कंतक के साथ) और 6 वर्षों तक भटकते रहे।
- बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में मगध (बिहार) "गया" में पीपल वृक्ष के नीचे 'निर्वाण' या ज्ञान प्राप्त किया।
- सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया जहाँ उनके पांच शिष्य बने। उनके पहले धर्मोपदेश को 'धर्मचक्रपरिवर्तन' या कानून का धूमता हुआ चक्र कहा जाता है।
- मल्ल गणराज्य में 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया (उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले में कसिया गांव में)।

बौद् संगितियाँ:

- भिक्षु, बुद्ध की मृत्यु के बाद चार बार इकठ्ठे हुए और इन घटनाओं का प्रभाव, बौद्ध धर्म पर पड़ा।
- प्रथम संगिति: राजगृह में, मेहकस्सप की अध्यक्षता में (राजा अजातशत्रु था)। बुद्ध की शिक्षाओं को दो पिटकों में विभाजित किया गया अर्थात विनय पिटक और सुत्त पिटक। उपाली ने विनय पिटक और आनंद ने सुत्त पिटक सुनाई।
- द्वितीय संगिति: वैशाली में, 383 ईसा पूर्व में, सबकामी की अध्यक्षता में (कलाशोक राजा था) आयोजित की गई। इनके अनुयायी दो भागों में बी बंट गए अर्थात अस्थाविरपादी और महासंघिका।
- तृतीय संगिति: पाटलिपुत्र में, 250 ईसा पूर्व में मोगालीपुट्ट तीसा की अध्यक्षता में (सम्राट अशोक था) आयोजित की गई। इन संगिति में त्रिपिटक का तीसरा भाग पाली भाषा में कोडित किया गया था।
- चौथी संगिति: कश्मीर (कुन्दल्वन) में,वासुमित्र की अध्यक्षता में, 72 ईसवी में (राजा कनिष्क था) आयोजित की गई। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान सम्प्रदायों में विभाजित हो गया।

बौद्ध साहित्य:

- बौद्ध ग्रंथ पाली में हैं जो सामान्यतः त्रिपिटक में भेजा जाता है अर्थात 'तीन टोकरी' के रूप में।.
- विनय पिटक : बौद्ध मठों में अनुशासन के नियम।
- सुत्त पिटक : सबसे बड़ा, बुद्ध के उपदेश का संग्रह है।
- अभिधम्मपिटक: बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या।

भारत में जैन धर्म

- रिषभनाथ द्वारा स्थापित।
- 24 तीर्थंकर हुए, सभी क्षत्रिय थे।
- पहले रिषभ नाथ (प्रतिक – बैल)
- 23 वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ (प्रतिक-सांप) बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी मुख्य शिक्षाएं थी हिंसा न करना, झूट न बोलता, चोरी न करना और अधिकार या कब्ज़ा न करना।
- 24 वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर (शेर : प्रतीक) थे।

वर्धमान महावीर इतिहास:

- वह 599 ई.पू. में कुण्डग्राम (बिहार में मुज़फ़रनगर जिले में) में पैदा हुए थे।
- उनके पिता सिद्धार्थ ज्नात्रिका कबीले के प्रमुख थे। उसकी माँ त्रिशला, वैशाली, (लिच्छवी) के राजकुमार चेतक की बहन थी।
- महावीर बिम्बिसार से संबंधित था।
- यशोदा से विवाहित थे, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसका पति जमाली उनका पहला शिष्य बन गया था।
- 30 वर्ष की आयु में, उनके माता-पिता की मृत्यु के बाद, वह सन्यासी बन गया।
- अपने सन्यास के 13 वें वर्ष (वैशाख के 10 वें दिन) जम्भिकग्राम शहर उन्हें परम ज्ञान (कैवल्य) की प्राप्ति हुई।
- उन्हें जैन, जितेन्द्र और महावीर कहा जाता था और उनके अनुयायियों को जैन नामित किया गया। इसके अलावा, उन्हें अरिहंत की उपाधि दी गई अर्थात योग्य।
- 72 वर्ष की आयु में, 527 ईसा पूर्व में, पटना के पास पावा में मृत्यु को प्राप्त हो गए।
- **नोट:** जैन धर्म में, तीन रत्न (त्रिरत्न) दिए हुए हैं और उन्हें निर्वाण के लिए रास्ता कहा जाता है। वे सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण हैं।

जैन संगितियों का इतिहास:

- पहली संगिति: तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में सथुलभाद्रा द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। यह 12 अंग के संकलन के परिणामस्वरूप 14 पर्व को बदलने के लिए थी ।
- दूसरी संगिति: यह देवरिधगनी के नेतृत्व में पांचवीं शताब्दी ईस्वी में, वल्लभी (गुजरात) में आयोजित की गई थी।

मगध सामाज्य

- मगध साम्राज्य की अवधि: 6 वीं सदी - 4 शताब्दी ई.पू. थी।
- मगध साम्राज्य का विस्तार: मगध को पटना के पूर्व जिलों, गया और शाहाबाद के कुछ हिस्सों को मिलाने से उस समय के प्रमुख राज्य होने की वृद्धि हुई।
- हर्यक वंश: मूलतः 566 ईसा पूर्व बिम्बिसार के दादा द्वारा, स्थापित किया गया था लेकिन वास्तव में विम्बिसार द्वारा इसकी नींव रखी गई।
- मगध के राजा बिम्बिसार (544 ईसा पूर्व - 492 ईसा पूर्व):
- बुद्ध के समकालीन।
- उसकी राजधानी राजगीर (गिरिवराज) थी।
- उनकी राजधानी पाँच पहाड़ियों से घिरी थी जो सभी दिशाओं से पत्थरों की दीवारों से ढका था, इसी को राजगीर बनाया।
- अजातशत्रु का इतिहास (492 ईसा पूर्व - 460 ई.पू.):
- बिम्बिसार का पुत्र, अपने पिता को मारने के बाद, सिंहासन पर कब्जा किया।
- इसके शासनकाल के दौरान बुद्ध की मृत्यु हो गई; इसने पहले बौद्ध परिषद की व्यवस्था की।
- उदयन का इतिहास (460-444 ईसा पूर्व) का इतिहास: इसने पाटलिपुत्र में नई राजधानी की स्थापना की, जो गंगा और सन के संगम पर स्थित थी।

शिशुनाग वंश:

- एक मंत्री शिशुनागा द्वारा स्थापित किया गया। वह कालासाओका (द्वितीय बौद्ध परिषद) का उत्तराधिकारी बना।
- राजवंश केवल दो पीढ़ियों तक चला।
- सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती की शक्ति का विनाश था।
- नंद राजवंश:
- संस्थापक महापद्म नंदा थे।
- अलेक्जेंडर ने अपने शासनकाल में भारत पर हमला किया। उस वक्त धन नंदा वहां थे।
- अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण
- अलेक्जेंडर (356 ईसा पूर्व - 323 ईसा पूर्व) मैसिडोनिया (ग्रीस) के फिलिप का पुत्र था जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था।
- उस समय एनडब्ल्यू इंडिया कई छोटे स्वतंत्र राज्यों में तब्दील हो गया जैसे तक्षशीला, पंजाब (पोरस राज्य), गांधार आदि।
- पोरस को छोड़कर जिसने अलेक्जेंडर के साथ हाइडस्पेश (झेलम के तट पर) की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी, अन्य सभी राजाओं ने नम्र रूप से अधीनता स्वीकार कर ली।
- जब अलेक्जेंडर ब्यास पर पहुंचे, तो उसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया, इसलिए उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- अपनी अग्रनेता को चिह्नित करने के लिए, उसने ब्यास के उत्तरी तट पर 12 विशाल पत्थर की वेदियां खड़ी की।
- 19 महीनों के लिए भारत में बना रहा और बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई।

मौर्य राजवंश

चन्द्रगुप्त मौर्य का इतिहास (322 – 297 BC)

- चाणक्य की सहायता से, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है, उन्होंने नंदों को उखाड़ दिया और मौर्य वंश के शासन की स्थापना की।
- एक विशाल साम्राज्य का निर्माण, जिसमें न केवल बिहार और बंगाल के अच्छे भाग शामिल थे बल्कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे।
- यह जानकारी मेगास्थनीज़ (एक ग्रीक राजदूत जिसे सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार मेमें भेजा गया था) द्वारा रचित पुस्तक इंडिका

में मिलती है। हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी विवरण प्राप्त हो सकता है।

- चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलागोला (मैसूर के पास) के पास गए, जहां धीरे-धीरे भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

बिन्दुसार का इतिहास (297 – 273 BC):

- चन्द्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी 297 ईसा पूर्व उनका पुत्र बिन्दुसारा बना।
- कहा जाता है कि उसने '2 समुद्रों के बीच की भूमि', अर्थात् अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर कब्जा कर लिया।.

अशोक का इतिहास (269 – 232 BC):

- अशोक को तक्षशिला और उज्जैन के वाइसराय उनके पिता, बिंदुसारा द्वारा नियुक्त किया गया था।
- अशोक उपगुप्त के तहत बौद्ध बना।
- कलिंग युद्ध इतिहास:
- (261 ईसा पूर्व, जो तेरहवीं रॉक फिक्की में वर्णित है): इअने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया जिसके के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
- मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण:
- कहा जाता है कि अशोक का बौद्ध धर्म और उनके बलि- व्यवहार के कारण ब्राह्मणों की आय प्रभावित हुई। इसलिए उन्होंने अशोक के खिलाफ प्रतिपक्ष विकसित किया।
- कृषि क्षेत्र से राजस्व इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि युद्ध से लूट नगण्य थी।
- अशोक के उत्तराधिकारी इतने बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए बहुत कमजोर थे।

नोट: **185** ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग (सेनाध्यक्ष) ने अंतिम मौर्य शासक बृहधृत की हत्या कर दी, जिससे मगध में शुंग राजवंश का उदय हुआ।

भारत में संगम युग

चोलों का इतिहास

- इस राजवंश को चोलमानंदलम या कोरोमंडल कहा जाता था। मुख्य केंद्र ऊरियूर था, जो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पूंजी कवेरीपट्टणम/ पुहड़ थी।
- एलारा नामक एक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और 50 वर्षों तक शासन किया।
- करिकला उनके प्रसिद्ध शासक थे।
- धन का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। उन्होंने एक कुशल नौसेना बनाए रखी थी।

गुप्त राजवंश

गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग

- कुशान साम्राज्य के खंडहर पर एक नया साम्राज्य उभर कर आया, जिसने कुशानों और सतावहन दोनों के पूर्व सत्ता के अच्छे भागों पर अपना मार्ग बनाया। राजवंश के पहले दो राजा श्रीगुप्त और घाटोकच्च थे।

चन्द्रगुप्त I (AD 319 – 335):

- गुप्त राजवंश के पहले महत्वपूर्ण शासक थे।
- 319-320 ईस्वी में गुप्त युग आरम्भ किया।
- उसने नेपाल के लच्छ्वी कबीले की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया।
- उसने महाराजधिराज का खिताब अर्जित किया।
- लच्छवी राष्ट्र के सिक्कों में अपना और अपनी रानी का संयुक्त नाम अंकित कराया, इसके द्वारा अपने विवाह के गठबंधन की स्वीकृति को दर्शाया।
- समुद्रगप्त का इतिहास (AD 335 – 375):
- चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का व्यापक रूप से विस्तार किया।
- समुद्रगुप्त युद्ध और विजय की नीति में विश्वास करता था और उनकी बहादुरी और जनशक्ति के कारण उन्हें भारत के 'नेपोलियन' (इतिहासकार वी.ए. स्मिथ द्वारा) कहा जाता है।

चन्द्रगुप्त – II का इतिहास (AD 380 – 413):

- समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर दी और उनकी रानी ध्रुवदेवी से विवाह कर लिया कर ली।
- वह चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था, इसके अलावा उसने तांबे के सिक्कों को भी जारी किया।
- उसका दरबार कालीदास, अमरसिंह, वरहमिहिर और धनवंत्र सहित नौरत्नों से सुसज्जित था।
- चीनी तीर्थयात्री फेहियन इस समय भारत आया था।

कुमारगुप्त – I का इतिहास (AD 413 – 455):

- उन्होंने महेंद्रदित्य का शीर्षक ग्रहण किया।
- नालंदा विश्वविद्यालय (प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय) की स्थापना की
- वह भगवान कार्तिकेय (भगवान शिव के पुत्र) का भक्त था।
- उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में, तुर्की आक्रमणों के कारण साम्राज्य की शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हुई।
- मंगोल जनजाति, हुनस के साथ युद्ध के दौरान कुमारगुप्त का निधन हो गया।

स्कंदगुप्त का इतिहास (AD 455 – 467):

- कुमारगुप्त-I का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था।
- सुदर्शन झील पुन: स्थापित की।

- उनकी मृत्यु के बाद, गुप्त के महान दिन समाप्त हो गए। साम्राज्य जारी रहा लेकिन केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया और स्थानीय राज्यपाल उत्तराधिकारी अधिकारों के साथ सामंती शासक बन गए।

भारत में गुप्त साहित्य:

- कालिदास, महान संस्कृत नाटककार, इस अवधि के थे। उनकी कृतियाँ हैं: अभिज्ञानशुकन्तम, (विश्व में सबसे अच्छी साहित्यिक रचनाओं में से एक के रूप में माना जाता है और यूरोपीय भाषा में अनुदित होने वाले सबसे पहले भारतीय साहित्य में से एक, बाद इसके भगवद्गीता का अनुवाद हुआ)ऋतुसम्हारा, मेघदूतुम, कुमारसंघवम, मालविकगनिमित्रम, रघुवंश, विक्रमोर्वशी आदि। इनमें से, ऋतुसम्हारा, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य हैं और शेष नाटक हैं।
- विशाखदत्त ने मुद्राक्षस और देविचंद्रगुप्त की रचना की।
- विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना की।
- गुप्त अवधि में पाणिनी और पतंजलि पर आधारित संस्कृत व्याकरण का विकास भी देखा गया।
- रामायण और महाभारत लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी द्वारा लगभग पूरा हो गए थे।

अन्य राजवंश और शासक (7वीं शताब्दी –12 वी शताब्दीAD)

हर्षवर्धन का इतिहास (AD 606 – 647)

- पुष्भूति परिवार और प्रभाकर वर्धन के पुत्र से संबंधित
- मूल रूप से थानेश्वर का था लेकिन कन्नौज में स्थानांतरित हो गया (हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज को हर्ष की उत्तराधिकारियों से प्रतिहारों द्वारा जीता गया)।
- चीनी तीर्थयात्री, हेन त्सांग (राजकुमार यात्री) ने इसके शासनकाल के दौरान भ्रमण किया।
- हर्ष ने स्वयं तीन नाटकों - प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की।
- 647 में हर्ष की मृत्यु के बाद साम्राज्य एक बार फिर छोटे राज्यों में विभाजित हो गया।
- इत्सिंग, एक अन्य चीनी तीर्थयात्री ने 670 ईस्वी में भ्रमण किया।